HO/Finance/Share/57/2024-25 Date: 24.05.2024

National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
NSE Scrip Symbol: UCOBANK

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,Fort,
Mumbai – 400 001
BSE Scrip Code: 532505

Madam/Dear Sir

Annual Report of the Bank for the year 2023-24

Pursuant to Regulation 34 of SEBI(LODR) Regulations, 2015, we enclose Annual Report of the Bank for the year 2023-24.

Copy of Annual Report is also made available on Bank's Website in the following link : https://ucobank.com/documents/d/guest/annual-report-2023-24

This is for information and dissemination.

Yours faithfully,

VIKASH GUPTA
Digitally signed by VIKASH GUPTA
Date: 2024.05.24 18:57:19 +05'30'

(Vikash Gupta)
Company Secretary

Encl : as stated

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2023-2024

www.ucobank.com Toll Free No. 1800 103 0123 UCOBankOfficial official.ucobank official.ucobank UCO Bank UCO Bank UCO Bank Official

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का **Honours Your Trust**

वार्षिक प्रतिवेदन - 2023-24 / Annual Report - 2023-24

विषय-सूची / CONTENTS

मद	पृष्ठ सं.	Item	Page No.
निदेशक मंडल	003	Board of Directors	003
अध्यक्ष का संदेश	004	Chairman's Message	004
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	007	Managing Director & CEO's Message	007
वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना	013	Notice of Annual General Meeting	013
निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	031	Directors' Report & Management Discussion and Analysis	031
कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	084	Business Responsibility and Sustainability Report	084
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	144	Report on Corporate Governance	144
कारपोरेट अभिशासन का अनुलग्नक	179	Annexures to Corporate Governance	179
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	184	Secretarial Audit Report	184
सीवीओ एवं महाप्रबन्धकों का विवरण	187	Details of CVO & General Managers	187
महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक	189	Key Performance Indicators	189
एकल वित्तीय विवरण		Standalone Financial Statements	
➢ तुलन-पत्र	190	➢ Balance Sheet	190
➢ लाभ-हानि लेखा	192	➢ Profit & Loss A/c	192
➢ लेखों से संबंधित अनुसूची	194	➢ Schedule to Accounts	194
➢ नकदी प्रवाह विवरण	267	➢ Cash Flow Statement	267
➢ स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	270	➢ Independent Auditor's Report	270
समेकित वित्तीय विवरण		Consolidated Financial Statements	
➢ तुलन-पत्र	284	➢ Balance Sheet	284
➢ लाभ-हानि लेखा	286	➢ Profit & Loss A/c	286
➢ लेखों से संबंधित अनुसूची	288	➢ Schedule to Accounts	288
➢ नकदी प्रवाह विवरण	362	➢ Cash Flow Statement	362
➢ स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	365	➢ Independent Auditor's Report	365
बासेल-III प्रकटीकरण	375	Basel III Disclosure	375
लाभांश वितरण दिशानिर्देश	444	Dividend Distribution Guidelines	444

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	संजय दीप एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार	पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार
P S M G & ASSOCIATES Chartered Accountants	**SANJAY DEEP & ASSOCIATES** Chartered Accountants	**H D S G & ASSOCIATES** Chartered Accountants	**P V A R & ASSOCIATES** Chartered Accountants

शेयरधारक शिकायतों के लिए, कृपया संपर्क करे / For Shareholder Grievances, please contact:

श्री विकास गुप्ता
कंपनी सचिव
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल),
कोलकाता - 700 001
ई-मेल : hosgr.calcutta@ucobank.co.in
दूरभाष: 033-44557227

Mr. Vikash Gupta
Company Secretary
2, India Exchange Place (3rd Floor),
Kolkata-700 001
Email: hosgr.calcutta@ucobank.co.in
Ph. : 033 44557227

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार / As on 31st March, 2024

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Dr Sanjay Kumar
Government of India Nominee Director

श्री राजेश कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक
Shri Rajesh Kumar
RBI Nominee Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री अंजन तालुकदार
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pramoda Ranjan Mishra
Shareholder Director

अध्यक्ष का संदेश
Chairman's Message

प्रिय शेयरधारकगण,

मुझे 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूको बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और की गई पहलों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। यूको बैंक ने कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की है और ग्राहकों के लाभ के लिए नई पहलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, साथ ही हितधारकों के हितों का भी ख्याल रखा है।

2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का आउटलुक 3.2 प्रतिशत पर स्थिर है, जो 2024 जैसा ही है। ऐतिहासिक मानकों से देखें तो वृद्धि धीमी रही है। ऐसा निकट अवधि की दोनों चुनौतियों, यथा उधार लेने की ऊंची लागत, राजकोषीय समर्थन की वापसी और कोविड -19 महामारी एवं बढ़ते भू-राजनीतिक दबाव के दीर्घकालिक प्रभाव की वजह से हुआ है। लगभग सभी देशों पर विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता असर पड़ा है जिसमें ऊर्जा और खाद्य कीमतों की वृद्धि तथा अस्थिर बाज़ार का असर भी शामिल हैं। हालाँकि, आपूर्ति पक्ष की कठिनाईयों के दूर होने तथा प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति से अधिकांश क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में अपेक्षा से अधिक तेज़ी से गिरावट आई है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2024 के 5.9 प्रतिशत के वर्तमान अनुमान से 2025 में घटकर 4.5 प्रतिशत के वार्षिक औसत तक रहने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2024 में घरेलू स्तर पर, भारत का विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023 के विकास दर से 7.3% अधिक है। यह विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति की पुनः पुष्टि करता है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान 7.0% है। गिरावट के पूर्वानुमान (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान) के बावजूद, चालू वित्त वर्ष का दृष्टिकोण उत्साहजनक है। मुद्रास्फीति में कमी और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी आने से आयात लागत में काफी कमी आएगी। निर्यात के सकारात्मक होने के साथ-साथ आयात-प्रतिस्थापन उपायों और उच्च पूंजी प्रवाह की वजह से इस वर्ष में चालू खाता घाटे के प्रबंधन में कम समस्याएं आएंगी। औद्योगिक विकास के रुझान भी उत्साहवर्धक हैं। चुनौतीपूर्ण व्यापक-आर्थिक माहौल की इस पृष्ठभूमि में, घरेलू बैंकिंग प्रणाली को जनता का विश्वास प्राप्त होता रहा जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) की कुल जमा राशि में परिलक्षित होता है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023 में 9.6% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में 13.5% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 में अग्रिम में 20.2% की वृद्धि हुई जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में यह वृद्धि 15.0% थी।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in releasing the Annual Report of UCO Bank for the financial year ended March 31, 2024. Details of the achievements and initiatives taken by the Bank during this period are provided in the enclosed Annual Report for this period. UCO Bank has made progress in several key areas and has successfully implemented new initiatives for the benefit of customers, while at the same time taking care of stakeholders' interests.

Outlook for global growth for 2025 remains steady at 3.2 percent, which is the same as in 2024. The growth is low by historical standards, owing to both near-term challenges, such as high borrowing costs and withdrawal of fiscal support, and longer-term effects from the COVID-19 pandemic and growing geopolitical tensions. Almost all nations felt the effects of global economic uncertainty, including higher energy and food prices and volatile markets. Inflation, however, is falling faster than expected in most regions, amid unwinding supply-side issues and restrictive monetary policy. Global headline inflation is expected to fall to an annual average of 4.5 percent in 2025 from the present estimate of 5.9 percent of 2024.

On the domestic front, India is estimated to grow at 7.6% in FY 2024, an increase from 7.3% in FY 2023. This reaffirms India's position as the fastest-growing major economy globally. However, Gross Domestic Product (GDP) projection for FY2025 is 7.0%. Despite the declining forecast (National Statistical Office estimates), outlook for the current fiscal is encouraging. With declining inflation and softening of global commodity prices, import cost will reduce substantially. With exports turning positive, coupled with import-substitution measures and higher capital inflows, managing the current account deficit may be less problematic in the current year. Trends in industrial growth are also encouraging. Against this backdrop of a challenging macro-economic environment, the domestic banking system continued to enjoy the confidence of the banking public. This is reflected in the aggregate deposits of All Scheduled Commercial Banks (ASCB) growing higher at 13.5% in FY2024 against 9.6% in FY2023. There was also acceleration in credit growth to 20.2% in FY2024 from 15.0% in FY2023.

मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ती व्यययोग्य आय, बढ़ते उपभोक्तावाद और ऋण तक आसान पहुंच के कारण भारतीय बैंकिंग उद्योग उन्नति की ओर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में भुगतान के डिजिटल तरीकों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई है और वित्तीय सेवाओं को व्यापक बनाने की दिशा में तकनीकी नवाचारों ने दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता, समावेशन और प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार किया है, खासकर डिजिटल ऋणदान के क्षेत्र में।

बैंक का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने 2.8% का इक्विटी लाभांश का अनुमोदन किया है, जो प्रति शेयर 0.28 रुपए है।

वित्तीय कार्यनिष्पादनः

लाभः बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5.43% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4341 करोड़ रुपए की तुलना में 4576 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1654 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया है, जबकि इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1862 करोड़ रुपए की तुलना में 11.20% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा उच्च प्रावधानों के कारण हुआ है। जबकि निवल ब्याज आय में 10.32% की वृद्धि दर्ज की गई, गैर-ब्याज आय में 30.18% की वृद्धि हुई, परिचालन व्यय में 23.21% की वृद्धि हुई। ऐसा मुख्य रूप से, अन्य बातों के अलावा, उच्च कर्मचारी लागत के कारण हुआ है।

निवल ब्याज आयः बैंक की निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7343 करोड़ रुपए में 10.32% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8101 करोड़ रुपए हो गई। ऐसा अग्रिम पोर्टफोलियो में उच्च वृद्धि के कारण था। वर्ष के दौरान अग्रिमों से ब्याज आय 36.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए 10343 करोड़ रुपए से बढ़कर 14162 करोड़ रुपए हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवेश से ब्याज आय में 1.60% की गिरावट आई है। कुल ब्याज व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10307 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13754 करोड़ रुपए हो गया। फलस्वरूप जमा की औसत लागत वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4.06% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.78% हो गई है।

गैर-ब्याज आयः गैर-ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2022-23 के 2508 करोड़ रुपए की तुलना में 30.18% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3266 करोड़ रुपए रही।

परिचालन व्ययः स्टाफ व्यय में 26.18% की वृद्धि हुई, जिसमें वेतन और कर्मचारी लाभ दोनों शामिल हैं। यह व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के 3873 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4887 करोड़ रुपए हो गया। अन्य परिचालन व्ययों में 16.19% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था, मुद्रण और स्टेशनरी और विविध व्यय पर खर्च में वृद्धि है। परिचालन व्यय में, जिसमें स्टाफ लागत और अन्य परिचालन व्यय दोनों शामिल हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 23.21% की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रावधान और आकस्मिकताएँः वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए कुल प्रावधान 2922 करोड़ रुपए है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 2478 करोड़ रुपए था। इसमें 17.92% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए प्रावधानों की प्रमुख राशि निम्नानुसार हैः

- गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए 1068 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1296 करोड़ रुपए की तुलना में)
- एनपीआई और अन्य के लिए 734 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 81 करोड़ रुपए की तुलना में)

The Indian banking industry has been on an upward trajectory aided by strong economic growth, rising disposable incomes, increasing consumerism and easier access to credit. Digital modes of payments have grown by leaps and bounds over the last few years and technological innovations have led to marked improvements in efficiency, productivity, quality, inclusion and competitiveness in the extension of financial services, especially in the area of digital lending.

The financial performance of the Bank during the financial year ended 31st March, 2024, remained satisfactory. I am happy to announce that for the financial year ending March 2024, the Board of Directors of the Bank has recommended an equity dividend of 2.8% amounting to Rs 0.28 per share.

Financial Performance:

Profit: The Operating Profit of the Bank for FY2023-24 stood at Rs. 4576 crores as compared to Rs. 4341 crores in FY2022-23 registering a growth of 5.43%. The Bank has posted a Net Profit of Rs. 1654 crores for FY2023-24 as compared to Rs. 1862 crores in FY2022-23 registering a decline of 11.20%, which was on account of higher provisions. While Net Interest Income recorded a growth of 10.32%, the Non-Interest Income increased by 30.18%, Operating Expenses increased by 23.21% which was attributable mainly, inter alia, to higher staff costs.

Net Interest Income: The Net Interest Income of the Bank registered a growth of 10.32% from Rs. 7343 crores in FY2022-23 to Rs. 8101 crores in FY2023-24. This was due to higher growth in the advances portfolio. Interest income from advances correspondingly rose from Rs. 10343 crores to Rs. 14162 crores during the year registering a growth of 36.92%. Interest Income from Investments has declined by 1.60% in FY2023-24. Total interest expenses increased from Rs. 10307 crores in FY2022-23 to Rs. 13754 crores in FY2023-24. The average cost of deposits has consequently increased from 4.06% in FY2022-23 to 4.78% in FY2023-24.

Non-Interest Income: Non-interest income stood at Rs. 3266 crores in FY2023-24 as against Rs. 2508 crores in FY2022-23 registering an increase of 30.18%.

Operating Expenses: There was an increase of 26.18% in Staff Expense, which includes both Salary and Employee Benefits, from Rs. 3873 crores in FY2022-23 to Rs. 4887 crores in FY2023-24. Other Operating Expenses registered an increase of 16.19% mainly due to increase in expenses on rent, taxes and lighting, printing and stationery and miscellaneous expenditure. Operating Expenses, comprising both staff cost and other operating expenses, have registered an increase of 23.21% over the previous year.

Provisions and Contingencies: Total provisions made in FY2023-24 were Rs. 2922 crores as against Rs. 2478 crores in FY2022-23, registering an increase of 17.92%. Major amounts of provisions made in FY2023-24 were as under:

- Rs. 1068 crores towards Non-Performing Assets (as against Rs. 1296 crores in FY2022-23).
- Rs. 734 crores towards NPI and others (as against Rs. 81 crores in FY2022-23).

- मानक आस्तियों के लिए 205 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 59 करोड़ रुपए की तुलना में)
- आयकर के लिए 915 करोड़ रुपए (डीटीए सहित) (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1043 करोड़ रुपए की तुलना में)

आरक्षित एवं अधिशेष: 31.03.2024 को कुल आरक्षित निधि एवं अधिशेष 15401 करोड़ रुपए है, जबकि 31.03.2023 को यह 13809 करोड़ रुपए था। 413.44 करोड़ रुपए की राशि सांविधिक रिजर्व और 10.38 करोड़ रुपए की राशि पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित की गई।

आस्तियां: बैंक की कुल आस्ति मार्च 2023 के अंत में 300863 करोड़ रुपए से 7.59% बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 323692 करोड़ रुपए हो गई है। सकल निवेश मार्च 2024 के अंत में 97669 करोड़ रुपए से 2.38% घटकर 95265 करोड़ रुपए हो गया है। इस अवधि के दौरान वैश्विक अग्रिम 15.62% बढ़कर 161629 करोड़ रुपए से 186877 करोड़ रुपए हो गया है।

देनदारियाँ: बैंक की कुल देनदारियां (पूंजी और आरक्षित निधि को छोड़कर) 31 मार्च 2023 के 275098 करोड़ रुपए से 7.72% बढ़कर 31 मार्च 2024 को 296335 करोड़ रुपए हो गई है। जमा राशि में वृद्धि देनदारियों में वृद्धि का मुख्य कारण है। 31 मार्च 2024 को वैश्विक जमा 263130 करोड़ रुपए है, जो 31 मार्च 2023 को 249338 करोड़ रुपए था।

यूको बैंक अपनी प्रतिस्पर्धी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यात्मक और परिचालन क्षेत्रों में सुधार के कई पहल कर रहा है। हम अपने साइबर सुरक्षा उपायों को लगातार उन्नत कर रहे हैं और अपने सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग चैनलों को मजबूत कर रहे हैं। हम रिटेल, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वित्तपोषण उनके अनुकूल उत्पाद पेश करके कर रहे हैं। हम ऐसे वित्तपोषण के माध्यम से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। जैसे-जैसे हम अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने सभी हितधारकों के लिए संधारणीय मूल्य सर्जन करने, सभी विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन सहित अभिशासन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम अपने ग्राहकों के आभारी हैं, जो हम पर भरोसा करते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उनका विश्वास हमें उनकी बेहतर सेवा करने के लिए प्रेरित करता है और हम आने वाले वर्षों में उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। मैं अपने शेयरधारकों को हमारी क्षमताओं पर विश्वास करने और हमारे सभी प्रयासों के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं बोर्ड में अपने साथी-निदेशकों (अतीत और वर्तमान दोनों) द्वारा दिए गए इनपुट और योगदान के लिए उनकी सराहना करता हूँ। मैं बोर्ड की कार्यनीतियों और निर्देशों को प्रतिबद्धता तथा उत्साह के साथ लागू करने के लिए बैंक के नेतृत्व की भी सराहना करता हूं। मैं अपने कर्मचारियों को बैंक की कार्यकुशलता और छवि को बेहतर बनाने में उनकी निष्ठा और निरंतर प्रयासों के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को उनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

शुभकामनाओं के साथ,

अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

- Rs. 205 crores for Standard Assets (as against Rs. 59 crores in FY2022-23).
- Rs. 915 crores towards Income Tax (including DTA) (as against Rs. 1043 crores in FY2022-23).

Reserves and Surplus: Total Reserves and Surplus as on 31.03.2024 was Rs. 15401 crores as against Rs. 13809 crores as on 31.03.2023. An amount of Rs. 413.44 crores was transferred to Statutory Reserves and Rs. 10.38 crores to Capital Reserves.

Assets: The total assets of the Bank increased by 7.59% from Rs. 300863 crores at the end of March 2023 to Rs. 323692 crores at the end of March 2024. Gross Investments decreased by 2.38% from Rs. 97669 crores to Rs. 95265 crores as at the end of March 2024. During the period, Global Advances increased by 15.62% from Rs. 161629 crores to Rs. 186877 crores.

Liabilities: The Bank's aggregate liabilities (excluding capital and reserves) rose by 7.72% from Rs. 275098 crores on 31st March 2023 to Rs. 296335 crores on 31st March 2024. The increase in liabilities was mainly contributed by increase in deposits. Global Deposits stood at Rs. 263130 crores as on 31st March 2024 against Rs. 249338 crores as on 31st March 2023.

UCO Bank has been taking a number of initiatives for improvement in various functional and operational areas to enhance its competitive strength. We are continuously upgrading our cyber security measures and bolstering our Information Technology and Digital Banking channels. We are financing various critical sectors like Retail, Agriculture and Micro, Small & Medium Enterprises, by creating tailor-made products for these segments. We seek to create a positive impact on society through such financing. As we move forward on our growth trajectory, we remain committed to create sustainable value for all our stakeholders, maintaining governance standards, including compliance with all legal and regulatory requirements.

We are grateful to our customers, who continue to rely on and bank with us. Their trust motivates us to serve them better and we shall continue to work towards fulfilling their expectations and aspirations in the years ahead. I further wish to express my gratitude to our shareholders for their trust in our capabilities and their unwavering support for all our efforts. I would also like to place on record my appreciation for the inputs and contributions made by my fellow-Directors (both past and present) on the Board. I also commend the leadership of the Bank for implementing the strategies and directions of the Board with commitment and enthusiasm. I further wish to compliment our employees for their devotion and sustained efforts in improving the efficiency and image of the Bank. I would also like to take this opportunity to thank Reserve Bank of India and the Government of India for their unwavering support and guidance.

With best wishes,

Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

Managing Director and CEO's Message

प्रिय शेयरधारकगण,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन तथा उसके द्वारा की गई पहलों के मुख्य अंशों के साथ आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके बैंक ने उपलब्धियों के मामले में 81 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए, जो इस प्रेरणादायक यात्रा में साथ चले हैं, बहुत गर्व का क्षण है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल के बावजूद पिछला वर्ष बैंक के परिचालन लाभ और अनर्जक आस्तियों में सुधार के मामले में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, आपका बैंक निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और इसने भारतीय बैंकिंग जगत में अपनी विशिष्टता बनाए रखी है।

पिछले वर्ष में, बैंक ने रिटेल, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था। भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान ने एमएसएमई क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिया है। इस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बैंक ने कई एमएसएमई उत्पाद पेश किए हैं और मौजूदा उत्पादों को नया रूप दिया है। बैंक ने मानव संसाधन परिवर्तन पहलों के माध्यम से सतत लाभप्रदता के लिए व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ-साथ कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली और प्रतिभा प्रबंधन में डिजिटल तकनीक का भी लाभ उठाया है। 2023-24 में हमारा कार्यनिष्पादन दर्शाता है कि हमारी मौजूदा कार्यनीति काम कर रही है और प्रतिलाभ में सुधार हो रहा है। बोर्ड और प्रबंधन टीम आने वाले वर्षों में अपने शेयरधारकों को अच्छा प्रतिलाभ देने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है और हमें विश्वास है कि हमारे सभी हितधारकों के समर्थन से आपका बैंक समृद्ध होता रहेगा और आने वाले समय में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा।

आर्थिक अवलोकन:

चूँकि कि महामारी संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियां सुधर रही रहीं हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक टिकाऊ विकास दर के करीब हो सकती है और इससे मौद्रिक नीति सामान्य होने लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कई बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर प्रदर्शन के कारण 2023-24 और 2024-25 दोनों में वैश्विक वृद्धि 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आपूर्ति पक्ष के मुद्दों और प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के बीच, अधिकांश क्षेत्रों में मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक तेजी से गिर रही है। वैश्विक सकल मुद्रास्फीति 2023-24 में 5.9 प्रतिशत और 2024-25 में 4.5 प्रतिशत तक गिरने की उम्मीद है।

Dear Shareholders,

It is my privilege to present before you the Annual Report of your Bank along with the highlights of your Bank's performance and initiatives taken during the financial year 2023-24. Your Bank has completed 81 successful years in terms of achievements and it is definitely a moment of immense pride for all of us who have been part of this inspiring journey. The past year has been a landmark in terms of improvement in Operating Profit and Non-Performing Asset by the Bank despite challenging global economic environment. As detailed in this report, your Bank continues to tread the path of sustained growth and maintain its distinction in the banking space in India.

In the previous year, the Bank had laid specific focus on lending to Retail, Agriculture and Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) segment. The Government of India's Make in India campaign has given great impetus to MSME sector. To meet the requirement of this sector, Bank has introduced several MSME products and realigned existing ones. The Bank also leveraged digital technology across business segments as well as Performance Management System and Talent Management for sustained profitability through HR transformation initiatives. Our performance in 2023-24 demonstrates that our current strategy is working and improving returns. The Board and Management Team are fully focused on delivering good returns for our shareholders over the coming years and we are confident that with the support of all our stakeholders your Bank will continue to prosper and achieve greater heights in the times to come.

Economic Overview:

The global economy may be closer to a more sustainable rate of growth as pandemic related headwinds fade and monetary policy starts to normalize. The International Monetary Fund (IMF) has projected global growth at 3.2 percent in both 2023-24 and 2024-25 on account of better performance of the United States and several large emerging markets and developing economies. Inflation is falling faster than expected in most regions, in the midst of unwinding supply-side issues and restrictive monetary policy. Global headline inflation is expected to fall to 5.9 percent in 2023-24 and to 4.5 percent in 2024-25.

घरेलू अर्थव्यवस्था ने सेवा गतिविधि में दिखाए गए लचीलेपन, विनिर्माण क्षेत्र की निरंतर लाभप्रदता, उपभोग-मांग में वृद्धि की संभावना और पूंजीगत व्यय पर सरकार के लगातार फोकस के कारण मजबूत वृद्धि जारी रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी के लिए अपना विकास अनुमान 7.0 प्रतिशत पर रखा है। अप्रैल 2024 में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.83 प्रतिशत पर है और दिसंबर 2023 से इसमें गिरावट जारी है। आरबीआई की मौद्रिक नीतिगत समिति ने लगातार सातवीं बार बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई नीति घोषणा एक स्पष्ट संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर मुद्रास्फीति और उच्च विकास व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भारत की जीडीपी मजबूत मैक्रोएकोनॉमिक बुनियादों और लचीले घरेलू बाजारों का संकेत देती है और इसने सभी क्षेत्रों में आशावाद का संकेत दिया है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और बाजारों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैं आपके सामने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन और आपके बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहलों की मुख्य बातें प्रस्तुत करता हूं।

बैंक का कार्यनिष्पादनः

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बेहतर कार्यनिष्पादन जारी रखा है। बैंक का वैश्विक कारोबार बेहतर तरीके से कार्यान्वित तथा फोकस की हुई कार्यनीति के परिणामस्वरूप 31.03.2023 के 4,10,967 करोड़ रुपए की तुलना में 9.50% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को 4,50,007 करोड़ रुपए हो गया है।

बैंक की कुल जमा राशि 31.03.2023 को 2,49,338 करोड़ रुपए में 5.53% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को बढ़कर 2,63,130 करोड़ रुपए हो गई है। 31.03.2024 को बैंक का कासा (घरेलू) बैंक की घरेलू जमा राशि का 39.25% है। बैंक की बचत जमा (घरेलू) 31.03.2023 को 81,017 करोड़ रुपए में 6.19% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को बढ़कर 86,029 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक की चालू जमा (घरेलू) 31.03.2023 को 10,037 करोड़ रुपए में 20.46% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को बढ़कर 12,091 करोड़ रुपए हो गई है।

बैंक का कुल अग्रिम 31.03.2023 को 1,61,629 करोड़ रुपए में 15.62% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को बढ़कर 1,86,877 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक के रिटेल कारोबार में 14.62 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। रिटेल पोर्टफोलियो के भीतर, आवास ऋण और वाहन ऋण में क्रमशः 21.23 प्रतिशत और 31.24 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। कृषि ऋण में 13.16 प्रतिशत और एमएसएमई ऋण में 13.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिम (घरेलू) में रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) की हिस्सेदारी 31 मार्च 2024 तक 60.09 प्रतिशत है।

बैंक का परिचालन लाभ 31.03.2023 के 4,341 करोड़ रुपए की तुलना में 5.43% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए 4,576 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 1,654 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त किया है। यह उच्च प्रावधान और स्थापना व्यय के कारण हमारे पिछले वर्ष के आंकड़े से कम है।

बैंक की निवल ब्याज आय 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के 7,343 करोड़ रुपए में 10.32% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़कर 8,101 करोड़ रुपए हो गई है। गैर-ब्याज आय 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के 2,508 करोड़ रुपए में 30.18% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़कर 3,266 करोड़ रुपए हो गई है।

Domestic Economy continued strong growth on the back of resilience shown in services activity, continued profitability of the manufacturing sector, possibility of increased consumption demand, and the Government's retained focus on capital expenditure. The Reserve Bank of India's (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) has kept its growth projection for India's GDP at 7.0 percent for the financial year 2024-25. CPI inflation in April 2024 is at 4.83 percent and it continues the downward trend since December 2023. The RBI's Monetary Policy Committee has kept the benchmark interest rate (repo rate) unchanged at 6.5 percent for seventh consecutive time. The RBI policy announcement is a clear indication that the Indian economy is heading towards a stable inflation and high growth regime. India's GDP indicates strong macroeconomic fundamentals and resilient domestic markets and this has signalled optimism across all sectors, which will boost investor confidence and help markets to perform better.

Against the above backdrop, let me present before you the highlights of the Bank's performance and major initiatives taken by your Bank during the financial year 2023-24.

Bank's Performance:

Bank has continued to show improved performance during FY 2023-24. Global Business of the Bank has stood at Rs. 4,50,007 crore as on 31.03.2024 against Rs. 4,10,967 crore as on 31.03.2023 registering a Y-o-Y growth of 9.50% as a result of well executed, focussed strategy.

Total Deposits of the Bank increased to Rs. 2,63,130 crore as on 31.03.2024 from Rs. 2,49,338 crore as on 31.03.2023 registering a growth of 5.53%. CASA of the Bank (Domestic) stood at 39.25% to domestic deposits of the Bank as on 31.03.2024. Savings Deposits (Domestic) of the Bank has increased to Rs. 86,029 crore as on 31.03.2024 from Rs. 81,017 crore as on 31.03.2023 registering a growth of 6.19%. Current Deposits (Domestic) of the Bank has increased to Rs. 12,091 crore as on 31.03.2024 from Rs. 10,037 crore as on 31.03.2023 registering a growth of 20.46%.

Total Advances of the Bank increased to Rs 1,86,877 crore as on 31.03.2024 from Rs. 1,61,629 crore as on 31.03.2023 registering a growth of 15.62%. Retail Business of the Bank showed a growth of 14.62 percent. Within the Retail portfolio, Home Loan and Vehicle Loan showed year-on-year growth of 21.23 percent and 31.24 percent respectively. The Agriculture Loan segment recorded a growth of 13.16 percent and MSME segment showed a growth of 13.53 percent. Retail, Agriculture and MSME (RAM) share to total advance (Domestic) stood at 60.09 percent as on 31st March 2024.

Operating Profit of the Bank for the year ended 31.03.2024 stood at Rs. 4,576 crore as against Rs. 4,341 crore as on 31.03.2023 registering a growth of 5.43%. Bank has made Net Profit of Rs. 1,654 crore during the year ended 31.03.2024. This is lower than our last year figure on account of higher provisioning and establishment expense.

Net Interest Income of the Bank for the year ended 31.03.2024 has increased to Rs. 8,101 crore from Rs. 7,343 crore for the year ended 31.03.2023 registering a growth of 10.32%. Non-Interest Income for the year ended 31.03.2024 has increased to Rs. 3,266 crore from Rs. 2,508 crore for the year ended 31.03.2023 registering a growth of 30.18%.

दिनांक 31.03.2023 को बैंक का सकल एनपीए 7,726 करोड़ रुपए (4.78%) से घटकर 31.03.2024 को 6,463 करोड़ रुपए (3.46%) हो गया है। बैंक का निवल एनपीए 31.03.2023 को 2,018 करोड़ रुपए (1.29%) से घटकर 31.03.2024 को 1,622 करोड़ रुपए (0.89%) हो गया है।

बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2023 के 94.50% से बढ़कर 31.03.2024 को 95.38% हो गया है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2024 को 16.98% और सीईटी-I अनुपात 14.14% है, जबकि 31.03.2023 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.51% और सीईटी-I अनुपात 13.51% था।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने नौ वर्षों के अंतराल के बाद 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 0.28 रुपए प्रति शेयर (2.8%) के लाभांश की अनुशंसा की है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की गई पहल:

डिजिटल के अंगीकरण पर फोकस:

बैंक वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के ईएएसई (सुलभ पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) एजेंडे के अनुरूप डिजिटल बैंकिंग के उपयोग, सक्रियण और जुड़ाव को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैंक ने कई प्रक्रियाएं अपनाई हैं जैसे:

- टैब आधारित बैंकिंग, जिसमें बचत, आवर्ती और सावधि जमा खाते तत्काल खोलना और अपने ग्राहक को जानें (वीकेवाईसी) वीडियो का पंजीकरण शामिल है।
- वाहन पंजीकरण, परमिट, कराधान, ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता सुनिश्चित करना, डिजिटल ऋण अनुमोदन प्राप्त करना, गारंटी कवरेज प्राप्त करना, प्रतिभूति हित का पंजीकरण, विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत नामांकन और दावा निपटान, अदावी जमा से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, संस्वीकृत केसीसी ऋण और बैंकों के पात्र ब्याज छूट दावों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आदि से संबंधित स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्राहकों को सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला सुलभ करने के लिए वाहन, जनसमर्थ, सीजीटीएमएसई, सीईआरएसएआई, जनसुरक्षा, यूडीजीएएम और केसीसी-आईएसएस जैसे विभिन्न सरकारी/एजेंसी पोर्टलों के साथ बैंक के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) को एकीकृत करना।
- ऑनलाइन मृत्यु दावा मॉड्यूल की शुरुआत, लॉकर के लिए आवेदन और लॉकर समझौते के निष्पादन के लिए ऑनलाइन सुविधा और चेक के आवक और जावक समाशोधन के लिए वन नेशन वन ग्रिड परियोजना का कार्यान्वयन।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए मर्चेंट केडिट कार्ड (एमसीसी) की शुरुआत की गई है। मर्चेंट केडिट कार्ड के लॉन्च के साथ, मर्चेंट क्यूआर में वित्त वर्ष 22-23 के दौरान 393% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- रिटेल, एमएसएमई और कृषि ऋण के लिए अधिक संख्या में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) प्रक्रिया होती हैं, जहां ऐसे ऋणों का आवेदन और प्रसंस्करण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- इंटरऑपरेबल कार्डरहित नकदी निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) सुविधा का कार्यान्वयन, जो ग्राहक को स्मार्टफोन का उपयोग करके अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालने में सक्षम बनाता है।

Gross NPA of the Bank has reduced to Rs. 6,463 crore (3.46%) as on 31.03.2024 from Rs. 7,726 crore (4.78%) as on 31.03.2023. Net NPA of the Bank has reduced to Rs. 1,622 crore (0.89%) as on 31.03.2024 from Rs. 2,018 crore (1.29%) as on 31.03.2023.

Provision Coverage Ratio of the Bank has improved to 95.38% as on 31.03.2024 from 94.50% as on 31.03.2023. Capital Adequacy Ratio of the Bank stood at 16.98 % and CET-I Ratio at 14.14% as on 31.03.2024 vis-à-vis Capital Adequacy Ratio of 16.51 % and CET-I Ratio of 13.51% as on 31.03.2023.

I am happy to announce that the Board of Directors of your Bank has recommended a dividend of Rs. 0.28 per share (2.8%) for the year ended 31st March 2024 after a gap of nine years.

Initiatives taken up in FY 2023-24:

Focus on Digital adoption:

Bank is moving towards increasing usages, activation and engagement of Digital Banking in line with the EASE (Enhanced Access and Service Excellence) agenda of the Department of Financial services, Ministry of Finance. Bank has adopted several processes like:

- Tab based banking, which involves opening of savings, recurring and term deposit accounts on real time and registration of video know your customer (VKYC).
- Integrating Bank's Application Programming Interface (API) with different government/agency portals like Vahaan, Jansamarth, CGTMSE, CERSAI, Jansuraksha, UDGAM and KCC-ISS to provide a wide range of services to the customers through automated processes relating to vehicle registration, permit, taxation, ascertaining the eligibility for credit linked Government schemes, receiving digital loan approval, obtaining guarantee coverage, registration of security interest, enrolment and claim settlement under different Bima Yojanas, obtaining information relating to unclaimed deposits, obtain information about KCC loans sanctioned and eligible interest subvention claims of the banks, etc.
- Introduction of online death claim module, online facility for application for lockers & execution of locker agreement and implementation of One Nation One Grid project for inward and outward clearing of cheques.
- Introduction of Merchant Credit Card (MCC) for MSME borrowers in line with the announcement made by Hon'able Prime Minister. With the launching of Merchant Credit Card, Merchant QR saw a momentous growth of 393% over FY 22-23.
- More number of Straight Through Processes (STP) journeys for Retail, MSME and Agriculture loan segments, where application and processing of such loans is done through online portal.
- Implementation of Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) facility, which enables the customer to withdraw money through other Bank ATM by using smartphone.

- यूको एम बैंकिंग के साथ पूर्ण यूपीआई एकीकरण, यूपीआई में वृद्धि और बैंक की वेबसाइट और एम बैंकिंग को अधिक सुविधा संपन्न और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए इसमें सुधार किया गया।
- व्हाट्सएप बैंकिंग को नया स्वरूप देना और खाता जानकारी, डिजिटल रिटेल उत्पाद, ऋण के लिए आवेदन, डिजिटल मर्चेन्ट, सरकारी सुरक्षा योजना नामांकन, चेक बुक अनुरोध, टीडीएस प्रमाणपत्र आदि जैसी सुविधाओं के साथ इसे 5 भाषाओं में उपलब्ध कराना।
- बैंक ने चरणबद्ध तरीके से 361 नए एटीएम/कैश रिसाइक्लर, चरणबद्ध तरीके से 500 नए पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क की स्थापना की है और ग्रीन पिन जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड के लिए भौतिक पिन मेलर सुविधा बंद कर दी है।
- बैंक ने अपने कॉल सेंटर समाधान को अगली पीढ़ी के 24*7 फोन बैंकिंग समाधान 'यूको संपर्क 2.0' में उन्नत किया है जो ग्राहक अनुभव को सबसे आगे रखता है। यह 20 से अधिक सबसे अधिक मांग वाली इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) सेवाओं और सर्वश्रेष्ठ कॉल सलाहकारों के साथ सक्षम है, जिससे ग्राहक संतुष्टि स्कोर (सीएसएटी) में सुधार हुआ है।

उन्नत डेटा सुरक्षाः

यूको बैंक एक गतिशील माहौल में काम कर रहा है जहां डेटा सुरक्षा और परिचालन दक्षता सर्वोपरि है। बैंक ने इस दिशा में 24*7 आधार पर परिचालन करने वाला अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) स्थापित किया है। इससे दक्षता में सुधार होगा, त्रुटियां कम होंगी, गुणवत्ता और मापनीयता में वृद्धि होगी और विनियमों का अनुपालन भी होगा। कुछ पहलें इस प्रकार हैंः

- बैंक के सभी डेटा केंद्रों में आईटी सिस्टम के लिए बैंक को ISO 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त है। प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) द्वारा जारी किया गया है और बैंक को संधारणीय लेखापरीक्षा के दौरान एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है।
- बैंक के ई-मेल डोमेन का उपयोग करके इंटरनेट पर एक्सेस किए जाने वाले मोबाइल डिवाइस पर बैंकों के डेटा की सुरक्षा के लिए मोबाइल डिवाइस प्रबंधन का कार्यान्वयन।
- बैंक ने एकीकृत ईएफआरएमएस - आईवीआर अलर्ट निपटान मॉड्यूल की शुरूआत की है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को बेवक्त एटीएम और ईसीओएम लेनदेन के लिए स्वचालित कॉल प्राप्त होती है और वे लेनदेन को स्वयं प्रमाणित या अस्वीकार कर सकते हैं।
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) के रूप में भौतिक सुरक्षा को अपनाया गया है, जिसमें कार्यालय के डेस्कटॉप और डिवाइस एनएसी लागू किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं।
- धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सक्रिय उपाय करने के लिए, बैंक जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली में अंतर्निहित विभिन्न पूर्व-परिभाषित नियमों के आधार पर तत्काल या तत्काल समय के निकट खातों में लेनदेन की निगरानी कर रहा है।
- मानवीय भेद्यता से उत्पन्न होने वाले साइबर जोखिमों से निपटने के लिए, बैंक विभिन्न साइबर जागरूकता पहलों और अभियानों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करता है।

- Full-fledged UPI Integration with UCO M Banking, enhancement in UPI and revamping Bank's website & M Banking to make it more feature-rich and user friendly.
- Revamping WhatsApp Banking and facilitating it in 5 languages with features like account information, digital retail products, application for loans, digital merchant, Govt. security scheme enrolment, cheque book requests, TDS certificate, etc.
- Bank had taken up installation of 361 new ATM/Cash Recycler in phased manner, 500 new Passbook Printing Kiosks in phased manner and discontinued physical PIN mailer facility for Debit Card for promoting Green PIN generation.
- Bank has augmented its Call Centre Solution to a next generation 24*7 phone banking solution 'UCO Sampark 2.0' which puts customer experience at the forefront. This is enabled with more than 20 most sought after interactive voice response (IVR) services and best in class call advisors, leading to improved customer satisfaction score (CSAT).

Enhanced Data Security:

UCO Bank operates in a dynamic environment where data security and operational efficiency are paramount. Bank has set up State-of-the-Art Cyber Security Operations Center (CSOC), operational on 24*7 basis towards this end. This will lead to improved efficiency, reduced errors, enhanced quality and scalability and also comply with regulations. Some of the initiatives include:

- Bank has ISO 27001:2013 certification for IT Systems across Data Centres of the Bank. The Certification has been issued by International Standards Organization (ISO) and Bank has undergone a stringent evaluation process by an independent third-party assessor during the sustenance audit.
- Implementation of Mobile Device Management in order to safeguard Banks' data on mobile device accessed over internet using Bank's email domain.
- Bank has further launched the Integrated EFRMS - IVR Alert disposal module through which customers receive automated call for odd hour ATM and ECOM transactions and they can either authenticate or decline a transaction by themselves .
- Physical security in the form of Network Access Control (NAC) has been adopted wherein office desktops and devices cannot connect to network without implementing NAC.
- In order to have proactive measure for fraud prevention, Bank is monitoring transactions in accounts on real time or near real time based on various pre-defined rules in-built in the risk based transaction monitoring system.
- To address cyber risks arising out of human vulnerability, Bank puts concerted efforts in raising cyber awareness of our staffs and customers through various cyber awareness initiatives and campaigns.

स्टाफ क्षमताओं में सुधार:

बैंक मानता है कि कर्मचारियों की एक सक्षम और प्रेरित टीम ही उनकी दक्षता का लाभ उठाने का तरीका है। बैंक ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित पहलें की है:

- बैंक के डिजिटल मानव संसाधन रूपांतरण के लिए प्रोजेक्ट संसिद्धि की शुरुआत की गई है। सभी कर्मचारियों को संलग्न मुख्य दायित्व क्षेत्रों (केआरए) के साथ परिभाषित भूमिकाएँ आवंटित की जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) में स्पष्टता है। ये ही सफलता को परिभाषित करते हैं। इनसे दक्षता बढ़ती है।
- जॉब फैमिली के अनुरूप पदस्थापना करना।
- वाह्य नेतृत्व कोचिंग, बैंक के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ निरंतर मेंटरशिप कार्यक्रम और बैंक के स्वयं के प्रशिक्षण केंद्रों को ' उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करके उन्हें सशक्त करके प्रमुख क्षेत्रों में शाखाओं के कार्मिकों और फंक्शनरियों का पुनः कुशलीकरण।
- इकाई और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन को प्रेरित करने के लिए कई पुरस्कार रखे गए हैं जिनका पूरा लाभ उठाया जाएगा।
- उच्चतर और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के निर्वाहण लिए संभावित उत्तराधिकारी के रूप में मध्य प्रबंधन में कर्मचारियों की पहचान करके उत्तराधिकार योजना बनाना।

आस्ति संविभाग :

पूंजी संरक्षण प्रमुख चिंताओं में एक है। अतः उच्च रेटिंग वाले उधार खातों का अधिग्रहण/विस्तार कॉर्पोरेट ऋणों की प्राथमिकता बनी हुई है। संकेंद्रण जोखिम से बचने के लिए सभी क्षेत्रों में विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक ने रिटेल , कृषि और एमएसएमई (आरएएम) ऋण खंडों के लिए अलग-अलग ऋण केंद्र बनाकर ऋण प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित और मानकीकृत किया है। मौजूदा योजनाओं में सुधार के साथ-साथ रैम खंड में कई नए उत्पाद पेश किए गए। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन, प्रसंस्करण, अनुमोदन और दस्तावेज़ीकरण के लिए उपलब्ध ऋण उत्पादों की संख्या में वृद्धि करके ऋण क्षेत्र का महत्वपूर्ण डिजिटलीकरण हुआ। इसका परिणाम दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने आवास ऋण एवं कार ऋण में पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी हासिल की है।

प्रशंसा:

वित्तीय वर्ष 2024 में, यूको बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को केडिट लिंकेज में एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के लिए महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से 'प्रशंसा प्रमाणपत्र' प्राप्त हुआ।

बैंक को राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगातार तीसरे वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

Improving staff capabilities:

Bank recognises that a capable and motivated team of staff is the way to leverage their efficiency. Bank has taken the following initiatives for the staff for driving productivity:

- Introducing Project Samsiddhi for Digital HR transformation of the Bank. All employees are allocated defined roles with attached Key Responsibility Areas (KRAs), ensuring employees have clarity on the work assigned and Key Performance Indicators (KPIs) that define success hence improving efficiency.
- Drive posting in alignment with Job family.
- Re-skilling of field leaders and functionaries across key domains through external leadership coaching, continuous mentorship program with bank's senior leadership and strengthening of Bank's own training centres by developing them as 'Centres of Excellence'.
- Several rewards have been instituted and will be leveraged for motivating employees' performance, both at Unit Level and Individual level.
- Succession Planning through identification of employees in middle management as potential successors for critical and higher roles.

Asset Portfolio:

Capital conservation continues to remain one of the prime consideration and therefore acquisition /expansion in highly rated borrowal accounts remains a priority for corporate loans. Focus is on expanding across the sectors to avoid concentration risk. Bank has streamlined and standardized loan processing through creation of loan hubs, separately for Retail, Agriculture and MSME (RAM) loan segments. Several new products in RAM segment were introduced along with revamping of existing schemes. Also, there was significant digitalisation of loan journeys by increasing the number of loan products available for online application, processing, approval and documentation. The result is visible as we have gained substantial Market Share in Home and Car Loans.

Appreciation:

In FY2024, UCO Bank received "Certificate of Appreciation" from Maharashtra State Rural Livelihoods Mission for best performing Bank amongst Public Sector Banks in SHGs Credit Linkage to Women Self Help Groups (SHGs) in Maharashtra for FY 2022-23.

The Bank has been awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar for the third consecutive year by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for its outstanding work in the field of progressive use of Official Language, Hindi.

आगे की राहः

विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में भारत में 2023 में कई कार्य हुए जिससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। शहरीकरण, औद्योगीकरण, घरेलू आय और ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय तेजी देखी जा रही है इसके बल पर भारत अब निर्णायक चरण में पहुँच रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने पर सरकार का ध्यान वित्तीय वर्ष 2025 में विनिर्माण क्षेत्र को ऋण देने को भी बढ़ावा देगा, जिसमें बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और परिवहन ऑपरेटरों पर अधिक ध्यान रहेगा। बैंकों को प्रत्यक्ष कृषि के अलावा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि अवसंरचना निर्माण के लिए भी ऋण देने का अवसर मिलेगा। भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बैंक को डिजिटल रूपांतरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले वर्षों में पारंपरिक बैंकिंग चैनलों में भारी परिवर्तन आएगा।

चुनौतियाँ बनी हुई हैं और एक गतिशील और बढ़ती अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियाँ सामने आएंगी ही, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार द्वारा संतुलित विकास पहलों पर नए आग्रहों और भारतीय रिजर्व बैंक की समुचित मौद्रिक नीतियों के समर्थन से, बैंकिंग उद्योग अधिक ऊंचाई प्राप्त करेगा। आपके बैंक ने वर्तमान चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, मुझे विश्वास है कि हमारे पास ग्राहकों के भरोसे के साथ-साथ वह ताकत भी है जो हमें भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्रयासों और प्रतिबद्धता के बिना आपका बैंक आज इतनी मजबूत स्थिति में नहीं होता। मैं अपने सभी शेयरधारकों को हम पर विश्वास करने और प्रगतिशील विकास की दिशा में हमारे प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

(अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Road Ahead:

As one of the world's fastest-growing economy, India experienced several developments in 2023 that heighten foreign investor confidence. India is now reaching the pivotal phase, characterized by a significant acceleration in urbanization, industrialization, household incomes, and energy consumption. Government's focus on MSME sector lending will also give impetus to manufacturing sector lending in the FY2025, with more focus on infrastructure, green energy and transport operators. Banks will also have the opportunity to lend to food processing units and agriculture infrastructure building, besides direct agriculture. There has been a phenomenal growth of digital payment transactions in India. The Bank needs to scale up investment in digital transformation and banking through digital platform as traditional banking channels will undergo huge transformation in the coming years.

Challenges remain and in a dynamic and growing economy new ones will surface but we are hopeful that with the fresh thrust to balanced growth initiatives by the Government and support from RBI with appropriate monetary policies, the banking industry shall achieve greater heights. Your Bank has demonstrated its resilience in the current challenging environment and I am confident that we have the strength, along with the trust of our customers, which will enable us to perform even better in the future. I would like to thank all our employees without whose efforts and commitment your Bank would not have been in the strong position it is in. I would also like to thank all our shareholders for their belief in us and their support in our endeavor towards progressive growth. I also thank the Government of India and the Reserve Bank of India for their guidance and co-operation.

With warm regards.

(Ashwani Kumar)
Managing Director & CEO

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 18 जून, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कंफरेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

साधारण कारोबार

कार्यसूची मद संख्या 1

31 मार्च 2024 को बैंक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना।

कार्यसूची मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना

विशेष कारोबार

कार्यसूची मद संख्या 3

ईक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2024-2025

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

'संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना,1970(योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा किसी संशोधन या पुनरधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'), भारत सरकार ('जीओआई'), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') और/ या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (आई सी डी आर विनियम), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 यथा संशोधित, तथा लिस्टिंग समझौते के अधीन स्टॉक एक्सचेजों के साथ प्रवेश किया, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद 'निदेशक मंडल' कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक रु. 10 /- प्रत्येक की दर से 400,00,00,000 इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करे (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्था आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए

Notice

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday,18th June 2024 at 11.00 AM to transact the following business:-

Ordinary Business

Agenda Item no.1

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss account for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Agenda Item no.2

To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2023-24

Special Business

Agenda Item no.3

Equity Capital Raising Plan 2024-25

To consider and if thought fit, to pass the following as a **Special Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules / Notifications / Circulars /Regulations / Guidelines, if any prescribed by the Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), or any other relevant authority, from time to time, to the extent applicable and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the RBI, GOI, SEBI and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), Foreign Exchange Management (Non Debt Instruments) Rules, 2019 as amended, and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 400,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each (including with

विधिसम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली, भले ही बाज़ार मूल्य या निर्गम मूल्य या फ्लोर मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर हो अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ('एनआरआई') कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हक संस्थागत खरीदारों ('क्यू आई बी') जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्यूअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ('एफआईआई') या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिदेर्शों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, जैसा कि बैंक द्वारा फॉलो ऑन पब्लिक इशू, निजी प्लेसमेंट/अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से अधि-आबंटन के विकल्प सहित या रहित ठीक हो।

"आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआइपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए, अधिक-आबंटन या ग्रीन शू आप्शन के साथ या उसके बिना और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा-लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जहां आवश्यक हो, लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो, के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उदेश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आईसीडीआर विनियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अर्थ के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या अन्य समय जिसकी अनुमति समय-समय पर आई सी डी आर विनियम में दी जा सकती है।"

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत से अधिक की छूट देने के लिए अधिकृत है।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity shares shall be by way of Follow on public issue, Private Placement/Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of qualified Institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

a) The allotment of securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

b) The Bank pursuant to provisions of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer at a discount not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the ICDR Regulations.

c) The relevant date for determination of the floor price of securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है किसी मर्चेंट बैंकर (रों), बुक रनर (रों), लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी, अधिमान शेयरों, प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा उन स्टॉक एक्स्चंजो पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हो, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है।"

"आगे संकल्प किया जाता है निदेशक मंडल को प्रबंध से सलाह करके किसी मर्चेंट बैंकर (रों), बुक रनर (रों) लीड प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैक द्वारा यथा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को निवेशकों के वर्ग सहित ईश्यू की प्रकृति एवं शर्तों, प्रत्येक ट्रांच में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, जारी मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य के निर्धारण करने, रिकार्ड तारीख या लेखा-बंदी एवं अन्य संबंधित या अनुषंगी मामले निर्धारित करने, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव, योग्य संस्थागत नियोजन की शर्ते निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्यंक शृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और किसी बात और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने हेतु वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम मे प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शतों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों,

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including rules and regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker(s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies and to seek the listing of such Equity Shares issued on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Merchant Banker(s),Book Runner(s), Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the public offer, Qualified Institutional Placement including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all

कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवयकता न पड़े, अथवा इस उद्देय या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

कार्यसूची मद संख्या 4

यूको बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार की नियुक्ति

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के विनियम 25(2 ए) एवं विनियम 17 (1सी) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 5(1) और 9(2)(बी) के अनुसार, यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना एफ़.नं. 6/26(iii)/2023-बीओ.आई दिनांक 21.02.2024 को अधिसूचना की तारीख यानी 21.02.2024 से अगले तीन वर्ष की अवधि हेतु या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए, इस के द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद संख्या 5

यूको बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में श्री सुधीर श्याम की नियुक्ति

निम्नलिखित विचार पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, यूको बैंक के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में श्री सुधीर श्याम की नियुक्ति को भारत सरकार की अधिसूचना एफ़.नं. 6/2(iii)/2022-बीओ.आई दिनांक 13.05.2024 के अनुसार 13 मई 2024 से अगले आदेश तक, इस के द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 20.05.2024

such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper of desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

Agenda Item no. 4

Appointment of Shri Aravamudan Krishna Kumar as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board of UCO Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as **Special Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 25(2A) and Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, read with clause (h), of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Shri Aravamudan Krishna Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.no.6/26(iii)/2023-BO.I dated 21.02.2024 for a term of three years from the date of notification i.e. 21.02.2024 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Agenda Item no. 5

Appointment of Shri Sudhir Shyam as Government of India Nominee Director on the Board of the UCO Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, read with clause (b), of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Sudhir Shyam pursuant to GOI Notification F.No.6/2(iii)/2022- BO.I dated 13.05.2024 as the Government of India Nominee Director on the Board of UCO Bank with effect from 13th May 2024 and until further orders, be and is hereby **approved**."

By order of the Board of Directors

sd/-

(Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 20.05.2024

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3 - ईक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2024-2025

31 मार्च, 2024 तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.98% है। बैंक की मौजूदा प्राधिकृत पूंजी रु. 15000 करोड़ है। 31 मार्च, 2024 तक बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रु. 11955.96 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजी जुटाने की योजना के एक भाग के रूप में, बैंक के बोर्ड ने 29.04.2024 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 एवं यथासंशोधित अद्यतन और इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियम/दिशानिर्देश के अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट/प्राइवेट प्लेसमेंट/ सार्वजनिक निर्गम का पालन कर या अन्य माध्यम या उसका संयोजन से रु.10/- के 400,00,00,000 इक्विटी शेयर तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से पूंजी जुटाने की स्थिति में, यह सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के अध्याय VI के अनुसार होगा।

तदनुसार, बैंक ने क्यूआईपी/एफपीओ के माध्यम से या उसके संयोजन में बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव किया है। बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर किया जाएगा। बैंक की चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) की धारा 3(2बी)(सी) के संदर्भ में बैंक भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

बैंक अपनी प्रदत पूंजी में वृद्धि करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

सेबी (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 का विनियमन 41(4) प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा जब भी कोई नया शेयर जारी किया जाता है या नई पेशकश की जाती है, तो मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसी के साथ पेश किया जाना चाहिए जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक इसके अतिरिक्त तय न कर लें। यदि उक्त संकल्प पारित हो जाता है, तो बोर्ड को बैंक की तरफ से मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसके अलावा कुछ प्रतिभूति जारी करने तथा आबंटित करने का अधिकार होगा।

ऑफर के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों (अंडरराइटरों) और ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकरणों के परामर्श से, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए, जो आवश्यक हो, निर्धारित की जा सकती है।

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय, माध्यम, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर ईक्विटी शेयर जारी करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है।

आवंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों का दर्जा सभी मायनों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे। इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए उपर्युक्त संकल्प के लिए आपकी सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है।

EXPLANATORY STATEMENT

Item No.3 - Equity Capital Raising Plan 2024-25

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2024 is 16.98%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, Rs.15000 crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2024 is Rs. 11955.96 crore.

As a part of capital raising plan for the FY 2024-25, the Board of the Bank at its meeting held on 29.04.2024 approved the proposal to issue and allot upto 400,00,00,000 equity shares of face value of Rs.10/- each by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/ Private Placement/ Follow on Public Issue or any other mode(s) or combination(s) thereof, in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations/Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of raising of capital undertaken through Qualified Institution Placement (QIP), the same will be in accordance with Chapter VI of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital through QIP /FPO or in combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions. The Bank will obtain the requisite approval of the Government of India and the Reserve Bank of India in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for increasing the paid up capital of the Bank.

Raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. At present, public shareholding of the Bank is 4.61%.

The Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered with the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The Present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to create, offer, issue and allot equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

बैंक या इसके निदेशकों या प्रवर्तकों में से कोई भी इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है। बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उपर्युक्त संकल्प (संकल्पों) में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्पों को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद सं. 4 - अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ यूको बैंक के बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार की नियुक्ति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के पैरा 5(1) और 9(2) (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या फ़.ददृ.6/26()/2023-बीओ.आई दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकालक अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार का संक्षिप्त परिचय

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार (आयु 69 वर्ष) दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं। उनका भारतीय स्टेट बैंक में 39 वर्षों का वृहत और प्रतिष्ठित करियर रहा है। उन्होंने अप्रैल, 2011 – नवंबर, 2014 की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, आंध्रा बैंक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड में भी रहे हैं।

वर्तमान में वे डेल्फी-टीवीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सथगुरु कैटलाइजर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड आदि जैसी कई कंपनियों के बोर्ड में एक पेशेवर/स्वतंत्र निदेशक हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है जो बैंकिंग क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग कारोबार के संदर्भ में यथा अपेक्षित कौशल/क्षमताओं/ विशेषज्ञता मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया और जिसके आधार पर नियुक्ति की गई ।
- निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकः – एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड

The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.None of the Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

The Board of Directors recommends passing of the proposed Special Resolutions.

Item No.4 - Appointment of Shri Aravamudan Krishna Kumar as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Board of UCO Bank

Shri Aravamudan Krishna Kumar was appointed as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank by the Government of India vide its notification F.no.6/26(iii)/2023-BO.I dated 21.02.2024 in exercise of the powers conferred under clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalised banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, for a term of three years, from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile of Shri Aravamudan Krishna Kumar

Mr. Aravamudan Krishna Kumar (Aged 69) is B.A.(Hons) in Economics from Delhi University and aCertified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has had a long and distinguished career of 39 years at State Bank of India. He served as the Managing Director of the State Bank of India for the period April, 2011 - November, 2014.

He has also been on the Board of several reputed companies such as Central Depository Services (India) Limited, Andhra Bank, Rural Electrification Corporation Limited, SBI Life Insurance Company Limited, SBI Commercial and International Bank Limited, SBI Cap Securities Limited, SBI General Insurance Company Limited, SBI Cards and Payment Services Limited to name a few.

At present he is a professional/Independent director on the Board of several companies such as Delphi-TVS Technologies Limited MTAR Technologies Limited, Sathguru Catalyser Advisors Private Limited, TVS Wealth Private Limited, Zaggle Prepaid Ocean Services Limited etc.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Brief Profile of Shri Aravamudan Krishna Kumar is given above which highlights his expertise in Banking Sector. Further, the skill/capabilities/expertise as required in the context of banking business was assessed by Government of India and based on which, appointment was made.
- There is no inter-se relationship between Directors.
- Directorship in other listed entities : - MTAR Technologies Limited and Zaggle Prepaid Ocean Services Limited

- उन सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जिनसे श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दे दिया है - कोई नहीं
- यूको बैंक में शेयरधारिता - शून्य

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 25(2) और 17(1) के परंतुक, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए।

उपरोक्त नियमों के अनुपालन में, बैंक के निदेशक मंडल ने संस्तुति की कि श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष इस 21 वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से उनकी मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाए।

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार या उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक के निदेशक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, यदि कोई हो, उक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है।

मद संख्या 5 : यूको बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में श्री सुधीर श्याम की नियुक्ति

श्री सुधीर श्याम को केंद्र सरकार ने अधिसूचना F.No.6/2()/2022-बीओ.आई दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से डॉ. संजय कुमार के स्थान पर 13.05.2024 से और अगले आदेश तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत यूको बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में मनोनीत किया। डॉ. संजय कुमार 13.05.2024 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।

श्री सुधीर श्याम का संक्षिप्त परिचय

श्री सुधीर श्याम भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के 1999 बैच के अधिकारी हैं जो भारत सरकार के आर्थिक विकास कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा में पेशेवर सहायता प्रदान करते हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं। इसके बाद, उन्होंने जवाहरलाल नेहरूविश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और मास्टर ऑफ फिलॉसफी की पढ़ाई पूर्ण की। अर्थशास्त्र, प्रशासन और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव के साथ तीन दशकों का उनका विस्तृत कैरियर अवधि है। वित्तीय क्षेत्र में श्री सुधीर श्याम का वृहत अनुभव है और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में बैंकिंग, बीमा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्षेत्र में कार्य किया है। वर्तमान में वे बैंकों और वित्तीय संसथाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीडीबीएफ़आई अधिनियम) [जो बाद में ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 2019 (आरडीबी अधिनियम) के रूप में जाना गया] के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) के कामकाज की देखभाल कर रहे हैं। वह पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक रहे हैं। वर्तमान में वह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक हैं और सीईआरएसएआई के बोर्ड में भी हैं।

- Name of listed entities from which Mr Aravamudan Krishna Kumar has resigned in the past three years - None
- Shareholding in UCO Bank - Nil

Pursuant to Regulation 25(2A) and proviso to 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of Independent Director on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended that the proposal for appointment of Mr Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman be placed before the shareholders' at this 21st Annual General Meeting for seeking their approval by way of special resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Aravamudan Krishna Kumar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

Item no.5 : Appointment of Shri Sudhir Shyam as Government of India Nominee Director on the Board of the UCO Bank

Shri Sudhir Shyam was nominated by the Central Government vide its notification F.No.6/2(iii)/2022- BO.I dated 13.05.2024 as the Government of India Nominee Director on the Board of UCO Bank in place of Dr Sanjay Kumar with effect from 13.05.2024 and until further orders, under section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Dr Sanjay Kumar ceased to be a director w.e.f.13.05.2024

Brief Profile of Shri Sudhir Shyam

Shri Sudhir Shyam is an officer of 1999 batch of Indian Economic Service (IES) which provides professional backup in the formulation, implementation, monitoring and review of Economic Development Programmes and Policies of the Government of India. He is a graduate in Economics from Delhi University. Subsequently, he completed his post graduation and Master of Philosophy from Jawahar Lal Nehru University. His career spans over a period of three decades with experience in Economics, Administration & related fields. Shri Sudhir Shyam has considerable experience in Financial Sector and has handled responsibility in the area of Banking, Insurance and National Pension system in the Department of Financial Services. He is currently looking after the functioning of Debt recovery Tribunals (DRTs) and Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs) set up under the The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI Act) [renamed as Recovery of Debts and Bankruptcy Act (RDB) Act in 2019]. He has been Government Nominee Director on the Board of State Bank of Patiala and IDBI Bank in the past. Currently he is Government Nominee Director on the Board of Oriental Insurance Co. Ltd and also on the Board of CERSAI.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- श्री सुधीर श्याम का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, बैंकिंग कारोबार के संदर्भ में यथा अपेक्षित कौशल/क्षमताओं/विशेषज्ञता का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया तथा जिसके आधार पर नियुक्ति की गई ।
- निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकः - नहीं
- उन सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जिनसे श्री सुधीर श्याम ने विगत तीन वर्षों में इस्तीफा दे दिया है - कोई नहीं
- यूको बैंक में शेयरधारिता - शून्य

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1सी) के परंतुक, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए।

उपरोक्त नियमों के अनुपालन में, बैंक के निदेशक मंडल ने संस्तुति की कि श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामित निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष इस 21वीं वार्षिक आम बैठक में रखा जाए ताकि वे साधारण संकल्प के माध्यम से उनका अनुमोदन प्राप्त कर सकें।

श्री सुधीर श्याम या उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, यदि कोई हो, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, उक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 20.05.2024

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Brief Profile of Mr Sudhir Shyam is given above which highlights his expertise in Banking and Financial Sector. Further, the skill/capabilities /expertise as required in the context of banking business was assessed by Government of India and based on which, appointment was made.
- There is no inter-se relationship between Directors.
- Directorship in other listed entities : - None
- Name of listed entities from which Mr Sudhir Shyam has resigned in the past three years - None
- Shareholding in UCO Bank - Nil

Pursuant to proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of Independent Director on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended that the proposal for appointment of Mr Sudhir Shyam, Government of India Nominee Director be placed before the shareholders' at this 21st Annual General Meeting for seeking their approval by way of ordinary resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Sudhir Shyam or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

By order of the Board of Directors

sd/-

(Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 20.05.2024

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुंच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निर्देश

1. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने पर विनियामक निर्देश

सेबी परिपत्र दिनांक 07.10.2023 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) (सामूहिक रूप से इसे 'एमसीए परिपत्र' कहा जाता है) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25.09.2023 के साथ पठित इसके पूर्ववर्ती परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार, बैंक की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में एमसीए और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

बैठक का अवधारित स्थल यूको बैंक प्रधान कार्यालय, 10, बीटीएम सारणी, कोलकाता-700001 होगा।

2. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होना

बैंक ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ई-एजीएम के संचालन के लिए उपस्थिति समर्थ करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी मोड में वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आएं पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आएं पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

3. उपस्थिति

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

चूँकि यह वार्षिक साधारण बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में एमसीए वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जा रही है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की व्यवस्था हटा दी गई है। तदनुसार, वार्षिक साधारण बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। अतः इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी आवेदन पत्र और उपस्थिति पत्रक संलग्न नहीं किए गए हैं।

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, प्रासंगिक बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति को मतदान के लिए अधिकृत व्यक्ति

GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Regulatory Instructions on holding Annual General Meeting through Video Conference

Pursuant to the General Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 read with its preceding Circular no.11/2022 dated 28.12.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") read with SEBI Circular dated 07.10.2023, the Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue duly following guidelines issued by MCA and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank.

The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Joining of Meeting through VC

Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited, Registrar & Transfers Agents, to provide Video Conferencing facility for Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of e-AGM.

The Members can join the Annual General Meeting in the VC mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the Annual General Meeting through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection,scanned copy of relevant Board Resolution is

को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को बैठक की तारीख से चार दिन पहले 11 जून 2024 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले evoting@kfintech.com एवं hosgr.calcutta@ucobank.co.in, को प्रतिलिपि के साथ scrutinizer@snaco.net ई-मेल द्वारा भेजा जाना आवश्यक है।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. रिकॉर्ड तिथि और लेखाबन्दी

लाभांश भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 10 मई 2024 थी।

एजीएम के लिए बैंक की सदस्य तथा शेयर अंतरण/प्रेषण बही 12 जून 2024 (वुधवार) से 18 जून 2024 (मंगलवार) तक दोनों दिन शामिल बंद रहेंगी।

6. लाभांश का भुगतान

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.28 रुपये के लाभांश की अनुशंसा की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम शामिल होंगेः

क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार, शुक्रवार, 10 मई 2024 को व्यावसायिक समय की समाप्ति पर लाभकारी स्वामी के रूप में।

ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध प्रेषण अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद शुक्रवार, 10 मई 2024 तक शेयरधारकों रजिस्टर में।

आरटीए को सेबी के निर्देशों के संदर्भ में बैंक उन शेयरधारकों को लाभांश वारंट नहीं भेजेगा जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके बैंक खाते का विवरण अद्यतन नहीं है। उन्हें तुरंत अपना बैंक विवरण अद्यतन करना है।

पात्र शेयरधारक को लाभांश का भुगतान/वितरण 17 जुलाई 2024 तक किया जाएगा।

7. लाभांश के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में बदलाव के अनुसार, लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य आय होगी और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना आवश्यक है। कर कटौती/रोक की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन अधिनियम में उल्लिखित छूट के आधार पर अलग-अलग होगी।

कर योग्य सीमा से कम कुल आय वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे टीडीएस कटौती से छूट का दावा करने के लिए बैंक को ई-मेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in या बैंक के आरटीए को ई-मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर फॉर्म 15G(60 वर्ष से कम आयु के

required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of 11th June 2024

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Record Date and Book Closure

Record Date for payment of dividend was Friday, 10th May 2024.

The Register of Members and Share Transfer/Transmission Books of the Bank shall remain closed from 12th June 2024 (Wednesday) to 18th June 2024 (Tuesday) both days inclusive for the purpose of AGM.

6. Payment of Dividend

The Board of Directors has recommended dividend of Rs.0.28 per equity share of Rs.10/- each for the financial year 2023-24.

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours Friday, 10th May 2024, as per the record of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form and/or

b) in the Register of shareholders as on Friday, 10th May 2024 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form.

In terms of the SEBI directives to RTAs. Bank will not be sending dividend warrants to shareholders holding shares in Physical Form and whose bank account details are not updated. They are required to update their bank details immediately.

Dividend will be paid/distributed to the eligible shareholder by 17th July 2024.

7. Tax Deducted at Source (TDS) on Dividend

Shareholders may note that pursuant to the changes in the Income Tax Act,1961 ('the Act') as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders and the Bank is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend to shareholders at the prescribed rates. The tax deduction / withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the exemptions as enumerated in the Act subject to fulfilling the documentary requirements.

Shareholders having total income below the taxable limit, are requested to submit Form 15G (applicable to an individual below the age of 60 years)/15H (applicable to an individual of the age of 60 years and above), to the Bank at

व्यक्ति के लिए लागू)/15H(60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) जमा करें।

कृपया ध्यान दें कि कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी संसूचना/दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह 31 मई 2024 को कारोबारी समय यानी शाम 5.00 बजे को या उससे पहले बैंक को प्राप्त नहीं हो जाता है।

8. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य https://emeetings.kfintech.com पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।

- ई-एजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां ईवेंट और यूको बैंक को चुना जाना है।

- कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।

- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

9. ई-एजीएम से पहले वक्ता के पंजीकरण और प्रश्नों की रिकॉर्डिंग की सुविधाः

- जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और https://emeetings.kfintech.com पर लॉग इन कर सकते हैं और नाम, डी मैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके उपलब्ध कराई गई विंडो 'अपने प्रश्न पोस्ट करें' पर क्लिक करके अपने सवाल/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाएगा, जब निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के पास शेयर रहते हैं। स्पीकर पंजीकरण और प्रश्नों की पोस्टिंग दिनांक 14 जून, 2024 (10.00 बजे प्रातः) से शुरू होगी और दिनांक 16 जून, 2024 (5.00 बजे सायं) को बंद होगी।

- जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हीं वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक द्वारा प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

e-mail ID hosgr.calcutta@ucobank.co.in or to Bank's RTA at e-mail ID einward.ris@kfintech.com for claiming exemption from TDS deduction

Kindly note that no communication/documents on the tax determination / deduction shall be considered if the same is not received by the Bank on or before the close of Business Hours i.e. 5.00 pm on 31st May 2024.

8. Instructions for shareholders for attending e-AGM through Video conference

- Member will be provided with a facility to attend e-AGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Limited. Members may access the same at https://emeetings.kfintech.com and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.

- The link for e-AGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.

- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.

- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

9. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to e-AGM:

- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker and may log into https://emeetings.kfintech.com and click on "post your questions" to post their queries/views/ questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id, mobile number. Please note that members questions will be answered only, the shareholder continue to hold the shares as per the benpos as on cut off date. The speaker registration and posting of questions shall commence on 14th June, 2024 (10.00 AM) and closed on 16th June, 2024 (5.00 PM) .

- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.

- ई-एजीएम के दौरान, जो सदस्य पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बोलने की अनुमति दी जाएगी और फिर ई-एजीएम के दौरान पंजीकरण करने वालों को बोलने का विकल्प दिया जाएगा।

- ई-एजीएम के दिन प्रश्न और उत्तर के दौरान वक्ताओं का पंजीकरण ट्रांसमिशन और तकनीकी समन्वय की बाधाओं के कारण समाप्त किया जा सकता है।

10. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवयकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 11 जून, 2024 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई-एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जरिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।

11. डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी(एनएसडीएल/सीडीएसएल) के जरिए दूरस्थ ई-मतदान हेतु अनुदेश

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-मतदान सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, प्रतिभूतियों को डीमैट स्वरूप में रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों को, डिपॉज़िटरी और डिपॉज़िटरी सहभागियों द्वारा संचालित अपने डीमैट खातों के जरिए मतदान करने की अनुमति है। ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए शेयरधारक अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- During e-AGM, the members who have already registered will be allowed to speak in the chronological order and then the option will be given for those who registered during the e-AGM.

- Speaker Registration during Question & Answers on the day of e-AGM may be dispensed with due to limitations of transmission and technical coordination.

10. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting.

The members who are holding shares as on 11th June, 2024 being the cut off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Limited or to vote at the e-AGM. Person who is not a member as on cut off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

11. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORIES (NSDL/CDSL) FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

एनएसडीएल/**NSDL**	सीडीएसएल/**CDSL**
1. आईडीईएएस सुविधा के लिए पूर्व पंजीकृत उपयोगकर्ता **User already registered for IDeAS facility:** I. यूआरएल/URL: https://eservices.nsdl.com II. आईडीईएएस' खंड के अंतर्गत "लाभार्जक मालिक बेनेफियिल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद 'ई-मतदान तक पहुँच(एक्सेस टू ई-वोटिंग)' पर क्लिक करें। On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवाप्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं। Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	**1. वर्तमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएएसआई/ ईएएसआईईएसटी का विकल्प लिया है** **Existing user who have opted for Easi / Easiest** I. यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल : www.cdslindia.com URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. न्यू सिस्टम मायइज़ी पर क्लिक करें। Click on New System Myeasi III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से प्रवेश करें। Login with user id and password. IV. आगे किसी और प्रमाणीकरण बिना ई-मतदान पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. अपना मत देने के लिए ई-मतदान सेवाप्रदाता का नाम क्लिक करें। Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है **User not registered for IDeAS e-Services** I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करेंः To register click on link : https://eservices.nsdl.com II. 'रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएएस' का चयन करें। Select "Register Online for IDeAS" III. अपेक्षित फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields. वैकल्पिक रूप से,/Alternatively, I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करेंःhttps://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. अपेक्षित फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields.	**2. उपयोगकर्ता ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है** **User not registered for Easi/Easiest** I. पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध हैः//web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. अपेक्षित फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields.
3. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर **By visiting the e-Voting website of NSDL** I. यूआरएल/URL: https://www.evoting.nsdl.com/ II. 'शेयरधारक/सदस्य' खंड के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आईकन पर क्लिक करें। Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.	**3. सीडीएसएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर** **By visiting the e-Voting website of CDSL** I. यूआरएल/URL: www.cdslindia.com II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें। Provide demat Account Number and PAN No. III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगा। System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.

III. उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के पास स्थित 16-अंकीय डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देनेवाला एक सत्यापन कोड दर्ज करें। Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉज़िटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं। Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. कंपनी या ई-मतदान सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं। Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहाँ ई-मतदान प्रक्रिया चल रही है। After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.

10. डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी सहभागी के जरिए दूरस्थ ई-मतदान किए जाने हेतु अनुदेश

वैयक्तिक स्दस्य एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के जरिए अपने डीमैट खाते के लॉग-इन ब्योरों का इस्तेमाल करके भी ई-मतदान सुविधा के लिए लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार लॉग-इन करने पर सदस्य को ई-मतदान विकल्प दिखाई देने लगेगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर सदस्य सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉज़िटरी की साइट पर ले जाया जाएगा। कंपनी का नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता का नाम क्लिक करने पर सदस्य को ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, ताकि वह दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत दे सके या वर्चुअल बैठक में ाामिल हो सके तथा बैठक के दौरान मतदान कर सके।

महत्त्वपूर्ण सूचनाः जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं वे उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल गए(फॉरगेट यूज़र आईडी) और पासवर्ड भूल गए(फॉरगेट पासवर्ड) विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉज़िटरी, यथा सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के जरिए लॉग-इन करने से जुड़े किन्ही तकनीकी मुद्दों के लिए हेल्पडेस्क

12. INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORY PARTICIPANT FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

Individual Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, the member will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option the member will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and the member will be redirected to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

सदस्यों को पेश आ रहा कोई तकनीकी मुद्दा - एनएसडीएल Members facing any technical issue - NSDL	सदस्यों को पेश आ रहा कोई तकनीकी मुद्दा - सीडीएसएल Members facing any technical issue - CDSL
लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर कर सकते हैं। इसके लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं। Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

13. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश

दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है।

प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।

i. रिमोट ई-वोटिंग के लिए https://evoting.kfintech.com पर लॉग-इन करें

ii. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख अर्थात् 11 जून 2024 को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।

iii. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।

iv. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।

v. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।

vi. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

vii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अनुपस्थित' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।

viii. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और सब्मिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।

ix. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर savitajyotiassociates05@gmail.com भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप 'यूको बैंक इवेंट सं.' होगा।

x. निर्दिष्ट तारीख यानी 11 जून, 2024 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।

xi. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनःसंशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।

13. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AND SHAREHOLDERS OTHER THAN INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

The details of the process and manner for remote e-voting are given below.

The initial pass word is provided in the body of the e-mail.

i. Log-in-to for Remote e-voting portal at https://evoting.kfintech.com

ii. Shareholders of the Bank holding shares as on the cut off date i.e. 11th June, 2024 may cast their vote electronically.

iii. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.

iv. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

v. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. You need to login again with the new credentials.

vii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

viii. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.

ix. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'

x. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e. 11th June, 2024 can cast their vote in favour of or against the resolution.

xi. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.

xii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

xiii. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुन: संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

xiv. वोटिंग के लिए पोर्टल 15 जून, 2024 को सुबह 9 बजे से 17 जून, 2024 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।

xv. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर फोन कर सकते हैं।

14.ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

ई-एजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ई-एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

15. मतदान का परिणाम

बैंक ने मैसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देखरेख करेंगे।

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, वार्षिक आम बैठक के दौरान पहली बार डाले गए वोटों की गिनती करेगा तथा उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, पर समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणामों को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

16. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205ग(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के सभी अदत्त/ दावा न किए गए लाभांश को 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' में स्थानांतरित कर दिया था। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक लाभांश की घोषणा नहीं की है।

xii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.

xiii. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

xiv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 15th June, 2024 to 5 p.m. on 17th June, 2024.

xv. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact M/s KFin Technologies Ltd. on 1800 345 4001 (Toll free)

14. INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR E-VOTING DURING THE E-AGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activiated upon instructions of the chairman during the e-AGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the e-AGM and have not casted their vote on the Resultions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the e-AGM.

15. VOTING RESULTS:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.ucobank.com under investor section immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

16. Unpaid/Unclaimed Dividend

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

In terms of above guidelines, Bank had transferred all the unpaid/unclaimed dividend of upto the Financial year 2014-15 to "Investor Education and Protection Fund". Bank has not declared dividend from the financial year 2014-15 to 2022-23.

17. शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तीकरण

अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 के साथ पठित गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विनियमन और प्रकटीकरण आवयकताओं का सूचीकरण), विनियमन, 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अनुसरण में सभी शेयरों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से ही अनिवार्य रूप से अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित करना है।

तदनुसार, दिनांक 01.04.2019 से, कोई भी शेयर भौतिक रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तथापि, उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के अनुरोधों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, यूको बैंक के भौतिक शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अमूर्तीकरणरूप में हस्तांतरित करें। शेयरधारक दोनों डिपॉजिटरी यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डीमैट खाता खोल सकते हैं।

18. डाक पता/बैंक अधिदेश/अन्य विवरण में परिवर्तन

i मूर्त रूप में शेयर धारण

सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के अपने परिपत्र (बाद में 14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के परिपत्रों द्वारा संशोधित) के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया कि प्रतिभूतियों के धारक (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले), जिनके फोलियो केवाईसी विवरण (कोई भी विवरण जैसे पैन; नामांकन का विकल्प; संपर्क विवरण; मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर, यदि कोई हो) के साथ अद्यतन नहीं हैं, वे 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश सहित किसी भी भुगतान के पात्र होंगे। सेबी ने इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के रजिस्ट्रार द्वारा संसाधित निवेशक सेवा अनुरोधों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं, जिन्हें इस लिंक https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf के माध्यम से देखा जा सकता है।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र को देखते हुए, भौतिक प्रतिभूतियाँ रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत निम्नांकित फार्मों में आरटीए को प्रदान करें।

17. Mandatory Dematerialisation For Transfer of Shares

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 read with notification dated 01.04.2019, all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. April 1st, 2019

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

18. UPDATION/CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE/ OTHER DETAILS

i. Holding of shares in Physical Form

SEBI, vide its circular dated November 3, 2021 (subsequently amended by circulars dated December 14, 2021 , March 16, 2023 and November 17, 2023) mandated that the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) are not updated with the KYC details (any of the details viz., PAN; Choice of Nomination; Contact Details; Mobile Number and Bank Account Details and signature, if any) shall be eligible for any payment including dividend, only through electronic mode with effect from 1st April, 2024. SEBI has come out with FAQ with respect to Investor Service Requests processed by Registrar to an Issue & Share Transfer Agents (RTAs)which can be accessed through this link: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf

In view of the above SEBI circular , the shareholders holding physical securities are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA.

क्र.सं. S No.	फार्म Form	उद्देश्य Purpose
1.	फार्म आईएसआर-1 Form ISR-1	पैन/केवाईसी विवरण पंजीकरण/अद्यतन के लिए To register/update PAN, KYC details
2.	फार्म आईएसआर-2 Form ISR-2	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए To Confirm Signature of securities holder by the Banker
3.	फार्म आईएसआर-3 Form ISR-3	नामांकन का विकल्प छोड़ने का घोषणा पत्र Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	फार्म एसएच-13 Form SH-13	नामांकन फार्म Nomination Form

उपर्युक्त सभी फार्म बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com एवं आरटीए की वेबसाइट https://www.kfintech.com पर उपलब्ध हैं। शेयरधरकों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे गए अपने फार्म नीचे दिए गए पते पर भेजें:

All the above forms are available on the website of the Bank www.ucobank.com and RTA website https://www.kfintech.com. Shareholders are requested to submit duly filled in forms to the address mentioned below:

मे. केफिन टेक्नॉलॉजीज़ लिमिटेड (यूनिट यूको बैंक) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500032. टोल फ्रीः 1800-309-4001 ई-मेलः einward.ris@kfintech.com	**M/s. KFin Technologies Limited** (Unit UCO Bank) Selenium Tower B, Plot No. 31& 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 Toll Free: 1800-3094-001 e-mail: einward.ris@kfintech.com

अनिवार्य विवरण (अर्थात् पैन; नामांकन का विकल्प; संपर्क विवरण; मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर) अद्यतन हो जाने के बाद, लाभांश, लंबित यदि कोई हो, का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेयरधारक के बैंक खाते में किया जाएगा।

ii. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों धारण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले लाभार्जक मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के पास अपने पते, बैंक विवरण, यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेा, ई-मेले पते आदि अद्यतन करवा लें।

वे शेयरधारक जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं तथा जिनके लाभांश का भुगतान डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रिकॉर्ड में बैंक खाते के विवरण अद्यतन न होने/अनुपलब्धता या बैंक खाते के गलत विवरण के कारण नहीं किया जा सका है, तो उनका लाभांश बैंक के अदत्त लाभांश खाते में रखा जाएगा। डीपी के रिकॉर्ड में बैंक खाते का विवरण अपडेट हो जाने पर वे लाभांश का भुगतान जारी करने के लिए बैंक/आरटीए से अनुरोध कर सकते हैं।

19. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देंः

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,
यूनिटः यूको बैंक,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीउली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032
टोल फ्री न. : 1800-309-4001

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

20. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैंः

श्री विकास गुप्ता, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालयः 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता - 700 001 दूरभाषः 033-44557227

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
(अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 20.05.2024

Once the mandatory details (viz. PAN; Choice of Nomination; Contact Details; Mobile Number and Bank Account Details and signature) are updated, the payment of dividend, pending if any, shall be released to the bank account of the shareholder through electronic mode.

ii. Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form , are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc. with their Depository Participant.

Those shareholders holding shares in electronic form whose dividend could not be paid due to non-updation/non-availability of bank account details or incorrect bank account details in the records of Depository Participant(DP), their dividend will be kept in the unpaid dividend account of the Bank. Once the bank account details are updated in the records of DP, they may request the Bank/RTA of the Bank for the release of payment of dividend.

19. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s KFin Technologies Limited,
Unit : UCO BANK,
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Toll Free No.1800-3094-001

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KFinTechnologies Limited i.e., www.kfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

20. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri Vikash Gupta, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227

By order of the Board of Directors
sd/-
(Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 20.05.2024

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2023-24
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2023-24

निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट 2023-24 के साथ 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा को सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

बैंक ने इस वर्ष के दौरान स्थिर प्रदर्शन दर्शाया है और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 4,576.25 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के 4,340.67 करोड़ रुपए के परिचालन लाभ से 5.43% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ उच्च प्रावधानता के कारण रु. 1,862.34 करोड़ की तुलना में 31.03.2024 को घटकर रु.1,653.74 करोड़ रहा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुपालन में बैंक ने चालू वर्ष के लाभ का 25%, रु. 413.44 करोड़ सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया है।

सकल एनपीए 31.03.2024 को घटकर 6,463.30 करोड़ रुपए (3.46%) हो गया है, जो 31.03.2023 को 7,726.46 करोड़ रुपए (4.78%) था। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष की तुलना में कुल आय में 24.61% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष में 25,119.87 करोड़ रहा। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2023 को 94.5% से बढ़कर 31.03.2024 को 95.38% हो गया है।

31.03.2024 को वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतकों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

The Board of Directors have pleasure in presenting the Directors Report: 2023-24 together with the Balance Sheet as on 31st March, 2024 and Profit & Loss Account for the financial year ended 31st March, 2024.

FINANCIAL PERFORMANCE

Our Bank has shown steady performance during the year and has made an Operating Profit of Rs. 4,576.25 crore for FY ended March 31, 2024. This reflects a significant growth of 5.43% from an Operating Profit of Rs. 4,340.67 crore for FY ended March 31, 2023. Net profit reduced to Rs. 1,653.74 crore during FY ended March 31, 2024 as- against Net Profit of Rs. 1,862.34 crore for the FY ended 31.03.2023 on account of higher provisioning. Bank has transferred Rs. 413.44 crore, 25% of current year profit to statutory reserve fund in compliance with Banking Regulation Act 1949.

Gross NPA has reduced to Rs. 6,463.30 crore (3.46%) as on 31.03.2024 from Rs. 7,726.46 crore (4.78%) as on 31.03.2023. Total income stood at Rs. 25,119.87 crore for the year ended 31.03.2024 registering a growth of 24.61% over the previous year ended 31.03.2023. Provision Coverage Ratio of the Bank has increased to 95.38% as on 31.03.2024 from 94.5 % as on 31.03.2023.

Following are the highlights of financial performance indicators as on 31.03.2024.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024
कुल जमा/Total Deposits	249337.74	263129.77
अंतरराष्ट्रीय जमा/International Deposits	8,597.03	13164.77
घरेलू जमा/Domestic Deposits	240740.71	249965.00
कासा जमा (घरेलू)/CASA Deposits (Domestic)	91054.36	98120.03
चालू खाता जमा/Current Account Deposits	10037.45	12091.39
बचत बैंक जमा/Savings Bank Deposits	81016.91	86028.64
घरेलू जमा में घरेलू कासा (%) Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	37.82	39.25
कुल अग्रिम/Total Advances	161629.45	186877.05

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024
अंतरराष्ट्रीय अग्रिम/International Advances	22197.50	24604.95
घरेलू अग्रिम/Domestic Advances	139431.95	162272.10
कुल आस्ति/Total Assets	300862.99	323691.45
निवल ब्याज आय (एनआईआई)/Net Interest Income (NII)	7343.13	8100.78
अन्य आय/Other Income	2508.46	3265.53
जिनमें से – व्यावसायिक (ट्रेडिंग) लाभ/Of which - Trading gains	375.53	396.95
एनआईआई + अन्य आय/NII + Other Income	9851.59	11366.31
परिचालन लाभ/Operating Profit	4340.67	4576.25
कर के अतिरिक्त अन्य प्रावधान/Provisions other than tax	1435.56	2007.39
एनपीए और अशोध्य (बैड) ऋणों को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रावधान Provision for NPAs and Bad debts written off	1295.57	1068.27
कर पूर्व लाभ/Profit before Tax	2905.11	2568.85
कर हेतु प्रावधान/Provision for Tax#	1042.77	915.11
निवल लाभ/Net Profit	1862.34	1653.74
# उसमें से डीटीए/of which DTA	1011.07	895.74

प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024
निधियों की लागत/Cost of Funds	3.86 %	4.63%
अग्रिमों पर प्रतिफल/Yield on advances	7.46%	8.46%
निवल ब्याज मार्जिन/Net Interest Margin	2.87%	2.92%
लागत-आय अनुपात/Cost-Income Ratio	55.94%	59.74%

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)/Capital Adequacy Ratio (CAR)

विवरण/Particulars	As on 31.03.2023/तक	As on 31.03.2024/तक
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल III/ Capital Adequacy Ratio- Basel III	16.51%	16.98%
सीईटी/CET-I	13.51%	14.14%
टियर/Tier I	13.96%	14.54%
टियर/Tier II	2.55%	2.44%

आर्थिक परिदृश्यः वैश्विक

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने वर्ल्ड एकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024 में अनुमान लगाया है कि विश्व अर्थव्यवस्था 2023-24 और 2024-25 दोनों के दौरान 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी। यह 2022-23 के विकास गति के समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरो क्षेत्र और जर्मनी जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर प्रदर्शन के कारण मुद्रास्फीतिजनित मंदी और वैश्विक मंदी की चेतावनी के बावजूद वैश्विक आर्थिक गतिविधियों ने अपनी स्थिति बनाए रखी, जहां विकास 2023 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 1.7 प्रतिशत और 2025 में 1.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। हालांकि यह उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2023 में 4.3 प्रतिशत से 2024 और 2025 दोनों में 4.2 प्रतिशत तक मामूली मंदी से समायोजित होगा। आगामी पाँच वर्षो में वैश्विक विकास का पूर्वानुमान 3.1 प्रतिशत है, जो दशकों में सबसे कम है। वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट के साथ 2023 में 6.8 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। ऐसा अनुमान है कि आपूर्ति पक्ष के मुद्दों और प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के बीच, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य पर जल्द ही वापस आ जाएंगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए अपने विकास अनुमान को 7.0 प्रतिशत पर रखा है। वित्त वर्ष 25 के लिए तिमाहीवार वृद्धि क्रमशः 7.1 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत, 7.0 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत अनुमानित है। 2023-24 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद लचीलेपन के साथ सुस्थित मैक्रो-इकोनॉमिक को बनाए रखा है। उपभोग और निवेश की मजबूत घरेलू मांग के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर को वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रमुख चालक के रूप में देखा गया है। आपूर्ति पक्ष पर, वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योग और सेवा क्षेत्र प्राथमिक विकास चालक रहे। इस अवधि के दौरान प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, 2024 में मामूली 3.94 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 के दौरान 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को 4.50 प्रतिशत पर रखा है। इसने वित्त वर्ष 25 की प्रथम तिमाही के लिए 4.9%, वित्त वर्ष 25 की द्वितीय तिमाही के लिए 3.8%, वित्त वर्ष 25 की तृतीय तिमाही के लिए 4.6% और वित्त वर्ष 25 की चतुर्थ तिमाही के लिए 4.5% का तिमाहीवार मुद्रास्फीति पूर्वानुमान भी जारी किया है। भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मार्च 2024 में 4.85% से घटकर अप्रैल 2024 में 4.83% हो गया। अप्रैल 2024 का आंकड़ा अप्रैल 2023 की तुलना में 4.70% ज्यादा है।

मार्च 2024 के 8.52% की तुलना में अप्रैल 2024 के लिए खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.70% हो गई। मुख्य मुद्रास्फीति, जो खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति है, स्थिर बनी हुई है, यह दर्शाता है कि मुख्य रूप से खाद्य मूल्य कम हुए हैं जो हेडलाइन मुद्रास्फीति को 4% की लक्ष्य दर से विचलित कर रहे हैं। सब्जी, दालों और मसालों द्वारा प्रदर्शित दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति ने खाद्य मुद्रास्फीति की गति को उच्च बनाए

ECONOMIC SCENARIO: GLOBAL

The International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook, April 2024, has forecasted that the world economy will continue to grow at 3.2 percent during both 2023-24 and 2024-25. This is at the same pace of growth as in 2022-23. The global economic activity maintained its position, despite warnings of stagflation and global recession, on account of better performance of the advanced economies like The United States, Euro Area and Germany, where growth is expected to rise from 1.6 percent in 2023 to 1.7 percent in 2024 and 1.8 percent in 2025. This will however be offset by a slight slowdown in emerging market and developing economies from 4.3 percent in 2023 to 4.2 percent in both 2024 and 2025. The forecast for global growth five years from now is 3.1 percent, which is the lowest in decades. Global inflation is forecast to decline steadily, from 6.8 percent in 2023 to 5.9 percent in 2024 and 4.5 percent in 2025. It is expected that the advanced economies will return to their inflation targets sooner than emerging market and developing economies, in the midst of unwinding supply-side issues and restrictive monetary policy.

STATE OF INDIAN ECONOMY

The Reserve Bank of India's (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) has kept its growth projection for India's GDP at 7.0 percent for the financial year 2024-25. Quarter wise growth for FY25 are estimated at 7.1 percent, 6.9 percent, 7.0 percent and 7.0 percent respectively. The growth rate of GDP during 2023-24 reflects that Indian economy has demonstrated resilience and maintained healthy macro-economic fundamentals, despite global economic challenges. Strong domestic demand for consumption and investment, along with Government's continued emphasis on capital expenditure are seen as among the key driver of the GDP in FY 2023-24. On the supply side, industry and services sectors were the primary growth drivers in FY2023-24. India has registered the highest growth among major advanced and emerging market economies during this period. As per the International Monetary Fund (IMF), India, with an estimated nominal GDP of 3.94 trillion dollar in 2024, is the fifth largest economy in the world. The IMF has also forecasted that the Indian economy will grow at 6.8 percent in 2024-25.

The Reserve Bank of India (RBI) has kept its forecast for retail price inflation for financial year 2024-25 at 4.50 percent. It has also released quarter wise inflation forecast for Q1FY25 at 4.9%, Q2FY25 at 3.8%, Q3FY25 at 4.6% and Q4FY25 at 4.5%. India's consumer price index, (CPI)-based, eased from 4.85% in March 2024 to 4.83% in April 2024. The April 2024 figure is high when compared to April 2023 figure of 4.70%.

Food inflation for April 2024 is at 8.70%, which has increased from 8.52% of March 2024. The core inflation, which is the CPI inflation excluding food and fuel, has remained stable indicating that it is primarily food price shocks that are causing the headline inflation to deviate from the target rate of 4%. Double-digit inflation exhibited by vegetable, pulses, and spices has kept the food inflation momentum high which is being combatted by

रखा है, जिसका मुकाबला सरकार द्वारा घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए निर्यात निषेध के माध्यम से किया जा रहा है।

the government through export prohibitions to stabilise domestic prices.

बैंकिंग क्षेत्र

BANKING SECTOR

सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 24 के पहले छह महीनों के दौरान लगभग रु. 68,500 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है। बैंक अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बाजार से धन जुटा रहे हैं। अंतरिम बजट 2024 के दौरान, लगातार दूसरे वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। यह संकेत देता है कि इन पीएसबी की स्थिति उम्मीदों के अनुरूप है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सुस्थित हैं और व्यापक आर्थिक आघातों का सामना कर सकते हैं।

PSU banks have earned a net profit of about Rs 68,500 crore during the first six months of FY24. Banks have been raising funds from the market to augment their resources. During the Interim Budget 2024, for the second straight year, no allocation was made by the Finance Ministry for the recapitalisation of public sector banks. This signals that the health of these PSBs is in line with expectations. The Reserve Bank of India has maintained that the country's scheduled commercial banks are healthy and can withstand macroeconomic shocks.

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) सुधारों ने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को रुपांनतरित करने, डिजिटल ग्राहक अनुभव, वैश्लेषिकी-संचालित व्यवसाय सुधार, तकनीक और डेटा-सक्षम क्षमता निर्माण और मानव संसाधन संचालन वृद्धि पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात सितंबर 2023 में 3.2 प्रतिशत के बहु-वर्षीय निचले स्तर और निवल गैर-निष्पादित आस्ति (एनएनपीए) अनुपात में 0.8 प्रतिशत तक गिरावट जारी रहा, जैसा कि आरबीआई की अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और लचीलापन आस्ति गुणवत्ता में जारी सुधार, फंसे कर्ज के लिए प्रावधान में वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने और मुनाफे में वृद्धि से लाभान्वित हुआ है। इसी प्रकार, आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से पुनः वित्त पोषण पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने उधारदाताओं को ऐसे एआईएफ जिनका किसी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डाउनस्ट्रीम निवेश है, जिसमें ऐसे ऋणदाता का ऋण या निवेश जोखिम है उसमे निवेश करने से निषिद्ध किया है।

The Enhanced Access and Service Excellence (EASE) Reforms of the Department of Financial Services (DFS) have played a crucial role in transforming Indian Scheduled Commercial Banks (SCBs), emphasizing digital customer experience, analytics-driven business improvement, tech and data-enabled capability building, and HR operations enhancement. The gross non-performing assets (GNPA) ratio continued to decline to a multi-year low of 3.2 per cent and the net non-performing assets (NNPA) ratio to 0.8 per cent in September 2023, as reported in RBI's half-yearly Financial Stability Report (FSR). The report said the soundness and resilience of India's banking sector have been underpinned by ongoing improvement in asset quality, enhanced provisioning for bad loans, sustained capital adequacy and a rise in profitability. At the same time, RBI has instructed banks and NBFCs to curb ever-greening through Alternative Investment Funds (AIFs). The RBI prohibited lenders from investing in an AIF which has direct or indirect downstream investments in a company in which such lender has a loan or investment exposure.

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में, डिजिधन मिशन, जो अब डीएफएस के अधीन है, ने भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन की अभूतपूर्व वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेनदेन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में प्रभावशाली रूप से 18,503 करोड़ हो गई है।

In the realm of digital payments, the DIGIDHAN Mission, now under the DFS, has played a pivotal role in the phenomenal growth of digital payment transactions in India. The total number of transactions has surged from 2,071 crore in FY 2017-18 to an impressive 18,503 crore in FY 2023-24.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसी पहलों के साथ वित्तीय समावेशन एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है। समग्रतः, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र ने 2024 में एक समुत्थानशक्तिसंपन्न और प्रगतिशील वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो राष्ट्र के आर्थिक विकास और कल्याण में योगदान देता है।

Financial inclusion remains a key focus area, with initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, MUDRA, Stand Up India, and Atal Pension Yojana making significant strides. Overall, the Indian banking and financial sector have been instrumental in shaping a resilient and progressive financial landscape in 2024, contributing to the economic growth and well-being of the nation.

I. 2023-24 के दौरान बैंक का कार्यनिष्पादन

1. यूको का वितरण चैनल:

1.1 ब्रिक एण्ड मोर्टार नेटवर्क:

बैंक का भारत में भौगोलिक रूप से व्यापक शाखा नेटवर्क है और विदेशों में भी इसकी उपस्थिति है। 31.03.2024 तक, बैंक की 43 अंचल और 3230 घरेलू शाखाएँ और 2 विदेशी शाखाएँ (सिंगापुर और हांगकांग में एक-एक) हैं और 1 प्रतिनिधि कार्यालय तेहरान, ईरान में स्थापित किया गया है।

5 वर्षों में वैश्विक शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:

मार्च' 20	मार्च' 21	मार्च' 22	मार्च' 23	मार्च' 24
3088	3089	3074	3207	3232

1.2 शाखाएं और कार्यालय नेटवर्क:

31.03.2023 और 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार घरेलू शाखाओं की संख्या का श्रेणी-वार विवरण निम्नलिखित है:

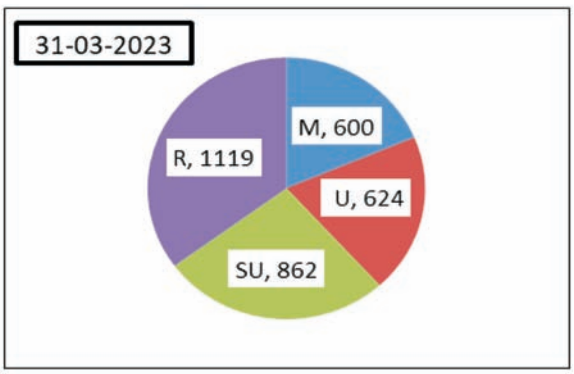

घरेलू शाखाओं में 6 फ्लैगशिप कॉर्पोरेट शाखाएं, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएं, 4 सेवा शाखाएं, 1 केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र तथा 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा शामिल हैं। इसके अलावा देश भर में 25 एमसीयू शाखाएं, 39 खुदरा ऋण हब, 28 कृषि ऋण हब, 21 एसएमई हब और 72 करेंसी चेस्ट विभिन्न केंद्रों की प्रमुख शहरी शाखाओं से जुड़कर कार्य कर रहे हैं।

2. कारोबार प्रोफाइल:

2.1 वैश्विक :

- बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 2023 के 4,10,967 करोड़ रुपये तुलना में 09.50% की वृद्धि के साथ 31.03.2024 तक 4,50,007 करोड़ रुपये रहा।
- वैश्विक जमा में 31.03.2024 तक 5.53% की वृद्धि के साथ 31.03.2023 तक 2,49,338 करोड़ रुपये की तुलना में 2,63,130 करोड़ रुपये हो गया है।
- वैश्विक अग्रिम में 15.62% की वृद्धि हुई और 31.03.2023 तक रु. 1,61,629 करोड़ की तुलना में रु. 1,86,877 करोड़ हो गया।

I. PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2023-24

1. UCO's Delivery Channels:

1.1 BRICK AND MORTAR NETWORK:

Bank has a geographically well-spread branch network in India and also has presence abroad. As of 31.03.2024, Bank has 43 Zones and 3230 domestic branches, 2 overseas branches (one each in Singapore and Hong-Kong) and 1 representative office has been established in Tehran, Iran.

The Global branch network over 5 years is as under:

March' 20	March'21	March'22	March'23	March'24
3088	3089	3074	3207	3232

1.2 BRANCHES & OFFICES NETWORK:

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2023 & 31.03.2024 is given below:

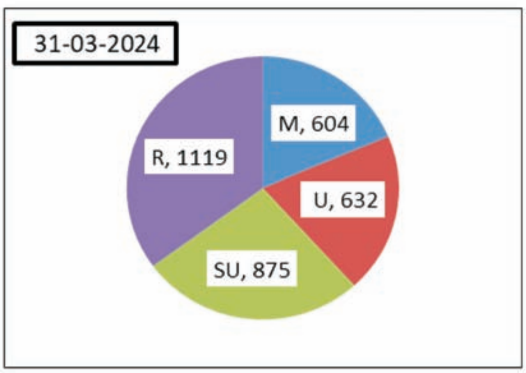

The domestic branches include 6 Flagship corporate branches, 7 Asset Management branches, 4 service branches, 1 central pension processing center and 1 integrated treasury branch. Further 25 MCU branches, 39 Retail loan Hubs, 28 Agriculture Loan Hubs, 21 SME Hub and 72 currency chests are also functioning across the country attached to the major city branches of various centres.

2. BUSINESS PROFILE:

2.1. GLOBAL:

- Global business of the Bank stood at Rs. 4,50,007 crore as of 31.03.2024 compared to Rs. 4,10,967 crore showing an increase of 9.50% over March 2023.
- Global deposits has increased by 5.53% as of 31.03.2024 and stood at Rs. 2,63,130 crore compared to Rs. 2,49,338 crore as of 31.03.2023.
- Global advances increased by 15.62% and stood at Rs. 1,86,877 crore compared to Rs. 1,61,629 crore as of 31.03.2023.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

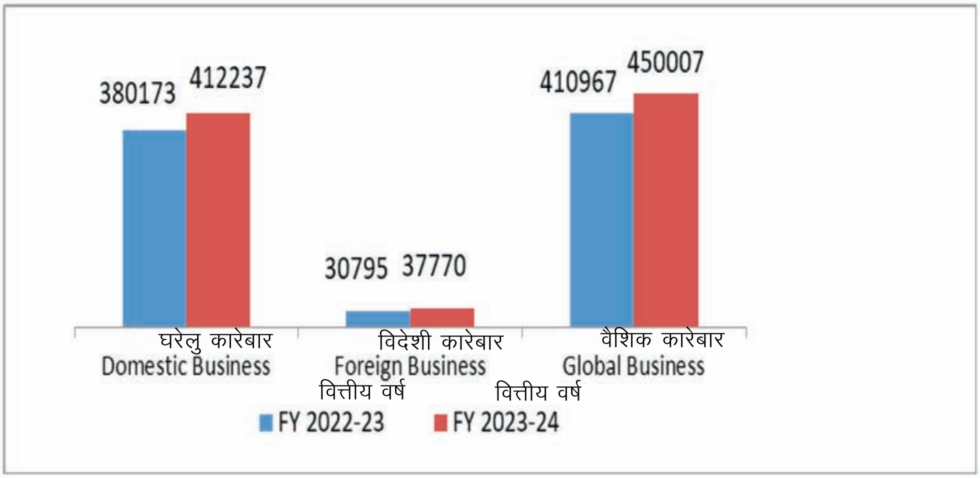

2.2. घरेलू:

- बैंक के कुल घरेलू कारोबार में 8.43% की वृद्धि हुई है और 31.03.2023 के 3,80,173 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2024 को 4,12,237 करोड़ रुपये हो गया है।
- घरेलू जमा में 3.83% की वृद्धि हुई और यह 31.03.2023 के 2,40,741 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2024 को 2,49,965 करोड़ रुपये हो गया है।
- घरेलू अग्रिम 31.03.2023 को 1,39,432 करोड़ रुपये की तुलना में 16.38% की वृद्धि के साथ 31.03.2024 तक 1,62,272 करोड़ रुपये हो गया है।
- कासा जमा में वर्ष-दर-वर्ष 7.76% की वृद्धि हुई और यह रु. 98,120 करोड़ रहा, बचत जमा में 6.19% की वृद्धि हुई और रु. 86,029 करोड़ रही। 31.03.2023 को 10,037 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20.46% की वृद्धि के साथ चालू जमा 31.03.2024 को 12,091 करोड़ रुपये हो गया है।
- घरेलू जमाओं में कम लागत वाली जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी 31.03.2023 को 37.82% से बढ़कर 31.03.2024 को 39.25% हो गई।

2.2. DOMESTIC:

- Overall domestic business of the Bank has increased by 8.43% and has reached Rs. 4,12,237 crore as on 31.03.2024 from Rs. 3,80,173 crore as on 31.03.2023.
- Domestic deposits increased by 3.83% and stood at Rs. 2,49,965 crore as on 31.03.2024 from Rs. 2,40,741 crore as on 31.03.2023..
- Domestic advance has shown a growth of 16.38% to Rs.1,62,272 crore as on 31.03.2024 from Rs. 1,39,432 crore as on 31.03.2023.
- CASA deposits increased by 7.76% on Y-o-Y basis and stood at Rs. 98,120 crore, SB deposits grew by 6.19% and stood at Rs. 86,029 crore. Current deposits stood at Rs. 12,091 crore as on 31.03.2024 compared to Rs. 10,037 crore as on 31.03.2023, showing a growth of 20.46% on Y-o-Y basis.
- Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits increased from 37.82% as on 31.03.2023 to 39.25% as on 31.03.2024.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

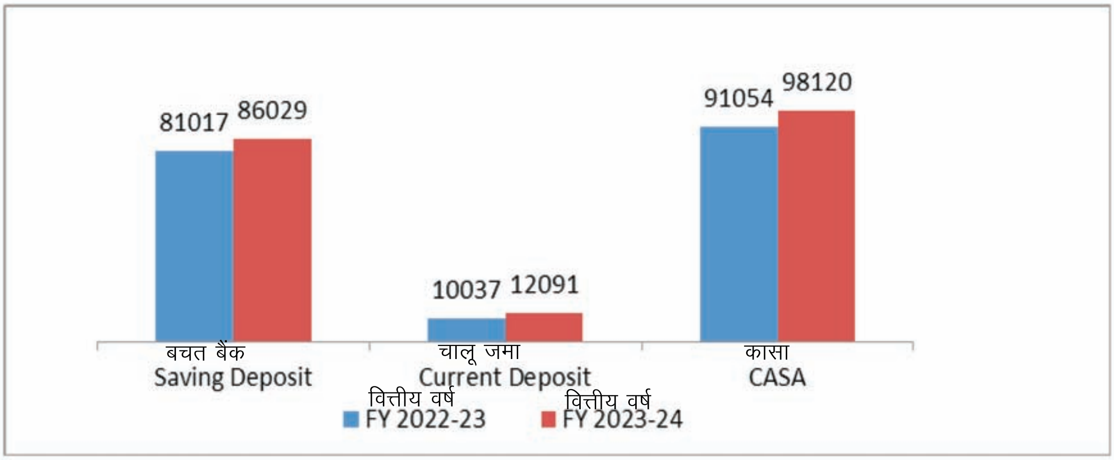

3. कोष

सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन के कारण वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का घरेलू निवेश 31.03.2023 के 94,692.51 करोड़ रुपये से 1.82% घटकर 31.03.2024 को 92,970.05 करोड़ रुपये हो गया है।

बैंक का एसएलआर निवेश सरकारी प्रतिभूतियों का मोचन के कारण 31.03.2023 के 67572.28 करोड़ रुपये से 1.71% घटकर 31.03.2024 को 66,418.16 करोड़ रुपए हो गया है।

गैर-एसएलआर निवेश (घरेलू) मुख्य रूप से बॉन्ड और जमा पोर्टफोलियो का प्रमाण पत्र में मोचन के कारण 31.03.2023 के 27,120.22 करोड़ रुपये से 2.09% घटकर 31.03.2024 को 26,551.89 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, घरेलू निवेश से 6119.09 करोड़ रुपये की ब्याजगत आय दर्ज की गई।

3.1 अंतर्राष्ट्रीय कारोबार

मार्च 31, 2024 तक, सिंगापुर और हांगकांग में विदेशी शाखाओं से बैंक का कुल कारोबार रु. 37,770 करोड़ था जो वैश्विक कारोबार का 8.39% था। विदेशी कारोबार के रूप में कुल जमा राशि 13165 करोड़ रुपये और कुल अग्रिम 24,605 करोड़ रुपये शामिल हैं।

भारतवर्ष में 65 बी-श्रेणी शाखाओं के साथ हमारा बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों/आयातकों तथा अनिवासी भारतीय ग्राहक समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक का कुल मर्चेंट टर्नओवर 75,929 करोड़ रुपये रहा।

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 कृषि

बैंक का कृषि ऋण 31.03.2023 के 21775 करोड़ रुपये से 13.16% वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च 2024 को 24641 करोड़ रुपये हो गया। इसका विवरण निम्नानुसार है:

3. TREASURY

Domestic Investment of the Bank during the year 2023-24 decreased by 1.82% from Rs. 94,692.51 crore as on 31.03.2023 to Rs. 92,970.05 crore as on 31.03.2024 largely due to redemption of Government securities.

The SLR investment of the Bank decreased by 1.71% from Rs. 67572.28 crore as on 31.03.2023 to Rs. 66,418.16 crore as on 31.03.2024 mainly due to redemption of Govt. Securities.

The Non-SLR Investment (Domestic) decreased by 2.09% from Rs. 27,120.22 crore as on 31.03.2023 to Rs. 26,551.89 crore as on 31.03.2024 mainly due to redemption in Bonds and Certificate of Deposit portfolios.

During the year 2023-24, interest income of Rs. 6119.09 crore was registered from domestic investment.

3.1 International Business

As on March 31, 2024, the Bank's total business from Overseas Branches at Singapore and Hong Kong was Rs. 37,770 crore and constituted 8.39% of the Global Business. The Overseas Business constituted of total deposit of Rs.13165 crore and total advances of Rs. 24,605 crore.

Our Bank with 65 B-Category branches across India is committed to actively cater to the needs of Exporters/Importers Community and also serve our NRI Customers. The total merchant turnover of the bank during the financial year ended on 31st March,2024 stood at Rs. 75,929 crore.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Agriculture

Agriculture Credit of the Bank grew at 13.16% annually from Rs. 21775 crore as on 31.03.2023 to Rs. 24641 crore as on 31.03.2024. The details are as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कृषि/ Agriculture	31.03.2023	31.03.2024	वर्ष दर वर्ष वृद्धि %/ YoY Growth %
फसल ऋण/Crop Loans	10146	9222*	-9.10*
निवेश ऋण/Investment Credit	4181	6382	52.64
कृषि सम्बद्ध (एग्री एलाइड)/Agri Allied	4261	5812	36.39
आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सहायक/Infrastructure & Ancillary	3187	3225	1.19
कुल कृषि/Total Agriculture	21775	24641	13.16

*बैंक द्वारा जारी 1000 करोड़ रुपये का आईबीपीसी/IBPC of Rs.1000 Cr. issued by bank

4.2 वित्त वर्ष 23-24 में आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के तहत कार्यनिष्पादन

यूको बैंक विगत कुछ वर्षों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वित्तपोषण के कार्य-निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित कर रहा है तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के अपने विशाल नेटवर्क के साथ प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान कर रहा है।

- 31.03.2024 तक, बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (निवेश और पीएसएलसी सहित) रु.76537 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 40% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 54.54% है।
- बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल कृषि अग्रिम (निवेश और पीएसएलसी सहित) रु.26348 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 18% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 18.77 % है।
- 31.03.2024 तक छोटे और सीमांत किसानों (पीएसएलसी सहित) को 14525 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी 10.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 10.34% है।
- 31.03.2024 तक गैर-कॉर्पोरेट किसानों को 21142 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी के 13.78% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में का 15.04% हैं।
- 31.03.2024 को सूक्ष्म उद्यमों को 20049 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी के 7.50% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 14.27% है।
- 31.03.2024 तक कमजोर वर्गों को 21185 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी के 12.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 15.07% है।

यूको बैंक 2 राज्यों अर्थात ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है। बैंक भारतवर्ष के 36 जिलों में अग्रणी बैंक के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

बैंक ने सरल कृषि आधारित ऋण देने से आगे बढ़कर अधिक विविधतामूलक ग्रामीण ऋण रणनीति को अपना लिया है। हम कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग (पीएमएफएमई) जैसे नए शुरू किए गए उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बैंक अपने प्रमुख उत्पादों जैसे केसीसी, एग्री गोल्ड लोन, बागवानी ऋण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के वित्तपोषण पर निरंतर ध्यानकेंद्रण जारी रखा है।

4.3 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाहः

- भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से एक है। स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होती है जिससे ग्रामीण जनता आय अर्जन करती है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अवधारणा ने गरीबों को ऋण की निर्बाध संवितरण सुनिश्चित किया है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। बैंक ने एसएचजी बैंक लिंकेज को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है।

4.2 Performance under Priority Sector Advances vis-à-vis stipulated targets of RBI in FY 23-24

UCO Bank is showing significant improvement in performance in lending to Priority Sector over the years and effectively serving the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

- As on 31.03.2024, the Priority Sector Advances (including investments & PSLC) of the Bank stood at Rs. 76537 Cr. which constituted 54.54 % of ANBC as against the mandatory target of 40%.
- Total Agriculture Advances (including investments & PSLC) under priority sector of the Bank stood at Rs. 26348 Cr. which constituted 18.77% of ANBC as against the mandatory target of 18%.
- Lending to Small & Marginal Farmers (including PSLC) stood at Rs.14525 Cr. as on 31.03.2024 which constituted 10.34% of ANBC as against the mandatory target of 10.00%.
- Lending to Non-Corporate Farmers stood at Rs. 21142 Cr. as on 31.03.2024 which constituted 15.04% of ANBC as against the mandatory target of 13.78%.
- Lending to Micro Enterprises stood at Rs. 20049 Cr. as on 31.03.2024 which constituted 14.27% of ANBC as against the mandatory target of 7.50%.
- Lending to weaker sections stood at Rs. 21185 Cr. as on 31.03.2024 which constituted 15.07% of ANBC as against the mandatory target of 12.00%.

UCO Bank is the convenor of State Level Bankers Committee (SLBC) in 2 States i.e. Odisha & Himachal Pradesh. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 36 districts across the country.

The Bank has moved beyond granting simple farm based credit to a more diversified rural lending strategy. We are focussing more on newly introduced products such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) and PM Formalisation of Micro Food Processing (PMFME).

The Bank continues to focus on its flagship products like KCC, Agri Gold Loans, Horticulture Loans, Financing to Self Help Groups (SHGs).

4.3 Credit Flow to Self Help Groups:

- Self Help Group is one of the most important approaches for women empowerment in India. Lending to Self Help Groups present an excellent opportunity to promote micro enterprises in rural areas leading to increased employment generation and in turn income to the rural masses.
- The advent of Self Help Groups (SHGs) concept has ensured seamless delivery of credit to the poor and has boosted the rural economy. Bank has actively promoted SHG Bank Linkages.

- मार्च 24 तक 1.65 लाख एसएचजी का बकाया ऋण 3210 करोड़ रुपए है और बकाया राशि में 44% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।

- यूको बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को एसएचजी केडिट लिंकेज में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से "प्रशंसा प्रमाणपत्र" प्राप्त हुआ।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी नामतः पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) का मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, जिसके 31.03.2024 तक चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

5.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी स्थिति - पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

31.03.2024 को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी 682.86 करोड़ रुपए रही, जिसमें भारत सरकार से 341.43 करोड़ रुपए, यूको बैंक से 239 करोड़ रुपए (प्रायोजक बैंक के रूप में) और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 102.43 करोड़ रुपये शामिल थे।

5.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक प्रदर्शन

31.03.2024 तक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी रु. 6906.00 करोड़ ह, जो 5.11% की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम 10.70% की वार्षिक संवृद्धि के साथ रु. 4149 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है। ऋण-जमा अनुपात 31.03.2023 के 57.05% की तुलना में 60.08% रहा ।

सकल एनपीए 31.03.2023 के 351.11 करोड़ रुपए की तुलना में 31.03.2024 को 339.31 करोड़ रुपए हो गया। सकल अग्रिम में सकल एनपीए 31.03.2024 को 8.18% रहा जो 31.03.2023 को 9.37% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2023 के 3.94% की तुलना में 31.03.2024 को 0.83% रहा।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने 31.03.2023 को 55.01 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में 31.03.2024 को 50.65 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिससे संचित घाटा कमी के साथ 31.03.2023 के 459.46 करोड़ रुपए की तुलना में 31.03.2024 को 408.81 करोड़ रुपए हो गया है।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यक्रम/पहल की हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम/पहलें निम्नानुसार हैं:

क) हमारे बैंक ने 7 राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। समर्पित बुनियादी अवसंरचना वाले ये 27 संस्थान प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने और ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करने के लिए समर्पित हैं। ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता कौशल विकास को समर्पित इन प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 769 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इन

- The outstanding credit to SHGs stood at Rs. 3210 Cr. covering 1.65 lakh SHGs as on March'24 and registering annual growth of 44% in outstanding amount.

- UCO Bank received "Certificate of Appreciation" from Maharashtra State Rural Livelihoods Mission for best performing Bank amongst Public Sector Banks in SHGs Credit Linkage to Women Self Help Groups (SHGs) in Maharashtra for FY 2022-23.

5. Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2024.

5.1 Capital position of RRB - Paschim Banga Gramin Bank

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2024 stood at Rs.682.86 Cr. comprising Rs.341.43 Cr. from Govt. of India, Rs.239 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs.102.43 Cr. from West Bengal State Govt.

5.2 Performance of Paschim Banga Gramin Bank during 2023-24

As per audited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6906 Cr. as on 31.03.2024, registering growth of 5.11%. Total advance reached a level of Rs.4149 Cr. with an annual growth of 10.70% 31.03.2024. CD ratio stood at 60.08 % as on 31.03.2024 as against 57.05% on 31.03.2023.

The Gross NPA stood at Rs. 339.31 Cr. as on 31.03.2024 vis-a-vis Rs. 351.11 Cr. as on 31.03.2023. Gross NPA to Gross Advance stood at 8.18% as on 31.03.2024 as against 9.37% as of 31.03.2023. The net NPA ratio of the RRB stood at 0.83% as on 31.03.2024 as against 3.94% as of 31.03.2023.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net profit of Rs.50.65 Cr. as on 31.03.2024 as compared to net loss of Rs.55.01 Cr. as on 31.03.2023, thereby decreasing accumulated loss from Rs. 459.46 Cr. as on 31.03.2023 to Rs. 408.81 Cr. as on 31.03.2024.

6. Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/ initiatives are as under:

a) Our Bank has set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states namely Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal. These 27 institutes with dedicated infrastructure are devoted to impart training and skill up gradation and to mitigate the unemployment and under employment of rural youths. These institutes are set up by the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth, under Corporate Social

सभी आरएसईटीआई ने 23041अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया तथा 10309 लाभार्थियों को 35.68 करोड़ रुपये का ऋण सहबद्धता (केडिट लिंकेज) उपलब्ध कराई गई।

ख) 31.03.2024 तक, बैंक ने असम, बिहार, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में आरबीआई द्वारा पहचाने गए एनजीओ नामतः क्रिसिल फाउंडेशन, धन फाउंडेशन, आरोह फाउंडेशन, एचपीएसआरएलएम, स्वाधार फिन असेसमेंट फाउंडेशन, ग्राम साथी, अवोक इंडिया, मेसर्स मदर, मेसर्स मदर, मेसर्स अरावली के सहयोग से 127 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) स्थापित किए हैं। सभी सीएफएल ने 1529222 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सामूहिक रूप से 48075 शिविर आयोजित किए और 85189 लाभाथयों को ऋण सहबद्धता (केडिट लिंकेज) उपलब्ध कराई गई है।

ग) बैंक के देश भर में 36 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जिनमें 16 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, वित्तीय साक्षरता सलाहकारों ने 3803 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, जिससे 31 मार्च 2024 तक 133313 प्रतिभागियों के बीच वित्तीय जागरूकता का प्रसार किया गया।

7. वित्तीय समावेशन

7.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित / कम बैंक वाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक को देश भर में 16281 गांव आवंटित किए गए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुरूप इन गांवों को 4122 उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया है। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा समग्र आबादी को सुनियोजित बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाने के उद्देश्य से इन 4122 एसएसए में से 3656 एसएसए बीसी एजेंटों के माध्यम से तथा टीयर 5 गांवों (5000 से अधिक की जनसंख्या) में 466 एसएसए के माध्यम से कवर किए गए हैं।

बैंक ने 2892 बैंक मित्रों को जोड़ा है, जिससे कुल बीसी की संख्या 9808 (वर्तमान में सर्वाधिक नए बीसी को जोड़ने के बाद) हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए गए माइक्रो एटीएम के माध्यम से कुल 341.34 लाख लेनदेन में 22% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ कुल 13408.72 करोड़ रुपए (औसतन लगभग 28.45 लाख लेनदेन की राशि 1117.39 करोड़ रुपए) के लेन-देन में वर्ष-दर-वर्ष 19.33% वृद्धि हुई।

बैंक ने 24 मार्च के अंत तक 136.37 लाख पीएमजेडीवाई खातों में 6584.94 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जिसमें पीएमजेडीवाई बचत जमा में 16% की वृद्धि और पीएमजेडीवाई खाता खोलने में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। पीएमजेडीवाई खातों के तहत प्रति खाता शेष राशि 4550 रुपये से बढ़कर 4829 रुपए हो गई। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 12.12 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं।

बैंक ने पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को लगभग 35.37 लाख रुपे कार्ड वितरित किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो एटीएम पर रुपे कार्ड के माध्यम से प्रति माह 1.64 लाख का औसत लेनदेन हुआ, जिसकी मासिक औसत राशि 78.96 करोड़ रुपए रही।

7.2 आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण

यूआईडीएआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक खाते खोलने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में स्वैच्छिक रूप से आधार संख्या दी जा सकती है। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार आवश्यक है। 31 मार्च 2024 में, लगभग 85%

Responsibility (CSR). All RSETIs conducted 769 training programmes involving 23041 candidates and 10309 beneficiaries have been provided Credit Linkage of Rs.35.68 Cr. during the Financial Year 2023-24.

b) As of 31.03.2024, Bank has set up 127 Centre for Financial Literacy (CFL) with collaboration of NGO identified by RBI namely CRISIL foundation, Dhan foundation, Aroh Foundation, HPSRLM, Swadhaar FinAssess Foundation, Gram Sathi, Awoke India, M/s Mother, M/s Aravali in the state of Assam, Bihar, Odisha, Punjab, Rajasthan , West Bengal and Himachal Pradesh. All CFLs collectively conducted 48075 camps involving 1529222 participants and 85189 beneficiaries have been provided with Bank Linkage.

c) Bank has 36 Financial Literacy Centres (FLC) across the country wherein 16 Financial Literacy Counsellors conduct Financial Literacy Camps. During Financial Year 2023-24, the Financial Literacy Counsellors have conducted 3803 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 133313 participants as of 31st March 2024.

7. FINANCIAL INCLUSION

7.1 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)

Bank has been allotted with 16281 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked / under banked areas. In line with DFS directives these villages were categorized into 4122 Sub Service Areas (SSAs). Out of these 4122 SSAs, 3656 SSAs are covered though BC agents and 466 SSAs in tier 5 villages (Population above 5000) are covered through Branches for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under ambit of structured Banking facility.

Bank has added 2892 Bank Mitras making the total BC deployment to 9808 (highest addition of new BCs till now). During FY 2023-24 total 341.34 lakhs transactions with 22% y-o-y growth amounting Rs. 13408.72 crore with 19.33% y-o-y growth (averaging every month about 28.45 lakhs transactions amounting Rs.1117.39 crore) carried out through Micro ATMs used by BC Agents.

Bank has garnered deposit of Rs. 6584.94 crore at the end of March 24 in 136.37 lakhs PMJDY accounts registering 16% growth in PMJDY saving deposit and 10% growth in PMJDY account opening. The average per account balance under PMJDY accounts increased from Rs. 4550 to Rs. 4829. Bank has opened 12.12 lakhs PMJDY accounts during FY 2023-24.

Bank has distributed around 35.37 lakhs RuPay Cards to the eligible PMJDY account holders. During the FY 2023-24 average transactions per month to the order of 1.64 lakhs took place through Rupay Cards on Micro ATMs used by BC agents amounting monthly average of Rs.78.96 crore.

7.2 Aadhaar Seeding & Authentication

As per revised UIDAI guidelines, Aadhaar number can be given voluntarily as identity proof for opening customer accounts. Aadhaar is required for availing benefits under various government welfare schemes. By 31st March 2024, around

सक्रिय बचत खातों को आधार संख्या से जोड़ दिया गया है तथा 44% सक्रिय बचत खातों में आधार प्रमाणीकरण किया जा चुका है।

7.3 माइक्रो केडिट-ओवरड्राफ्ट सुविधा

मार्च 2024 तक बैंक में ओडी सुविधा का उपयोग करने वाले पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 3.71 लाख है, जिसमें कुल संस्वीकृत राशि 75.47 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री की बजट घोषणा (वित्त वर्ष 2020-21) के अनुसार, सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को उनके पीएमजेडीवाई खातों में 5000/- रुपए के ओवरड्राफ्ट की अनुमति है

7.4 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

अब तक बैंक से वंचित जन मानस को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की थीम पर कार्य करते हुए, बैंक ने अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से बीमा और पेंशन उत्पादों अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को प्रस्तुत किया है। पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत 23.37 लाख ग्राहकों ने 2 लाख रुपये और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 52.80 लाख ग्राहकों ने 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्राप्त किया। पीएमजेजेबीवाई के तहत अब तक कुल 12027 दावों का निपटान किया गया है और 1995 के दावों का निपटारा पीएमएसबीवाई के तहत किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 23-24 के अंत तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल ग्राहक 10.72 लाख को पार कर गई है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, 29.47% की वर्ष-से-वर्ष वृद्धि के साथ 2.44 लाख ग्राहकों को एपीवाई फोल्ड में जोड़ा गया है।

7.5 एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग, एसएमएस के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई नामांकन

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के नामांकन का इलेक्ट्रॉनिक मोड वित्त वर्ष 21-22 के दौरान यूको ई-बैंकिंग और यूको एम बैंकिंग ऐप में उपलब्ध कराया गया था। एसएमएस संदेश के माध्यम से नामांकन का एक नया तरीका वित्त वर्ष 2021-22 में पेश किया गया था। इस सुविधा के माध्यम से, ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से एसएमएस भेजकर स्व-नामांकन कर सकते हैं। डिजिटल स्व-नामांकन के लिए कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

जनसुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई नामांकनः पिछले वित्त वर्ष के दौरान हमारे सभी चैनलों के माध्यम से, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई नामांकन शुरूकिया गया है।

7.6 डीएफएस का लक्ष्य और उपलब्धि

क) पीएमजेएसएस (प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाएं, यानी पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई) के तहत संतृप्ति अभियानः माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वाधीनता दिवस 2021 के भाषण की पृष्ठभूमि में, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को (उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.नं.21(23)/2014-एफआई (मिशन) दिनांक 27-09-2021 के अनुसार) पीएमजेडीवाई खाता खोलने और जनसुरक्षा योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान के कार्यान्वयन हेतु निदेश दिए ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की बीमा और पेंशन योजना से जोड़ा जा सके।

ख) पीएमजेडीवाई खाते में संतृप्ति अभियानः वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डीएफएस द्वारा 9 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोलने का लक्ष्य प्रदान किया गया। हमने लक्ष्य को 141% प्रतिशत की उपलब्धि के साथ 12.72 लाख (यूको-12.12 लाख और पीबीजीबी-0.60 लाख) प्राप्त किया हैं।

85% operative saving accounts have been seeded with Aadhaar number and Aadhaar authentication has been done in 44% of operative saving accounts.

7.3 Micro credit-Overdraft facility

Number of PMJDY accounts using the OD facility in the bank as on March 2024 is 3.71 Lakhs aggregating sanctioned amount of Rs.75.47 crore. As per Finance Minister's budget announcement (FY 2020-21), an overdraft of Rs. 5000/- is allowed to verified women SHG member in their PMJDY Accounts

7.4 Social Security Schemes

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branchs and BC network. Under PMJJBY scheme, 23.37 lakh subscribers availed life insurance of Rs. 2 lakhs and under PMSBY scheme 52.80 lakh customers availed accidental insurance of Rs. 2 Lakh. So far a total of 12027 claims are settled under PMJJBY and 1995 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 10.72 lac till end of FY 23-24. During FY 23-24 2.44 lakh customers have been added to APY Fold with Y-to-Y growth of 29.47%.

7.5 PMJJBY and PMSBY enrolment through M-Banking, e-Banking, SMS

Electronic mode of enrolment of PMJJBY and PMSBY was made available during FY 21-22 in UCO E-Banking and UCO m banking app. A new mode of enrolment through SMS message was introduced in FY 2021-22. Through the facility, customers can self-enrol by sending SMS from their registered mobile numbers. Incentive for digital self-enrolment is being passed on to the customers by the way of reduced premium.

PMJJBY and PMSBY enrolment through Jansuraksha Portal: During Last FY through our all channels, PMJJBY & PMSBY enrolment has been started.

7.6 DFS Target and Achievement

a) Saturation Drive under PMJSS (Pradhan Mantri Jan Surakshya Schemes, i.e. PMJJBY, PMSBY, APY): In the backdrop of honorable Prime Minister's Independence Day speech 2021, Department of Financial Services (DFS) directed Banks (vide their Office Memorandum no. F.no.21(23)/2014-FI (Mission) dated 27-09-2021) to implement Saturation Drive for PMJDY account opening & Jansuraksha Schemes to connect every eligible person with the Government's Insurance and Pension scheme.

b) Saturation Drive in PMJDY Account: The target of opening 9 lakhs PMJDY accounts has been given by DFS to be achieved during FY 2023-24. We have achieved 12.72 lakh (UCO-12.12 lakh & PBGB-0.60 Lakh) with an achievement of 141% of the target.

ग) पीएमजेएसएस योजना में संतृप्ति अभियानः पॉलिसी वर्ष 2023-24 (1 जून 2023 से 31 मई 2024 तक) के लिए पीएमजेजेबीवाई के तहत 21.44 लाख तथा पीएमएसबीवाई के तहत 52.49 लाख सक्रिय नामांकन का लक्ष्य आवंटित किया गया। 31 मार्च, 2024 को हमने पीएमजेजेबीवाई के तहत 76% जबकि पीएमएसबीवाई के तहत 89% लक्ष्य को प्राप्त किया है। .

7.7 आकांक्षी जिलों में प्रगति

आकांक्षी जिलों में वित्तीय समावेशन की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने जनवरी 2020 में 40 आकांक्षी जिलों (एडी) में लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) शुरू किया और फरवरी 2021 में इसे सभी 112 आकांक्षी जिलों (एडी) तक प्रसारित किया गया। हमारे बैंक को 7 जिले आवंटित किए गए हैं, जिनके नाम बेगूसराय, गोवालपारा, बारपेटा, धुबरी, बांका, ढेंकनाल, दरांग हैं। आवंटित आकांक्षी जिलों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य नीचे दिए गए हैं:

➢ आकांक्षी जिलों में प्रगति की निगरानी के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास विषय के तहत असम राज्य के दरांग और गोवालपारा जिला शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वालों जिलों (कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से) में नामित हैं।

7.8 देश के 500 चिन्हित ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) को लागू करना

प्रधानमंत्री ने 07 जनवरी 2023 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़ रहे ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। यह कार्यक्रम इन पिछड़े ब्लॉकों की सामाजिक-आथक स्थितियों में सुधार लाने पर बल देता है। देश के 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि अंतिम मील तक पहुंच बनाई जा सके और संतृप्ति की नीति अपनाई जा सके। यह आर्थिक कार्यक्रम शुरूमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों को कवर करेगा, जिनमें से आधे से अधिक ब्लॉक छह राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। जैसा कि डीएफएस द्वारा सूचित किया गया है, एबीपी के लिए अनंतिम मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) नीचे दिए गए हैं:

- ब्लॉक में स्थित बैंकिंग आउटलेट (शाखा/बीसी/आईपीपीबी) की संख्या
- ब्लॉक में 5 किमी के भीतर बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर नहीं किए गए गांवों की संख्या

7.9 9000 के व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) बल को शामिल करना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हमने कम बैंक वाले और बैंक रहित क्षेत्रों में 2892 व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) नियुक्त किए हैं जिससे अब हमारे पास 9808 का बीसी बल है।

7.10 आधार नामांकन केंद्र

हमारे बैंक में यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 10% शाखाओं को कवर करते हुए कुल 300 आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैंक ने एईसी के कुशल संचालन और बैंक के कर्मचारियों के इष्टतम उपयोग के लिए आधार ऑपरेटर गतिविधि के लिए को कॉर्पोरेट बीसी को आउटसोर्स किया है।

c) Saturation Drive in PMJSS Scheme: We have been allotted the target of active enrolment under PMJJBY and PMSBY for policy year 2023-24(starting from 1 June 2023 to 31st May 2024). The Target of active enrolment under PMJJBY is 21.44 lakh while under PMSBY is 52.49 Lakh. We have achieved 76% under PMJJBY while 89% under PMSBY against target up to 31st March 2024.

7.7 Progress in Aspirational Districts

With a view to enhance the penetration of Financial Inclusion in the Aspirational Districts, Department of Financial Services (DFS) launched Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in January 2020 in 40 ADs and extended it to all 112 Aspirational Districts (ADs) in February 2021. Our Bank has been allotted 7 districts namely Begusarai, Goalpara, Barpeta, Dhubri, Banka, Dhenkanal, Darrang. Some of the key facts related to Aspirational Districts allotted to us have been given below:

➢ Darrang and Goalpara District of Assam State are among the top performers (since inception of programme) under Financial Inclusion & Skill Development theme in the champions of change Dashboard started by NITI Aayog to monitor the progress in the Aspirational Districts.

7.8 Implementation of Aspirational Block Program (ABP) in 500 identified Blocks of the country

Prime Minister on 07th Jan 2023, launched Aspirational Block Programme (ABP) on the lines of the Aspirational District Programme, which is aimed at improving performance of blocks lagging on various development parameters. The programme plays emphasis on improving the socio-economic conditions of these backward blocks. Aspirational Block Programme is started in 500 blocks of the country with approach of reaching the last mile and policy of saturation. It will initially cover 500 blocks across 31 states and Union Territories, with over half of these blocks located in six states - Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. As intimated by DFS, the provisional Key Performance Indicators (KPIs) for ABP is as below:

- No. of banking outlet (branch/BC/IPPB) located in the block
- No. of villages in the block not covered by a banking outlet within 5 km

7.9 On-boarding of 9000 Business Correspondents (BCs)

During the FY2023-24 we have appointed 2892 Business Correspondents (BCs) in under-banked and unbanked areas taking the total BC force to 9808.

7.10 Aadhaar Enrolment Centre

A total no of 300 Aadhaar Enrolment centres has been set up covering 10% of the branches as per UIDAI guidelines in our Bank. Bank has outsourced the Aadhaar Operator activity to Corporate BCs in order to create efficient operation of AECs and optimum use of Bank's staff.

7.11 वित्तीय समावेशन परियोजना के माध्यम से राजस्व प्राप्त

वित्तीय समावेशन के तहत लगातार किए गए प्रयासों ने अच्छे परिणाम मिले हैं और बैंक को इन गतिविधियों से मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के लाभ प्राप्त होने लगे है। शाखाओं की भीड़भाड़ में कमी होना, लेनदेन लागत में कमी और कासा आधार में वृद्धि वित्तीय समावेशन परियोजना के अमूर्त लाभ हैं। विभिन्न उत्पादों के तहत अर्जित कमीशन के रूप में मूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमजेजेबीवाई में 298.92 लाख रुपये, पीएमएसबीवाई में 50.39 लाख रुपये और एपीवाई में 371.24 लाख रुपये कमीशन के रूप में अर्जित किया।

8. सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार कक्ष भारत सरकार की लघु बचत जमा योजनाओं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करना, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना - अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को संभालता है।

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) के तहत कुल खाता आधार में 31.03.2023 को 139106 से 31.03.2024 को 158544 की वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 13.97% की वृद्धि दर्ज की गई और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में 31.03.2023 को 110977 से 31.03.2024 को 133065 तक 19.90% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

एपीवाई योजना के तहत खोले गए खातों में 31.03.2023 को 828635 से बढ़कर 31.03.2024 को 1072331 हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 29.41% की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए सरकारी कारोबार उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देता है। वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न सरकारी व्यावसायिक उत्पादों यानी कर संग्रह, पेंशन, लघु बचत योजनाओं, एपीवाई, बॉन्ड जारी करने आदि से लगभग 29.00 करोड़ रुपये का टर्नओवर कमीशन प्राप्त हुआ। सरकारी कारोबार उत्पादों के तहत कारोबारी कार्यनिष्पादन में भी काफी सुधार हुआ है।

9. एमएसएमई

- बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो 31.03.2024 तक 13.53% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान तिमाही-वार एमएसएमई कारोबार प्रदर्शन

(राशि करोड़ ₹ में)

जून 23	**सितंबर** 23	**दिसम्बर** 23	**मार्च** 24
28,982	30,699	32,160	32,714

- आरआरबी सहित मुद्रा ऋणों का संचयी संवितरण 31.03.2024 को 6,113 करोड़ रुपए था, जिसमें 6,000 हजार रुपए करोड़ के आबंटित संवितरण लक्ष्य के स्थान पर 101.88% की उपलब्धि दर्ज की गई थी।
- आरआरबी के साथ बैंक को 31.03.2025 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आबंटित लक्ष्य का 92% 31.03.2024 तक हासिल कर लिया है।

7.11 Revenue generated through Financial Inclusion Project

Consistent, efforts under Financial Inclusion have given good results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project. Tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank has earned Rs.298.92 lakhs in PMJJBY, Rs.50.39 lakhs in PMSBY and Rs.371.24 lakhs in APY as commission during FY-2023-24.

8. GOVERNMENT BUSINESS

Government Business cell handles Small Savings Deposit Scheme of GOI, collection of Direct and Indirect Taxes, issuance of Sovereign Gold Bond , Floating Rate Savings Bonds, Central and state Government Pension, National Social Security Scheme -Atal Pension Yojna (APY) & National Pension scheme (NPS).

There was an increase in total account base under Public Provident Fund (PPF) from 139106 as on 31.03.2023 to 158544 as on 31.03.2024 registering 13.97 % Y-o-Y growth and in Sukanya Samriddhi Yojna (SSY) from 110977 as on 31.03.2023 to 133065 as on 31.03.2024 registering 19.90 % Y-o-Y growth.

There was an increase in accounts opened under APY scheme from 828635 as on 31.03.2023 to 1072331 as on 31.03.2024 registering 29.41% Y-o-Y growth.

Bank gives emphasis to promote Govt. Business product to increase fee based income. Turnover Commission of Rs.29.00 crores approximately earned in FY 2023-24 from various Government Business products i.e. Tax Collection, Pension, Small Savings Schemes, APY, Bond Issuance etc. Business performance has also been improved under Govt. Business products substantially.

9. MSME

- Bank's MSME portfolio grew by 13.53% (Y-o-Y) as of 31.03.2024
- Quarter-wise MSME Business Performance during FY 2023-24

(Amount in ₹ Crore)

Jun 23	Sep 23	Dec 23	Mar 24
28,982	30,699	32,160	32,714

- Cumulative disbursement of Mudra loans stood at Rs.6,113 crore as on 31.03.2024 registering achievement of 101.88% against allocated disbursement target of Rs. 6,000 crore.
- Bank along with RRB has achieved 92% of allotted target required to be achieved by 31.03.2025 under Stand Up India Scheme within 31.03.2024.

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) के तहत बैंक ने 3,334 इकाइयों को 396 करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत किया है।
- बैंक ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत 1,58,003 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण संस्वीकृत किया है।
- ट्रेड्स व्यवसायः

(राशि करोड़ ₹ में)

मार्च 23	जून 23	सितंबर 23	दिसम्बर 23	मार्च 24
414	461	446	575	842

क) सात एमएसएमई ऋण योजनाएं शुरूकी गईः

i. यूको टेक्सटाइल

ii. यूको स्टार्ट-अप

iii. यूको वाहन

iv. यूको ई-वाहन

v. यूको उपकरण वित्त

vi. यूको मर्चेंट केडिट कार्ड

vii. पीएम विश्वकर्मा

ख) दो राज्यों ने विशिष्ट योजनाएं शुरूकीं

i. पश्चिम बंगाल भविष्यत केडिट कार्ड (डबल्यूबीबीसीसी) (पश्चिम बंगाल)

ii. राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 (हिमाचल प्रदेश)

ग) **सह-उधारः** बैंक ने एमएसएमई ऋणों के सह-उधार के लिए 26.05.2023 को मैसर्स यूजीआरओ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

घ) **एसएमई हबः** प्रमुख कारोबार केंद्रों में 10 नए एसएमई हब शुरूकिए गए। अब देश भर में 21 एसएमई हब कार्यरत हैं।

ङ) **सीएसआरः** बैंक की सीएसआर पहल के तहत स्थानीय भाषा में बैंक के एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (यूको एम्पावर) आयोजित करने के लिए मेसर्स पूर्णनाथ एंड कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

च) **एमएसएमई अभियानः** एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दो एमएसएमई अभियान 'एमएसएमई चैंपियन' और 'एमएसएमई उन्नति' शुरूकिए गए हैं।

- Bank sanctioned loans to 3,334 units amounting to Rs.396 crore under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) Scheme in FY 2023-24.
- Bank sanctioned loans to 1,58,003 Street Vendors under Prime Minister Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme.
- TReDs Business:

(Amount in ₹ Crore)

Mar 23	Jun 23	Sep 23	Dec 23	Mar 24
414	461	446	575	842

a) Introduced Seven MSME Loan Schemes:

i. UCO Textile

ii. UCO Start-Up

iii. UCO Vahan

iv. UCO e-vahan

v. UCO Equipment Finance

vi. UCO Merchant Credit Card

vii. PM Vishwakarma

b) Introduced Two State Specific Schemes

i. West Bengal Bhabishyat Credit Card (WBBCC) (West Bengal)

ii. Rajiv Gandhi Swarozgar Yojana-2023 (Himachal Pradesh)

c) **Co-lending:** Bank signed MoU with M/s UGRO Capital Pvt Ltd on 26.05.2023 for Co-lending of MSME loans.

d) **SME HUB:** Introduced 10 New SME Hubs at prominent business centres. Now 21 SME Hubs are operational across the country.

e) **CSR:** Signed MoU with M/s Poornatha and Company for conducting Online Training Program (UCO Empower) for Bank's MSME customers in vernacular language under Bank's CSR initiative.

f) **MSME Campaigns:** Two MSME Campaigns, 'MSME Champion' and 'MSME Unnati' have been launched during FY 2023-24 to augment MSME business.

10. रिटेल

10.1 नए उत्पादों का शुभारंभः

क) एसटीपी पेंशन ऋणः ब्याज दर में विशेष रियायतों के साथ डिजिटल पेंशन ऋण।

ख) यूको ई-वाहन ऋणः विशेष ब्याज पर के साथ इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण योजना।

ग) यूको एलीट टू व्हीलर लोनः हाई-एंड मोटरसाइकिलों की खरीद के लिए विशेष ऋण।

घ) टॉप अप गोल्ड लोनः मौजूदा गोल्ड लोन में प्री-पेमेंट पर अतिरिक्त लोन की सुविधा।

ङ) ओवर ड्राफ्ट गोल्ड लोनः सोने के गहनों की गिरवी पर ओवरड्राफ्ट उत्पाद।

च) जीटीआरई कर्मचारियों के लिए पर्सनल लोनः जीटीआरई, बैंगलोर के कर्मचारियों के लिए कस्टमाइज्ड पर्सनल लोन स्कीम.

छ) यूको सूर्योदय ऋण योजनाः रक्षणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देते हुए आवासीय उद्देश्यों के लिए ग्रिड से जुड़े आरटीएस संयंत्रों को वित्तपोषण।

ज) मो घर आवास योजनाः ओडिशा में विशेष ग्रामीण आवास योजना शुरूकी गई।

झ) एसटीपी टॉप अप गोल्ड लोन

ञ) एसटीपी - पुनः गिरवी स्वर्ण ऋण।

10.2 कारोबार बढ़ाने के अभियानों का शुभारंभः

अपने व्यवसाय परिचालनों को सशक्त बनाने और फील्ड फंक्शनरियों को दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए, हमने शाखा प्रमुखों, आरएलएच प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों को सक्रिय और प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान शुरूकिए हैं।

क) शुभारम्भ अभियान

ख) संकल्प अभियान

ग) स्टार परफॉर्मर्स वित्तीय वर्ष 23-24

घ) यूको क्रिकेट उत्सव

ङ) मिशन 24

10.3 वित्त वर्ष 23-24 में मौजूदा उत्पादों का आशोधन

क) गृह ऋण और महिलाओं को ऋण गृह के अधिग्रहण के लिए विशेष रियायतों की शुरुआत

ख) उपयोग किए गए कार ऋण योजना में संवर्धन

10.4 आस्ति गुणवत्ता और अंडरराइटिंग मानकों के तहत सुधार के लिए अन्य पहल

क) न्यूनतम सीआईआर स्कोर आवश्यकता में वृद्धि।

ख) डेटा सत्यापन के लिए फिन-टेक सेवाओं का अनिवार्य उपयोग।

10. RETAIL

10.I Introduction of New Products:

a) STP Pension Loan: Digital Pension Loan with special concessions in ROI.

b) UCO E-Vehicle Loan: Loan scheme for purchase of electric vehicle with special ROI.

c) UCO Elite Two Wheeler Loan: Specialized loan for purchase of high-end motorcycles.

d) Top Up Gold Loan: Facility for additional loan against pre-payment in existing gold loans.

e) Over Draft Gold Loan: Overdraft product against the pledge of gold ornaments.

f) Personal Loan for GTRE Employees: Customized personal loan scheme for GTRE, Bangalore employees.

g) UCO Suryodaya Loan Scheme: Finances grid-connected RTS plants for residential purposes, supporting sustainable energy initiatives.

h) Mo Ghara Housing Scheme: Special Rural Housing Scheme launched in Odisha.

i) STP Top Up Gold Loan

j) STP - Re-pledge Gold Loan.

10.2 Launch of Business Boosting Campaigns:

To invigorate our business operations and to provide a guideline to field functionaries, we have launched various campaigns aimed at activating and motivating Branch Heads, RLH Heads, and Zonal Heads.

a) Shubharambh Campaign

b) Sankalp Campaign

c) Star Performers FY 23-24

d) UCO Cricket Utsav

e) Mission 24

10.3 Modification of Existing Products in FY 23-24

a) Introduction of special concessions for Take-over of Home Loans and Home Loans to Women.

b) Revamping of Pre-Used Car Loan Scheme

10.4 Other Initiatives to improve asset quality and under writing standards

a. Increase in Minimum CIR Score Requirement.

b. Mandatory usage of Fin-tech Services for data validation.

ग) ऑटो रिकवरी तंत्र का कार्यान्वयन।

घ) हबों के अंतर्गत शाखाओं के कवरेज में वृद्धि।

ङ) त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर स्वीकृत गृह ऋण की निगरानी के लिए एसओपी।

च) सोने के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन के मानकीकरण के लिए कॉर्पोरेट स्वर्ण मूल्यांककों का पैनल

11.संसाधन

कासा और सावधि जमा जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 23 अगस्त 2023 को एक समर्पित संसाधन वर्टिकल लॉन्च किया गया था। जिसमें तीन सेल बनाए गए थे यानी बचत, चालू और सरकारी जमा। वर्टिकल जीएम के नेतृत्व में है और कक्षों का नेतृत्व डीजीएम द्वारा किया जाता है।

11.1 प्रमुख उपलब्धियां:

- चालू जमा में 20.46% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- कोर चालू जमा में 23.07% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- बचत जमा में 6.19% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- कासा जमा में 7.76% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- रिटेल मीयादी जमा में 7.20% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- कुल जमा में 5.53% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- चालू खाता खोलने में 56% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- आवर्ती जमा खाता खोलने में 330% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।

11.2 वित्त वर्ष 2023-24 में की गई पहल:

क) उत्पाद एवं योजना में की गई पहल :

- स्तरीय चालू जमा उत्पादों को लागू किया जाना : यूको बिजनेस और यूको बिजनेस प्लस
- दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर की सीमा में वृद्धि के साथ 'यूको सुविधा वेतन' बचत खाते में संशोधन।
- 'यूको 400' विशेष सावधि जमा योजना का शुभारंभ
- 'यूको 300' विशेष सावधि जमा योजना का शुभारंभ
- बचत खाता खोलने के लिए टैब बैंकिंग की शुरूआत।
- 'यूको सौभाग्य' फ्लेक्सी आवर्ती जमा में संशोधन।

ख) करार और टाई-अप पहल:

- पश्चिम बंगाल सरकार के विभागों के साथ वेतन टाईअप।
- गुजरात राज्य के एक डीआईएससीओएम के उपभोक्ताओं के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजली बिल संग्रह के एकीकरण के लिए टाईअप।
- संग्रहण के लिए मैसर्स फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ टाईअप किया गया जहां बैंक ने यूको केयर प्लस स्कीम को अनुकूलित किया है।

c. Implementation of Auto Recovery mechanism.

d. Increase in coverage of Branches under Hubs.

e. SOP to monitor home loans sanctioned based on tripartite agreement.

f. Empanelment of Corporate Gold Appraisers for standardization of Appraisal/Reappraisal of Gold.

11. RESOURCES

A dedicated Resources Vertical was launched on 23rd Aug 2023 to focus on mobilization of CASA & term deposits. In which three cells was created i.e. Savings, Current & Govt. Deposit. The Vertical is headed by GM & the cells are headed by DGMs.

11.1 Key Accomplishments :

- Current Deposit has grown at 20.46% (Y-O-Y).
- Core Current Deposit has grown at 23.07% (Y-O-Y).
- Savings Deposit has grown at 6.19% (Y-O-Y).
- CASA Deposit has grown at 7.76% (Y-O-Y).
- Retail Term Deposit has grown at 7.20% (Y-O-Y).
- Total Deposit has grown at 5.53% (Y-O-Y).
- Current Account opening has grown by 56% (Y-O-Y).
- RD account opening has grown by 330% (Y-O-Y).

11.2 Initiatives taken in FY 2023-24:

a) Product & Scheme Initiatives taken:

- Introduction of Tiered Current Deposit Products: UCO Business & UCO Business Plus
- Modification in 'UCO Suvidha Salary' savings account with increase in Limit of Accidental Death Insurance Cover.
- Launched of 'UCO 400' Special FD Scheme
- Launched of 'UCO 300' Special FD Scheme
- Introduction of Tab Banking for opening of Savings account.
- Modification in 'UCO Sowbhagya' Flexi Recurring Deposit.

b) Agreement & Tie-Up Initiatives:

- Salary Tie up with West Bengal Govt. Departments.
- Tie Up for integration of offline and online electricity bill collection for consumers of one of DISCOM of state of Gujarat.
- Tie Up with M/s Fino Payment Bank Limited for Collection where bank has customized UCO Care Plus Scheme.

- सागर सेतु राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों पर भुगतान और संग्रह मॉड्यूल एकीकरण।
- नकदी व्यवस्था के लिए गुजरात के एक सहकारी बैंक के साथ टाईअप।

ग) प्रक्रिया हेतु की गई पहलः

- लंबित सीए प्राधिकरण की निगरानी और अद्यतन करने के लिए एक एसएसओ डैशबोर्ड विकसित किया गया, जो निष्क्रिय चालू खातों और बचत खातों को सक्रिय करने, कासा द्विभाजन और व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए है।
- चालू खातों को बंद करने से पहले अनुमोदन प्रदान करने के लिए आंचलिक स्तर की समिति का गठन।
- एसएसओ में अंचल संसाधन टीम विजिट रिपोर्ट मॉड्यूल विकासित किया गया।
- शाखाओं / अंचलों के शीर्ष 200 ग्राहकों के पास जाने के लिए एसएसओ (सिंगल साइन ऑन) में 'यूको कनेक्ट' विजिट रिपोर्ट मॉड्यूल को विकसित किया जाना ।
- मूल कारणों का पता लगाने और शिकायत समाधान प्रक्रिया में सुधार करने हेतु ग्राहक अनुभव प्रकोष्ठ का गठन।
- अधिकतम सुविधाओं के लिए योजना उन्नयन हेतु कासा ग्राहकों को कॉल करने, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने, निष्क्रिय से सक्रिय बनाने आदि के लिए कॉल सेंटर का उपयोग।

11.3 वित्त वर्ष 2024-25 में की जाने वाली भविष्य की पहलः

वित्त वर्ष 2024-25 में की जाने वाली उत्पाद पहलः

- स्तरीय बचत उत्पादों को लागू किया जानाः यूको प्रिविलेज और यूको रॉयल
- सहकारी बैंकों/आरआरबी के लिए 'यूको साथी' चालू खाता योजना।
- महिला ग्राहकों के लिए स्तरीय बचत और चालू जमा उत्पाद।
- महिला ग्राहकों के लिए 'यूको संचायिका' आरडी।
- ग्रीन डिपॉजिट उत्पाद की शुरुआत।
- 'यूको एफएफडी' फ्लेक्सिबल फिक्स्ड डिपॉजिट में संशोधन।
- सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के लिए वेतन उत्पाद।

क) करार और टाई-अप पहलः

- गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तरप्रदेश राज्य में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन बिल भुगतान एवं संग्रह हेतु एकीकरण प्रक्रियागत है।
- ई-एफडीआर के लिए एनएससीएल के साथ समझौता ज्ञापन।
- यूको सुविधा वेतन खाते जुटाने के लिए विभिन्न कॉरपोरेट्स के साथ टाईअप।

- Payment and collection module integration on major ports through Sagar Sethu National Logistic Portal.
- Tie up with one co-operative bank of Gujarat for their cash arrangement.

c) Process Initiatives Taken:

- Developed a SSO Dashboard for Monitoring and Updation of CA authorization pending, inoperative to operative current accounts and saving accounts, casa bifurcation and business performance.
- Formation of a Zonal Level Committee for providing approval before closing of Current Accounts.
- Development of Zonal Resources Team Visit Report Module in SSO.
- 'UCO Connect' visit report module developed in SSO (Single Sign On) for visiting top 200 customers of branches/ zones.
- Creation of CUSTOMER EXPERIENCE CELL to address root causes and enhance the complaint resolution process.
- Utilization of Call Centre for calling to CASA customers for scheme upgradation for maximum facilities, maintaining minimum balances, inoperative to operative conversion, etc.

11.3 Future Initiatives to be taken in FY 2024-25:

Product Initiatives to be taken in FY 2024-25:

- Introduction of Tiered Savings Products: UCO Privilege & UCO Royal
- 'UCO Saathi' current account scheme for co-operative banks/ RRBs.
- Tierized Savings & Current Deposits Products for women customers.
- 'UCO Sanchayika' RD for female customers.
- Introduction of 'Green Deposit' Product.
- Modification in 'UCO FFD' Flexible Fixed Deposit.
- Salary Product for Armed & Paramilitary Forces.

a) Agreement & Tie-Up Initiatives:

- Integration under process for offline and online electricity bill payment and collection in the state of Gujarat, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh.
- MOU with NSCL for e-FDR.
- Tie up with different corporates for mobilisation of UCO Suvidha Salary accounts.

ख) प्रक्रियागत पहलः

- टैब बैंकिंग में चालू खाते की शुरुआत करना।
- एसएसओ पोर्टल में सेवा शुल्क की छूट की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना।
- चालू खाता प्राधिकृतिकरण प्रक्रिया में आशोधन करना।
- ग्राहक प्रोफाइलिंग तथा ग्राहकों को अनुकूलित उत्पाद देने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना।
- क्षेत्र विशेष/उद्योगों को सूट करनेवाले तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद के साथ-साथ गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर फोकस एक समर्पित सेल्स फोर्स टीम।
- विभिन्न आय/धन खंडों और जनसांख्यिकी (जैसे, पेशेवर, युवा, सेवानिवृत्त, एनआरआई, आदि) को कवर करने के लिए पेशकश सामने लाना।
- फॉर्म फैक्टर यानी रिवॉर्ड प्रोग्राम, गेमिफिकेशन (यथा एप्लीकेशन इस्तेमाल करने पर, कुछ सीमा तक व्यय करने पर) के माध्यम से लेनदेन को प्रेरित करनेवाले प्रमुख सेगमेंट में नेट-बैंकिंग ऑफर करना।
- खाता खोलने के लिए DIY(डू इट योरसेल्फ) यात्रा जो पूरी तरह से वीडियो केवाईसी समर्थित एसटीपी है।
- ग्राहक संतुष्टि के कठोर मापन (केआरए से जुड़ाव) के द्वारा सेवा अनुभव की पुनर्कल्पना, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि जैसे चैनलों में चतुर्दिक उपलब्धता के माध्यम से ग्राहक अनुभव को चालित करना।
- ग्राहकों को एक विभेदित अनुभव प्रदान करना जैसे :
  - क) एचएनआई के लिए आरएम और वर्चुअल आरएम
  - ख) एचएनआई को एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए सज्जित शाखाएं
  - ग) पूछताछ के समाधान के लिए संपर्क केंद्र आदि का लाभ उठाकर शाखा फुटफॉल को घटाना।

12. विपणन और धन प्रबंधन

12.1 विपणन

बैंक की विपणन गतिविधियों का लक्ष्य नए कारोबार को बढ़ाना, बैंक के विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा देना और ग्राहकों के बीच बैंक के ब्रांड मूल्य को बनाए रखना है। विभाग द्वारा विभिन्न चैनलों और मीडिया के माध्यम से बैंक के उत्पाद का प्रचार भी किया जा रहा है।

विभिन्न गतिविधियों और पहलों के कार्यनिष्पादन का सारः

क) सेल्स फोर्स टीम (एसएफ़टी)ः

सेल्स टीम का आरंभ वित्त वर्ष 22-23 में विभिन्न केंद्रों में कर्मचारियों की अधिक संख्या के साथ पूर्ववर्ती मार्केटिंग टीम संरचना को नया रूप देते हुए किया गया था। अलग-अलग पोर्टफोलियो के लिए अलग-अलग केआरए के साथ अलग-अलग सेल्सफोर्स टीमें बनाई गईं। वित्त वर्ष 23-24 में बैंक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष से सेल्स टीम द्वारा कनवास किए गए बिज़नेस में 73% की वृद्धि दर्ज की गई है।

b) Process Initiatives:

- Introduction of Current Account in Tab Banking.
- Digitization of process of waiver of service charges in SSO Portal.
- Modification in Current Account authorization process.
- Utilization of data analytics for customer profiling and to offer customized product to them.
- Product suite to cater to the specific segment/ industries and their requirements along with a dedicated sales force team that focuses both on quality and quantity.
- Develop offerings to cover the various income / wealth segments and the demographics (e.g., Professionals, Young, Retirees, NRIs, etc.)
- Strong enablers to induce transactions across form factors i.e., rewards program, gamification (on application usage, on reaching certain spends, etc.), net-banking offers across major segments.
- DIY (Do it Yourself) journey for account opening is fully STP supported by Video KYC.
- Drive customer experience through rigorous measurement of Customer Satisfaction (linking to the KRAs), re-imagination of service journeys, availability across channels like - email, WhatsApp, SMS, etc.
- Provide a differentiated experience to customers:
  - a. RMs & Virtual RMs for the HNIs
  - b. Branches created to provide a unique experience to HNIs
  - c. Reduce branch footfall by leveraging contact center, etc. for query resolution.

12. MARKETING AND WEALTH MANAGEMENT

12.1 Marketing

The Marketing activities of the Bank eyes at increasing the mobilization of new business, promotion of different Products of the Bank and to maintain the brand value of the Bank among the customers. Promotion of Bank's product through different channels and medias are also being taken up by the Department.

The Gist of Performance of various activities & initiatives undertaken:

a) Sales Force Team (SFT):

Introduction of Sales Team was done in FY 22-23 revamping the erstwhile Marketing Team structure with higher number of staff strength in different centres. Different Sales Force Teams were created with separate KRAs for separate portfolios. In FY 23-24, Bank registered 73% growth in the business canvassed by sales team from the previous Financial Year is registered.

ख) डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए):

डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (डीएसए) को शामिल किया जाना वित्त वर्ष 22-23 में शुरु किया गया। वित्त वर्ष 23-24 में, गृह ऋण के तहत डीएसए द्वारा प्राप्त कुल स्वीकृत राशि 2654.35 करोड़ रुपये, कार ऋण 157.28 करोड़ रुपये और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त ऋण 125.51 करोड़ रुपये है, जो कुल 2937.14 करोड़ रुपये था। पिछले वित्तीय वर्ष से डीएसए स्वीकृत राशि में 117% की वृद्धि दर्ज की गई है।

ग) यूको बैंक एक अपने पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में पेश करने के लिए कार निर्माण कंपनियों के साथ गठजोड़:

आसान और त्वरित डिजिटल ऋण देने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारे बैंक के ऋण प्रसंस्करण प्रणाली का एकीकरण किया गया है। ऋण सीधे डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत किए जा रहे हैं।

कार खरीदारों के लिए पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में हमारे बैंक को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। इसके अलावा, बैंक के लिए भारी कारोबार करने के लिए हमारी शाखाओं और कार डीलरों / आउटलेट्स के बीच एक मजबूत संबंध विकसित करने के लिए देश भर में इन कंपनियों के साथ विभिन्न संयुक्त गतिविधियों का आयोजन किया गया था।

घ) लीड प्राप्त करना:

बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचने का आवाहन किया है। तदनुसार, मौजूदा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और संभावनाओं का पता लगाया गया है। संभावित ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद प्रस्तावों के साथ बल्क संदेश/ई-मेल भेजे गए। डिजिटल और मूर्त दोनों प्रकार की सामग्री (एक-पेजर, वीडियो/ऑडियो क्लिप/बैनर/ तुलनात्मक,ईडीएम,फ्लायर्स इत्यादि) डिजाइन की गई और शाखा अधिकारियों को उत्पाद यूएसपी के साथ भेजी गई। थी। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर बैंक के अपनी लीड प्राप्ति प्रबंधन व्यवस्था ने यथोचित कार्रवाई की।

एलएमएस ऐप को डिजिटल लीड जनरेशन और टीम की उचित निगरानी के लिए सेल्सफोर्स के सदस्यों के लिए जियो-टैगिंग सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है।

ङ) अभियान:

अभियान अवधि के लिए बिक्री बल टीमों और सीएमओ को आवंटित विशिष्ट लक्ष्यों के साथ होम लोन/कार लोन और एमएसएमई ऋण की सोर्सिंग को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए विपणन और धन प्रबंधन विभाग द्वारा कई अभियान शुरूकिए गए थे। इसमें डीएसए और सेल्सफोर्स के सदस्य सक्रिय रूप से शामिल थे और डेवलपर्स, कार डीलरों आदि की भागीदारी के साथ प्रमुख स्थानों पर शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

कुछ विशेष अभियानों का शुभारंभ किया गया और 'होम टाइटन्स', 'ऑटो रेस', 'द लास्ट लीप', 'मिशन मार्च' आदि नाम दिया गया। इन अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण ऋण राशि मंजूर की गई।

b) Direct Selling Agents (DSA):

Engagement of Direct selling agents (DSA) was introduced in FY 22-23. In FY 23-24, total sanctioned amount sourced by DSAs under Home loan is Rs 2654.35 Cr, Car Loan Rs 157.28 Cr and loan canvassed from Retired Staff is Rs 125.51 Cr, totalling Rs 2937.14 Cr and registering 117 % growth in DSA sanctioned amount from the previous Financial Year.

c) Tie up with Car Manufacturing Companies to present UCO Bank as their preferred Financer:

Integration of our Bank's Loan processing system in the digital platform of Maruti Suzuki India Ltd for easy and quick digital lending has been done and Loans are being sanctioned directly through end to end digital process.

Agreement has been done with different car companies to promote our Bank as the preferred Financer to the Car Purchasers. Also, various joint activities were organized with these companies across the country to develop a strong relationship between our branches and the car dealers/outlets for generating handsome business for the bank.

d) Lead generation:

Bank has given a call to sell multiple products to our existing customers. Accordingly, analysis of existing data has been done and prospects have been identified. Bulk Messages/ E-Mails with different product offers were sent to the prospective customers. Both Digital & Physical collaterals (One- pagers, Video/ Audio clips/ Banners/ comparatives, EDM, flyers etc.) were designed & supplied to the field functionaries with product USP. The generated Leads from various channels were tracked and monitored via indigenous Lead generation management system of the Bank.

LMS App has been launched with geo-tagging facility for the Sales force members for digital lead generation & proper monitoring of the team.

e) Campaign:

Several Campaigns were launched from Marketing & Wealth Management Department to maximize sourcing of Home Loan/ Car Loan & MSME Loans with specific targets allotted to Sales force teams & CMO for the campaign periods. DSAs & Sales Force members were actively involved and camps & events were organised in prominent places along with participation of Developers, Car Dealers etc.

Some of the special campaigns launched and were named as "Home Titans", "Auto Race", "The last leap", "Mission March" etc. Significant amount of loans sanctioned through these campaigns.

12.2 धन प्रबंधन और केडिट कार्ड:

विभिन्न खंडों के तहत कारोबार का कार्यनिष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बैंक ने तीसरे पक्ष (बैंकाश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग) के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए धन प्रबंधन संप्रभाग बनाया है।

12.2 Wealth Management & Credit Card:

Business performance under various segments:

In the FY 2022-23, Bank has created Wealth Management vertical to Promote third party products. (Bancassurance, Mutual Fund and Broking).

धन प्रबंधन के अंतर्गत हुआ व्यवसाय

Business done under Wealth Management

बैंकश्योरेंस में व्यवसाय (लाख में)

Business done in Bancassurance (in lacs) (2023-24)

क्रमांक **Sl**	**कंपनी का नाम** **Name of the Company**	**संगृहीत प्रीमियम (रुपए लाख में)** **Premium Collected (₹ in Lakhs)**	**अर्जित कमीशन (रुपए लाख में)** **Commission Earned (₹ in Lakhs)**	**पॉलिसी की सं.** **NOP**
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	687.16	149.54	519 (एनबी/NB)
2.	एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड SBI Life Insurance Co. Ltd	37372.17	3118.09	26,064 (एनबी/NB) 40,078(आरबी/RB)
3.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd	4842.86	1451.30	7,240 (एनबी/NB) 338 (आरबी/RB)
4.	केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Care Health Insurance Co. Ltd	2828.77	413.38	95,728
5.	स्टार हेल्थ एवं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Star Health & Allied Insurance Co. Ltd	1031.13	155.49	14,082
6.	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd	288.95	43.30	1,841
7.	फ़्यूचर जेनरली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Future Generali Insurance Co. Ltd	4275.93	713.08	2,21,289
8.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Oriental Insurance Co. Ltd	308.31	46.64	14,049
9.	एसबीआई जेनरली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड SBI General Insurance Co.Ltd	592.34	90.75	23,868
	कुल/Sub- Total	**52,227.62**	**6181.57**	**4,45,096**
म्युचुअल फंड और ब्रोकिंग में हुआ व्यवसाय (रुपए लाख में) **Business Done in Mutual Fund & Broking (Rs. In Lac)**				
धन प्रबंधन व्यवसाय (एमएफ/एसआईपी, ब्रोकिंग डीमैट, एनपीएस, बॉन्ड, एआईफ, पीएमएस) Wealth management Business (MF/SIP, Broking Demat, NPS, Bonds, AIF, PMS)			125.00	
केडिट कार्ड में किए गए व्यवसाय/Business Done in Credit Card				
अर्जित कमीशन/Commission earned		NA	505.00	
कुल अर्जित कमीशन/Total Commission Earned			6811.57	

क) बैंकश्योरेंस

- बैंकश्योरेंस व्यवसाय जैसे जीवन, समान्य और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बीमा कंपनी का एक कॉर्पोरेट एजेंट है।
- बीमा के प्रत्येक खंड में बैंक के 3 चैनल पार्टनर और कुल मिलाकर 9 चैनल पार्टनर हैं।

कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान भागीदार एवं अन्य पहल :

- **जीवन बीमा -** भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
- **सामान्य बीमा -** ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- **स्वास्थ्य बीमा -** स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस। बैंक ने समूह ऋण जीवन बीमा के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है ताकि गृह, शिक्षा और खुदरा ऋण उधारकर्ताओं के जीवन जोखिम को कवर किया जा सकता है।
- बैंक ने विनियम व दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकश्योरेंस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की संख्या में वृद्धि की।
- बैंक ने शुरूसे अंत तक निर्बाध डिजिटल मोड के माध्यम से प्रस्ताव और प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था के लिए चैनल पार्टनर्स के साथ आईटी एकीकरण के लिए पहल की है जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसी जारी करने वाले टैट में कमी आई है और हमारे बैंक द्वारा होने वाले कारोबार पर भी बेहतर नियंत्रण हुआ है।
- हमारी बैंक शाखाओं में हमारे स्वास्थ्य बीमा चैनल भागीदारों द्वारा कुल 260 स्वास्थ्य शिविर और 25 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं।
- विपणन और धन प्रबंधन विभाग ने मौजूदा ग्राहक के विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा 3.40 लाख प्राथमिक ग्राहकों को एचएनआई सेगमेंट के रूप में पहचान सहित संभावित ग्राहकों की सूची तैयार की है। विभाग ने तीसरे पक्ष के उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग के लिए समय-समय पर शाखाओं और अंचल कार्यालयों को संभावित सूचियां प्रदान की हैं।

ख) धन प्रबंधनः

बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता खोलने सहित धन प्रबंधन लेनदेन के ऑनलाइन माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए एक फिनटेक कंपनी के साथ गठजोड़ किया है। यह सुविधा यूको -एमबैंकिंग प्लस ऐप के तहत भी उपलब्ध है।

यह विभाग हमारे ग्राहकों के लाभ के लिए और गैर-ब्याज आय को और अधिक बढ़ाने के लिए नए धन प्रबंधन उत्पाद पेश करने का भी प्रयास कर रहा है।

ग) केडिट कार्डः

बैंक अपने ग्राहक को एसबीआई के साथ गठजोड़ व्यवस्था के तहत रेफरल आधार पर एसबीआई कार्ड और पेमेंट सेर्विसेज लिमिटेड के साथ क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहा है।

a) Bancassurance

- Bank is Corporate agent of Insurance Companies for Soliciting Insurance Business for life, General and Health Segment.
- Bank has 3 channel partners in each segment of Insurance and 9 Channel partners in total.

Present Partners under corporate agency arrangement and other initiatives:

- **Life insurance -** Life Insurance Corporation of India, SBI Life Insurance Co. Ltd and ICICI prudential life Insurance Co.
- **General Insurance -** The Oriental Insurance Co. Ltd, Future Generali India Insurance Co. Ltd and SBI General Insurance Company Ltd.
- **Health Insurance -** Star Health & Allied Insurance Co. Ltd, Care Health Insurance Ltd and Aditya Birla Health Insurance. For group Credit life, Bank is having tie-up arrangement with Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd. To cover Life risk of Home, education and retail loan borrowers.
- Bank has increased the number of Specified persons (SP) substantially for the FY 2023-24 for felicitating Bancassurance business as per regulatory guidelines.
- Bank has taken the initiative for IT integration with Channel partners for end-to-end seamless digital mode of sourcing proposal and payment of premium resulting in reducing policy issuance TAT and also better control on the business sourced through our Bank.
- Total 260 health camps & 25 voluntary blood donation camps have been organized by our health insurance channel partners across our bank branches.
- Marketing and Wealth Management Department has identified lists of prospective customers by analytical study of Bank's existing customer base including identification of 3.40 lakhs priority customers as HNI segment. The prospective lists have been provided to branches and Zonal Offices from time to time for cross-selling of third party Products.

b) Wealth Management:

Bank is having arrangements with one Fintech Company for providing online mode of Wealth Management transactions including opening of Mutual Fund, Demat A/c & Trading A/c for our customers. The facility is also available under UCO-Mbanking Plus App.

Department is also trying to introduce new Wealth Management Products for the benefit of our customers and to improve generation of non-interest income.

c) Credit Card:

Bank is providing Credit Card facility to its customer on referral basis under tie up arrangement with SBI cards and payment services limited.

विभिन्न प्रकार के कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र पूर्व-अनुमोदित ग्राहकों की सूची शाखाओं को प्रदान की जाती है। इन ग्राहकों से संपर्क किया जाता है और ग्राहकों से सहमति और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद कार्ड जारी किया जाता है।

कार्ड के जारी करने, नवीनीकरण और कार्ड के उपयोग पर कमीशन अर्जित किया जाता है।

12.3 डोर स्टेप-बैंकिंग:

बैंक पीएसबी एलायंस द्वारा की गई डोर स्टेप बैंकिंग पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान पीएसबी एलायंस द्वारा कई अभियान शुरू किए गए थे। बैंक देश में 1000 से अधिक केंद्रों पर डोर स्टेप सेवाएं प्रदान कर रहा है। डीएसबी के माध्यम से नकद संग्रह, नकद वितरण, 15/एच संग्रह, जीवन प्रमाण पत्र संग्रह और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

13. वसूली

बैंक का वसूली तंत्र संगठन के सभी स्तरों पर कमर कस कर ख़डा है और वसूली विभाग ने अधिकतम वसूली करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई हैं।

- ई-विक्रय प्लेटफॉर्म और एलएमएस के पूर्ण उपयोग के साथ सरफासी के माध्यम से समय पर सरफासी कार्रवाई और परिसंपत्तियों की बिक्री शुरूकरना। ई-नीलामी की सफलता दर में सुधार के लिए गिरवी रखी गई संपत्तियों के भौतिक कब्जे के लिए जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम।
- संपत्ति के भौतिक कब्जे के लिए जिलाधिकारी, अधिवक्ता के साथ समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रवर्तन एजेंट/वसूली एजेंट का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से किए जाते हैं।
- गारंटीकर्ता के विरुद्ध वाद सहित डीआरटी वाद, दीवानी वाद और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत वाद दायर करना।
- उधारकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं के नाम पर व्यक्तिगत संपत्तियों का पता लगाने और पात्र मामलों में डीआरटी के माध्यम से संपत्तियों की कुर्की करने के लिए खोजी एजेंसियों का उपयोग।
- एनसीएलटी को संदर्भित करने के लिए खातों की पहचान और एनसीएलटी के माध्यम से व्यक्तिगत गारंटी का आह्वान और उनकी संपत्तियों की कुर्की।
- पात्र मामलों में पुनर्गठन और विशेष रूप से एमएसएमई एनपीए खातों में और हैंडहोल्डिंग संचालन की अनुमति देना।
- एनडीएनडी और सामान्य ओटीएस योजना दोनों के अंतर्गत पात्र एनपीए खातों में ओटीएस।
- पूर्ण तैयारी मोड के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में भागीदारी।
- एनपीए ट्रैकर एप्लिकेशन का उपयोग और प्रधान कार्यालय/अंचल कार्यालय स्तर से निगरानी।
- डिफ़ॉल्ट उधारकर्ताओं के सिबिल अपडेशन के लिए अंचल कार्यालयों/शाखाओं के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

List of pre-approved customers eligible for availing different type of cards are provided to branches. These customers are approached and final card issuance is done after getting consent & necessary documents from the customers.

Commission is earned on issuance, renewal of cards and on usage of the Cards.

12.3 Door Step-Banking:

Bank is actively promoting Door Step Banking initiative taken by PSB Alliance. During the FY 23-24 numbers of campaigns were launched by PSB Alliance. Bank is providing door step services at more than 1000 centres in the country. Facilities like cash collection, cash delivery, 15G/H collection, Life certificate collection and other important services are being provided through DSB.

13. RECOVERY

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization and Recovery Department has adopted following strategies to maximise recovery.

- Initiating timely SARFAESI action and sale of assets through SARFAESI with full utilization of e-Bikray platform and LMS. Steps taken for getting DM permission for physical possession of mortgaged properties to improve success rate of e-auction.
- Utilization of Enforcement Agent / Recovery Agent for timely follow up with DM, advocate, for physical possession of property and to ensure that all actions are carried out in a time bound manner.
- Filing of DRT suits, Civil suit including suit against Guarantors & suit u/s 138 of NI Act.
- Utilization of Detective Agencies for unearthing personal properties in the name of borrowers/guarantors and attaching the properties through DRT in eligible cases.
- Identification of accounts for referring to NCLT and invocation of personal guarantee through NCLT and attachment of their properties.
- Restructuring in eligible cases and more specifically In MSME NPA accounts and allowing handholding operations.
- OTS in eligible NPA accounts both under NDND and Normal OTS Scheme.
- Participation in National Lok Adalat with full preparatory mode.
- Utilization of NPA Tracker application and monitoring from HO & ZO level.
- Continuous follow up with ZO / Branches for CIBIL updation of the default borrowers.

- वसूली योग्य और आसानी से न वसूली योग्य एनपीए उधारकर्ताओं की पहचान के लिए एनपीए उधारकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क।
- वार रूप और क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से सॉफ्ट एनपीए के साथ-साथ पुराने एनपीए में उन्नयन और वसूली के लिए आक्रामक अनुवर्ती कार्रवाई।
- संबंधित पोर्टल में एनपीए का समय पर अंकन और सीजीटीएमएसई/ ईसीजीसी आदि के तहत कवर किए गए सभी खातों के लिए समयबद्ध तरीके से दावा।
- शून्य निष्पादन वाली शाखाओं की कमी के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।
- इरादतन चूक की घोषणा।
- एलओसी जारी करना।
- सुबह-सुबह निकल कर एनपीए ट्रैकर के माध्यम से केसीसी उधारकर्ताओं तथा अन्य उधारकर्ताओं से संपर्क करना।
- नियमित अंतराल पर मेगा वसूली शिविर का आयोजन।
- अंचलों, उच्च एनपीए शाखाओं और एएमबी की नियमित समीक्षा।

पिछले दो वर्षों के लिए जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और उन्नयन का विवरण निम्नलिखित है।

- Continuous contact with NPA borrowers for identification of recoverable & not easily-recoverable NPA borrowers.
- Aggressive follow up for up-gradation and recovery in soft NPAs as well as old NPAs through War Room and Cluster Approach.
- Timely marking of NPA in respective portal and claim for all accounts covered under CGTMSE / ECGC etc. in timely manner.
- Continuous follow up for reduction of NIL performing Branches.
- Declaration of Wilful Default.
- Issuance of LOC.
- Contacting KCC borrowers by early morning field visit and all other borrowers via NPA Tracker.
- Holding Mega Recovery camps at regular intervals.
- Regular review of Zones, high NPA branches and AMBs.

The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last two years are as under.

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण/Particulars	31.03.2023 (**लेखा परीक्षित** **31.03.2023 (Audited)**	31.03.2024 (**लेखा परीक्षित**) **31.03.2024 (Audited)**
नकद वसूली/Cash Recovery	1354.10	740.08
कोटि उन्नयन/Up gradation	678.13	657.54
कुल /Total	**2032.23**	**1397.62**
तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली Recovery in Technical Written off accountss	1613.91	1475.38
सकल अनर्जक आस्ति/Gross NPA	7726.46	6463.31
सकल अनर्जक आस्ति%/Gross NPA %	4.78%	3.46%
निवल अनर्जक आस्ति/Net NPA	2018.02	1621.65
निवल अनर्जक आस्ति%/Net NPA %	1.29%	0.89%

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल नकद वसूली और उन्नयन 1397.62 करोड़ रुपए है, जबकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 2032.23 करोड़ रुपए था।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में नकद वसूली पिछले वर्ष के 1475.38 करोड़ रुपए की तुलना में 1613.91 करोड़ रुपए है। हानि और बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों की वसूली का लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बैंक ऐसे खातों में वसूली की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है।

वसूली पहलः

- बैंक ने संदिग्ध, हानि और एमएल श्रेणी के तहत 30.06.2023 को 50.00 लाख रुपए तक के बकाया बही शेष वाले एनपीए और एमएल (पीडब्ल्यूओ) खातों के निपटान के लिए 16 सितंबर 2023 से 'एनडीएनडी 2023-24-ऋण समाधान' नामक नई गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण विशेष एकबारगी निपटान योजना लागू की थी। योजना की वैधता की विस्तारित अवधि 30.06.2024 तक होगी।

- बैंक ने प्रभावी निगरानी और खातों के शीघ्र समाधान के लिए सरफेसी कार्रवाईयों, कानूनी मामलों आदि की स्थिति की निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों एवंअंचल कार्यालयों की सुविधा के उद्देश्य से विधि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है।

- एनपीए खातों में वसूली बढ़ाने के लिए मेगा वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एनपीए खातों में संबद्ध संपत्तियों को आईबीए (https://ibapi.in) (भारतीय बैंक नीलामी संपत्ति सूचना) की सामान्य वेब पोर्टल 'ई-बिक्रय' पर नीलामी के लिए अपलोड किया जाता है।

- सरफेसी के तहत आस्तियों की मेगा ई-नीलामी नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है।

14. ऋण निगरानी

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश ने दूसरी लहर के रूप में कोविड का पुनरुत्थान देखा और वेतनभोगी वर्ग, दैनिक मजदूर और व्यापारी वर्ग आदि सहित समाज का हर वर्ग देनदारियों को पूरा करने के क्रम में दबा रहा।

14.1 कोविड-19 के प्रभाव का शमनः

कोविड-19 के कारण प्रभावित उधारकर्ताओं द्वारा सामना किए गए दबाव को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक उपायों की घोषणा की थी और कोविड प्रभावित तनावग्रस्त आस्तियों के लिए 5 मई, 2021 को एक समाधान फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा की थी। तदनुसार, आरबीआई के कोविड-19 संबंधी दबाव (आरएफ 1.0 और आरएफ 2.0) समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक ने आवेदन से मंजूरी स्तर तक चलने होने वाली निर्बाध ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दोनों समाधान ढांचों को लागू किया। बैंक सभी स्तरों पर इन पुनर्गठित खातों की निगरानी भी कर रहा है।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की समय पर कार्रवाई ने अर्थव्यवस्था का पुनरुद्वार किया और पिछले कुछ महीनों के दौरान, उपभोक्ता मांग में सुधार हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में कारोबार उठाकर फिर से ख़ड़ा हो रहा है और अब वह पूर्व-कोविड स्तर के लगभग 70-80% पर वापस आ रहा है।

The total cash recovery and upgradation for the year ended 31st March, 2024 is Rs. 1397.62 crore as against Rs. 2032.23 Crore for the year ended 31st March, 2023.

The cash recovery in technically written-off accounts is Rs. 1475.38 crore for the year ended 31st March, 2024 compared to Rs 1613.91 crore for the previous year. Recovery in Loss and Written Off assets has a direct impact upon the profitability hence Bank is giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts.

Recovery initiatives:

- Bank had implemented new Non-Discretionary & Non-Discriminatory Special One Time Settlement Scheme named "NDND 2023-24-RIN SAMADHAN" from 16th Sep'2023 for settlement of NPAs & ML (PWO) Accounts with outstanding ledger balance up to Rs. 50.00 Lac as on 30.06.2023 under Doubtful, Loss and ML category. The extended period of validity of the scheme shall be upto 30.06.2024.

- Bank has strengthened the Legal Management System with the objective to facilitate different departments at Head Office & Zonal Offices for monitoring status of SARFAESI actions, legal matters etc. for effective monitoring and early resolution of accounts.

- Mega Recovery Camps are being organized to augment recovery in NPA accounts. Properties in NPA accounts are uploaded and put for auction on 'e-Bikray' a common web portal of IBA (https://ibapi.in) (Indian Banks Auction Properties Information).

- Mega e-auction of properties under SARFAESI is being conducted on regular basis.

14. CREDIT MONITORING

The country had witnessed the resurgence of COVID as second wave during FY 2021-22 and every section of the society including salaried class, daily wagers and business class etc. have been affected to meet out liabilities.

14.1 Mitigation of COVID-19 impact:

To ease out the stress encountered by the borrowers affected on account of COVID-19, RBI had announced regulatory measures and announced a Resolution Framework 2.0 on 5th May, 2021 for COVID affected stressed assets. Accordingly, as per the RBI's Resolution Framework for COVID-19 Related Stress (RF 1.0 and RF 2.0), Bank has implemented both the resolution frameworks through seamless online process starting from Application to Sanction Level. Bank is also monitoring these restructured accounts at all level.

The timely action of Govt of India and RBI have led to revival of the economy and during last few months, consumer demand has been recovered and business across most of sectors is reviving and coming back to almost 70-80% of the pre-covid levels.

14.2 बैंक ने वर्धित निगरानी के माध्यम से ऋण निगरानी तंत्र को इस प्रकार मजबूत किया हैः

क) पूर्व चेतावनी संकेत प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) - ईडब्ल्यूएस प्रणाली का विस्तार 2 लाख रुपए और उससे अधिक के खातों को कवर करने के लिए किया गया है, जो बैंक के मानक अग्रिमों का 93.71% है। ईडब्ल्यूएस की प्रणाली पहचान के संबंध में, एक सॉफ्टवेयर पैकेज लागू किया गया है जो आरबीआई द्वारा सुझाए गए 42 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स के साथ-साथ ईएएसई (बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) एजेंडा के तहत सुझाए गए 84 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस के तहत 3 अनुकूलित अलर्ट लागू किए गए हैं। एक्सपोजर के आधार पर नया ईडब्ल्यूएस फ्रेमवर्क 22 मार्च 24 को पेश किया गया है और मेकर-चेकर अवधारणा को भी उक्त ढांचे में लागू किया गया है।

ख) डैशबोर्डः बैंक ने सभी स्तरों पर बेहतर ऋण निगरानी के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड आरंभ किया है।

i) दैनिक एनपीए रन से निपटने के लिए केडिट मॉनिटरिंग डैश बोर्ड में एक नई रिपोर्ट 'मॉनिटरिंग डेली एनपीए' उपलब्ध कराई गई है।

ii) डैशबोर्ड निम्नलिखित रिपोर्टों के साथ बैंक के खुदरा पोर्टफोलियो की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करता हैः

- भौगोलिक वितरण
- बकेट-वार अग्रिम
- एडवांस के मूवमेंट में ट्रेंड
- विशेष उल्लेख खाते (दैनिक आधार पर)
- अग्रिम में उछाल
- टीओडी की बारम्बार मंजूरी
- एनएसीएच/एसआई विफल
- भावी मासिक मांगें
- भावी समीक्षा-नवीनीकरण
- भावी स्टॉक/बीडी देय राशि
- डिमांड ऋण देय

ग) खातों में संग्रहण दक्षता में सुधार लाने के लिए विभिन्न संग्रहण कार्रवाइयां जैसे ऑटो ई-मेल/एसएमएस, आईवीआर कॉल, कॉल सेंटर कॉल, शाखा कॉल और शाखा अधिकारियों के दौरे किए जा रहे हैं।

घ) दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन के एक भाग के रूप में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की डिफ़ॉल्ट संपत्ति की साप्ताहिक रिपोर्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक को बड़े केडिट (सीआरआईएलसी) प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय सूचना भंडार में की जाती है और दैनिक आधार पर इसकी निगरानी की जाती है।

ङ) आधार स्तर पर दबावग्रस्त और एनपीए खातों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एनपीए ट्रैकर शुरू किया गया है।

14.2 Bank has strengthened Credit Monitoring mechanism through Enhanced Monitoring as under:

a) Early Warning Signal System (EWS) - EWS system has been extended to cover accounts of Rs. 2 Lac and above which covers 93.71% of Bank's standard advances. Regarding System identification of EWS, a software package has been implemented which is capable of generating 42 EWS triggers as suggested by RBI along with 84 EWS triggers as suggested under EASE (Enhanced Access and Service Excellence) Agenda. Also, 3 customised alerts have been implemented under EWS. New EWS Framework based on exposure has been introduced and the maker-checker concept has also been implemented in the said framework.

b) Dashboard: Bank has launched one Dedicated Dashboard for better Credit Monitoring at all level.

i) A new report "Monitoring Daily NPA" at Credit Monitoring Dash Board has been made available to tackle daily NPA run.

ii) The Dashboard provides a detailed picture of the Retail portfolio of the Bank with below mentioned reports :

- Geographical distribution
- Bucket-wise Advance
- Trend in movement of Advance
- Special Mention Accounts (on daily basis)
- Spurt In Advance
- Sanctioning of Frequent TODs
- NACH/ SI failed
- Upcoming Monthly Demands
- Upcoming Review-Renewal
- Upcoming Stock/BD Dues
- Demand Loans Due

c) Various collection actions viz. Auto E-mail/SMS, IVR Calls, Call Centre Calls, Branch Calls and Branch officials visits are being made inorder to improve the collection efficiency in accounts.

d) As a part of stressed asset management, default assets of Rs. 5 crore and above weekly reporting done to RBI at Central Repository of Information on Large Credit (CRILC) platform and monitored on daily basis.

e) NPA Tracker through mobile application has been introduced for monitoring stressed and NPA accounts at base level.

14.3 जमीनी स्तर पर कामकाज में सुधार करने के लिए, बैंक ने निम्नलिखित कार्यनीति और दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

क) क्रेडिट मॉनिटरिंग 2021-22 के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है और निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे लागू किया गया है।

ख) टीईवी सलाहकारों के पैनल के लिए नीति को संशोधित किया गया और लागू किया गया।

ग) स्टॉक एंड बुक डेट ऑडिटर्स के पैनल बनाने और नियुक्ति करने के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया उसे लागू किया गया।

घ) क्रेडिट सुविधा के प्रसंस्करण के दौरान प्राथमिक और संपार्श्विक दोनों प्रतिभूतियों के रूप में पेश की गई संपत्तियों के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल की नीति संशोधित की गई और लागू की गई।

ङ) 250.00 करोड़ रुपए से अधिक के एक्सपोजर वाले बड़े उधार खातों की विशेषीकृत निगरानी और प्रभावी निगरानी के लिए एजेंसियों की नियुक्ति को बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद संशोधित किया गया।

च) 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के दबावग्रस्त खातों की सीधी निगरानी कार्यकारी निदेशक (ईडी) की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा पाक्षिक आधार पर की गई थी।

15. जोखिम प्रबंधन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और रिटर्न के बीच उचित तालमेल करके कॉर्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करना है। बैंक में जोखिम प्रबंधन में जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम माप और जोखिम शमन शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभप्रदता और पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।

बैंक विभिन्न जोखिमों को उठाता है जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं। प्रमुख जोखिम में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम आदि हैं।

सतत और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है ताकि बैंक द्वारा लिए गए जोखिमों का उचित मूल्यांकन और निगरानी की जा सके। सभी उत्पादों, प्रक्रियाओं और नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होने से पूर्व विभिन्न कार्यकारी स्तर की जोखिम समितियों (क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति और बाजार जोखिम प्रबंधन समिति) और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के माध्यम से रूट किया जाता है। बैंक ने एक जोखिम सलाहकार को नियुक्त किया है, जिसके पास नियामक के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन क्षेत्र में भी समृद्ध अनुभव है।

15.1 ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम का बोर्ड द्वारा अनुमोदित ढांचे के माध्यम से प्रबंधन किया जाता है जो नीतियों, प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग को निर्धारित करता है जो सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। क्रेडिट एक्सपोज़र में जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के लिए बैंक के पास एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचा है।

बैंक ने एक लचीला पोर्टफोलियो बनाने और पोर्टफोलियो एकाग्रता से जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उद्योगों, क्षेत्रों और उधारकर्ताओं में विवेकपूर्ण उच्चतम सीमाएं स्थापित की हैं। बैंक विभिन्न देशों, राज्य सरकारों, समूह उधारकर्ताओं आदि से जुड़े जोखिमों का भी आंकलन करता है और एक्सपोज़र कैप निर्धारित करता है। उन्नत एक्सपोज़र

14.3 To improve upon functioning at the grass root level, bank has devised following strategic policy and guidelines:

a) Operational guidelines for Credit Monitoring 2021-22 has been updated and put in place after obtaining approval of the members of Board of Directors.

b) Policy for empanelment of TEV consultants has been revised and put in place.

c) Guidelines for empanelment and appointment of Stock & Book Debt auditors has been revised and put in place.

d) Policy for empanelment of valuers for the properties offered as securities, both primary and collateral while processing of credit facility has been revised and put in place.

e) Engagement of Agencies for Specialized Monitoring and effective monitoring of Large Borrowal accounts with exposure above Rs 250.00 Crores has been revised after obtaining approval of the Board.

f) Stressed accounts of Rs 5.00 Cr and above was directly monitored by High Power Committee (HPC), headed by Executive Director (ED) on fortnighly basis.

15. RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the Banking business and the Bank aim to achieve the corporate goal by appropriate trade-off between Risk and Returns. Risk Management at Bank includes risk identification, risk assessment, risk measurement and risk mitigation, with its main objective being to minimise the negative impact on profitability and capital.

Bank is exposed to various risks that are inherent part of any banking business. The major risks are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk and Operational Risk.

To ensure sustainable and consistent growth, Bank has framed a sound risk Management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. All the products, processes and policies are routed through the various Executive Level Risk Committees (Credit Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee and Market Risk Management Committee) and the Risk Management Committee of the Board (RMCB) before being approved by the Board of Directors. The Bank has on-boarded a Risk Advisor, Who has rich experience in Regulatory as well as in Risk Management area.

15.1 Credit Risk Management

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in line with best practices. Bank has a strong credit appraisal and risk management framework for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers with an objective to build a resilient portfolio and de-risk from portfolio concentration. The Bank also assesses risks associated with various Countries, State Governments, Group Borrowers etc. and setting exposure caps. As a part of enhanced exposure monitoring, quarterly reviews

मॉनिटरिंग के एक भाग के रूप में, बैंक के प्रमुख एक्सपोज़र, खंडों, उद्योगों और क्षेत्रों की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। एक समर्पित केडिट जोखिम प्रबंधन सेल पोर्टफोलियो प्रदर्शन पर प्रभाव का आकलन करने और सक्रिय उपचारात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश करने के लिए आंतरिक और बाहरी गतिविधियों पर नज़र रखता है।

एक बेहतर केडिट संस्कृति और अच्छी तरह से संरचित केडिट अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

बैंक ने रिटर्न तथा स्टेकधारकों के मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजनामूलक रिटेल ऋणों से इतर रू.100 करोड़ और उससे अधिक के ऋण प्रस्तावों के लिए पूंजी पर जोखिम संयोजित रिटर्न (आरएआरओसी) की गणना अनिवार्य कर दी है।

ऋण प्रस्तावों के स्वतंत्र जोखिम आधारित मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक अपनी केडिट जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से उधारकर्ता को निम्न/मध्यम/उच्च जोखिम वर्ग में वर्गीकृत करता है।

15.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित किया (ओआरएमएफ) है। परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे में परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना, शासन संरचना, नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल है जबकि परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण और शमन में उपयोग की जाने वाली प्रणाली शामिल है।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक हानि डेटा का एक भंडार बनाया है। नियंत्रण परिवेश को मजबूत करने के लिए विभिन्न हानि की घटनाओं के मूल कारण का विश्लेषण किया जा रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निष्कर्षों को फील्ड के अधिकारियों को परिपत्रित किया जाता है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) लागू किया है जिसका उपयोग प्रमुख परिचालन जोखिम की पहचान करने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता की डिग्री का आकलन करने के लिए किया जाता है। आरसीएसए निष्कर्षों के आधार पर नियंत्रण अंतराल को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त जोखिम शमन रणनीतियाँ तैयार की गई हैं।

कारोबारी इकाइयों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन हेतु जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय के साथ समन्वय के लिए प्रत्येक अंचल में जोखिम अधिकारियों को नामित किया गया है।

15.3 बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम का तात्पर्य बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की कीमतों में प्रतिकूल बदलाव के कारण कमाई या आर्थिक बाजार मूल्य के नुकसान से है। विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन काफी हद तक ब्याज दरों, विनिमय दरों, आर्थिक विकास और कारोबारी साख जैसे कारकों में परिवर्तन पर निर्भर करता है। बैंक के पास अपने कोषीय कार्यों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियां हैं जो विभिन्न बाजार जोखिम परिचालन का कार्य करती हैं।

बैंक दैनिक आधार पर संशोधित अवधि, पीवी01 और वीएआर के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर जोखिम को मापता है। विदेशी मुद्रा जोखिम को दैनिक आधार पर नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट्स (एनओओपी), वीएआर लिमिट, एजीएल (एग्रीगेट गैप लिमिट), व्यक्तिगत गैप लिमिट के

are carried out for the Bank's key exposures, segments, industries and sectors. A dedicated Credit Risk Management Cell tracks internal & external developments to assess impact on the portfolio performance and recommend pro-active remedial actions.

Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

The Bank has made computation of 'Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)' for all credit proposals of Rs.1.00 Crore and above mandatory, other than retail schematic loans for prudent use of Capital in terms of Return and addition of economic value to the stakeholders.

In order to ensure independent risk based assessment of credit proposals, Bank through its Credit Risk Evaluation Process, classifies borrower into low/medium/high risk.

15.2 Operational Risk Management

Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) for effective management of Operational Risk. Operational Risk Management Framework comprises of the organizational structure for management of Operational Risk, governance structures, polices, procedures and processes whereas Operational Risk Management System consists of the system used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating Operational Risk.

The Bank has created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management. Root Cause Analysis for the various loss events is being carried to strengthen the control environment and the findings are circulated to the field functionaries for avoiding such incidence from recurring in the future.

Bank has implemented Risk Control & Self-Assessment (RCSA) which is used to identify key Operational Risk and assess the degree of effectiveness of the internal control. Based on the RCSA findings suitable risk mitigation strategies are devised to plug in the control gaps.

Risk Officers have been designated in each zone for co-ordinating with Risk Management Department, Head Office to support and manage various types of risk emanating from Business units.

15.3 Market Risk Management

Market risk implies the risk of loss of earnings or economic market value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as Interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertakes various market its risk operations.

Bank measures Interest Rate Risk in its trading book through Modified Duration, PV01 and VaR on a daily basis. Foreign Exchange Risk is also measured in terms of Net Overnight Open Position Limits (NOOP), VaR limit, AGL (Aggregate Gap

संदर्भ में भी मापा जाता है। वीएआर और पोर्टफोलियो आकार सीमा को हमारे पोर्टफोलियो की निगरानी के साथ लेनदेन स्तर, स्टॉप लॉस वार और डीलर वार सीमा स्तर पर मापा जाता है।

बाजार जोखिम से जुड़े सभी मापदंडों की बैक-टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग नियमित आधार पर की जा रही है।

तनाव परीक्षण ढांचे के तहत, बैंक अपने ट्रेडिंग बुक पोर्टफोलियो के साथ-साथ तिमाही आधार पर दर संवेदनशील परिसंपत्ति और देनदारियों के बीच असंतुलन के कारण बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम पर व्यापक जाँच करता है जो आम तौर पर बाजार में ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंकों की कमाई/इक्विटी को प्रभावित करता है। हम बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिमों को मापने के लिए पारंपरिक अंतर विश्लेषण के साथ-साथ अवधि अंतर दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं।

वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) एक उपकरण है जिसका उपयोग बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जोखिम की निगरानी के लिए किया जाता है। आपके बैंक के उद्यम-स्तरीय वीएआर की गणना और पश्चपरीक्षण दैनिक आधार पर किया जाता है। बाज़ार जोखिम के लिए स्ट्रेस्ड वीएआर की गणना भी रोज होती है। इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति और ढांचे द्वारा यह पूरित किया गया है जो तनाव के नुकसान को मापने और उपचारात्मक उपाय शुरूकरने के लिए विभिन्न बाजार जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है।

आपके बैंक के बाजार जोखिम पूंजी शुल्क की गणना नियामक कारकों को लागू करते हुए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) का उपयोग करके की जाती है।

बैंक अपने घरेलू और विदेशी पोर्टफोलियो का जोखिम-समायोजित प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। यह निर्णय लेने के एक उपकरण के रूप में गैर-एसएलआर बांडों के केडिट रेटिंग माइग्रेशन का भी विश्लेषण करता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन में प्रयुक्त मॉडल को बाहरी एजेंसी द्वारा भी मान्य किया जाता है।

15.4 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित बहिर्वाह को वहन करने की क्षमता का नाम है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति के अनुसार बैंक प्रवाह और स्टॉक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने तरलता जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक ने एलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात), तरलता निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानकों के रूप में तरलता मानकों के लिए बेसल III ढांचे को लागू किया है और भार रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति के पर्याप्त स्तर के रखरखाव को सुनिश्चित करता है जिसे 30 कैलेंडर दिनों के समय के लिए चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एनएफएसआर (निवल स्थिर निधि अनुपात) बैंको से अपेक्षा करते हुए कि व ने सतत रुप से अपने क्रियाकलाप के लिए निधि के स्यिरतर स्रोत से निधीपन करें लंबे समय के लिए नमनीयता को बढ़ावा देना है। बैंक एनएसएफ़आर को विनियामक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर बनाए रख रहा है।

बैंक के भीतर और साथ ही बाजार में दबाव के माहौल की स्थिति में अपनी निधीयन की स्थिति को समझने के लिए बैंक विभिन्न दबाव परिदृश्यों के तहत अपनी चलनिधि की स्थिति का भी आकलन करता है।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) दर संवेदनशील आस्तियों और दर संवेदनशील देयताओं के बीच असंतुलन के कारण

Limit), Individual Gap Limit on daily basis. VaR and portfolio size limit are measured along with monitoring of our portfolio at transaction level, stop loss wise and dealer wise limit.

Back-testing and Stress Testing of all the parameters associated with Market Risk are being done on regular basis.

Under stress testing framework, Bank conducts comprehensive stress of its trading book portfolio as well as interest rate risk in the banking book due to mismatch between rate sensitive asset and liabilities on quarterly basis, which generally impact the earnings/ Equity of the banks with the change in the interest rate in the market. We use Traditional Gap analysis, as well as Duration Gap approach to measure interest rate risks in Banking Book.

Value at Risk (VaR) is a tool used for monitoring risk in the Bank's Trading Portfolio. The Enterprise-level VaR of your Bank is calculated and back tested on daily basis . The stressed VAR for Market Risk is also computed daily. This is supplemented by a Board-approved Stress Testing Policy and framework that simulates various Market Risk scenarios to measure stress losses and initiate remedial measures.

The Market Risk Capital Charge of your Bank is computed using the Standardised Measurement Method (SMM), applying the regulatory factors.

Bank undertakes risk-adjusted performance analysis of its domestic and overseas portfolios. It also analyses the credit rating migration of non-SLR bonds as a tool for decision making.

Model used in Market Risk Management is also validated by External Agency.

15.4 Liquidity Risk Management

Liquidity risk is the ability to meet expected and unexpected outflows at reasonable cost. Bank monitors its liquidity risk through flow and stock approach in accordance with Board approved ALM Policy.

Bank has implemented the BASEL III framework for Liquidity Standards as LCR (Liquidity Coverage Ratio), Liquidity Monitoring tools and LCR disclosure standards and ensures maintenance of adequate level of unencumbered High Quality Liquid Asset which can be converted into Cash to meet liquidity needs for a 30 calendar days' time.

NFSR (Net Stable Funding Ratio) which promotes resilience over a longer term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an on-going basis. Bank is maintaining NSFR above than regulatory specified ceiling.

Bank also assesses its liquidity position under various stress scenarios to understand its funding position in case there is stress environment within the Bank as well as in market.

Interest Rate risk in the Banking book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and rate sensitive

उत्पन्न होता है जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की कमाई / आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के मापन और निगरानी के लिए, बैंक पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर कमाई और संशोधित अवधि आधारित पहुँच जैसे जोखिम प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करता है। निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव का अल्पकालिक प्रभाव आय वक्र, आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और अंतर्निहित विकल्प जोखिम में समानांतर बदलाव को ध्यान में रखकर 'जोखिम पर कमाई' दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार किया जाता है। इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से ब्याज दर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव को मापा और मॉनिटर किया जाता है।

15.5 क्रेडिट रेटिंग

किसी भी क्रेडिट प्रस्ताव में क्रेडिट जोखिम का स्तर जानने के लिए, बैंक 25 लाख रुपए (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण के अलावा) से अधिक एवं कृषि व एमएसएमई क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए 1.00 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव का रेटिंग करता है।

बैंक ने अक्टूबर, 2023 से अपनी क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया को अपग्रेड कर दिया है। नए मॉडल में डिफ़ॉल्ट पूर्वानुमानशीलता बेहतर होने के साथ-साथ बाहरी रेटिंग के अनुरूप भी है।

क्रेडिट रेटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए क्रेडिट प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोर कार्ड मॉडल के आधार पर किया जाता है। बाहरी एजेंसी द्वारा सत्यापन के बाद स्कोर कार्ड मॉडल को पुनः अंशांकित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) ऋण के लिए हामीदारी प्रक्रिया को मानकीकृत करना था। स्कोर कार्ड मॉडल उधारकर्ता की साख का आकलन करने के लिए उसकी कई वित्तीय और गैर-वित्तीय विशेषताओं को मिलाकर एकल स्कोर बनाने हेतु तकनीक का उपयोग करता है। वर्तमान में बैंक 1.00 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 19 स्कोर कार्ड मॉडल का उपयोग कर रहा है।

15.6 कपट जोखिम प्रबंधन

बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सेल है जो धोखाधड़ी जोखिम का प्रबंधन करता है और आरबीआई को रिपोर्ट करने के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करना सुनिश्चित करता है।

बैंक ने धोखाधड़ी के तत्व के आधार पर खाते/घटना को धोखाधड़ी घोषित करने के लिए कार्यकारी समिति - धोखाधड़ी जोखिम रिपोर्टिंग और निगरानी (सीओई-एफआरआरएम) का गठन किया है। धोखाधड़ी के मूल कारण का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जहां भी आवश्यक हो, नियंत्रण लागू किया जाता है।

बैंक का धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (एफएमजी) संभावित धोखाधड़ी का समय पर पता लगाने के लिए इसे रेड फ्लैग खाते के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उधारकर्ता के खाते में रिपोर्ट किए गए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का विश्लेषण कर रहा है।

इसके अलावा, बैंक ने संभावित धोखाधड़ी का समय पर पता लगाने के लिए जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) सहित उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईएफआरएमएस) लागू की है। ईएफआरएमएस के बेहतर अलर्ट निपटान के लिए इसके संचालन को 24x7 आधार पर बढ़ाया गया है।

15.7 धारणीय विकास

बैंक जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को समझता है और ग्लोबल वार्मिंग को विश्वस्तर पर कारोबारों और आजीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में

liabilities which may adversely impact the earnings / economic value of the equity of the Bank with the change in Interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the bank uses risk management tools such as Traditional GAP analysis, Earning at Risk and Modified duration based approach. The short term impact of interest rates movement on Net interest Income (NII) is worked out through the "Earnings at Risk" approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The Long term of Interest rate movement is measured and monitored through change in Market Value of Equity.

15.5 Credit Rating

In order to access the level of credit risk in any credit proposal, Bank does rating of borrower with exposure greater than Rs. 25.00 Lacs (other than Schematic and Retail loans) and for MSME and agriculture proposal of more than Rs. 1.00 Crore.

Bank has upgraded its Credit rating process with effect from October, 2023. The New Model has better default predictability as well as more in line with External Rating.

Credit Proposal not covered under credit rating is assessed based on Score Card Model. Score Card Model was recalibrated after validation by External Agency. The main objective was to standardize the underwriting process for Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending. Score card model uses technique combining several financial and non-financial characteristics to form a single score to assess borrower's creditworthiness. Presently Bank is using 19 Score Card Models for loans upto Rs. 1.00 Crore.

15.6 Fraud Risk Management

Bank has in place Fraud Risk Management cell which manages the fraud risk and ensure reporting to RBI as well as lodging of Complaint with Law Enforcement Agencies.

Bank has constituted Committee of Executive - Fraud Risk Reporting and Monitoring (CoE-FRRM) for declaration of account/incidence as fraud based on the element of fraud. Root cause Analysis of frauds is being conducted and Control is implemented wherever needed for avoiding such incidence from recurring in the future.

Bank's Fraud Management Group (FMG) is analysing the reported Early Warning Signals in borrower's account for classification it as red Flag account for timely detection of potential fraud.

Further, Bank has implemented Enterprise Fraud Risk Management System (EFRMS) comprising of Risk Based Transaction Monitoring System (RTMS) for timely detection of potential fraud. The EFRMS operations have been augmented to cover 24x7 alert disposals.

15.7 Sustainable Development

The Bank acknowledges the urgency of climate change and recognize global warming as one of the most significant threats

से एक मानता है। आज जलवायु परिवर्तन का जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। बैंक जलवायु परिवर्तन के जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने बैंकिंग परिचालन के धारणीय विकास की दिशा में सचेत रूप से काम कर रहा है। ऋण नीति के अनुसार, बैंक ओडीएस (ओजोन क्षयकारी पदार्थ) का उपभोग/उत्पादन करने वाले उद्योगों को ऋण और अग्रिम देने पर रोक लगाता है जो ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाता है।

बैंक ने अपने कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, यथाः

I. बैंक के दो कार्यालय सौर ऊर्जा से संचालित हैं जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।

II. बिजली की खपत कम करने के लिए अधिकांश शाखा परिसरों/ कार्यालयों में एलईडी लाइट का उपयोग किया गया है।

III. बैंक कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को से स्वच्छता के लिए 'स्वच्छता पखवाड़ा' आयोजित कर रहा है।

15.8. आईटी पहल

धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सक्रिय उपाय करने के लिए, बैंक जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली में अंतर्निहित विभिन्न पूर्व-परिभाषित नियमों जैसे ईएफआरएमएसके आधार पर वास्तविक समय या वास्तविक समय के निकट खातों में लेनदेन की निगरानी कर रहा है। वर्ष के दौरान, सभी ऑनलाइन चैनलों यानी यूपीआई, एटीएम/पीओएस/ईकॉमर्स,मोबाइल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग और एईपीएस में 24x7 अलर्ट मॉनिटरिंग को कवर करने के लिए ईएफआरएमएस संचालन को बढ़ाया गया था। बैंक ने एकीकृत ईएफआरएमएस - आईवीआर अलर्ट निपटान मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को एटीएम और ईकॉमर्स लेनदेन के दौरान विषम समय में स्वचालित कॉल प्राप्त होती है और वे स्वयं लेनदेन को प्रमाणित या अस्वीकार कर सकते हैं। बैंक मौजूदा ईएफआरएम टूल को मजबूत करने के लिए एआई और एमएल आधारित जोखिम स्कोरिंग मॉडल पेश करने पर विचार कर रहा है

16. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

वित्त वर्ष 2023-24 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलें हैं:

क) **यूको टैब बैंकिंग समाधानः** ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को समृद्ध करने और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से, बैंक ने यूटीबीएस (यूको टैब बैंकिंग सॉल्यूशन) लागू किया है। अब ग्राहक बचत, चालू, एफडीआर, आवर्ती जमा (आरडी), वरिष्ठ नागरिक बचत खाता (एससीएसएस) खोलने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और टैब बैंकिंग समाधान के माध्यम से तुरंत चेक बुक के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ख) **बैंक की नई पुनर्सज्जित वेबसाइटः** बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को अधिक सुविधायुक्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए उसे नया रूप दिया है।

ग) **वाहन पोर्टल के साथ एकीकरणः** वाहन प्रोडक्सन परिवेश के साथ एपीआई घटकों का एकीकरण पूरा हो गया है। वाहन एक सरकारी पोर्टल है जो वाहन पंजीकरण, परमिट और कराधान आदि से संबंधित व्यापक सेवाएं प्रदान करता है।

घ) **जनसमर्थ पोर्टल के साथ एकीकरणः** बैंक ने जनसमर्थ पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है। यह पोर्टल लाभार्थियों को केडिट से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता का डिजिटल रूप से पता लगाने और डिजिटल अनुमोदन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

ङ) **सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए केडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना) पोर्टल के साथ एकीकरणः** बैंक ने इस योजना के तहत

to businesses and livelihood globally. Climate change risk has become a crucial challenge to the financial industry of late. The Bank is committed to reducing the impact of climate change risk and is consciously working towards sustainable development of its banking operation. As per lending policy, Bank prohibits Loans and advances to industries consuming / producing ODS (Ozone Depleting Substance) which enables in reduction of greenhouse effect.

The Bank has taken several steps to reduce its carbon emission and minimize energy consumption namely:

I. Bank's two offices are powered by solar energy resulting in reduction in power consumption and in carbon emission.

II. LED light have been used in most of the branch premises/ offices to reduce electricity consumption.

III. Bank is conducting "Swachhata Pakhwada" for cleanliness by involving active participation of employees.

15.8. IT initiatives

In order to have proactive measure for fraud prevention, Bank is monitoring transactions in accounts on real time or near real time based on various pre-defined rules in-built in the risk based transaction monitoring system Viz. EFRMS. During the year, EFRMS operations was augmented to cover 24x7 alert monitoring in all online channels i.e. UPI, ATM/POS/ECOM, MB, IB and AEPS. Bank has further launched the Integrated EFRMS - IVR Alert disposal module through which customers receive automated call during odd hour ATM and ECOM transactions and can either authenticate or decline a transaction by themselves. Bank is looking for introducing AI & ML based risk scoring models to strengthen the existing EFRMs tool.

16. DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

Major Initiatives Taken by Department of Information Technology in FY 2023-24 are:

a) **UCO Tab Banking Solution:** With an aim to enrich the customers' banking experience and ease of access to banking services, bank has implemented UTBS (UCO Tab Banking Solution). Now Customers can avail facilities such as opening of Savings, Current, FDR, Recurring Deposit (RD), Senior Citizen Savings Account (SCSS) and apply for cheque book instantly through TAB banking solution.

b) **Bank's new revamped Website:** Bank has revamped its corporate website to make it more feature rich and user friendly.

c) **Integration with VAHAAN Portal:** Integration of API components with VAHAAN production environment has been completed. VAHAAN is the government portal that provides wide range of services relating to vehicle registration, permit and taxation etc.

d) **Integration with Jansamarth Portal:** Bank has completed the integration with Jansamarth Portal. This portal facilitates beneficiaries to digitally ascertain the eligibility for Credit linked Government Schemes and receive digital approval.

e) **Integration with CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise) portal:** Bank has

गारंटी कवरेज प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए सीजीटीएमएसई पोर्टल के साथ एकीकरण किया है।

च) **सरसाई पोर्टल के साथ एकीकरणः** सरसाई पोर्टल के साथ एकीकरण, सीबीएस और सरसाई सिस्टम के बीच वास्तविक समय एकीकरण सुनिश्चित करता है जो बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। इससे सरसाई में डेटा की बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा हितों का निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित होगा।

छ) **जनसुरक्षा पोर्टल के साथ एकीकरणः** बैंक ने जनसुरक्षा पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है। यह प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के नामांकन और दावा निपटान प्रक्रिया को स्वचालित करेगा।

ज) **मोबाइल डिवाइस प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयनः** इसे बैंक के ईमेल डोमेन का उपयोग करके इंटरनेट पर एक्सेस किए गए मोबाइल डिवाइस पर बैंकों के डेटा की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है।

झ) **यूडीजीएएम (अनक्लेमड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन) पोर्टल के साथ एकीकरणः** भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे बैंक ने सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है, जहां अदावी राशि के बारे में सारी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इस पोर्टल की मदद से जमाकर्ता अपनी अदावी जमा राशि से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

ञ) **केसीसी-आईएसएस पोर्टल के साथ एकीकरणः** यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा केसीसी के किसानों/उधारकर्ताओं के विस्तृत डेटा को एकत्र/पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें स्वीकृत ऋण और बैंकों के पात्र ब्याज छूट दावों के बारे में जानकारी शामिल है।

ट) **ऑनलाइन मृत्यु दावा मॉड्यूलः** मृत्यु का दावा अब दावेदारों द्वारा बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन मृत्यु दावा पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।

ठ) **सीटीएस वन नेशन वन ग्रिड परियोजना का कार्यान्वयनः** चेन्नई सेवा शाखा 16 अक्तूबर 2023 से वन नेशन वन ग्रिड परियोजना के अंतर्गत ग्रिड शाखा बनी है। आवक और जावक समाशोधन केवल चेन्नई सेवा शाखा के माध्यम से किया जा रहा है।

ड) **मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ एकीकरण (एमजीवीसीएल):** बैंक ने एमजीवीसीएल के साथ एकीकरण किया है ताकि एमजीवीसीएल के उपभोक्ता यूको बैंक शाखा में जा सकें और नकद या स्तंतरण के माध्यम से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकें।

ढ) **एनईएसएल डीडीई प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉकर समझौते का निष्पादनः** इस प्रक्रिया से ग्राहक कहीं से भी अपने आधार विवरण का उपयोग करके लॉकर अनुबंध निष्पादित कर सकता है, उसे शारीरिक रूप से शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है।

ण) लॉकर के लिए आवेदन और लॉकर समझौते के निष्पादन हेतु ऑनलाइन सुविधा का विकास करनाः

- यूको बैंक में लॉकर सुविधाओं का लाभ उठाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति यूको बैंक की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकता है
- ग्राहकों/बैंक में नए (एनआईबी) ग्राहकों के लिए अलग वर्कफ़्लो डिज़ाइन किया गया है।
- किसी चयनित शाखा में लॉकर के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक अपने वार्षिक किराए के साथ खाली लॉकर की स्थिति की जांच कर सकता है।

integrated with CGTMSE portal to automate the process of obtaining guarantee coverage under this scheme.

f) **Integration with CERSAI portal:** Integration with CERSAI portal to provide a better end user experience, ensure real time integration between CBS & CERSAI systems. This will ensure enhanced quality of data and seamless registration of security interest at CERSAI.

g) **Integration with Jansuraksha portal:** Bank has completed integration with Jansurakhsa portal. This will automate enrolment and claim settlement process of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY) scheme.

h) **Implementation of Mobile Device Management Solution:** This is implemented to safeguard Banks' data on mobile device accessed over internet using Bank's email domain.

i) **Integration with UDGAM (Unclaimed Deposit Gateway to Access Information) portal:** RBI has launched this centralized web portal, which Bank has successfully integrated, where all the information regarding unclaimed amount will be available at one place. With the help of this portal depositors can view information relating to their unclaimed deposits.

j) **Integration with KCC-ISS portal:** This portal is developed by GOI to collect/access granular data of farmers/borrowers of KCC, including information about loan sanctioned and eligible interest subvention claims of the banks.

k) **Online death claim module:** Death Claims can now be lodged by claimants through Online Death Claim Portal hosted in Bank's Website.

l) **Implementation of CTS One nation One grid project:** One Nation One Grid project- 16th October 2023 onwards, Service Branch Chennai is being the National Grid Branch. Inward and outward clearing is being routed through Chennai Service Branch only.

m) **Integration with Madhya Gujrat Vij Company Ltd. (MGVCL):** Bank has integrated with MGVCL so that consumers of MGVCL can visit UCO Bank branch & pay their electricity bill through cash or transfer.

n) **Execution of Locker Agreement through NeSL DDE platform:** With this process customer can execute locker agreement using his aadhaar details from anywhere, no need to visit branch physically.

o) Development of Online facility for Application for Lockers & Execution of Locker Agreement:

- Anyone willing to avail locker facilities in UCO Bank can apply from the UCO Bank Website also.
- Separate workflow for Customers / New to Bank (NIB) Customers has been designed.
- Applicant can check vacant locker status along with their annual rent before applying for a locker in a selected Branch.

त) **व्यापक एवं एकीकृत वैश्विक ट्रेजरी प्रबंधन समाधान (सीआईजीटीएमएस):** बैंक सीआईजीटीएमएस को लागू करने की प्रक्रिया में है, जो बैंक की उपस्थिति के साथ सभी भौगोलिक क्षेत्रों में ट्रेजरी संचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी ट्रेजरी उत्पादों और आसपास के ट्रेजरी आईटी अनुप्रयोगों के लिए बाजार जोखिम समाधान के साथ-साथ बहु-मुद्रा लेनदेन का समर्थन करता है।

थ) **अगली पीढ़ी एनओसी (नेटवर्क संचालन केंद्र):** बैंक एनओसी समाधान लागू करने की प्रक्रिया में है। इसे मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है;

i. स्वचालित उपकरण - नेटवर्क में संचालन को संभालने के लिए

ii. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सक्रिय निगरानी और शमन।

iii. एनओसी को संभालने के लिए कुशल संसाधन - नेटवर्क से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए विशेष कुशल संसाधनों को तैनात किया जाएगा।

द) **आवेदन श्वेतसूचीकरण एवं समाधान:** एप्लिकेशन व्हाइटलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां सभी एंडपॉइंट पर एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर का विस्तार केंद्रीय रूप से की जाएगा और अंतिम उपयोगकर्ताओं को किसी भी एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल/अनइंस्टॉल करने से रोक दिया जाएगा।

ध) **आईटी आस्ति प्रबंधन समाधान:** आईटी आस्ति प्रबंधन समाधान का उद्देश्य केंद्रीकृत मंच के माध्यम से बैंक की आईटी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करना, ट्रैक करना और अनुरक्षण करना है।

न) **मेरा खाता मेरी पहचान:** खाता संख्या के लिए उपनाम नाम का चयन, कई अनुप्रयोगों या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए क्रिडेंशियल्स के एकल सेट की सुविधा प्रदान करना।

17. डिजिटल बैंकिंग

की गई प्रमुख पहल:

- **मर्चेंट केडिट कार्ड (एमसीसी) का आरंभ:**

  बैंक ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए मर्चेंट केडिट कार्ड (एमसीसी) लॉन्च किया। एमसीसी पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड के रूप में आसान वित्त, तत्काल नकद प्रदान करता है और साथ ही विभिन्न डिजिटल लेनदेन को आसानी से और सुरक्षित रूप से बढ़ाता है और सुविधा प्रदान करता है।

- **जारीकर्ता के रूप में एटीएम के माध्यम से आईसीसीडब्ल्यू (इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी) की सुविधा:**

  बैंक ने इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) सुविधा लागू की है, जो ग्राहक को स्मार्टफोन का उपयोग करके अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालने में सक्षम बनाती है।

- **यूपीआई में संवर्द्धन:**

  ➢ अंतर्राष्ट्रीय क्यूआर स्कैन के लिए यूपीआई ग्लोबल एक्वायरर मोबाइल ऐप

p) **Comprehensive & Integrated Global Treasury Management Solution (CIGTMS):** Bank is in the process of implementing CIGTMS, which supports multi-currency transactions, along with Market Risk Solution for all Treasury products and surrounding Treasury IT applications to cater the needs of Treasury operations across all Geographies with Bank's presence.

q) **Next Generation NOC (Network Operation Centre):** Bank is in the process of implementing NOC solution. This can be broadly divided into three parts;

i. Automated Tools - for handling operation in network.

ii. Through Artificial Intelligence proactive monitoring and mitigation.

iii. Skilled resource for handling the NOC - specialized skilled resources will be deployed for handling network related operations.

r) **Application Whitelisting & Solution:** Application whitelisting process aims to create an ecosystem where the deployment of the applications/software to all endpoints shall be done centrally and the end users shall be barred from installing/uninstalling any application/software.

s) **IT Asset Management Solution:** IT Asset Management solution aims to catalogue, track and maintain Bank's IT Assets through centralized platform.

t) **Mera Account Meri Pehchan:** Choice of Alias name for account number, facilitating single set of credentials for providing access to multiple applications or services.

17. DIGITAL BANKING

Major Initiatives Taken:

- **Introduction of Merchant Credit Card (MCC):**

  Bank launched Merchant Credit Card (MCC) for MSME borrowers in line with the announcement made by Hon'able Prime Minister. MCC provides easy finance in the form of Credit Card to eligible MSME borrowers, Instant Cash as well as augments and facilitates various Digital Transactions easily and securely.

- **Facility of ICCW (Interoperable Cardless Cash Withdrawal) through ATM as Issuer:**

  Bank has implemented Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) facility, which enables the customer to withdraw money through other Bank ATM by using smartphone.

- **Enhancement in UPI:**

  ➢ UPI Global Acquirer Mobile App for International QR scan

➢ भीम ऐप, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम ऐप में यूपीआई लाइट जारीकर्ता मोड

➢ यूपीआई लाइट ऑफलाइन(एक्स)ः

अब ग्राहक पिन का उपयोग किए बिना 500/- रुपए तक के छोटे मूल्य के लेनदेन कर सकते हैं। यह पूर्ण ऑफ़लाइन मोड में एनएफसी/ब्लूटूथ संचार के माध्यम से यूपीआई भुगतान के कुशल माध्यम से संभव हुआ है।

➢ संवादात्मक यूपीआईः

यह निर्बाध यूपीआई अनुभव के लिए कन्वर्सेशनल एआई संचालित भुगतान है। यह वॉयस कमांड को समझकर मानव जैसी प्रतिक्रियाओं को कार्यान्वित करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आईवीआर पर वॉयस कमांड का उपयोग करके सुरक्षित रूप से भुगतान शुरूऔर पूरा कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक 08045163778 पर कॉल करना सकते हैं।

- **महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्रः**

भारत सरकार द्वारा महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र का शुभारंभ किया गया है, जिसमें वैयक्तिक महिलाएं/नाबालिग लड़कियां आकर्षक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख. रुपए तक निवेश कर सकती हैं। बैंक ने बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है।

- निम्नलिखित के लिए एसटीपी (सीधे प्रक्रिया के माध्यम से) का सफरः

➢ पेंशन ऋण

➢ स्वर्ण ऋण टॉप-अप और पुनः गिरवी रखना

➢ ईटीबी और एनटीबी ग्राहकों के लिए संशोधित शिशु मुद्रा

- **जनसुरक्षा पोर्टल के साथ पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई नामांकनः**

बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के नामांकन के लिए जनसुरक्षा पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है।

- **इंटरनेट बैंकिंग के साथ नई प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली टीआईएन 2.0 का एकीकरणः** आयकर विभाग के निर्देशों के अनुसार बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को संशोधित कर संग्रह प्रणाली यानी कर सूचना नेटवर्क 2.0 (टीआईएन-2.0) के साथ एकीकृत किया है।

- बैंक के एसएनए एप्लिकेशन में राजस्थान एसएनए को जोड़ना

- ई-बैंकिंग पहचान (यूजर आईडी और पासवर्ड) अब ग्राहक के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजी जा रही है जो अब तक शाखाओं/ग्राहकों को भौतिक पिन मेलर के माध्यम से भेजी जाती थी।

- एचएनआई ग्राहकों को एएसबीए सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग में एचएनआई एएसबीए सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- चरणबद्ध तरीके से 361 नए एटीएम/कैश रिसाइक्लर की स्थापना

- चरणबद्ध तरीके से 500 नए पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क की स्थापना

➢ UPI Lite issuer mode in BHIM app, Gpay, PhonePe and Paytm app

➢ UPI Lite Offline(X):

Now Customers can send and receive small value transactions upto Rs 500/- without using PIN. This has been made possible by efficient mode of UPI payment through NFC/Bluetooth communication in complete offline mode

➢ Conversational UPI:

It is Conversational AI driven Payments for Seamless UPI Experience. It stimulates Human like responses by understanding voice command through which Users can securely initiate and complete payments using voice commands on IVR. Customers have to call at 08045163778 to avail the facility

- **Mahila Samman Savings Certificate:**

Mahila Samman Savings Certificate has been launched by Govt. of India wherein individual women/minor girls can invest upto Rs. 2 lakh for a period of 2 years at an attractive rate of interest. Bank has provided facility to apply for Mahila Samman Savings Certificate through Bank's Mobile Banking App.

- **STP (Straight Through Process) Journeys for:**

➢ Pension Loan

➢ Gold Loan Top-up and re-pledge

➢ Modified Shishu Mudra for ETB & NTB Customers

- **PMJJBY & PMSBY enrolment with Jansuraksha Portal:**

Bank has completed the integration with Janasuraksha Portal for enrolment of PMJJBY and PMSBY through Internet Banking and Mobile Banking.

- **Integration of new Direct Tax Collection system TIN 2.0 with Internet Banking:** Bank has integrated its Internet Banking platform with revamped Tax Collection System i.e Tax Information Network 2.0 (TIN-2.0) as per directions of Income Tax Department.

- On-boarding of Rajasthan SNA in Bank's SNA application

- E-Banking credentials (User ID & Password) are being sent to customer's registered e-mail id, instead of sending physical PIN Mailer to the branches/customers.

- HNI ASBA Facility has been made available in Internet Banking for enabling HNI customers to use ASBA facilities.

- Installation of 361 new ATM/Cash Recycler in phased manner

- Installation of 500 new Passbook Printing Kiosks in phased manner

- ग्रीन पिन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड हेतु भौतिक पिन मेलर सुविधा बंद कर दी गई है
- संशोधित यूको एमबैंकिंग प्लस को कार्ड व्यू के साथ उपलब्ध सरलीकृत उपयोगकर्ता अनुकूल जीयूआई के साथ शुरूकिया गया है, जो सकल स्क्रीन में सभी सुविधाओं को प्रदर्शित करता है और ग्राहकों को सुविधा बढ़ाने और आसान नेविगेशन के लिए एक अद्वितीय यूआई/यूएक्स अनुभव प्रदान करता है।
- मोबाइल बैंकिंग में ही यूपीआई सुविधा प्रदान करके उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए मोबाइल बैंकिंग के साथ यूपीआई एसडीके एकीकरण।
- संशोधित व्हाट्सएप बैंकिंग 5 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, 3 क्षेत्रीय भाषाओं सहित) में उपलब्ध है और इसमें खाता जानकारी, डिजिटल खुदरा उत्पाद, ऋण के लिए आवेदन, डिजिटल व्यापारी, सरकार सुरक्षा योजना नामांकन, चेक बुक अनुरोध, टीडीएस प्रमाणपत्र आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
- इंटरनेट का उपयोग किए बिना आईवीआर चैनल (8045163777) के माध्यम से बेसिक फोन से भुगतान हेतु ग्राहकों के लिए यूपीआई 123 भुगतान सुविधा की शुरुआत।
- 93 पूल खातों वाले डेट प्लेटफ़ॉर्म पर 21 नए एनबीएफसी को ऑनबोर्ड करना।
- 56 पुराने रिटेल पूल और 26 पुराने एमएसएमई पूल सहित कुल 82 पुराने पूल को डेट प्लेटफॉर्म में अंतरित कर दिया गया।
- यूग्रो को-लेंडिंग में सीबीएस और एनबीएफसी के साथ एपीआई एकीकरण लागू किया गया है।

18. साइबर सुरक्षा

- बैंक ने अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) स्थापित किया है, जो 24*7 आधार पर संचालित होता है।
- बैंक सीधे सीईआरटी-आईएन और एनसीआईआईपीसी के संकट संप्रसार प्लेटफॉर्म (टीडीपी) के साथ जुड़ा है।
- हमारी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साझेदारी की है।
- बैंक के पास बैंक के सभी डेटा केंद्रों में आईटी सिस्टम के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन है। प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) द्वारा जारी किया गया है और बैंक को धारनीय लेखापरीक्षा के दौरान एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन विश्वास को बढ़ावा देता है और ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए चल रही प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- बैंक के पास साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना और सूचना सुरक्षा नीति है, जो बैंक के भीतर साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों और परिचालनों को दिशा और समर्थन प्रदान करती है। नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नीतियों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

- Physical PIN mailer facility for Debit Card is discontinued for promoting Green PIN generation
- Revamped UCO Mbanking Plus has been launched with Simplified user friendly GUI available with card view displaying all features in single screen providing a unique UI/UX experience for customers enhancing convenience and easier navigation.
- UPI SDK Integration with Mobile Banking to provide enhanced user experience by providing UPI facility in Mobile Banking itself.
- Revamped WhatsApp Banking is available in 5 languages (including Hindi, English, 3 regional languages) & houses features like Account Information, Digital retail products, Apply for Loans, Digital Merchant, Govt. security Scheme enroll, Cheque book request, TDS certificate etc
- Introduction of UPI 123 pay facility to customers for payment through basic phone through IVR channel (8045163777) without using Internet.
- Onboarded total 21 new NBFCs on the Debt Platform having 93 pool accounts.
- Migrated total 82 old pools including 56 old Retail pools and 26 old MSME pools in the Debt Platfom.
- API integration with CBS and NBFC has been implemented in UGro Co-Lending.

18. CYBER SECURITY

- Bank has set up State-of-the-Art Cyber Security Operations Center (CSOC), operational on 24*7 basis.
- Bank has directly integrated with Threat Dissemination Platform (TDP) of CERT-In and NCIIPC.
- To reinforce our Cyber Security capabilities, Bank's Cyber Security Operations Centre (CSOC) has forged a partnership with the Cyber Security Centre of Excellence, Govt. of West Bengal.
- Bank has ISO 27001:2013 certification for IT Systems across Data Centres of the Bank. The Certification has been issued by International Standards Organization (ISO) and Bank has undergone a stringent evaluation process by an independent third-party assessor during the sustenance audit. The ISO 27001:2013 certification fosters trust and demonstrates an ongoing commitment for safeguarding customer data.
- Bank has Cyber Security Policy, Information Security Policy and Cyber Incident Response & Recovery Management Policy & Cyber Crisis Management Plan, to provide direction and support for cyber security related functions and operations within the Bank. The policies are updated on periodic basis as per guidelines received from the Regulatory Authorities.

- मानव भेद्यता से उत्पन्न होनेवाले साइबर जोखिमों को दूर करने के लिए, बैंक विभिन्न साइबर जागरूकता पहलों और अभियानों के माध्यम से आपने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करता है।
    - ➢ 'फिशिंग एवं काउंटरमेजर्स' सुरक्षा जागरूकता पर हैंडबुक जैसी साइबर जागरूकता पुस्तिकाओं का प्रकाशन।
    - ➢ स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों के लिए आकर्षक कार्यशालाओं, संवादात्मक सत्रों और रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हर महीने के पहले बुधवार को 'साइबर जागृति दिवस' का मासिक आयोजन किया जाता है।
    - ➢ "साइबर सुरक्षा" जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.ucobank.com) पर 'साइबर सुरक्षा' के लिए कॉर्नर।
    - ➢ नए जुड़े ग्राहकों सहित स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता ईमेल निर्देशिका साझा करना।
    - ➢ दैनिक साइबर सुरक्षा युक्तियों के साथ-साथ साप्ताहिक जागरूकता शृंखला मेल और आंतरिक संदेश प्लेटफॉर्मो के माध्यम से साझा की जाती है।
    - ➢ कार्यालयों और शाखाओं के माध्यम से लाइव वेबिनार, ग्राहक बैठकों, जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
    - ➢ सोशल मीडिया पोस्ट, साइबर जागरूकता वीडियो, परामर्शी, रील, मीम्स को बारंबार अपलोड करने के साथ-साथ आईएसईए, सीईआरटी-इन, साइबरदोस्त आदि जैसे सरकारी पोस्टों को रीट्वीट करना।
    - ➢ शाखा और एटीएम परिसर, मेट्रो स्टेशन, डिजिटल डिस्प्ले यूनिट, प्रशिक्षण केंद्रों पर साइबर जागरूकता पोस्टर का प्रदर्शन।
    - ➢ एटीएम स्क्रीन और मोबाइल बैंकिंग ऐप,आधिकारिक वेबसाइट, ई-बैंकिंग पोर्टल, फिनेकल टिकर, आंतरिक एचआरएमएस पोर्टल, यूको ऑनलाइन पोर्टल, डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और स्क्रीनसेवर (एडी पीसी) आदि जैसे बैंक के डिजिटल चैनलों का उपयोग करके साइबर जागरूकता संदेशों का प्रदर्शन।
    - ➢ पुश सूचना, एसएमएस, ईमेल का उपयोग, 93.5 एफएम रेडियो स्टेशन के माध्यम से रेडियो जिंगल्स का प्रसारण।
    - ➢ साइबर घटनाओं का पता लगाने और रिपोर्ट करने में हमारे कर्मचारियों और ऑनसाइट तीसरे पक्ष के वेंडरों की तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर मॉक सोशल इंजीनियरिंग ड्रिल चलाना।

19. परिचालन एवं सेवा

बैंक ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने की आवश्यकता समझता है तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है ताकि ग्राहकों को लगे कि वे हमारे लिए मूल्यवान हैं । अत : बैंक ने वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. एआई और एमएल सक्षम नेक्स्ट जेन कॉल सेंटर समाधान यूको संपर्क 2.0 का शुभारंभ किया गया।

- To address cyber risks arising out of human vulnerability, Bank puts concerted efforts in raising cyber awareness of our staffs and customers through various cyber awareness initiatives and campaigns.
    - ➢ Publication of Cyber Awareness Booklets like 'Phishing & Countermeasures' and 'Handbook on Cyber Security Awareness'.
    - ➢ Monthly observance of "Cyber Jagrookta Diwas" on the first Wednesday of every month with engaging workshops, interactive sessions, and creative events are organized for staff members & customers.
    - ➢ "Cyber Security" Dedicated Corner at Bank's Official Website (www.ucobank.com) for dissemination of Cyber Security Awareness messages.
    - ➢ Sharing of Cyber Security Awareness Email Advisories to Staff Members and Customers including newly on-boarded customers.
    - ➢ Daily Cyber Safety Tips as well as Weekly Jagrookta Series are shared to employees through email and internal messaging platform.
    - ➢ Promoting of Live Webinar, Customer Meets, Awareness Events through Offices & Branches.
    - ➢ Frequent uploading of Social Media Post, Cyber Awareness Videos, advisories, reels, memes as well as Retweet of Government posts like ISEA, CERT-In, CyberDost etc.
    - ➢ Display of Cyber Awareness Posters at Branch & ATM Premises, Metro Station, Digital Display Unit, Training Centres.
    - ➢ Display of Cyber Awareness Messages using Bank's Digital Channels like ATM Screen & Mobile Banking App, Official Website, E-Banking Portal, Finacle Ticker, Internal HRMS portal, UCO Online portal, Desktop Background & Screensaver (AD PC) etc.
    - ➢ Usage of Push Notification, SMS, Email, Broadcasting of Radio Jingles through 93.5 FM Radio Station.
    - ➢ Conducting of mock social engineering drills on periodic basis to evaluate the promptness of our staffs and onsite third party vendors, in detecting and reporting cyber incidents.

19. OPERATION AND SERVICES

The Bank recognises the need for constant improvement in customer experience and aims to enhance the quality of customer service so as to ensure that our customers feel that they are valued. Bank has therefore taken the following initiatives for improvement in customer experience in the Bank during the year 2023-24:

1. AI & ML enabled Next Gen Call Centre Solution UCO Sampark 2.0 launched.

2. बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन लॉकर आवेदन की सुविधा और एनईएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉकर करार का निष्पादन।

3. ग्राहक खाते की करीब से निगरानी के लिए अग्रदूत के रूप में सीबीएस में न्यूनतम सीमा को लागू करना ताकि धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोका जा सके।

4. मृतक दावों के सुगम निपटान के लिए ऑनलाइन मृतक दावा निपटान पोर्टल की स्थापना।

5. ग्राहक आईडी में जोड़ने/संशोधन के दौरान सीबीएस में पैन के ऑनलाइन सत्यापन का कार्यान्वयन।

6. नए कासा खाते खोलने वाले ग्राहकों के बीच वितरण हेतु वेलकम किट की शुरूआत।

7. ग्राहक शिकायतों के मूल कारण की समीक्षा की गई और बढ़ती हुए शिकायतों को चिह्नित किया गया एवं तदनुसार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया में वांछित सुधार किया गया।

8. मुद्रा तिजोरियों की परिचालन दक्षता में सुधार।

9. सुलह प्रणाली में सुधार के माध्यम से प्रणाली और नियंत्रण में सुधार से बैंक को विफल लेनदेन से संबंधित विवादों के समाधान के लिए टैट को काफी हद तक कम करने में मदद मिली।

10. चेक जारी करने और अभिदान प्रक्रिया में सुधार।

11. ग्राहकों को केवाईसी दस्तावेजों में कोई बदलाव नहीं की दशा में एसएमएस और बैंक की वेबसाइट के माध्यम से पुनः केवाईसी की सुविधा।

बैंक ने ग्राहक सेवा में और सुधार लाने हेतु निम्नलिखित पहलें लागू की हैः

भविष्य की पहलः

1. वॉयस आईवीआर आधारित कॉल सेंटर समाधान।

2. संपर्क केंद्र और चैटबॉट के साथ एकीकृत ओजीआरएस को नया रूप दिया गया।

3. केंद्रीकृत जावक समाशोधन के साथ सीटीएस समाशोधन तंत्र में सुधार।

4. आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ ऑनलाइन नामांकन पंजीकरण सुविधा

5. ग्राहक आईडी में जोड़ने/संशोधन के दौरान आधार का तत्काल सत्यापन।

6. डिजिटल कतार प्रबंधन प्रणाली।

20. कार्यनीति आयोजनाः एमआईएस और एडीएफ कक्ष

बैंक के पास आंतरिक रिपोर्टिंग के साथ-साथ नियामक और विभिन्न वैधानिक निकायों आदि की रिपोर्टिंग के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है। इस क्षेत्र में शुरुआत की गई / लागू की गई प्रमुख नवीन सुविधाएँ निम्नलिखित हैं:

2. Facility for Online Locker Application through Bank's Website and Locker Agreement execution through NeSL platform.

3. Implementation of threshold limit in CBS as a precursor for close monitoring of customer account so as to prevent fraudulent transactions.

4. Set up of Online Deceased Claim Settlement Portal for hassle free settlement of deceased claims.

5. Implementation of Online Validation of PAN in CBS during on-boarding/ modification of Customer Id.

6. Introduction of Welcome Kit for distribution amongst customers opening new CASA accounts.

7. Root Cause Analysis of customer complaints conducted on continuous basis so as to identify the pain points and facilitate improvement in systems & procedures to prevent recurrence of such complaints.

8. Improvement in operational efficiency of currency chests.

9. Improvisation in system and control through augmentation of reconciliation system helping Bank to bring down TAT for resolution of disputes related to failed transactions, substantially.

10. Improvement in cheque issuance and delivery process.

11. Facility for Re-KYC to customers through SMS and Bank's Website for no change of KYC documents.

Bank is also implementing the following initiatives for further improvement in customer service:

Future Initiatives:

1. Voice IVR based Call Centre Solutions.

2. Revamped OGRS integrated with Contact Center and Chatbot.

3. Improvement in CTS clearing mechanism with centralized outward clearing.

4. Online Nomination Registration facility with Aadhaar based authentication

5. Real Time validation of Aadhaar during onboarding/ modification of Customer Id.

6. Digital Queue Management System.

20. STRATEGIC PLANNING: MIS & ADF CELL

Bank is having Management Information System (MIS) vertical for internal reporting as well as reporting to regulatory and various statutory bodies etc. The following are the new tools launched / Major Innovative features implemented:

क) ईडीडब्ल्यू और डेटा विश्लेषणात्मक परियोजना का कार्यान्वयन - यूको इनसाइट

निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए ईडीडब्ल्यू का कार्यान्वयनः

1. विभिन्न डेटा स्रोतों से डेटा के सामंजस्य द्वारा सत्य का एक एकल स्रोत।
2. डेटा विश्लेषणात्मक के लिए एक आधार बनाना।
3. डेटा सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित करना।

डेटा विश्लेषणात्मक का कार्यान्वयनः

1. ऐतिहासिक प्रवृत्ति विश्लेषण द्वारा त्वरित और कार्यनीतिक निर्णय लेने में शीर्ष प्रबंधन/बैंक की सहायता करना।
2. विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआईस) के लिए लक्ष्य के अंतर की लगभग वास्तविक छवि प्रस्तुत करना।
3. प्रवृत्ति विश्लेषण, अंतराल विश्लेषण आदि के लिए एक्सेल आधारित डेटा की अयांत्रिक तैयारी को हटाकर जनशक्ति लागत को काफी हद तक कम करना।
4. डेटा पर आधारित ऋण सुविधा (डीडीसीओ) ऋण अभिलेख, आय, खर्च के तरीके और जनसांख्यिकीय सूचना जैसे विभिन्न डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करके वैयक्तिकृत ऋण प्रस्ताव बनाने में मदद करेगा।

   क. खर्च करने योग्य आय, औसत शेष आदि निकालने के लिए मशीन लर्निंग।

   ख. लीड लेने के लिए लेन-देन के अभिलेख का विश्लेषण करके, अन्य बैंकों के साथ रखे गए ईएमआई आधारित ऋणों की पहचान करना।
5. चूक का पूर्वाभासः संग्रह कार्यनीति प्रवृत्ति मॉडल बकाया भुगतान के संबंध में ग्राहक के व्यवहार स्वरूप को समझने में मदद करेगा और बैंक को चूक की संभावना को कम करने के लिए संग्रह कार्यनीति बनाने में मदद करेगा।

ख) अंचल समीक्षा डैश बोर्ड का कार्यान्वयन

शीर्ष प्रबंधन को अंचल की समीक्षा करने में मदद करने के लिए एमआईएस पोर्टल में एक व्यापक उपयोगिता रिपोर्ट। यह पिछले महीने के अंत/तिमाही के अंत/वित्तीय वर्ष के अंत की तुलना में विभिन्न कारोबारी मानदंडों के तहत अंचलों द्वारा किए गए कारोबार की गतिविधि को दर्शाता है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैंः

- यह विभिन्न मानदंडों के तहत अंचलों के लिए पाक्षिक विकास पद्धति दिखाता है।
- यह लक्ष्य के आधार पर अंचलों की पैरामीटरवार समृद्धि दशा की स्थिति दिखाता है।

किसी भी अंचल की कारोबारी प्रोफ़ाइल में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह बैंक को संबंधित अंचलों के मुख्य क्षेत्रों को समझने में मदद करेगा।

ग) संसाधन डैशबोर्ड (लाइव) का कार्यान्वयन

संसाधन विभाग के आदेश पर एमआईएस विभाग द्वारा विकसित एक उपकरण। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः

- क्षेत्रबार ड्रिल डाउन के साथ बचन बैंक, चालु खाता, सावधि खाता, आवधि खाता, आरडीयूएसएस के संदर्य में खोले गए खाते तथा कुल जमा की लाइव पोजिशन

a) Implementation of EDW and Data Analytics project - UCO Insight

Implementation of EDW to provide:

1. A Single Source of Truth by harmonization of data from various data sources.
2. Create a base for Data Analytics.
3. Ensure Data Accuracy & Integrity.

Implementation of Data Analytics:

1. To help the Top management/ Bank in prompt and strategic decision making by historical trend analysis.
2. To give a near real time picture of gap to target for various Key Performance Indicators (KPIs).
3. Reducing the manpower cost significantly by removing manual preparation of the excel based data for trend analysis, gap analysis etc.
4. Data driven Credit Offer (DDCO) will help in creating personalized credit offers by analyzing various data points such as credit history, income, spending patterns & demographic information.

   a. Machine learning to draw disposable income, average balance etc.

   b. By analyzing the transaction history, identification of EMI based loans, maintained with other banks, for take over leads.
5. Prediction of Default: Collection Strategy propensity Model will help in understanding the customer's behavioural pattern regarding payment of dues and helping bank in making collection strategies to reduce probability of default.

b) Implementation of Zonal Review Dash board.

A comprehensive utility report in MIS portal to help the Top management to review the Zones. It showcases the movement of business done by the zones under various business parameters vis -a- vis previous month-end/ Quarter-end/FY end. The major features are:

- Shows the Fortnightly growth pattern for the zones under various parameters.
- Provides the status of parameter wise growth status of zones over the Target.

Provides an insight into the business profile of any zone and will help the bank to understand the focus areas for respective zones.

c) Implementation of Resource Dashboard (Live).

A tool developed by MIS department on the behest of Resources department. The major salient features are:

- Live position of No. of Accounts opened and total deposit w. r. t. SB, CA, TD, RD, RDUSS, along with region-wise drill down

- जमा का विवरणः अद्यतन घरेलू और विदेशी
- आज की तारीख में घरेलू जमा का द्विभाजन
- सीए में शीर्ष 5 अंचल (लाइव स्थिति)
- एसबी में शीर्ष 5 अंचल (लाइव स्थिति)
- एसबी में निचले 5 अंचल (लाइव स्थिति)
- बचत जमा राशि का परिपक्वता-वार द्विभाजन - ड्रिल डाउन के साथ
- जमा द्विभाजनः वाईटीडी
- बचत जमा का राशिवार वितरण
- ग्राहक प्रकार वार बचत जमा का वितरण।

घ) दैनिक व्यवसाय ट्रैकर का कार्यान्वयन।

यह एक स्वचालित उपकरण है जिसे अंचल/शाखाओं के प्रमुख मानदंडों के तहत दैनिक/आवधिक कार्य निष्पादन को दैनिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन के साथ साझा करने के लिए विकसित किया गया है।

ङ) 52 आवश्यक मानदंडों का उपयोग करके डेटा अपमार्जक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले 'यूको फोकस' पोर्टल का कार्यान्वयन।

यह विभिन्न नियामक/सांविधिक/आंतरिक नीति आधारित दिशानिर्देशों के अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा गुणवत्ता और अखंडता में सुधार करने के लिए एक ऑफसाइट टूल है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सीबीएस में डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए; प्रचलित प्रक्रिया में गैर-अनुपालन/त्रुटियों का सुधार करने के लिए।
- विनियामक/वैधानिक दंड से बचने के लिए।
- सिस्टम स्तर/नीति स्तर के हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए।

च) ग्राहक संपर्क पोर्टल का कार्यान्वयन।

मौजूदा/संभावित ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक उपकरण विकसित किया गया है जो ग्राहकों की जरूरतों/आकांक्षाओं को समझने और सेवाओं, उत्पादों और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने में मदद करता है।

21. कॉर्पोरेट संसूचना

बैंक हितधारकों के साथ संवाद में अपनी उच्च स्तर की पारदर्शिता और निरंतरता के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करता है और वास्तविक समय के आधार पर बैंक की वेबसाइटों के माध्यम से सूचना सहित स्पष्टता, सुसंगतता और विश्वसनीयता के साथ समय पर सूचना का प्रसार भी करता है। बैंक का उद्देश्य है निरंतर, सुसंगत और प्रासंगिक संदेशों के माध्यम से बाहरी तथा आंतरिक दोनों संचार साधनों के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करके अपनी गतिविधियों और विकास से सभी को सूचित करना, सहमत करना और साथ ले चलना।

बैंक ने विश्वस्तर के वित्तीय संस्थान की ब्रांड-छवि बनाने और बनाए रखने के लिए प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन, सीएसआर गतिविधियों और हितधारकों के लिए आवश्यक जानकारी के प्रसार जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई पहल की हैं।

- Breakup of Deposit: Domestic and Overseas as on Date
- Bifurcation of Domestic Deposit as on date
- Top 5 Zones in CA (Live position)
- Top 5 Zones in SB (Live position)
- Bottom 5 Zones in SB (Live position)
- Maturity-wise Bifurcation of savings deposit- With drill down
- Deposit Bifurcation: YTD
- Amount-wise Distribution of Savings Deposit
- Customer type-wise Distribution of Savings Deposit.

d) Implementation of Daily Business Tracker.

It is an automated tool developed to share the daily/periodic performance under key parameters of Zones/ branches to the top management on daily basis.

e) Implementation of 'UCO Focus' portal used for Data Cleansing purpose using 52 required parameters.

It is offsite tool to improve quality of compliances to various regulatory / statutory / internal policy based guidelines and also to improve data quality & integrity. The major salient features are:

- Rectification of Non-compliance/ errors on an ongoing process; to improve the quality of data in CBS.
- To avoid regulatory/ statutory penalties.
- To identify System level / Policy level interventions.

f) Implementation of Customer Connect portal.

A tool developed to capture the feedback of existing/ prospective customers which helps in understanding the needs/ aspiration of the customers and improve services, products & customer satisfaction.

21. CORPORATE COMMUNICATION

Bank reinforces strong corporate reputation through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve one and all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools.

Bank has taken up multiple initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, sponsorship of different events, CSR activities and dissemination of requisite information to stakeholders to build and maintain the brand-image of a world class financial institution.

21.1 प्रचार अभियानः

आम जनता से जुड़ने के लिए प्रिंट मिडिया / आउटडोर मिडिया सबसे प्रभावी माध्यम है। बैंक ने होर्डिंग्स, कियोस्क, ट्रैफिक बूथ, बैनर, ट्रैफिक कोन, डिजिटल डिस्प्ले, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि के माध्यम से वर्ष भर सघन और जोरदार प्रचार अभियान चलाकर इसका प्रभावी उपयोग किया है।

बैंक के ब्रांड प्रचार के दौरान बैंक विभिन्न बैंकिंग उत्पादों जैसे गृह ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, स्वर्ण ऋण, जमा योजनाओं, डिजिटल उत्पादों, वीकेवाईसी आदि का प्रचार करना भी सुनिश्चित करता है।

21.2 82 वां स्थापना दिवस समरोहः

बैंक देश की सेवा करते हुए 6 जनवरी, 2024 को अपना गौरवशाली 81 वर्ष पूरा किया। उक्त समारोह पूरे देश में एवं विदेश स्थित केंद्रों में में पूरे उत्साह एवं जोश के साथ मनाया ग़या। पूरे भारत में हमारे सभी अंचल कार्यालयों एवं हमारी शाखाओं में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों यथा पौध रोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आदि आयोजित किए गए। धनधान्य ऑडिटोरियम, अलीपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयजित किया गया जिसमें पूरे भारत से हमारे स्टाफ सदस्यों ने भागीदारी की एवं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

21.3 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

बैंक यह विश्वास करता है कि सीएसआर क्रियाकलाप से मूर्त मूल्य का सृजन होता है। तथापि सीएसआर ग्राहकों एवं समाज के लोगों के मन में अनुकूल धारणा बनती है। इससे विद्यमान एवं भावी ग्राहकों में अपनापन एवं निष्ठा बढ़ती है।

बैंक का 27 आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) पूरे भारत में फैला हुआ है जो ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता के विकास हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनका कौशल विकास करता है।

कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियों का उल्लेख नीचे किया गया हैः

- इस्कॉन, बैंगलोर के अन्ना श्री कार्यक्रम द्वारा भोजन वितरण पहल में योगदान।
- अरुल्मिगु धनदायुथापानी स्वामी मंदिर, पलानी, तमिलनाडु के मंदिर प्रबंधन के तहत शैक्षणिक संस्थानों के लिए 10 कंप्यूटरों की खरीद के लिए योगदान।
- राज्य में हाल की प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, हिमाचल प्रदेश को योगदान।
- परिसर में दिव्यांग छात्रों, महिलाओं और आगंतुकों की आवाजाही के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को ई-रिक्शा का योगदान।
- आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवा उद्यमशीलता उत्कृष्टता को सशक्त बनाने और माइंड-टू-मार्केट यात्रा के सभी चरणों में प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्ट-अप का समर्थन करके व्यावसायिक विचारों को सफल उद्यमों में बदलने के लिए व्यावसायिक ऊष्मायन प्रक्रियाओं के दौरान उनकी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईक्रियेट के आधारभूत निधि में योगदान।

21.1 Publicity Campaigns:

Print Media/ Outdoor Media is an effective medium to connect to masses. The Bank has utilized it effectively by carrying out intensified and vigorous publicity campaigns throughout the year through hoardings, kiosks, traffic booths, banners, traffic cones, digital displays, magazines, newspapers etc.

During the brand publicity of the Bank, the Bank also ensures to publicize various banking products viz. Home Loan, Car Loan, Education Loan, Gold Loan, Deposit schemes, Digital Products, VKYC etc.

21.2 Celebration of 82nd Foundation Day:

The Bank completed 81 glorious years of service to the nation on 6th January, 2024. The occasion was celebrated with much enthusiasm and vigor across the country and overseas centers. Zonal Offices and branches across the country organized different activities viz. planting saplings, blood-donation camps, health check-up camps etc. A cultural programme was organized at Dhonodhanyo Auditorium, Alipore wherein staff members across the country participated and performed their talent.

21.3 Corporate Social Responsibility (CSR):

Bank believes that carrying out CSR activities help in tangible value creation. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of belongingness and loyalty in existing and prospective customers.

The Bank has 27 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) spread across country to impart training and skill up-gradation of rural youth geared towards entrepreneurship development.

Some of CSR activities highlights are mentioned as under:

- Contribution to food distribution initiative by Anna Sri program of ISKCON, Bangalore.
- Contribution for purchase of 10 computers for Educational Institutions under the temple management of Arulmigu Dhandayuthapani Swamy Temple, Palani, Tamil Nadu.
- Contribution for Chief Minister's Relief Fund, Himachal Pradesh for restoration of the losses due to the recent Natural Calamities in the State.
- Contribution of e-rickshaws to Bihar Agriculture University, Sabour for movement of differently abled students, women & visitors in the campus.
- Contribution towards iCreate's Corpus fund for fulfilling their operational requirements during the business incubation processes to empower the youth entrepreneurial excellence through innovation and technology towards the building of an Atmanirbhar Bharat & to transform business ideas into successful enterprises by supporting technology- led start-ups at all stages of a Mind- to-Market journey.

- सीएसआर के तहत ओडिशा पुलिस, सीआईडी विभाग द्वारा आयोजित 'साइबर सुरक्षा अभियान' ओडिशा, 2023 में दो जिलों यानी पुरी और जगतसिंहपुर में भागीदारी के लिए योगदान।
- समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के लिए चश्मे और कपड़ों के वितरण के लिए निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट को योगदान।
- महिला एवं बाल विकास, ओडिशा द्वारा होम इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग सेंटर (एचईटीसी), झारपाड़ा, लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर में कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए।
- बैंक के 82 स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता ब्लाइंड स्कूल को बेडशीट, बाल्टी, मग आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं दी गई।
- बैंक के 82 स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए एफएमआर, कोलकाता को योगदान।
- बैंक के एमएसएमई ग्राहकों के लिए समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए में पूर्णथा एंड कंपनी को योगदान।
- राम मंदिर, अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र (पीएफसी) के लिए कुर्सियों का योगदान।
- देशभर में बैंक के स्थापना दिवस सप्ताह 2024 के दौरान पौधारोपण।
- 6-सीटर ईवी कार्ट के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को योगदान।
- अंचल कार्यालयों के माध्यम से अन्य छोटी गतिविधियाँ।

21.4 यूको टावरः

बैंक गृह पत्रिका 'यूकोटॉवर' भी प्रकाशित करता है जिसमें सभी यूकोजन को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूको टॉवर का उद्देश्य सभी कर्मचारियों के बीच बैंक की सभी घटनाओं और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

21.5 सोशल मीडियाः

बैंक के सोशल मीडिया कक्ष ने कार्यनीतिक सामग्री निर्माण और सहभागिता पहलों के माध्यम से हमारे ब्रांड की उपस्थिति और दृश्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

सोशल मीडिया टीम हमारे लक्षित दर्शकों को प्रभावित करने वाले सम्मोहक और जानकारीपूर्ण पोस्ट तैयार करने में सक्रिय रही है। बैंक के अद्वितीय मूल्य प्रस्तावों और उत्पाद पेशकशों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करके, हमने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपने ब्रांड के बारे में सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई है।

ऑनलाइन एक सकारात्मक ब्रांड छवि बनाए व्यक्त रखने के महत्व को समझते हुए, हमारी टीम ने सोशल मीडिया चैनलों पर भावना पर चातुर्यपूर्ण नजर रखी है। ग्राहकों की पूछताछ का समय पर जवाब देने, दुविधाओं को दूर करने और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के माध्यम से, हमने भावनाओं को प्रभावी ढंग से संभाला है और हमारे ऑनलाइन समुदाय मे बैंक के प्रति एक अनुकूल धारणा विकसित की है।

कुल मिलाकर, सोशल मीडिया प्रयासों ने न केवल ब्रांड जागरूकता को बढ़ावा दिया है, बल्कि ग्राहक संबंधों को मजबूत करने और डिजिटल क्षेत्र में एक सकारात्मक ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है। जैसा कि हम आगामी वर्ष की ओर देख रहे हैं, हम अपने संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने हितधारकों को प्रधानता देने के लिए एक कार्यनीतिक उपकरण के रूप में सोशल मीडिया का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- Contribution for Partnering in the "Cyber Safety Campaign" Odisha, 2023, organized by Odisha Police, CID Department under CSR in two districts i.e. Puri and Jagatsinghpur.
- Contribution to Nimbark Math Seva Samiti Trust for distribution of spectacles and clothes for needy & vulnerable sections of the society.
- For setting up wellness centres in Home Economics Training Centre (HETC), Jharpada, Laxmisagar, Bhubaneswar by Women & Child Development, Odisha.
- Contribution of essentials like bedsheets, bucket mugs etc. to Kolkata Blind School on the eve of 82nd Foundation Day of Bank.
- Contribution to FMR, Kolkata for Health & nutrition on the eve of 82nd Foundation Day of Bank.
- Contribution to M/S Poornatha & Company for providing cohort training programme for Bank's MSME customers
- Contribution of Chairs for Public Facilitation Centre (PFC) for the devotees visiting Ram Mandir, Ayodhya
- Plantation of saplings during the Foundation Day Week 2024 of the Bank across the country.
- Contribution to Lucknow University for 6-Seater EV cart.
- Other small activities through Zonal Offices.

21.4 UCO TOWER:

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

21.5 Social Media:

The bank's social media cell has made significant strides in amplifying our brand presence and visibility through strategic content creation and engagement initiatives.

Social media team has been proactive in crafting compelling and informative posts that resonate with our target audience. By focusing on highlighting the bank's unique value propositions and product offerings, we have successfully raised awareness about our brand across various social media platforms.

Understanding the importance of maintaining a positive brand image online, our team has diligently monitored sentiment across social media channels. Through timely responses to customer inquiries, addressing concerns, and fostering positive interactions, we have effectively managed sentiment and cultivated a favorable perception of the bank among our online community.

Overall, social media efforts have not only bolstered brand awareness but have also contributed to strengthening customer relationships and fostering a positive brand reputation in the digital sphere. As we look ahead to the upcoming year, we remain committed to leveraging social media as a strategic tool for achieving our organizational objectives and delivering value to our stakeholders.

22. मानव संसाधन

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ऐसे विविध प्रकोष्ठ शामिल हैं जो अलग-अलग सेगमेंटों को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसे सारे कक्षों ने मिलकर एक सामंजस्य पूर्ण और काम करने का माहौल सृजित किया। स्टाफ के ज्ञान एवं कौशल संवर्धन/ समुन्नत करने के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

22.1 जनशक्ति प्रबंधन:

- 31 मार्च, 2024 को कुल स्टाफ की संख्या 21456 रही, जिसमें विदेशों में सेवारत कर्मचारी भी शामिल है। हमारे पास 13333 अधिकारी, 5873 लिपिक और 2250 अधीनस्थ स्टाफ हैं।
- कुल 21456 स्टाफ में से 4292 अनुसूचित जाति, 1780 अनुसूचित जनजाति, 5053 अन्य पिछड़े वर्ग और 305 आर्थिक रूप से पिछड़े हुए एवं 10.026 असंरक्षित वर्ग से हैं।
- कुल अधीनस्थ स्टाफ में से 522 बेंचमार्क अशक्तता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) और 1473 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है।
- 31 मार्च, 2024 के कुल कार्यबल में से महिला कर्मचारी 6190 है, जो 28.85% है।

22.2 औद्योगिक संधिवार्ता संबंध कक्ष:

इस अवधि के दौरान बैंक में प्रबंधन एवं यूनियन/ एसोसिएशन के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आपसी सहयोगात्मक दृष्टिकोण एवं सम्मानजनक रवैये से समय-समय पर यूनियन/ एसोसिएशन के बीच बैठकें एवं चर्चाएं हुईं।

22.3 भर्ती कक्ष:

वर्ष 2023-24 में, बैंक ने सामान्य और विशेषज्ञ वर्ग के तहत 428 अधिकारियों की भर्ती की है। जिनमें से 148 अधिकारी महिलाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 212 लिपिकों की भी भर्ती की गई है। कुल 212 लिपिकों में से 45 महिलाएँ हैं। बैंक ने सीआरपी-XIII के तहत 2024-25 के लिए 415 लिपिकों की भर्ती का भी प्रस्ताव रखा है।

22.4 प्रशिक्षण प्रकोष्ठ:

हमारे संगठन को सबसे गतिशील उद्योगों में से एक होने के नाते, संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपने श्रमशक्ति को निरंतर अद्यतन करके लगातार बदलते परिवेश के साथ चलते रहना है। अतएव प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉर्पोरेट विजन, मिशन को संरेखित करने और शीर्ष प्रबंधन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, 810 कार्यपालकों, 9635 अधिकारियों और 4408 अधीनस्थ स्टाफ, कुल 14853 स्टाफ सदस्यों को आंतरिक तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कोलकाता में स्थित हमारे सेंट्रल स्टाफ कॉलेज (सीएससी) और भारत भर के 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों और प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया। हमने प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईआईएम कोजिकोड,एनआईबीएम पुणे, बर्ड लखनऊ स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप कोलकाता, निब्सकॉम नोयडा, सीएबी(आरबीआई), आईआईबीएफ, सीएफआरएएल, मणिपाल विश्वविद्यालय, आईआईबीएम गुवाहाटी इत्यादि विभिन्न प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रायोजित करना जारी रखा है, जिसने उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मदद की है।

22. HUMAN RESOURCE

Human Resource Management Department comprises of various Cells looking after different segments. All these cells worked in tandem during FY 2023-24 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshop were organized for improving/enhancing the skills and knowledge of the staff.

22.1 Manpower Management:

- The Total staff strength as on 31st March, 2024 stood at 21456 employees including employees serving overseas. We have 13333 Officers, 5873 Clerks and 2250 Sub-Staff in our Bank as on 31-03-2024.
- Out of total staff of 21456, 4292 belong to SC, 1780 belong to ST, 5053 to OBC, 305 to EWS and 10,026 to UR category.
- Out of total staff, 522 employees are person with bench mark disability (PwBD) and 1473 belong to the Minority Communities.
- There are 6190 Women employees who constitute 28.85% of the Total Workforce as on 31st March, 2024.

22.2 IR Negotiation Cell:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/ Associations at periodic intervals through mutually co-operative attitude and respect during the financial year 2023-24.

22.3 Recruitment Cell:

In the year 2023-24, Bank has recruited 428 Officers under Generalist and Specialist Cadre. Out of which 148 officers are females. 212 clerks have also been recruited during the financial year 2023-24. Out of total 212 clerks 45 are females. Bank also proposes to recruit 415 clerks for 2024-25 under CRP-XIII.

22.4 Training Cell:

Our Organization, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programs in the concerned Fields. Training Programs are held aligning the corporate vision, mission and fulfilling the expectations of the Top Management.

In FY 2023-24, 810 Executives, 9635 Officers and 4408 Sub-Staff, totaling 14853 were trained in Internal & External Training Programs conducted at our Executive Training Centre, Kolkata, Central Staff College (CSC) situated at Kolkata and 6 other Regional Training Centers, across India and from Reputed External Training Institutions. We also continued to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like IIM Kozhikode, NIBM Pune, BIRD Lucknow, SBIL Kolkata, NIBSCOM Noida, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, Manipal University, IIBM Guwahati and various reputed external Training Institutes across the country which helped them in acquiring a global competitive edge.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे वार्षिक फॉरेक्स असेंबली, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, बैंकिंग अनुपालन पर अनुकूलित कार्यक्रम, कार्यस्थल सुरक्षा पर महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षा अधिकारियों का वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज मैनेजमेंट, डाटा विज़ुअलाइज़ेशन और एनालिटिक्स, निवारक सतर्कता पर कार्यक्रम, कमजोर कार्यनिष्पादकों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एकल कोचिंग तथा देशभर में अनेक कस्टमीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया।

सभी शाखाओं/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा/फिशिंग जागरूकता कार्यक्रम पर वेबिनार भी आयोजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 618 कर्मचारियों को बैंक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर मानदेय/प्रोत्साहन का भुगतान किया गया।

22.5 एपीएआर कक्षः

- **वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकनः** मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कार्यपालक को हर साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्य निष्पादन के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) जमा करना आवश्यक है। इसे समय रहते पूरा कर लिया गया है।'
- **वार्षिक संपत्ति रिटर्नः** प्रत्येक अधिकारी को हर साल 31 मार्च को वार्षिक संपत्ति रिटर्न विवरण जमा करना आवश्यक है और इसे समय पर पूरा किया गया है।
- **प्रोजेक्ट संसिद्धिः** बैंक के डिजिटल एचआर परिवर्तन के लिए प्रोजेक्ट संसिद्धि के तहत भूमिका स्पष्टता, संसिद्धि स्कोरकार्ड, लक्ष्य निर्धारण, मूल्यांकन, डेटा अपलोड और आईटी वर्कफ़्लो टूल जैसे विभिन्न टूल को शुरूऔर लाइव किए गए हैं।

22.6 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

हमारा बैंक लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और समावेशी विकास होता है और पूरे देश को लाभ होता है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने के संदर्भ में हमारे बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित नियमों को त्वरित रूप से लागू करने के लिए शीर्ष स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है ताकि ऐसी शिकायतें, यदि कोई हों तो उनका का निवारण हो सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 में तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका निवारण कर दिया गया है।

22.7 आरक्षण प्रकोष्ठः

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्याङ्ग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों को लागू कर रहा है। 31/12/2023 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व 20.03%, 8.31% और 23.39% था। सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए अलग रोस्टर रजिस्टर बनाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान, बैंक ने अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति के लिए

In FY 2023-24 some important Training Programs like Annual Forex Assembly, Leadership and Management Development Program for Senior Management of Bank, , Customized Program on Banking Compliance, Awareness Program for Women on Workplace Safety, Annual Refresher Training of Security Officers, Customized Training Program on Women Empowerment, Digital Transformation & Change Management, Data Visualization and analytics, Preventive vigilance programme, Need based training for weak performers One to One coaching for senior officials and various customized training programmes across the country etc. were conducted.

Various webinar on Cyber Security/ Phishing Awareness Program were also organised for employees across branches/ offices.

In FY 2023-24, total of 618 employees were paid honorarium/ incentive for passing Bank approved courses.

22.5 APAR Cell:

- **Annual Performance Appraisal:** As per extant guidelines, each Officer / Executive of the Bank is required to submit the Annual Performance Appraisal Report (APAR) in respect of his/her performance during the Financial Year ending 31st March every year. The same has been completed well in time.
- **Annual Property Return:** Every Officer is required to submit Annual Property Return Statement as on 31st March every year and the same has been completed well in time.
- **Project Samsiddhi:** Under Project Samsiddhi for Digital HR transformation of the Bank various tools like Role Clarity, Samsiddhi Scorecard, Target Setting, Appraisals, Data Upload & IT Workflow tool were launched and made live.

22.6 Internal Complaints Committee (ICC):

Our Bank is committed to promote gender equality and women's empowerment which result in economic development and inclusive growth and benefit the nation as a whole.

In terms of creating safe workplace environment for women our Bank has constituted Internal Complaints Committees at Apex level as well as Local Level enforcing the rules as laid out in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for quick Redressal of such complaints, if any. In FY 2023-24, no complaints were received.

22.7 Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation, relaxation and other concessions extended to SC/ST/OBC / Differently Abled Persons and Ex-Servicemen employees as per reservation policy of the Government of India. The overall representation as on 31/12/2023 of SC/ST/OBC employees was 20.03 %, 8.31% and 23.39%. Separate roster registers are maintained for direct recruitment as well as for promotion. During internal promotion process for the FY 2023-24, , Bank has imparted pre-promotional training to 1910 candidates for inter-scale

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग के 1910 उम्मीदवारों, लिपिक से अधिकारियों के पदोन्नति के लिए 199 उम्मीदवारों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक में पदोन्नति के लिए 252 उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ के कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हुए प्रधान कार्यालय स्तर पर और सभी अंचल कार्यालयों में आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। बैंक ने 640 अनुसूचित जाति और 245 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति लिपिक से अधिकारी संवर्ग के लिए 70 अनुसूचित जाति और 38 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक संवर्ग के 147 अनुसूचित जाति और 27 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है।

बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य प्रबंधक की अध्यक्षता में और साथ ही सभी अंचल कार्यालयों में अलग ओबीसी प्रकोष्ठ का गठन किया है जो मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। बैंक ने 962 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति में; 89 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को लिपिक से अधिकारी देवर्ग हैं और 72 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक संवर्ग में प्रशिक्षण दिया है।

इसके अलावा दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए उनकी शिकायत को देखने के लिए अलग शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। बैंक ने 63 दिव्यांग कर्मचारियों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति; लिपिक से अधिकारियों में पदोन्नति के लिए 2 दिव्यांग कर्मचारी, अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए 4 दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है।

बैंक के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने हेतु अंचल कार्यालय स्तर के साथ-साथ सर्वोच्च स्तर पर भी ऐसे कर्मचारियों (जहाँ आरक्षण रोस्टर का रखरखाव होता हैं) की वैलफ़ेयर एसोसिएशन के साथ बैठक बुलाई जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति कार्य कर रही है, जिसे संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा बैंक की नीति एवं दिशानिर्देशानुसार संभाला और निवारण किया जाता है। बैंक कर्मचारी ऑनलाइन के माध्यम से एचआरएमएस मॉड्यूल में सेल्फ सर्विस-रेज़ विकल्प के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

31.12.2023 तक अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

promotion of officers; 199 candidates for promotion from clerical to officers; and 252 candidates for promotion from sub - ordinate to clerical cadre belonging to SC/ST/OBC and PWD category.

For SC/ST employees, reservation cell is set up at HO level and across all ZO level as per Govt norms, functioning under the direct control of Chief Liaison Officer as well as Ex-officio Liaison Officer. Bank has imparted training to 640 SC & 245 ST candidates for inter-scale promotion of officers; 70 SC & 38 ST candidates from clerical to officers cadre and 149 SC & 27 ST candidates from sub staff to clerical cadre.

Bank has also formed separate OBC cell at HO level headed by Chief Manager at HO level as well as across all ZO which is functioning under the control of Chief Liaison Officer as well as Ex-officio Liaison officer. Bank has imparted training to 962 OBC candidates in inter-scale promotion of officers, 89 OBC candidates from clerical to officers and 72 OBC candidates from sub staff to clerical cadre.

Moreover Separate Grievance Redressal officer for PwBD and EWS employees has been created to look after their grievance. Bank has imparted pre- promotional training to 63 PwBD employees in inter-scale promotion of officers; 2 PwBD employee for promotion from clerical to officers; 4 PwBD candidates for promotion from sub staff to clerical.

In order to address the issues of SC/ST & OBC employees of the Bank, meetings are called at Apex level as well as at Zonal office level (Where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. An Internal Grievance Committee is functioning at Head office level for monitoring the grievances redressal of the employees belonging to SC/ST/OBC/Ex-SM/PWD, which are handled and subsequently redressed by the respective cell, as per Bank's extant policy and guidelines. Bank Employee can submit their grievance through Online in HRMS module under Self Service- Raise Issue.

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs, OBCs, EWS and PWD as on 31-12-2023 is given in Annexure-I & Annexure-II .

अनुलग्नक/Annexure - I

31.12.2023 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व
Group-wise representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section upto 31.12.2023

संस्था का नाम :यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK

समूह Group	कार्मिकों की संख्या (31.12.2023 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2023)					कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति की संख्या (यानि 01.01.2023 to 31.12.2023) Number of appointments/promotions made during the calender year 2023 (i.e. 01.01.2023 to 31.12.2023)														
						सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion					अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति Appointment by other Methods				
	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क Group-A	13338	2276	1126	3428	142	437	75	32	113	42	508	64	28	150**	0	0	0	0	0	0
समूह-ख Group-B	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
समूह-ग Group-C	5970	1046	510	1283	115	287	57	20	74	24	74	13	2	20**	0	2	1	0	1	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)	2390	1041	174	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	1	4	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल Total	**21698**	**4363**	**1810**	**4987**	**257**	**724**	**132**	**52**	**187**	**66**	**582**	**77**	**30**	**170**	**0**	**15**	**7**	**1**	**5**	**0**

*समूह - घ (मद सं. 4) हाउसकीपर सह पिअन / Group D (point 4) include House Keeper Cum Peon
** अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु अनारक्षित रखा जाता है / The Candidate belongs to OBC are treated as UR in Promotion
भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार उक्त कैडर / समूह के कर्मचारीगण पर आरक्षण लागू नहीं है /
As per Govt. guidelines No Reservation is applicable for promotion within the Cadre/Group

अनुलग्नक/Annexure - II

दिनांक 31.12.2023 तक दिव्यांग व्यक्तियों का समूह-वार प्रतिनिधित्व
Group-wise representation of Persons with Disablities up to 31.12.2023

संस्था का नाम : यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK

समूह Group	कार्मिकों की संख्या (31.12.2023 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2023)					कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति की संख्या (यानि 01.01.2023 to 31.12.2023) Number of appointments/promotions made during the calender year 2023 (i.e. 01.01.2023 to 31.12.2023)																	
						सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment									पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion								
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या No of vacancies reserved				नियुक्तियों की संख्या No of appointments made					आरक्षित रिक्तियों की संख्या No of vacancies reserved				नियुक्तियों की संख्या No of appointments				
	कुल Total	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID	कुल Total	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID	कुल Total	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
समूह-क Group-A	13338	100	45	231	1	6	6	6	5	11	4	0	5	2	6	5	6	5	6	3	0	3	0
समूह-ख Group-B	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
समूह-ग Group-C	5970	30	9	74	5	5	6	5	5	8	4	0	3	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)	2390	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल Total	**21698**	**130**	**54**	**334**	**6**	**11**	**12**	**11**	**10**	**19**	**8**	**0**	**8**	**3**	**7**	**6**	**8**	**6**	**6**	**3**	**0**	**3**	**0**

नोट :

(i) वीएच यानी दृष्टिहीन (दृष्टिहीन या कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति)

(ii) एचएच यानी श्रवणहीन (श्रवण वाधित व्यक्ति).

(iii) ओएच यानी अस्थि विकलांग (लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्राल पल्सी वाले व्यक्ति)

(iv) आईडी यानी बौद्धिक विकलांगता

23. लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण:

23.1 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

आरबीआईए को और मजबूत करने हेतु इसकी आवधिकता को संशोधित कर दिया गया है और नियमित अंतराल पर शाखाओं की जोखिम रेटिंग का विश्लेषण करता रहा है। शाखाओं की जोखिम रेटिंग (निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च) में गिरावट के मामले में, बैंक के हितों की रक्षा के लिए जोखिम रेटिंग मापदंडों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरूकी गई है। सभी ऋण प्रसंस्करण हब (आरएलएच, एएलएच एवं एसएमई) को आरबीआईए के दायरे में लाया गया है।

23.2 लघु लेखापरीक्षा

एक नई प्रकार की लेखा परीक्षा लागू की गई और उसका नाम "लघु लेखापरीक्षा" रखा गया है जिसके तहत उन शाखाओं को शामिल किया गया है जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान किसी प्रकार के लेखापरीक्षा (समवर्ती लेखापरीक्षा, आरबीआईए एवं सांविधिक लेखापरीक्षा) में शामिल नहीं किया गया है।

23.3 प्रबंध लेखापरीक्षा

प्रबंध लेखा परीक्षा के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब कार्पोरेट प्रधान कार्यालय के सभी विभागों एवं स्टाफ ट्रेनिंग कालेजों साथ ही सभी अंचल कार्यालयों को जोखिम आधारित प्रबंध लेखापरीक्षा के दायरे में शामिल किया गया है।

23.4 समवर्ती लेखापरीक्षा

शाखा/कार्यालय/हब और आस्ति प्रबंधन शाखाएं (एएमबी) समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय के महत्वपूर्ण विभाग भी समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे में आते हैं।

23.5 ऑफसाइट नियंत्रण एवं निगराणी (ओसीएएस)

लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग का ओसीएएस कक्ष दैनिक आधार पर सिस्टम द्वारा जारी अलर्ट की निगरानी किया और तदनुसार शाखाओं द्वारा इसका अनुपालन रिपोर्ट अपने संबंधित अंचल कार्यालयों एवं क्षेत्र निरीक्षणालयों को भेजा गया है। ओकास कक्ष बैकएंड डाटा माइनिंग के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों के खातों / उचंत खातों के लेन-देन की निगरानी भी करता है।

23.6 सूचना प्रौद्योगिकी (आईएस) लेखापरीक्षा :

वेंडर, साईट के लिए एक आंतरिक आईएस लेखा परीक्षा टीम गठित की गई है। प्रक्रिया एवं परिवर्तन लेखापरीक्षा अभी अपने आरंभिक स्तर पर है।

23.7 प्रशिक्षण

निरीक्षण कार्य से जुड़े व्यक्तियों के ज्ञान में व्याप्त कमी को पूरा करने हेतु मोबाइल निरीक्षक/ स्टेशनरी स्टाफ और विभाग के कार्यपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

Note:

(i) VH stands for visually Handicapped (Persons suffering from blindness or low vision).

(ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment).

(iii) OH stands for Orthopedically Handicapped (persons suffering from locomotors disability or cerebral Palsy)

(iv) ID stands for Intellectual Disability

23. AUDIT AND INSPECTION

23.1 Risk Based Internal Audit (RBIA):

The periodicity of RBIA has been revised to make it more robust and Risk Rating of Branches are being analysed on regular intervals. In case of downgrade of Risk Rating of Branches (Low to Medium, Medium to High), necessary action is being initiated on the basis of Risk Rating parameters in order to protect the interest of the Bank. All Loan Processing Hubs (RLHs, ALHs & SMEs) have been brought under the purview of RBIA.

23.2 Short Audit:

A new type of Audit has been introduced and named as "Short Audit" which is carried out for such Branches not covered under any form of Audit (Concurrent, RBIA & Statutory Audit) in a Financial Year.

23.3 Management Audit:

The coverage of Management Audit has been expanded. Now all the Corporate Head Office Departments and Staff Training Colleges are covered under Risk Based Management Audit along with all the Zonal Offices.

23.4 Concurrent Audit:

Branch/Offices/Hubs and Asset Management Branches (AMBs) are covered under Concurrent Audit. In addition, Critical Departments of Head Office are also covered under the purview of Concurrent Audit.

23.5 Offsite Control & Surveillance (OCAS):

OCAS Cell under Audit & Inspection Department has been monitoring alerts generated by the system and accordingly compliance is submitted by the Branches to their respective Zonal Offices and Field Inspectorates. OCAS Cell is also monitoring transactions in various Office Accounts/Suspense Accounts through backend data mining.

23.6 Information System (IS) Audit:

An internal IS Audit Team has been formed to conduct Vendor, Site, Process & Change Management Audit in its initial phase.

23.7 Trainings:

In order to bridge the knowledge gap of personnel dealing with Inspection works, trainings were imparted to Mobile Inspectors/ Stationary Staffs, and Executives of the Department.

24. सतर्कता

निवारक सतर्कता पहलों पर सीवीसी पुस्तिका में सीवीसी अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत कुछ चुनिंदा पहलों को प्रकाशित किया गया। यह गर्व की बात है कि यूको बैंक की 'ई-एसएआर-स्टाफ जवाबदेही पर ऑनलाइन नजर रखना' पहल को उक्त पुस्तिका में स्थान दिया गया। ई-एसएआर एक ऐसी प्रद्योगिकी है जिसके माध्यम से स्टाफ जवाबदेही मामलों की शुरूसे अंत तक की निगरानी की जाती है। परिकल्पित किए गए कुछ लाभ इस प्रकार हैं : (क) पारदर्शिता और गैर-विवेकाधिकार को बढ़ावा देना, प्रभावी सतर्कता प्रशासन के स्तंभ - सभी मामलों की जांच बिना किसी अधिमान्य उपचार और पहचान के की जाएगी (ख) अनुपालन जोखिम को कम करना -कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के संबंध में नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय मानदंडों का पालन करना। (ग) कर्मचारियों के कार्य - कर्मचारी-जवाबदेही की जांच करते समय कर्मचारी मनोबल की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा ताकि किसी भी कर्मचारी को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

वर्ष के दौरान कई अन्य निवारक सतर्कता पहलों और प्रणालीगत सुधार शुरूकिए गए जैसा कि नीचे दिया गया है :

- प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से गिरवी रखे गए स्वर्ण ऋण आभूषणों की नीलामी की पारदर्शिता और निगरानी (क) स्वर्ण ऋण नीलामी की आय नकद में प्राप्त नहीं की जाएगी ताकि ग्राहक के केवाईसी को प्राप्त किया जा सके (ख) मूल्यांकन राशि तारीख सहित, स्वीकृत राशि, निर्धारित आरक्षित मूल्य और विजेता बोली लगाने वाले का विवरण कैप्चर करने हेतु खाता बंद करने संबंधी मेनू की शुरूआत (ग) नीलामी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिग और उसका संरक्षण।
- नकदी प्रबंधन के लिए प्रणालीगत सुधार हेतु (क) कुंजी धारक की अनिवार्य पावती के साथ फिनेकल में नकदी कुंजी की गतिविधि का रिकॉर्ड (ख) कैश रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद दिन के अंत में फिनेकल सिस्टम में नकदी शेष की मैन्युअल फीडिंग (ग) वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए निगरानी अधिकारियों तक केंद्रीय पहुंच के साथ फिनेकल में औचक निरीक्षण के रिकॉर्ड का रखरखाव।
- अत्यधिक देरी के बाद/सेवानिवृत्ति के समय शो-कॉज को दोबारा सामने आने क्योंकि इसे तार्किक निष्कर्ष पर नहीं लाया गया था। से रोकने के लिए ट्रैकिंग हेतु एक अद्वितीय संदर्भ संख्या के सृजन के माध्यम से शो-कॉज जारी करने के लिए निगरानी तंत्र।
- घोषणा के माध्यम से टीपीई को सूचीबद्ध करने के दौरान हितों में आई टकराहर को दूर करने के लिए प्रस्तावित प्रणालीगत सुधार (ख) आसानी से देखने के लिए एचआरएमएस में पारिवारिक विवरण डालने का एक बार विकल्प।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान निवारक सतर्कता विषय पर 115 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सत्र आयोजित किए गए। सतर्कता अधिकारियों ने शाखाओं का 763 नियमित निरीक्षण किया। सतर्कता अधिकारियों द्वारा 58 सीटीई खरीद का भी निरीक्षण किया गया।

वर्ष 2023 [30.10.2023 से 05.11.2023] के लिए आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए दी गई थीम थी' भ्रष्टचार को ना कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें'। और देश भर में कॉर्पोरेट विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा कई आउटरीच और इन-हाउस गतिविधियां शुरूकी गईं।

24. VIGILANCE

In the annually published CVC booklet on Preventive Vigilance Initiatives, certain select initiatives submitted by various organizations under CVC jurisdiction were published. It is a matter of pride that the initiative by UCO Bank found a place in the booklet for 'e-SAR-Online Tracking of Staff Accountability'. e-SAR leverages technology for end-to-end monitoring of staff accountability cases. Some of the benefits envisaged are (a) promotion of transparency and non-discretion, the pillars of effective vigilance administration-all cases will be examined without any preferential treatment and identification (b) Mitigation of Compliance Risk-adherence to time norms as set by regulatory authorities with regards to examination of staff accountability. (c) Employee Engagement-through protection of employee morale as no employee will be subjected to an agonizing long wait, while staff-accountability is being examined.

Several other preventive vigilance initiatives and systemic improvements were introduced through the year, as delineated below:

- Transparency and monitoring of auction of pledged gold loan ornaments through systemic improvements like (a) Gold loan auction proceeds not to be received in cash, such that KYC of a customer is captured (b) introduction of an account closure menu to capture valuation amount with date, sanctioned amount, reserve price fixed and details of winning bidder (c) video recording of auction proceedings and its preservation.
- Systemic improvements for cash management through (a) record of movement of the cash keys in Finacle with mandatory acknowledgement of key holder (b) manual feeding of cash balance at the end of the day into Finacle system after the cash register is signed (c) maintenance of record of surprise inspection in Finacle with central accessibility to monitoring authorities for real-time tracking.
- Monitoring mechanism for issuance of show-cause through generation of a unique reference number for tracking to prevent resurfacing of a show-cause after an inordinate delay/ at the time of retirement because it was not brought to its logical conclusion.
- Proposed systemic improvements to root out conflict of interest during empanelment of TPEs through declaration (b) one time option of providing family details in HRMS for easy access.

115 training programmes/ sessions on the subject of preventive vigilance were conducted during this FY. Vigilance Officers conducted 763 routine inspections of branches. 58 CTE procurement inspections were also conducted by the Vigilance Officers.

The theme given by the Commission for Vigilance Awareness Week for the Year 2023 [30.10.2023 to 05.11.2023] was 'Say no to corruption; commit to the Nation' and several outreach and in-house activities were undertaken by the Corporate Departments, Zonal offices and branches across the country.

कुछ गतिविधियाँ/पहल इस प्रकार थीं:

- धोखाधड़ी को रोकने के लिए (क) पीआईडीपीआई (ख) मोबाइल नंबर पंजीकरण/अद्यतन के व्यापक प्रचार के लिए 2 विशेष आउटरीच अभियान। अभियान अवधि के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबरों को ट्रैक करने के लिए एक विशेष डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था। इसके संबंध में इन-हाउस वीडियो मेट्रो स्टेशनों सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डों पर प्रदर्शित किए गए थे।
- अंचल कार्यालय, नई दिल्ली में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें श्री पी. डेनियल, सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग और डॉ. एमपी तंगिरला, अतिरिक्त सचिव, डीएफएस उपस्थित थे।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के लिए आयोग द्वारा चुनी गई थीम पर इन-हाउस निबंध प्रतियोगिता, जिसमें 189 प्रविष्टियाँ पाई गईं और निवारक सतर्कता तथा वीएडब्लू थीम पर इन-हाउस क्विज़ प्रतियोगिता, जिसमें 1357 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- पूरे देश में वॉकथॉन और मानव श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया, जिसमें भुवनेश्वर अंचल भी शामिल था, जिसमें 800 से अधिक छात्रों और ओडिशा पुलिस और ओडिशा सतर्कता के सदस्यों की भागीदारी देखी गई।
- 171 स्कूलों और 37 कॉलेजों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 16600 छात्र शामिल थे।
- सभी अंचलों में 217 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर/जागरूकता ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 13350 लोगों की भागीदारी देखी गई, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं।
- निवारक सतर्कता, साइबर-सुरक्षा और बैंकिंग जागरूकता के विषयों पर 57 सेमिनार/ग्राहक बैठकें भी आयोजित की गईं जिनमें बहुत उत्साहवर्धक भागीदारी देखी गई।

25. राजभाषा

बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय रहा है। बैंक ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 को लागू करने के लिए समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए। बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान शाखाओं/ कार्यालयों के दौरे के क्रम में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से बैंक को लगातार तीसरी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे अंचल कार्यालयों ने भी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधान कार्यालय के साथ साथ अंचल कार्यालयों ने विभिन्न विषयों पर यूको बैंक जी.डी. बिड़ला स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया। स्नातकोत्तर हिंदी परीक्षा में रैंक धारकों को यूको राजभाषा सम्मान दिया गया। हिंदी को बढ़ावा देने और बैंक के ब्रांड के निर्माण के लिए विभिन्न कालोजों / विश्वविद्यालयों द्वारा आयजित लोकप्रिय हिंदी कार्यक्रमों को प्रायोजित किए गए।

Certain activities/ initiatives were:

- 2 Special outreach campaigns for wide publicity of (a) PIDPI (b) mobile number registration/ updation to prevent frauds. A special dashboard was launched to track mobile numbers registered during the campaign period. In-house videos on the same were displayed across electronic display boards, including at metro stations.
- Seminar was held at Zonal Office, New Delhi, graced by Shri P. Daniel, Secretary Central Vigilance Commission and Dr. MP Tangirala, Additional Secretary, DFS.
- In-house essay competition on the theme chosen by the Commission for VAW 2023, which saw 189 entries, and in-house quiz competition on preventive vigilance and VAW themes wherein 1357 employees participated.
- Walkathons and human chains were organized across the country including one at Bhubaneswar Zone which saw the participation of over 800 students and members of Odisha Police and Odisha Vigilance.
- Outreach programmes were conducted in 171 schools and 37 colleges involving approximately 16600 students.
- More than 217 Financial Literacy Camps/ Awareness Gram Sabhas were held across all Zones which saw the participation of approximately 13350 people, majority of them being women.
- 57 seminars/ customer meets were also held on the themes of preventive vigilance, cyber-security and banking awareness which saw very enthusiastic participation.

25. OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has always been proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Bank has taken appropriate follow up action to implement various items of the Annual Programme 2023-24 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language to transact the official work of the Union in Hindi and has made concerted efforts to achieve the targets set therein. The Bank complied with the directions given by the Third Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language in course of Official Language inspection of branches/ offices in this financial year.

The Bank has been awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar for the third consecutive year by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for its outstanding work in the field of progressive use of Official Language Hindi. During the financial year, many of our Zonal Offices also received the Regional Official Language Award from Govt. of India. Zonal Offices including Head Office organized UCO Bank G.D. Birla Smiriti Vyakhyanmala on various appropriate topics. UCO Rajbhasha Samman was given to the rank holders in Post-Graduation Hindi Examination. Popular Hindi programmes were also sponsored in various colleges/ universities by Zonal Offices with the objective of promoting Hindi and building the brand of the Bank.

25.1 उपलब्धियां:

- भारत सरकार, राजभाषा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - तृतीय प्रदान किया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने पूणे में आयोजित हिन्दी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- इस अवधि के दौरान, हमारे 6 अंचल कार्यालयों को विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार से क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।
- हमारे 5 अधिकारियों ने अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर-बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए।

25.2 राजभाषा क्रियाकलाप

- **अखिल भारतीय यूको बैंक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन-** बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में तीन दिवसीय 11वां अखिल भारतीय यूको बैंक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया।
- **हिंदी प्रशिक्षण:** प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त वेतनमान 1 और 2 के राजभाषा अधिकारियों को बैंक के प्रशिक्षण केंद्र में राजभाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **यूको बैंक छठी अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता-पैनल चर्चा सह पुरस्कार वितरण समारोह :** बैंक में राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ' व्यवसाय में मूल्य और नैतिकता ' विषय पर अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता-2023 का आयोजन किया गया। बैंक के प्रशिक्षण केंद्र में पैनल चर्चा सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
- **'विश्व भारतीः 'हिंदीः हजारी प्रसाद द्विवेदी ' विषय पर एक सेमिनार :** टोलिक (बैंक), कोलकाता (संयोजक-यूको बैंक, प्रधान कार्यालय) द्वारा विश्व-भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, बोलपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस-2023 के अवसर पर बैंक के विकलांग कर्मचारियों के लिए 'विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक सेवा' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

25.3 प्रकाशन

त्रैमासिक आधार पर बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'अनुगूँज' का प्रकाशन; हिन्दी दिवस के अवसर पर 'स्मारिका' का प्रकाशन, तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे; विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन में सेमिनार आयोजित; यूको बैंक VI अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता-2023 के अवसर पर 'व्यवसाय में मूल्य नैतिकता' विषय पर स्मारिका प्रकाशित की गई।

25.4 राजभाषा निरीक्षण

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने हमारे आठ अंचल कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया। समिति ने राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

25.1 Achievements:

- The Government of India, Department of Official Language awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar- Third to the Bank for the Financial Year 2022-23. The Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank Shri Ashwani Kumar received the award on the occasion of Hindi Divas programme organized in Pune.
- During the period, our 06 Zonal Offices received Regional Official Language Award from the Department of Official Language, Government of India for progressive use of Official language in different linguistic areas.
- Our 05 Officers received awards in All India Inter-Bank Hindi Essay Writing Competitions organized by other nationalized banks including Reserve Bank of India.

25.2 Official Language Activities:

- **All India UCO Bank Official Language Officers Conference-** A three-day 11th All India UCO Bank Official Language Officers Conference has been organized at the Regional Training Centre, Bhopal for the Official Language Officers of the Bank.
- **Hindi Training:** Officers and employee were trained in Hindi through Hindi workshops organized by Head Office and Zonal Offices. Additionally, Official Language training has been provided to the Official Language Officers of Scale-1 and 2 at the Bank's Training Centre.
- **UCO Bank VIth All India Inter Bank Hindi Essay Competition- Panel Discussion cum Award Distribution Ceremony:** The Bank organized the All India Inter Bank Hindi Essay Writing Competition-2023 on the topic 'Value and Ethics in Business' with the aim of promoting the use of the Official Language Hindi. The Panel Discussion cum Award Distribution program has been organized at the Bank's Training Centre.
- **A seminar on the topic 'Vishva-Bharati: Hindi: Hazari Prasad Dwivedi':** A seminar was organized by TOLIC (Bank), Kolkata (Convenor-UCO Bank, Head Office) at Vishva-Bharati University, Shanti Niketan, Bolpur.
- On the occasion of International Day of Disability-2023, an essay competition on the topic 'Social Service of Disabled Persons' was organized for the disabled employees of the Bank.

25.3 Publication:

Publication of the Bank's Hindi in-house magazine 'Anugoonj' on quarterly basis; publication of 'souvenir' on the occasion of Hindi Divas 3rd All India Official Language Conference, Pune; seminar organized at Vishva-Bharati University, Santiniketan; souvenir on Value Ethics in Business was published on the occasion of UCO Bank VI All India Inter Bank Hindi Essay Competition- 2023.

25.4 Official Language Inspection:

- During the Financial Year 2023-24 the third sub-committee of Parliamentary Committee on Official Language visited eight of our Zonal Offices for Official Language inspection. The committee appreciated the efforts being made by the Bank for the progressive use of the Official Language Hindi.

- संसदीय राजभाषा समिति की प्रारूपण एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा टोलिक (बैंक), कोलकाता सहित कुल 34 सदस्य कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण कार्यक्रम के समन्वय की जिम्मेदारी यूको बैंक, प्रधान कार्यालय द्वारा ली गई थी।

- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया। मंत्रालय द्वारा बैंक के राजभाषा संबंधी कार्यों की सराहना की गई।

- इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 अंचल कार्यालयों और 14 शाखाओं का निरीक्षण किया गया।

26. सामान्य प्रशासन विभागः

हमारा बैंक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, हमने कार्यपालक प्रशिक्षण केंद्र, न्यूटाउन में 30 केडब्लूपी क्षमता का रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित किया है। हमने छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए देश भर में 30 बैंक स्वामित्व वाली इमारतों की पहचान की है।

27. अनुपालन

यूको बैंक में, हम नियामक निकायों के साथ मजबूत संबंधों को बनाए रखने के महत्व को जानते हैं। हम अनुपालन सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विश्वास को बनाए रखने के लिए विभिन्न चैनलों और गतिविधियों के माध्यम से नियामकों के साथ जुड़ते हैं। अपनी रणनीति को प्राथमिकताओं देते हुए, हमारा उद्देश्य निष्पक्ष ग्राहक सेवा को बनाए रखना, जोखिमों को कम करना और एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना है।

नियामक निकायों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना हमारी सहभागिता रणनीति का एक अभिन्न अंग हैं। ये बैठकें खुली बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जिससे हमें नियामक चिंताओं को दूर करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और हमारे संचालन पर अपडेट साझा करने की अनुमति मिलती है।

बैंक द्वारा महाप्रबंधक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है जो बैंक के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न वैधानिक और नियामक दिशानिर्देशों के पालन की निगरानी करता है।

विभाग का मुख्य कार्य घरेलू और विदेशी दोनों परिचालनों के लिए वैधानिक, नियामक और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। उक्त विभाग आरबीआई के लिए एकमात्र संपर्क बिंदु है और यह प्रचलित एसपीएआरसी ढांचे के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई है और इसकी सालाना समीक्षा और अद्यतनिन की जाती है। यह नीति बैंक के अनुपालन दर्शन, अनुपालन वर्टिकल की भूमिका और संरचना, उसके कर्मचारियों की संरचना और उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

अनुपालन विभाग आरबीआई दिशानिर्देशों/अनुदेशों के पालन और रखरखाव के लिए समय-समय पर परीक्षण अभ्यास आयोजित कर रहा है।

बैंक ने - यूको फोकस (ऑफसाइट अनुपालन और निगरानी के लिए रूपरेखा) का शुभारंभ किया है - विभिन्न नियामक / वैधानिक / आंतरिक नीति आधारित दिशानिर्देशों के अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार और डेटा गुणवत्ता और अखंडता में सुधार के लिए एक ऑफसाइट टूल।

- An Official language inspection of a total of 34 member offices including TOLIC (Bank), Kolkata was conducted by the Drafting and Evidence Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language. The responsibility of coordination of this inspection program was undertaken by UCO Bank, Head Office.

- Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India conducted Official Language Inspection of Head Office. The Official Language related work of the Bank was appreciated by the Ministry.

- Apart from this, 10 Zonal Offices and 14 Branches were inspected by the Regional Implementation Offices, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

26. GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Our Bank is committed towards promotion of renewable energy. As part of our commitment, we have installed Roof Top Solar panel of 30 KWP capacity at Executive Training Centre, NewTown. We have identified 30 Bank owned Building across the country for installation of roof top solar energy.

27. COMPLIANCE

At UCO Bank, we recognize the importance of upholding strong relationships with regulatory bodies. We engage with regulators through various channels and activities to ensure compliance, promote transparency, and build trust. By aligning our strategic priorities, we aim to uphold fair customer treatment, mitigate risks, and promote a strong risk and compliance culture.

Regular meetings with regulatory bodies form an integral part of our engagement strategy. These meetings provide a platform for open dialogue, allowing us to address regulatory concerns, seek guidance, and share updates on our operations.

An independent Compliance Department headed by General Manager & Chief Compliance Officer has been set up by the bank which monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the bank's functioning.

The core function of the department is to ensure compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines for both domestic as well as overseas operations. The department is the single point of contact for RBI and ensures smooth conduct of Risk Based Supervision (RBS) as per prevalent SPARC framework.

Bank has a Board approved Compliance Function Policy which is framed in line with Reserve Bank of India guidelines and is reviewed & updated annually. The policy outlines the compliance philosophy of the Bank, role and set-up of the compliance vertical, composition of its staff and their specific responsibilities.

Compliance Department is also conducting periodic testing exercise to conform adherence and sustenance of RBI guidelines/instructions.

Bank has launched - UCO Focus (Framework for Offsite Compliance & Surveillance) - An offsite tool to improve quality of compliance to various regulatory/ statutory / internal policy based guidelines and also to improve data quality & integrity.

अनुपालन विभाग उन विदेशी प्रतिष्ठानों के अनुपालन कार्य की भी निगरानी कर रहा है जो अपने संबंधित क्षेत्र आधारित अनुपालन नीतियों के साथ-साथ केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं। प्रत्येक विदेशी शाखा के पास संबंधित अनुपालन कार्य की देखभाल के लिए एक अनुपालन अधिकारी होता है। विदेशी शाखाएं लागू नियामक आवश्यकताओं, मेजबान देश नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं और इसकी पुष्टि/अनुपालन स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

28. निदेशक मंडल

28.1 कॉर्पोरेट अभिशासन

बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के अपने मूल मूल्यों पर आधारित अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन में दृढ़ विश्वास करता है और उस पर निरंतर अमल करता है। अपने दैनिक परिचालनों में इन पहलुओं पर लगातार ध्यान देकर, बैंक शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने का प्रयास करता है। बैंक सुशासन के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, तथापि इसके निदेशक मंडल ने बैंक के कारोबार के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए, यदि कोई हो, विभिन्न स्तरों पर बैंक के पद्धति एवं कारबार प्रक्रिया द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल का यह मानना है कि सुशासन ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, कर्मचारियों और निवेशकों का विश्वास, वफादारी और सद्भावना अर्जित करने और समाज में बड़े पैमाने पर सम्मानजनक स्थिति हासिल करने की कुंजी है।

28.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री सुभाष शंकर मलिक को दिनांक 08.05.2023 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री अश्वनी कुमार, बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में दिनांक 01.06.2023 से पदभार ग्रहण कर लिया है।
- श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 09.10.2023 से पदभार ग्रहण कर लिया है।
- श्री. प्रमोद रंजन मिश्र को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है और उन्होंने 01.02.2024 से पदभार ग्रहण कर लिया है।
- श्री अरावमुदन कृष्ण कुमार को 21.02.2024 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, 30.04.2023 को कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए।
- श्री सोमा शंकर प्रसाद, एमडी और सीईओ, 31.05.2023 को कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए।
- बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री के राजीवन नायर का कार्यकाल 31.01.2024 को समाप्त हो गया।

28.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की 16 बैठकें हुईं। इस अवधि के दौरान बोर्ड की विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है:

The Compliance Department is also overseeing compliance function of overseas establishments who follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas branch has a compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements host country regulatory guidelines and submit confirmations / compliance sustainability reports.

28. BOARD OF DIRECTORS

28.1 Corporate Governance

The Bank has a strong commitment to good Corporate Governance, which is based on its core values of transparency, professionalism, and accountability. By consistently emphasizing these values in its daily operations, the Bank seeks to increase shareholders' value. The Bank's Board of Directors has established various Committees of the Board to oversee every aspect of the Bank's business. The Bank's systems and business processes are regularly reviewed at different levels to identify and address any potential areas of weakness. The Board of Directors believes that good governance is essential for building trust, loyalty, and goodwill with clients, business partners, employees, and investors, as well as to have a respectable position in society at large.

28.2 Changes in the Board of Directors

- Shri Subhash Shankar Malik has been appointed as part-time Non-Official Director w.e.f. 08.05.2023.
- Shri Ashwani Kumar, joined as the MD and CEO of the Bank w.e.f. 01.06.2023.
- Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble joined as the Executive Director of the Bank w.e.f. 09.10.2023.
- Shri. Pramoda Ranjan Mishra has been elected as the Shareholder Director of the Bank and has assumed office w.e.f. 01.02.2024
- Shri Aravamudan Krishna Kumar has been appointed as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank w.e.f. 21.02.2024.
- Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, retired from office on 30.04.2023.
- Shri Soma Sankara Prasad, MD & CEO, retired from office on 31.05.2023.
- The tenure of Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director of the Bank, ended on 31.01.2024

28.3 Meetings of the Board of Directors

During the FY 2023-24, Sixteen meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of various Committees of the Board held during the period is given below:

क्रम सं. Sl.No	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	14
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	11
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	04
4.	निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति/Stakeholders' Relationship Committee of Board	02
5.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति/ Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds	04
6.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	04
7.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank	06
8.	नामांकन एवं निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Nomination and Remuneration Committee of the Board	02
9.	निदेशक मंडल की गैर-पदोन्नति के विरुद्ध अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion	00
10.	अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति Committee of the Board for disposal of Appeal cases	00
11.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	04
12.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	04
13.	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता)/ Review Committee (Wilful Defaulters)	04
14.	निदेशक मंडल की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति/ Performance Evaluation Committee of the Board	01
15.	ऋण अनुमोदन समिति/ Credit Approval Committee	32
16.	14.03.2024 को बोर्ड स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति(बीएलसीएसआरबी) का गठन किया गया Board level Corporate Social Responsibility Committee(BLCSRB) constituted on 14.03.2024	00

28.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी के क्रम में, तात्विक अंतरण, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीतियां लगातार लागू की गईं। उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य दशा की स्थिति और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ का सही और निष्पक्ष आंकड़ा प्रस्तुत किया जा सके। भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई और खाते निरंतर आधार पर तैयार किए गए । व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं।

28.4 Statement of Directors' Responsibility

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2024, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2024. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

28.5 अभिस्वीकृतियाँ :

ब्‍बैंक का निदेशक मंडल श्री अरावमुदन कृष्ण कुमार, अध्यक्ष, श्री अश्विनी कुमार, एमडी और सीईओ, श्री विजय कुमार निवृत्ति कांबले, कार्यकारी निदेशक, श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक निदेशक जिन्हें वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल में नामित किया गया है , का स्वागत करता है और बैंक के विकास के लिए उनके बहुमूल्य अवदान की अपेक्षा करता है। बोर्ड बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सोमा शंकरा प्रसाद, कार्यपालक निदेशक श्री इशराक अली खान एवं शेयरधारक निदेशक श्री के राजीवन नायर के बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करता है, जिनका कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा हुआ।

निदेशक मंडल हमारे ग्राहकों, विकेताओं, शेयरधारकों, व्यावसायिक सहयोगियों और अभिकर्ताओं को वर्ष के दौरान बैंकों को उनके द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों का उनके समर्थन और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता है।

निदेशक मंडल कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों को उनके द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल सभी स्तरों पर प्रत्येक कर्मचारी के समर्पण और योगदान को मान्यता देता है और उसका सम्मान करता है। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन बैंक के कायापलट करने के क्रम में मिली चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 22.05.2024

28.5 Acknowledgements

The Board of Directors of the Bank welcomes Shri Aravamudan Krishna Kumar, Chairman, Shri Ashwani Kumar, MD and CEO, Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director, Shri Subhash Shankar Malik, Part Time Non Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director, nominated on the Board during the year 2023-24 and look forward for their valuable inputs towards the growth of the Bank. The Board acknowledges the valuable contributions of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & CEO, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director & Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director of the Bank, whose tenure completed during the financial year 2023-24.

The Board thank our customers, vendors, shareholders, business associates and correspondent banks for their continued support during the year. The Board remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance and look forward to their continued support in the future.

The Board also thanks the staff unions/associations for the support extended by them. The Board place on record their deep appreciation for the dedication and contribution made by each employee at all levels. Our resilience to meet challenges was made possible by their hard work, solidarity, co-operation and support.

By order of the Board of Directors

sd/-

(Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 22.05.2024

कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट 2023-24

Business Responsibility and Sustainability Report 2023-24

खंड क : सामान्य प्रकटन / Section A - General Disclosures

I. बैंक का विवरण / Details of the Bank

1.	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN)	लागू नहीं Not Applicable
2.	बैंक का नाम / Name of the Bank	यूको बैंक / UCO Bank
3.	निगमन का वर्ष / Year of Incorporation	1943
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता / Registered office address	10, बी टी एम सरणी, कोलकाता -700001 10 , B T M Sarani, Kolkata-700001
5.	कॉरपोरेट कार्यालय का पता / Corporate office address	नं.2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3सरा तल, कोलकाता-700001 No.2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700001
6.	ई-मेल / Email	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
7.	टेलीफोन / Telephone	+91 33 4455 7227
8.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है Financial year for which reporting is being done	2023-24
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	31 मार्च, 2024 तक 11955.96 करोड़ रुपये Rs. 11955.96 crore as on 31st March, 2024
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	श्री विकास गुप्ता कंपनी सचिव Mr Vikash Gupta Company Secretary फोन : Ph : +91 33 4455 7227 hosgr.calcutta@ucobank.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा Reporting boundary	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्वायत्त आधार पर हैं और यूको बैंक से ही संबंधित हैं। Disclosures made in this report are on a standalone basis and pertain only to UCO Bank.
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम Name of Assurance Provider	मैसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार M/s K Ghosh & Associates, Chartered Accountants
15.	प्राप्त आश्वासन के प्रकार Type of assurance obtained	उचित आश्वासन Reasonable Assurance

II. उत्पाद/सेवाएँ / Product / Services

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :
Details of Business Activities :

क्र.सं. Sl.	मुख्य गतिविधि का विवरण Description of Main activity	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण Description of Business Activity	टर्नओवर का प्रतिशत % of turnover
1	वित्तीय एवं बीमा सेवा Financial and Insurance Service	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग गतिविधियाँ Banking activities by Scheduled Commercial Banks	100

17. बैंक द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं / Products/ Services Sold By the Bank

क्र.सं. Sl.	उत्पाद/सेवा Product/Service	एनआईसी कोड NIC Code	कुल टर्नओवर का प्रतिशत अंशदान % of total turnover contributed
1.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग गतिविधियाँ। Banking activities by Scheduled Commercial Banks.	64191	100

III. परिचालन / Operations

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:
Number of locations where plants and/or operations offices of the entity are situated:

स्थान Location	संयंत्रों की संख्या No. of Plants	कार्यालयों की संख्या No. of Offices	कुल Total
राष्ट्रीय / National	लागू नहीं / Not Applicable *	15,559 #	15,559 #
अंतर्राष्ट्रीय / International		3*	3

* इसमें तेहरान, ईरान स्थित यूको बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शामिल है।
It includes representative office of UCO Bank at Tehran, Iran

इसमें देश में स्थित बैंक की शाखाएँ(3230), एटीएम केंद्र (2005), नकदी रीसाइक्लर मशीनें(472), कारोबार सहायक इकाइयाँ (9808) एवं प्रशासनिक कार्यालय (44) शामिल हैं।
It includes domestic branches(3230), ATM centres(2005), Cash Recycler Machine(472), Business Correspondent units(9808) and Administrative offices of the Bank(44)

19. बैंक द्वारा सेवित बाजार / Markets served by the Bank :

ए/a.स्थानों की संख्या / Number of locations :

स्थान / Locations	संख्या / Number
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) National (No. of states)	भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 29 states and 7 Union Territories of India
अंतर्राष्ट्रीय (राष्ट्रों की संख्या) International (No. of Countries)	3*

**इसमें तेहरान, ईरान में यूको बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शामिल है / It includes representative office of UCO Bank at Tehran, Iran*

बी/b. इकाई के कुल पण्यावर्त(टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?
What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

- लागू नहीं / Not applicable

सी/c. ग्राहक के प्रकारों की संक्षिप्त सूचना / A brief on types of customers

- बैंक अपने विविध स्वरूपी ग्राहक आधार को उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक शृंखला की पेशकश करता है जिसमें व्यक्ति, कृषक, एमएसएमई, कारपोरेट संस्थाएँ, सरकारी निकाय, स्वयं सहायता समूह, न्यास, क्लब आदि शामिल हैं।
  Bank provides wide array of product and services and caters to the diverse customer base including individuals, farmers, MSME's, Corporates, Government entities, Self Help Groups, Trusts, Clubs etc.

IV. कर्मचारी /Employees

20. 31.03.2024 तक की स्थिति का विवरण / Details as on 31.03.2024 :

क/a. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांग सहित) / Employees and workers (including differently abled) :

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	कुल /Total	पुरुष / Male		महिला / Female	
			(ए)/(A)	(बी)/(B)	% (बी/ए)/ (B/A)	% (सी/ए)/ (C/A)
	कर्मचारी / Employees					
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	21456	15266	71.15	6190	28.85
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	लागू नहीं / Not Applicable				
3.	**कुल कर्मचारी (डी + ई) Total Employees (D + E)**	**21456**	**15266**	**71.15**	**6190**	**28.85**
	श्रमिक / Workers					
4.	स्थायी (एफ़) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable #				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	**कुल श्रमिक (एफ़ + जी) Total Workers (F + G)**					

 # यूको में बीआरएसआर पर सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में यथा परिभाषित कर्मचारी नहीं हैं।
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

बी/b. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक / Differently abled Employees and workers :

क्र.सं. S.no	विवरण Particulars	कुल (ए)/ Total (A)	पुरुष / Male		महिला / Female	
			(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)	(सी)/(C)	% (सी/ए)/(C/A)
	भिन्न प्रकार से सक्षम कर्मचारी/Differently Abled Employees					
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	522	418	80.08	104	19.92
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	लागू नहीं / Not Applicable				
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई) Total differently abled employees (D + E)**	**522**	**418**	**80.08**	**104**	**19.92**
	श्रमिक / Workers					
4.	स्थायी (एफ़) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable #				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	**कुल दिव्यांग श्रमिक (डी + ई) Total differently abled workers (D + E)**					

 # यूको बैंक में बीआरएसआर पर सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में यथा परिभाषित श्रमिक नहीं हैं /
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व / Participation/inclusion/representation of women :

	कुल Total	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत No. and percentage of Females	
	(ए)/(A)	(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)
निदेशक मंडल / Board of Directors	10	0	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Managerial Personnel	5*	0	-

* इसमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव शामिल हैं
/ It includes 3 Whole time Directors, Chief Financial Officer and Company Secretary

22. स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए आवर्त दर / Turnover rate for permanent employees

	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23			वित्तीय वर्ष/FY 2021-22			वित्तीय वर्ष/FY 2020-21		
	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T
स्थायी कर्मचारी/Permanent Employees	4.59	3.23	4.20	4.93	3.34	4.49	6.03	4.08	5.50
स्थायी श्रमिक/Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable #								

**एम का अर्थ है पुरुष, एफ का अर्थ है महिला, टी का अर्थ है कुल*
M implies Male, F implies Female, T implies Total
 # यूको बैंक में बीआरएसआर पर सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में यथा परिभाषित कर्मचारी नहीं हैं।
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों समेत)/
Holding, Subsidiary and Associate Companies (Including Joint Ventures)

23. होल्डिंग, अनुषंगी, सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम
Name of holding, Subsidiary, Associate Companies / Joint Ventures

क्र.सं. S. No	होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम Name of the holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures	होल्डिंग/अनुषंगी/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	यूको बैंक के धारित शेयरों का प्रतिशत % of shares held by UCO Bank	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility Initiatives of the listed entity?
1	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)	सहयोगी Associate	35%	नहीं No

VI. सीएसआर विवरण / CSR Details

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू हैः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं है। हालाँकि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बैंक के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, जो स्थायी पद्धतियों एवं सामाजिक जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। एक वित्तीय संस्थान के रूप में, यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को स्वीकार करता है, और अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 : Section 135 of Companies Act 2013 is not applicable to Public Sector Banks including UCO Bank. However, Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral to the Bank's operations, showcasing its commitment to sustainable practices and social accountability. As a financial institution, it acknowledges its impact on the environment, society, and economy, striving to foster a positive change through its CSR initiatives.

(ii) कारोबार / Turnover (Revenue from Operations) : Rs. 25,120 crore

(iii) निवल मालियत (वर्थ) / Net Worth : Rs. 16,254 crore

VII. पारदर्शिता और प्रकटन अनुपालन / Transparency and Disclosure Compliances

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) को लेकर शिकायतें / परिवादः

Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है Stakeholder group from whom complaint is received	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र Grievance Redressal Mechanism in Place (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24			वित्तीय वर्ष/FY 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियां Remarks	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of com-plaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियां Re-marks
समुदाय Communities	-	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) Investors (other than shareholders)	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है। Yes. Bank has separate Investor Relation cell at Head Office.	-	-	-	-	-	-

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है Stakeholder group from whom complaint is received	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र Grievance Redressal Mechanism in Place (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24			वित्तीय वर्ष/FY 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियां Remarks	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of com-plaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियां Re-marks
शेयरधारक Shareholders	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है। Yes. Bank has separate investor relation cell at Head Office.	292	1	-	660	0	-
कर्मचारी Employees	Through Bank 's internal HRMS Portal	286	20	-	187	0	-
ग्राहक Customer	जी हाँ/ Yes https:// spgrs.ucoonline.in)	103636	1985 #	-	34146	1432	-
वैल्यू चेन पार्टनर्स Value Chain Partners	-	-	-	-	-	-	-

** इसमें विवादित लेनदेन शिकायतें (67705) शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्ष ग्राहक शिकायत श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 में सामान्य शिकायतें 35931 हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 34146 हैं।*

 # 1985 लंबित शिकायतों में से 83 सामान्य शिकायतें हैं और 1902 विफल/विवादित लेनदेन शिकायतें हैं।

** It includes disputed transaction grievances (67705) which was not accounted in the customer grievances category in the previous year. However, general grievance are 35931 in the FY 2023-24 comparing to 34146 in the FY 2022-23.*

 # Out of 1985 pending complaints, 83 are General Grievance and 1902 are Failed/ disputed Transaction Grievance.

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन :

Overview of the entity's material responsible business conduct issues :

इस अनुभाग के तहत, बैंक ने महत्वपूर्ण मुद्दों का खुलासा किया है। फिनटेक कंपनियों को शामिल करना, किफायती आवास, स्वच्छ/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सीएसआर, पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली जो निम्नलिखित प्रारूप में इसके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करती है:

Under this section, Bank has disclosed material issues viz. onboarding of Fintech companies, affordable housing, promoting clean/renewable energy, CSR, Document Management System pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to its business in the following format :

क्र.सं. **S. no.**	**महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई** **Material Issue identified**	**निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)** **Indicate whether risk or opportunity (R/O)**	**जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य** **Rationale for identifying the risk / opportunity**	**जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका** **In case of risk, approach to adapt or mitigate**	**जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)** **Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)**
1.	जलवायु परिवर्तन का ऋण जोखिम Climate Change Credit Risk	जोखिम (पर्यावरण) Risk (Environment)	आत्यंतिक मौसमी घटनाओं की बढ़ती बारंबारता और उग्रता बैंकों के ग्राहकों द्वारा धारित आस्तियों की गुणवत्ता को हानि पहुँचा सकती है या आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है, जिससे ग्राहकों के परिचालनों एवं लाभप्रदता, साथ ही उनकी अर्थक्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा। Rising frequency and severity of extreme weather events can impair the value of assets held by the banks' customers, or impact supply chains affecting customers' operations and profitability, and their viability.	बैंक की ऋण देने की नीति में ऐसे उद्योगों को ऋण और अग्रिम देने से प्रतिबंधित किया गया है जो ओडीएस (ओजोन विघटनकारी पदार्थ) की खपत/उत्पादन करते हैं, ऐसा होने से ग्रीन हाउस प्रभाव के घटने में मदद मिलती है। Lending policy of the bank prohibits Loans and advances to industries consuming / producing ODS (Ozone Depleting Substance) which enables in reduction of greenhouse effect.	नकारात्मक Negative
2.	जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन Climate Change Crop production	जोखिम (पर्यावरण) Risk (Environment)	खाद्य उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में जलवायु परिवर्तन में जोखिम निहित है। अत्यधिक वर्षा जिससे बाढ़ आती है, अथवा वर्षा रहित मौसम जिससे सूखा पड़ता है, का प्रभाव फसल उत्पादन पर बहुत हानिकारक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी और/या पानी की कमी से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पैदावार और मिट्टी की गुणवत्ता आदि घट सकती है। Climate Change poses a risk with its influence on food production. The impact of excessive rainfall causing flood or no rainfall at all resulting in drought can be extremely detrimental to crop production. Excessive heat and/or shortage of water can impede crop growth, reduce yields, soil quality etc.	नियामक के निर्देशानुसार बैंक को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है। अतः जोखिम पूर्णतया दूर नहीं किया जा सकता। तथापि कार्बन फर्टिलाइजेशन, चक्रीय फसलों, आधुनिक फर्टिलाइजेशन के संतुलनकारी प्रभाव कुछ सीमा तक जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। Bank is required to achieve Priority sector target as advised by the Regulator. Hence, Risk cannot be eliminated completely. However, balancing impact of carbon fertilization, rotational crops, modern fertilization can help in reducing risk up to certain extent.	नकारात्मक Negative

क्र.सं. S. no.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई **Material Issue identified**	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव) **Indicate whether risk or opportunity (R/O)**	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य **Rationale for identifying the risk / opportunity**	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका **In case of risk, approach to adapt or mitigate**	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें) **Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)**
			इससे बैंकों के ग्राहकों द्वारा धारित आस्तियों को गुणवत्ता की हानि होगी होगी, जिससे वसूली प्रभावित होगी और चुकौती में चूक होगी। This will impair the value of assets held by the banks' customers and bearing on recovery and results in delinquencies.		
3.	नवीकरणीय ऊर्जा Renewable Energy	अवसर (पर्यावरण) Opportunity (Environment)	जलवायु परिवर्तन विश्व भर में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो की उपलब्धि का लक्ष्य रखा है। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को टालने के लिए वर्ष 2070 तक उत्सर्जनों को नेट ज़ीरो कर देने की जरूरत होगी। हमें खनिज ईंधनो पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी और ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना होगा जो स्वच्छ, शोधन योग्य, अर्थक्षम, विश्वसनीय और टिकाऊ हों। हमारा बैंक भी इस क्षेत्र में पहल कर रहा है और नवनिर्मित कार्यपालक प्रशिक्षण केंद्र में बैंक ने 30 केवीए का सौर संयंत्र स्थापित किया है। Climate change has become the major concern across the globe. Government of India has also set target for achieving net zero by 2070 to avoid the worst impact of climate change, emissions need to be reduced to reach net zero by 2070. We need to end our reliance on fossil fuels and invest in alternative sources of energy that are clean, accessible, affordable, sustainable and reliable. Our Bank is also taking initiatives in this area and has installed solar plant of 30 KVA in our newly constructed Executive Training centre.	लागू नहीं NA	सकारात्मक Positive

क्र.सं. S. no.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई **Material Issue identified**	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव) **Indicate whether risk or opportunity (R/O)**	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य **Rationale for identifying the risk / opportunity**	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका **In case of risk, approach to adapt or mitigate**	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें) **Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)**
4.	किफायती आवास Affordable Housing	अवसर (सामाजिक) Opportunity (Social)	खरीदने योग्य आवास की उपलब्धता लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। खरीदने योग्य आवास व्यवस्था से निवासियों का आर्थिक स्तर सुधरता है, सामाजिक संपर्क उन्नत होते हैं आसपास की संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है कारोबार और रोजगार आकर्षित होते हैं। इससे स्थिरतायुक्त समुदाय गठित होते हैं। भारत सरकार ने भी "सभी के लिए आवास प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक लक्ष्यों पर बल दिया है। बैंक ने इसे एक अवसर के रूप में लिया है और इस श्रेष्ठ मुहिम में सक्रिय रूप से भागीदार बन रहा है। Affordable housing is one of the most effective way of lifting people out of poverty. Affordable housing uplifts residents, encourages social connection, increases adjacent property values, attracts business and jobs.. It builds sustainable communities. Govt. of India has also given thrust to national development priorities and global goals for providing "Housing for All" Bank find this as opportunity and actively participating in this noble mission.	लागू नहीं NA	सकारात्मक Positive

क्र.सं. S. no.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई **Material Issue identified**	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव) **Indicate whether risk or opportunity (R/O)**	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य **Rationale for identifying the risk / opportunity**	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका **In case of risk, approach to adapt or mitigate**	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें) **Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)**
5.	समाज के प्रति सामाजिक दायित्व Social responsibility towards society	अवसर (सामाजिक) Opportunity (Social)	बैंक भी अपने आप को समाज के प्रति बराबर का उत्तरदायी मानता है और इसीलिए सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योगदान किया है। बैंक ने 7 राज्यों में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं और वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। ये आरसेटी वित्तीय जागरूकता की चेतना जगाने में सहायक हैं, साथ ही ऋण लिंकेज के जरिए रोजगार सर्जन में भी सहायक होते हैं। Bank consider itself as accountable to the society and hence under the CSR activity bank has contributed towards upliftment of weaker section of the society. Bank has also set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states and Financial Literacy Counsellors have been appointed. These RSETIs help in creating awareness about Financial Literacy and also helps in generating employment through credit linkage.	लागू नहीं NA	सकारात्मक Positive
6.	फिनटेक कंपनियों का प्रवेश Onboarding of Fintech Companies	अवसर / जोखिम (पर्यावरण / सामाजिक) Opportunity / Risk (Environment / Social)	फिनटेक ग्राहकों या कारोबार के लिए वित्तीय लेनदेन को सरल बनाता है, जिससे वे आसानी से उपलब्ध और अमूमन वहन योग्य होते हैं। फिनटेक लेनदेन प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करता है जिसमें बैंक और ग्राहक दोनों की दृष्टि से वास्तव में अनावश्यक चरणों को हटा दिया जाता है। Fintech simplifies the financial transactions for consumers or businesses, making them more accessible and generally more affordable. Fintech strives to streamline the transaction process, eliminating potentially unnecessary steps for both bank and customers.	आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अत्यधिक निर्भरता और संवेदनशील वित्तीय डाटा की प्रोसेसिंग के चलते फिनटेक पर अक्सर साइबर अटैक किए जाते हैं और इसमें जोखिम अंतर्निहित हैं। फिर भी इस प्रकार के जोखिम सुरक्षा जांचों के समुचित कार्यान्वयन के जरिए दूर किए जा सकते हैं। Due to an over reliance on cutting edge tech and the processing of sensitive financial data, Fintech is often targeted for cyber-attacks and carries inherent risks. However, these risks can be mitigated through proper implementation of security checks.	सकारात्मक Positive

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटन

Section B: Management and Process Disclosures

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) निम्नलिखित पी1पी9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों की बात करता है:

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

पी1 P1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी के साथ आचरण और शासन करना चाहिए Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
पी2 P2	व्यवसायों को वस्तु एवं सेवाएँ इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊऔर सुरक्षित हो Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
पी3 P3	व्यवसायों को अपनी मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
पी4 P4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
पी5 P5	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए Businesses should respect and promote human rights
पी6 P6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
पी7 P7	व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
पी8 P8	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए Businesses should promote inclusive growth and equitable development
पी9 P9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

प्रकटीकरण प्रश्न/Disclosure Questions	पी/P1 पी/P2 पी/P3 पी/P4 पी/P5 पी/P6 पी/P7 पी/P8 पी/P9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रिया/Policy and management processes	
1. ए. क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs.	हाँ Yes.
बी. क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? b. Has the policy been approved by the Board?	हाँ Yes.
सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो c. Web Link of the Policies, if available	नीतियां बैंक की वेबसाइट https://www.ucobank.com/english/ policies.aspx पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त के अलावा अन्य नीतियां जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं, आंतरिक दस्तावेज होने के कारण केवल कर्मचारियों के लिए बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। The policies are available on Bank's website at https: //www.ucobank.com/english/policies.aspx. The policies other than those which are not available in the Bank's website, being internal documents are available only to the employees on Bank's intranet.
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां/नहीं) Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	जी हाँ।बैंक ने बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में लागू होने वाली नीतियों का रुपांतरित किया है। Yes. The Bank has translated the policies as applicable into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य शृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/ नहीं) Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	जी हाँ। बैंक अपेक्षा करता है कि उसके हितधारक अपने सभी लेन-देन में उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करेंगे। Yes. The Bank expects its stakeholders to adhere to the above mentioned principles in all their dealings.
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों के नाम (उदाहरण के लिए फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है। Name of the national and international codes /certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g.SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	लागू नहीं Not Applicable
5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य और यदि कोई समय सीमा निर्धारित हो तो वह भी।	एक बैंकिंग इकाई के रूप में पूरी तरह से वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित है और किसी भी निर्माण या कारखाने से संबंधित गतिविधियों में संलग्न नहीं है, बैंक पर्यावरण और समाज पर इसके प्रभाव को कम करते हुए अपने व्यवसाय और अन्य मुख्य कार्यों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। बैंक मैन्युअल प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने पर जोर देता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है। हालाँकि, बैंक द्वारा कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की गई है।

Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	As a banking entity solely focused on financial services and not engaged in any manufacturing or factory-related activities, Bank is dedicated to improving its business and other core functions while minimizing its impact on the environment and society. The Bank places emphasis on digitizing manual processes, which helps reduce natural resource usage and minimize its carbon footprint. However, there is no specific commitment set by the Bank.
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों पर इकाई का कार्यनिष्पादन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो कारण दें Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met	लागू नहीं Not Applicable

अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी

7. निदेशक मंडल का वक्तव्य जिसमें ईएसजी संबंधी चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है

पर्यावरण, सामाजिक विषयों और अभिशासन को बैंक की नीतियों का एक अविभाज्य हिस्सा बनाने को बैंक का निदेशक मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। बैंक ने रीतियाँ लागू की हैं, जैसे सर्वसमावेशी आचार संहिता और कारोबारी नैतिकता, नवोन्मेषी ग्राहक केंद्रित उत्पादों की शुरूआत, कारोबार में डिजिटाइजेशन को अपनाना, साइबर और सूचना सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, कर्मचारी कल्याण, बिजली, ईंधन और कागज की खपत कम करना और ऐसी अन्य कई ईएसजी नीतियाँ।

बैंक अपने कारोबार-व्यवहार में नैतिक रीतियों के उच्च प्रतिमानों को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है। बैंक की कारपोरेट अभिशासन रीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत सिद्धांतों के ताने-बाने में बुनी गई हैं। देश भर में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, साथ ही और अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए बैंक कई प्रकार की पहल कर रहा है। बैंक ने सीमाँत समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिसका उद्देश्य उन लोगों के मध्य बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है जो अर्थतंत्र की मुख्य धारा से कटे रहे हैं।

बैंक मानता है कि जलवायु परिवर्तन न केवल एक पर्यावरणीय खतरा है बल्कि एक प्रमुख कारोबारी जोखिम है जो उसके परिचालनों, ग्राहकों और हितधारकों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। एक जिम्मेदार कारोबार के रूप में अपनी दीर्घकालीन विश्वसनीयता और लचीलेपन को सुनिश्चित करने हेतु बैंक इन जोखिमों से निपटने के महत्त्व को स्वीकार करता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट के निराकरण तथा जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने की टिकाऊ रीतियाँ कार्यान्वित करने हेतु बैंक अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल द्वारा कागज रहित लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही ग्रीन जनरेटर, एयर कंडीशनरों में इको-फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैस तथा कार्यालयों में सीएफएल/एलईडी लाइटों आदि के इस्तेमाल जैसी रीतियों को अपनाता है।

आंतरिक और बाहरी दोनों ही हितधारकों के साथ अपनी बैठकों के दौरान बैंक नियत अवधि पर ईएसजी रीतियाँ सूचित करता है, साथ ही अपने उत्पादों और सेवाओं में नवोन्मेष बढ़ाने के उपायों का भी हवाला देता है।

Governance, leadership and oversight

7. Statement by Board of Directors, highlighting ESG related challenges, targets and achievements.

"Bank accords utmost importance to make Environment, Social and Governance (ESG) as an integral part of policies of the Bank. Bank established practices like Comprehensive Code of Conduct and Business Ethics, launching innovative and customer centric products, adapting digitization of business, strengthening cyber and information security, Employee welfare, efforts extended for reduction in consumption of electricity, fuel and paper and various other ESG practices.

Bank upholds high standards of ethical practices in the conduct of its business. Bank's corporate governance practices are woven around the fundamental principles of transparency and professionalism. The Bank takes several initiatives in fulfilling social responsibility by enhancing accessibility to financial services across the country and fostering greater financial inclusion. Bank played a significant role in bringing marginalized communities into the formal banking system, with the intention of promoting savings culture among those who are previously excluded from the economic mainstream.

Bank acknowledges that climate change poses not only an environmental threat but also a significant business risk that can impact its operations, customers, and stakeholders. As a responsible business, the Bank recognizes the importance of addressing the risks to ensure its long-term sustainability and resilience. To mitigate its carbon footprint and implementing sustainable practices to address climate change risks, bank encourages its customers to do paperless transaction using electronic channel and adopts practices like usage of green generators, eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, CFL/LED lights in offices etc.

Bank during its meetings with both internal and external stakeholders deliberates periodically on ESG practices along with measures to enhance innovation in its products and services."

8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण। Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	बैंक का निदेशक मंडल Board of Directors of the Bank
9. क्या संस्था में धारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक विशिष्ट समिति है? Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues?	जी हाँ। बोर्ड की सभी समितियाँ अपने एजेंडे की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार धारणीयता संबंधी मुद्दों को देखती हैं। Yes. All committees of the Board look after the sustainability related issues as per their agenda specific requirement.

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः /
Details of Review of NGRBCs by the Company:

समीक्षा का विषय **Subject for Review**	**सिद्धांतों की समीक्षा और बारंबारता** **Review of Principles undertaken by and frequency**								
	पी1 P1	पी2 P2	पी3 P3	पी4 P4	पी5 P5	पी6 P6	पी7 P7	पी8 P8	पी9 P9
उपर्युक्त नीतियों पर कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई Performance against above policies and follow up action	बैंक की बीआर रिपोर्ट की समीक्षा वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन कार्यान्वित किए जाते हैं। BR Report of the Bank is reviewed by the Board of Directors on an annual basis. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes, if any, to policies and procedures are implemented.								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी गैर-अनुपालन में सुधार Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	बैंक लागू मौजूदा विनियमों को अनुपालन करता है। The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.								

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन किया है? (हां/नहीं)? यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।

    Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency?(Yes/No). If yes, provide name of the agency.

    - नहीं / No

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएंः

    If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

    - लागू नहीं / Not Applicable

	सिद्धांत **Principles**	निदर्शी बैंक नीति **Illustrative Bank's Policy**
पी1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी से आचरण और शासन करना चाहिए	अनुपालन नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, घटनाओं/सूचना के प्रकटीकरण के लिए महत्ता-निर्धारण नीति, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन नीति, आंतरिक लोकपाल योजना, ग्राहक अधिकार नीति, केवाईसी एएमएल सीएफटी नीति आदि।
P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable	Compliance Policy, Whistle Blower Policy, Fraud Risk Management Policy,Dividend Distribution Guidelines, Policy on Determination of Materiality for Disclosure of Events/ Information, Policy on Related Party Transactions, Internal Ombudsman Scheme, Customer Rights Policy, KYC AML CFT Policy, etc.
पी2	कारोबारों को वस्तु एवं सेवाएँ इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।	परिचालन जोखिम पर नीति, उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव परीक्षण नीति, डेरिवेटिव नीति, ऋण नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बीसीपी - नीति आदि।
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe.	Policy on Operational Risk, Enterprise Wide Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Policy on Stress Test, Derivative Policy, Loan Policy, Asset Liability Management Policy, BCP - Policy etc.
पी3	व्यवसायों को अपनी मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की भर्ती और नियुक्ति नीति, अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति, समान अवसर नीति, यौन उत्पीड़न नीति एवं महिला कर्मचारियों पर नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति आदि।
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains	Policy on Recruitment and engagement of Apprentice under Apprentice Act 1961, Promotion Policy for Officers and Award Staff, Equal Opportunity Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Whistle Blower Policy etc.
पी4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए	उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति, शिकायत निवारण नीति, निष्क्रिय एवं अदावी जमा नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति, मृत खाताधारक एवं लापता व्यक्तियों के खातों के निपटान की नीति, आंतरिक लोकपाल योजना, कर्मचारी जवाबदेही नीति आदि।
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders	Enterprise Wide Risk Management Policy, Dividend Distribution Guidelines, Asset Liability Management Policy, Grievance Redressal Policy, Inoperative and Unclaimed Deposits Policy, Learning and Development Policy, Policy on Settlement of Deceased Account Holder & Missing Persons, Internal Ombudsman Scheme, Staff Accountability Policy etc.

	सिद्धांत **Principles**	निदर्शी बैंक नीति **Illustrative Bank's Policy**
पी5	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए	बैंक की सभी मानव संसाधन संबंधी नीतियां, शिकायत निवारण नीति, यौन उत्पीड़न नीति और महिला कर्मचारियों पर नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति आदि।
P5	Businesses should respect and promote human rights	All HR Policies of the Bank, Grievance Redressal Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Whistle Blower Policy, Learning and Development Policy etc.
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	डिजिटल ऋण नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति आदि।
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment	Digital Lending Policy, Policy on Corporate Social Responsibility etc.
पी7	व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो	सांविधिक केंद्रीय एवं शाखा लेखा परीक्षकों के चयन तथा नियुक्ति की नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, परिचालन जोखिम नीति, उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव परीक्षण नीति, क्रय नीति आदि।
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent	Policy on Selection & Appointment of Statutory Central & Branch Auditors, Dividend Distribution Guidelines, Policy on Operational Risk, Enterprise Wide Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Policy on Stress Test Purchase Policy, etc.
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए	वित्तीय समावेशन नीति, एमएसएमई नीति, शिकायत निवारण नीति, यौन उत्पीड़न नीति और महिला कर्मचारी नीति, अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों की पदोन्नति नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति आदि।
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development	Policy on Financial Inclusion, MSME Policy, Grievance Redressal Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Promotion policy for Officers and Award Staff, Learning and Development Policy etc.
पी9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए	साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, सूचना सुरक्षा नीति, अनुपालन नीति, कॉर्पोरेट संसूचना नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति, कॉरपोरेट अभिशासन पर बैंक की आचार संहिता, बीसीपी - नीति, जमा नीति आदि।
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner	Cyber Security Policy, Cyber Crisis Management Plan, Information Security Policy, Compliance Policy, Corporate Communication Policy, Policy on Corporate Social Responsibility, Bank's Code of Conduct on Corporate Governance, BCP - Policy, Deposit Policy etc.

खंड ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटन

Section C : Principle wise Performance Disclosure

सिद्धांत 1: व्यवसाय को ईमानदारी अर्थात नीतिसम्मतता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

Principle 1: Businesses Should Conduct and Govern Themselves with Integrity, and in a Manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज प्रतिशतः**
   Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

खंड Segment	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या Total number of training and awareness programmes held	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव Topics / principles covered under the training and its impact	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत %age of persons in respective category covered by the awareness programmes
निदेशक मंडल (बीओडी) Board of Directors (BOD)	4	• नेतृत्व और अभिशासन संबंधी मामलों को कवर करने वाला निदेशक विकास कार्यक्रम • आईटी एवं साइबर सुरक्षा • Directors Development Programme covering Leadership and Governance Related matters • IT and Cyber Security	70%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	4	• आईटी एवं साइबर सुरक्षा • प्रधान कार्यालय में पदस्थापित महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक के लिए कार्यशाला • वनटूवन को प्रशिक्षण • साइबर सुरक्षा और फ़िशिंग जागरूकता पर वेबिनार • IT & Cyber Security • Workshop Programme at for GMs and DGMs posted at Head Office • One to one coaching • Webinar on Cyber Security & Phishing Awareness	80%
बीओडी/केएमपी को छोड़कर अन्य कर्मचारी Employees other than BOD/KMP	305	साइबर सुरक्षा, निवारक सतर्कता, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल परिवर्तन, परिवर्तन प्रबंधन, ग्राहक सेवा, केवाईसी-एएमएल, केडिट निगरानी, एनपीए प्रबंधन आदि जैसे विविध विषयों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। Several training programmes were held on diverse topics viz. cyber security, preventive vigilance, risk management, financial inclusion, digital transformation, change management, customer service, KYC-AML, credit monitoring, NPA management etc.	69.22%
श्रमिक / Workers		लागू नहीं / Not Applicable #	

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/पंचाट/ योग किया गया शुल्क/ निपटान राशि का विवरणः

(नोटः संस्था सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियमन, 2015 के विनियम 30 में विनिर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट में प्रकट की गई तथ्यपरकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।)(कोलन)

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions in FY 2022-23 :

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

मौद्रिक / Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपए में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
शास्ति/जुर्माना Penalty/Fine	बैंक द्वारा भुगतान किया गया शास्ति/जुर्माना/समझौता/ संयोजन शुल्क, यदि कोई हो, बैंक की गुरुता नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है और वित्तीय परिणामों के हिस्से के रूप में खातों के नोट में तिमाही आधार पर प्रकट किया जाता है। Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any, paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank and are being disclosed on a quarterly basis in the notes to accounts forming part of financial results.				
समझौता Settlement					
संयोजन शुल्क Compounding fee					

गैर-मौद्रिक / Non-Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपए में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
कारावास Imprisonment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
दंड Punishment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, अपील/संशोधन का विवरण उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो।

- शून्य

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the appeal/revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

- Nil

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हाँ। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ह। (Weblink : https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-of-the-bank-fy-2023-24)

नीति का उद्देश्य बैंक में कार्यपालकों/अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करना और व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना है। बैंक उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने और अपने सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. The Bank has framed Whistle Blower Policy and the same is available on Bank's Website.(Weblink : https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-of-the-bank-fy-2023-24)

The objective of the policy is to reduce corruption and safeguarding whistle blower who sounded the misuse of power by Executives/Officers in the bank from victimization. The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations.

बैंक के आंतरिक पोर्टल पर व्हिसल ब्लोअर के लिए एक अलग लिंक बनाया गया है।संस्था के भीतर चल रही किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों / धोखाधड़ी / निवारक सतर्कता को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए यह लिंक उपलब्ध है।पोर्टल व्हिसिल ब्लोअर के बारे में सभी जानकारी और घटना/सूचना का पूरा विवरण दर्ज करेगा।इस लिंक पोर्टल का उपयोग करके दर्ज किए गए विवरण को विशेष रूप से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा एक्सेस किया जाएगा।

A separate link for the Whistle Blower has been created inside Bank's Internal portal. The link is accessible to all employees of the Bank to share information about any unlawful activities going on within organization / frauds / steps required to implement preventive vigilance. The portal will capture all information about the Whistle Blower and complete details of incident/information. The details entered using this link portal will be accessed exclusively by Chairman of the Audit Committee of Board.

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	**वित्तीय वर्ष / FY 2022-23**
निदेशक / Directors	शून्य / Nil	शून्य / Nil
केएमपी / KMP's	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कर्मचारी / Employees	शून्य / Nil	05

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24		**वित्तीय वर्ष / FY 2022-23**	
	संख्या Number	**टिप्पणियाँ Remarks**	**संख्या Number**	**टिप्पणियाँ Remarks**
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या। Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दंड/नियामकों/ कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- शून्य

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

- Nil

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों (देय खाते *365) के दिनों की संख्या/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

8. Number of days of accounts payables (Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:

	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	**वित्तीय वर्ष / FY 2022-23**
देय खातों के दिनों की संख्या Number of days of account payables	25.65	23.94

नोटः इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है /Note: Reasonable Assurance obtained for this Point

9. कारोबार का खुलापन

निम्नलिखित प्रारूप में व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद एवं बिक्री के साथ-साथ ऋण, अग्रिम और निवेश की जानकारी प्रदान करें:

9. Open-ness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

मापदंड/ Parameter	मैट्रिक्स/ Metrics	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23
खरीद का संकेन्द्रण Concentration of Purchases	क) कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद a. Purchases from trading houses as % of total purchases.	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ख) व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है b. Number of trading houses where purchases are made from	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ग) व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी c. Purchases from top 10 trading houses as% of total purchases from trading houses	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
बिक्री का संकेन्द्रण Concentration of Sales	क) कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री a. Sales to dealers/distributors as % of total sales	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ख) डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है b. Number of dealers/distributors to whom sales are made	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ग) डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री c. Sales to Top 10 dealers/distributors as % of total sales to dealers/distributors	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
इसमें आरपीटी का भाग Share of RPTs in	क) खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) a. Purchases (Purchases with related parties/Total purchases)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) b. Sales (Sales to related parties/Total Sales)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ग) ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम) c. Loans & Advances (Loans & Advances given to related parties/Total loans & advances)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	घ) निवेश* (संबंधित पक्षों में निवेश/किया गया कुल निवेश) d. Investments* (Investments in related parties/Total investment made)	शून्य / Nil	शून्य / Nil

**आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बैंक के लिए संबंधित पक्ष इसके माता-पिता, सहायक कंपनी (यों), सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) और केएमपी के रिश्तेदार हैं। दिनांक 31.03.2024 तक बैंक के पास कोई सहायक/संयुक्त उद्यम नहीं है। हालाँकि, बैंक का एक सहयोगी है, जिसका नाम पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है, जहाँ बैंक का निवेश दिनांक 31.03.2024 को 239 करोड़ रुपये और दिनांक 31.03.2023 को 198.56 करोड़ रुपये था।*

**As per RBI guidelines, Related parties for a bank are its parent, subsidiary(ies), associates/ joint ventures, Key Management Personnel (KMP) and relatives of KMP. Bank does not have subsidiary/Joint ventures as on 31.03.2024. However, Bank has one associate namely Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) where bank's investment stood at Rs.239 crore as on 31.03.2024 and Rs.198.56 crore as on 31.03.2023.*
Note : Reasonable Assurance obtained for this point.

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

   - शून्य

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/ प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।

   जी हाँ। प्रक्रिया के भाग के रूप में बैंक वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल से उन संस्थाओं पर घोषणा प्राप्त करता है जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं/संबद्ध हैं।

   कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के एक भाग के रूप में बैंक ने निदेशक मंडल और इसके मुख्य प्रबंधन में अपने निदेशकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है जो निदेशकों को ऐसे कार्यों का सहारा लेने से रोकती है जो हितों के टकराव का कारण बनते हैं। बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य और मुख्य प्रबंधन टीम बैंक की आचार संहिता का पालन कर रहे हैं।

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year.

   - Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the board? (Yes/ No) If yes, provide details of the same.

   Yes. As part of the process, Bank obtains declaration on an annual basis from the Board of Directors on the entities in which directors are interested/associated with.

   As a part of Corporate Governance norms, Bank has laid down a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management which restrains the directors from resorting to actions that lead to conflict of interest. Members of the Board and core management team of the Bank are adhering with the Bank's Code of Conduct.

सिद्धांत- 2 : व्यवसाय को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत और क्रमशः संस्थान द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश की प्रक्रियाएं।

Principle 2 : Businesses Should Provide Goods and Services in a Manner that is Sustainable and Safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively

	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण Details of improvements in environmental and social impacts
आर एंड डी R & D	लागू नहीं / Not Applicable		
कैपेक्स CAPEX			

बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास निवेश के लिए सीमित अवसर और गुंजाइश थी जो बैंकिंग उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बढ़ा सके।

बैंक का पूँजी निवेश प्रमुखतः सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) केपैक्स तक सीमित है। डिजिटल प्लेटफार्मों को अधिकता से अपनाने से न केवल प्रचालनों की कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि कागज की खपत में भी बहुत हद तक कमी आना सुनिश्चित होता है जिससे कार्बन फुटप्रिंट परोक्ष रूप से घटता है।

Given the nature of business of the Bank, there were limited opportunities and scope for R&D investments in specific technologies that could enhance the environmental and social impacts of banking products and processes.

Bank capital investment is largely restricted to Information Technology (IT) capex. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper, thereby indirectly reducing the carbon footprints.

2. ए. क्या संस्था के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं

   जी नहीं। वित्तीय सेवाप्रदाता होने के नाते संसाधनों की खपत उसके सेवा संबद्ध प्रचालनों तक सीमित है। उपकरण के प्रापण के मामले में, बैंक सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटरों, लैपटॉप, प्रकाश के साधन, ए.सी. आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के समय ऊर्जा कार्यक्षमता मानकों को ध्यान में रखा गया है।

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?

   No. Being a financial service provider, consumption of resources is limited to its service related operations. For procurement of equipment, the Bank ensures that energy efficiency standards are considered during the purchase of electronic equipment such as computers, laptops, lighting devices, AC's etc.

बी. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को टिकाऊ रूप से प्राप्त किया गया?

लागू नहीं

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) हानिकारक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए उनके जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें ।

ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) - लागू नहीं

ख) ई- अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, पुनर्नवीनीकरण किए गए माल को प्रोसेस किए हुए साधनों के रूप में उपयोग में लाने की गुंजाइश बैंक में कम ही है। तथापि, बैंक की अपनी आईटी निपटान नीति है जिसके अंतर्गत बैंक की आईटी परिसंपत्तियाँ एक दफा सपोर्ट समाप्त होने या चलन से बाहर होने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं की जा सकतीं, और एक बार दुरुस्त करने या उपयोग करने के अयोग्य हो जाने पर अनुमोदित ई-अपशिष्ट डीलरों/रीसाइक्लरों के जरिए कबाड़ के रूप में उनका निपटान कर दिया जाता है।

सी) हानिकारक अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है कि हानिकारक अपशिष्ट का उत्पादन नहीं होता है।

डी) अन्य अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रासंगिक नहीं है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

बैंक के लिए लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (निर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

Not Applicable

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste

a) Plastics (including packaging) - Not Applicable

b) E-waste - Given the nature of business, Bank has limited scope to use recycled material as processed inputs. However, Bank has IT Asset Disposal policy in terms of which IT assets of the Bank cannot be reused once it reaches end of support or becomes obsolete and are disposed off as scrap to approved e-waste dealers / recyclers once they becomes irreparable or non-reusable.

(c) Hazardous waste - Owing to the nature of business, there is no generation of hazardous waste.

(d) Other waste - Not relevant owing to the nature of business. However, Bank reduced the use of paper in its operations by going digital.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Not Applicable for Banks.

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

एनआईसी कोड NIC Code	सेवा का नाम Name of Service	टर्नओवर का प्रतिशत योगदान % of Turnover contributed	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन किया गया था Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं) Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें। Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
बैंक के लिए लागू नहीं / Not Applicable for Bank					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसको कम करने के लिए कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.

उत्पाद/सेवा का नाम Name of Product / Service	जोखिम/संस्था का विवरण Description of the risk / concern	की गई कार्रवाई Action Taken
बैंक के लिए लागू नहीं / Not Applicable for Bank		

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्याधारित) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

इनपुट सामग्री इंगित करें Indicate input material	कुल सामग्री के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री Recycled or re-used input material to total material	
	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है / Not applicable owing to the nature of business		

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) का पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान।

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed.

	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24			वित्तीय वर्ष / FY 2022-23		
	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)/ Plastics (including packaging)	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
ई-अपशिष्ट/E-waste	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	/12 tonnes
हानिकारक अपशिष्ट Hazardous waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
अन्य अपशिष्ट Other Waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

उत्पाद श्रेणी इंगित करें Indicate Product category	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category

सिद्धांत-3 : व्यवसायों को सभी कर्मचारियों तथा मूल्य शृंखला में शामिल लोगों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

Prinicple 3 : Businesses Should Respect and Promote The Well-being of all Employees, including those in their Value Chains

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. ए. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरणः

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

श्रेणी Category	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत / % of employees covered by										
	कुल (ए) Total (A)	स्वास्थ्य बीमा Health Insurance		दुर्घटना बीमा Accident Insurance		मातृत्व लाभ Maternity benefits		पितृत्व लाभ Paternity benefits		डे केयर सुविधाएं Day Care facilities	
		संख्या (बी) No. (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	संख्या (सी) No. (C)	% (सी/ए)/ (C/A)	संख्या (डी) No. (D)	% (डी/ए)/ (D/A)	संख्या (ई) No. (E)	% (ई/ए)/ (E/A)	संख्या (एफ) No. (F)	% (एफ/ए)/ (F/A)
स्थायी कर्मचारी / Permanent Employees											
पुरुष MALE	15266	15266	100	–	-	-	-	15266	100	-	-
महिला FEMALE	6190	6190	100	–	-	6190	100	-	-	-	-
कुल TOTAL	21456	21456	100	–	-	6190	100	15266	100	-	-
स्थायी कर्मचारी के अलावे / Other than Permanent Employees											
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable										
महिला FEMALE											
कुल TOTAL											

बी. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरणः
लागू नहीं

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों एवं श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च करना -

b. Details of measures for the well-being of workers : Not applicable

2. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format -

	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	**वित्तीय वर्ष / FY 2022-23**
बैंक के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण के उपायों व्ययगत लागत Cost incurred on well-being measure as a % of total revenue of the bank	0.42	0.44

नोटः इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Note : Reasonable Assurance obtained for this point.

3. वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

3. Details of retirement benefits for the Current and Previous Financial Year

लाभ Benefits	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24		वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
पीएफ़ PF	17.35%	हाँ / Y	19.85%	हाँ / Y
ग्रेच्युटी Gratuity	100%	हाँ / Y	100%	हाँ / Y
ईएसआई ESI	लागू नहीं / N A	-	लागू नहीं / N A	-
अन्य - एनपीएस Others - NPS	82.65%	हाँ / Y	80.15%	हाँ / Y

4. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक की 98% से अधिक शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिसर/कार्यालय में रैंप / लिफ्ट प्रदान की जा रही हैं।

4. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The premises/offices are accessible to differently abled employees as more than 98% of the branches/offices of the Bank are being provided with ramps/elevator as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

5. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

बैंक की समान अवसर नीति है जो निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है : https://www.ucobank.com/documents/d/guest/equal-opportunity-policy-2022-23

5. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Bank has Equal Opportunity Policy which is available on the following web link : https://www.ucobank.com/documents/d/guest/equal-opportunity-policy-2022-23

6. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर

6. Return to work and Retention rates of permanent employees

	स्थायी कर्मचारी / Permanent employees	
लिंग Gender	काम पर वापसी का दर Return to work rate	प्रतिधारण दर Retention rate
पुरुष / Male	100%	100%
महिला / Female	100%	100%
कुल / Total	100%	100%

7. क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

7. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

	हाँ /नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें) Yes/No (if yes, give details of the mechanism in brief)
स्थायी कर्मचारी Permanent Employees	जी हाँ। बैंक के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारी बैंक आंतरिक एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं Yes. Bank has a Grievance Redressal Mechanism for its employees. Employees can raise their grievances through Bank Internal HRMS Portal
स्थायी कर्मचारियों के अलावा Other than Permanent Employees	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिक Permanent Workers	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिकों के अलावा Other than Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable

8. बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता :

8. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the Bank:

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24			वित्तीय वर्ष / FY 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (ए) **Total employees in respective category (A)**	**संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी)** **No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (B)**	**% (बी/ए)** **% (B/A)**	**संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (सी)** **Total employees in respective category (C)**	**संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी)** **No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (D)**	**% (डी/सी)** **% (D/C)**
कुल स्थायी कर्मचारी Total Permanent Employees	21456	19333	90.11%	21698	19625	90.44%
- पुरुष/Male	15266	13620	89.22%	15550	13898	89.37%
- महिला/Female	6190	5713	92.29%	6148	5727	93.15%
कुल स्थायी श्रमिक Total Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable #					
- पुरुष /Male						
- महिला/Female						

9. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरणः

9. Details of training given to employees and workers :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24					वित्तीय वर्ष / FY 2022-23*				
	कुल (ए) Total (A)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर On health and safety/wellness measures		कौशल उन्नयन पर On skill upgradation		कुल (डी) Total (D)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर On health and safety/wellness measures		कौशल उन्नयन पर On skill upgradation	
		(बी) (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	(सी) (C)	% (सी/ए)/ (C/A)		(ई) (E)	% (ई/डी)/ (E/D)	(एफ) (F)	% (एफडी) (F/D)
कर्मचारी / Employees										
पुरुष MALE	15266	2759	18.07	11459	75.06	15550	42	0.27	10128	65.13
महिला FEMALE	6190	968	15.64	4740	76.57	6148	269	4.38	1553	25.26
कुल TOTAL	21456	3727	17.37	16199	75.49	21698	311	1.43	11681	53.83
श्रमिक / Workers										
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable #									
महिला FEMALE										
कुल TOTAL										

* *वित्तीय वर्ष 2022-23 के आँकड़े बीआरएसआर 2022-23 में रिपोर्ट की गई आँकड़ों के समान बदल गए हैं क्योंकि हमने गणना के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, जिसका संदर्भ एनएसई सर्कुलर संख्या एनएसई/सीएमएल/2024/11दिनांक 10.05.2024 के है।*

**Figures for FY 2022-23 has changed compared to the figures reported in BRSR 2022-23 as we have changed the approach for calculation referring the NSE Circular no. NSE/CML/2024/11 dated 10.05.2024*

10. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और करियर विकास समीक्षा का विवरणः

10. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

श्रेणी/ Category	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24*			वित्तीय वर्ष / FY 2022-23**		
	कुल (ए)/ Total (A)	संख्या (बी)/ No. (B)	% (बी/ए)/ % (B/A)	कुल (सी)/ Total (C)	संख्या (डी)/ No. (D)	% (डी/सी)/ % (D/C)
कर्मचारी / Employees						
पुरुष/Male	15266	7814	51.18	15550	9140	58.79
महिला/Female	6190	3152	50.92	6148	3830	62.30
कुल/Total	21456	10966	51.10	21698	12970	59.78
श्रमिक / Workers						
पुरुष/Male	लागू नहीं / Not Applicable #					
महिला/Female						
कुल/Total						

* *वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की प्रक्रिया जारी है; इसलिए सटीक आंकड़े नहीं निकाले जा सके। इसलिए आंकड़े प्रासंगिक हैं, जो रिपोर्टिंग की तिथि के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा पूरी करने वाले कर्मचारियों के आधार पर हैं।*

** *वित्तीय वर्ष 2022-23 के आँकड़े बीआरएसआर 2022-23 में रिपोर्ट की गई आँकड़ों के समान बदल गए हैं क्योंकि हमने गणना के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, जिसका संदर्भ एनएसई सर्कुलर संख्या एनएसई/सीएमएल/2024/11दिनांक 10.05.2024 के है।*

** Annual Performance Review for FY 2023-24 is in progress; hence exact figure could not be ascertained. Hence the figures are provisional based on the no. of employees whose Annual Performance Review for FY 2023-24 is completed as on date of reporting.*

***Figures for FY 2022-23 has changed compared to the figures reported in BRSR 2022-23 as we have changed the approach for calculation referring the NSE Circular no.NSE/CML/2024/11 dated 10.05.2024*

11. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

ए) क्या संस्थान द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था के बारे में बताएं।

हमारे पास पूरे भारत में फैली सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में एक सक्रिय जीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है।

बी) कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और संस्थान द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कारोबार के प्रकार को देखते हुए यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है। तथापि नियत अवधि पर फायर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिससे कि जोखिमों का आकलन किया जा सके तथा संबंधित कर्मचारियों में जागरूकता पैदा की जा सके।

सी) क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और कर्मचारियों को ऐसे जोखिमों से दूर रखने के लिए के लिए प्रक्रियाएं हैं ? (हाँ/नहीं) -

लागू नहीं

डी) क्या कर्मचारियों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

जी हाँ, सभी बैंक कर्मचारियों को आईबीए के द्वारा यथानिर्धारित समूह स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमारक्षित किया गया है। बीमित राशि से अधिक के खर्च को भी नियमों और शर्तों के अधीन कारपोरेट अधिशेष के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। बैंक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा, वार्षिक चिकित्सा भत्ता, चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति, नियत अवधि पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आदि।

12. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण :

11. Health and Safety management system :

a) Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

We have an active occupational health and safety management system at all the branches & administrative offices spreading across Pan India.

b) What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity? -

Given the nature of business, this is not directly applicable. However, fire mock drills are conducted on a periodical basis for assessing the risks and creating awareness among the employees concerned.

c) Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N) -

Not Applicable

d) Do the employees have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes. All employees of Bank are covered under Group Health Medical Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to terms & conditions. Bank also provides health related facilities viz. Yearly Health Checkup facility, Annual Medical Allowance, reimbursement of cost of spectacles, periodic free health checkup camp etc.

12. Details of safety related incidents :

सुरक्षा घटना/संख्या Safety incident/number	**श्रेणी Category**	**वित्तीय वर्ष / FY 2023-24**	**वित्तीय वर्ष / FY 2022-23**
काम के समय चोट/घटना बारंबारता दर (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख व्यक्ति के कार्य घंटे में) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	कर्मचारी और श्रमिक Employees & Workers	लागू नहीं / Not Applicable	
कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें Total recordable work-related injuries			
सुविधाओं की संख्या No. of fatalities			
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)			

13. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सुरक्षा और संरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुपालन में, हमने सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में व्यापक उपाय किए हैं। इसमें आग के खतरों को कम करने के लिए अग्निशामक यंत्रों और

13. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

In adherence to our commitment to safety and security, we have implemented comprehensive measures across all branches and administrative offices. This includes the

हमारी ऊंची इमारतों में अग्नि हाइड्रेंट तथा अलार्म प्रणाली का संस्थापन शामिल है। इसके अलावा, अपनी परिसंपत्ति और अपने कर्मियों दोनों की सुरक्षा के लिए देश भर में हमने अपनी सभी शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और डिजिटल फायर सह बर्गलर अलार्म प्रणाली स्थापित किए हैं।

अपने प्रधान कार्यालयों में, हमने आगंतुकों की पहुंच को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए सक्रिय आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और फ्लैप बाधाओं का एकीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, संभावित खतरों या निषिद्ध वस्तुओं की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों के सामानों की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर मशीनें लगाई गई हैं।

installation of fire extinguishers to mitigate fire risks and the deployment of fire hydrants and alarm systems in our high-rise buildings. Furthermore, to safeguard both our assets and the well-being of our personnel, we have deployed CCTV surveillance systems and Digital Fire cum Burglar alarm systems throughout our branches nationwide.

At our Head Offices, we have integrated Active Visitor Management system and Flap barriers to regulate visitor access effectively. Additionally, X-ray baggage scanner machines have been installed to thoroughly screen the belongings of both staff and visitors, ensuring the identification and prevention of potential threats or prohibited items.

14. कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

14. Number of Complaints on the following made by employees :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24			वित्तीय वर्ष / FY 2022-23		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	**वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year**	**टिप्पणियाँ Remarks**	**वर्ष भर में दर्ज Filed during the year**	**वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year**	**टिप्पणियाँ Remarks**
कार्य की स्थिति Working conditions	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य व सुरक्षा Health & Safety	-	-	-	-	-	-

15. वर्षभर के लिए आकलन / Assessments for the year :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (किसी संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
स्वास्थ्य और सुरक्षा आचरण / Health and Safety practices	100%*
कार्य की स्थिति / Working Conditions	लागू नहीं / Not Applicable

* *बैंक के पास विभिन्न वार्षिक रखरखाव अनुबंध हैं जो इसके कार्यालयों/शाखाओं के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित हैं।*
Bank has various annual maintenance contracts which deals with various safety practices for its offices/branches

16. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) से निपटने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बैंक ने जागरूकता बढ़ाने और अप्रत्याशित आग की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए अपने कर्मियों को आवश्यक कौशल से लैस करने हेतु फरवरी 2024 में प्रधान कार्यालय में पुलिस विभाग और पश्चिम बंगाल के अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विभाग के सहयोग से एक मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया। इसके अलावा, अग्निशामक यंत्रों के उचित उपयोग के लिए हमारी सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक निर्देश और व्यापक दिशानिर्देश प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाते हैं।

16. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Bank organized a mock fire drill in collaboration with the Police Department and Fire & Emergency Services Department of West Bengal at our Head Office in February 2024 to enhance awareness and equip our personnel with the necessary skills to respond effectively to unforeseen fire incidents. Furthermore, necessary instructions and comprehensive guidelines for fire safety are prominently displayed at all our branches and administrative offices for the appropriate usage of fire extinguishers.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में संस्था किसी जीवन बीमा या किसी क्षतिपूर्ति पैकेज लागू करती है-

   कर्मचारी (हाँ/नहीं) - हाँ

   बैंक अनुकंपा नियुक्ति नीति के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी के जीवन साथी / निर्भर परिजन को रोजगार की पेशकश करता है। भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता और कर्मचारी जमानिधि संबंधी बीमा जैसे लाभ यथाप्रयोज्य प्राथमिकता आधार पर निपटाए जाते हैं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक रूप से देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, बैंक द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें ।

   बैंक सुनिश्चित करता है कि बैंक के दायरे में आनेवाले लेन-देन पर यथाप्रयोज्य सांविधिक शुल्क विद्यमान विनियमों के अनुसार काटकर जमा किए जा रहे हैं। इस गतिविधि की भी आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में समीक्षा की जाती है। बैंक अपेक्षा करता है कि उसकी मूल्य शृंखला के भागीदार कारोबार उत्तरदायित्व सिद्धांतों तथा पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के मूल्यों का पालन करेंगे।

3. उन कर्मचारियों की संख्या दें, जिन्हें अत्यधिक परिणामी कार्य-संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की Q11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें अनुपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of -

   Employees (Y/N) - Yes

   Bank offers employment to spouse /dependent of deceased employee as per compassionate Appointment Policy of the Bank. Benefits like provident fund, gratuity, superannuation and employees' deposit linked insurance, as applicable, are settled on a priority basis.

2. Provide the measures undertaken by the Bank to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

   The Bank ensures that statutory dues as applicable to the transactions within the remit of the Bank are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is also reviewed as part of the internal and statutory audit. The Bank expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability.

3. Provide the number of employees having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या Total no. of affected employees/workers		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	**वित्तीय वर्ष/FY 2022-23**	**वित्तीय वर्ष/FY 2023-24**	**वित्तीय वर्ष/FY 2022-23**
कर्मचारी / Employees	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
श्रमिक / Workers #	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

\# *यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /*
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए परिवर्तन-काल सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

   जी हाँ, बैंक किसी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान व्यापक अधिगम को प्राथमिकता देता है, जिसमें उनके प्रारंभिक प्रेरण, नौकरी पर चल रहे प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि कार्यक्रम से लेकर नेतृत्व विकास, ज्ञान और पेशेवर विकास के निरंतर एकीकरण को बढ़ावा देना शामिल है।

4. Does the entity provide transition assistance programmes to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No) -

   Yes. The Bank prioritizes comprehensive learning throughout an employee's journey, spanning from their initial induction, ongoing on-the-job training, skill enhancement programs, to leadership development, fostering a continuous integration of knowledge and professional growth.

5. मूल्य शृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण

5. Details on assessment of value chain partners

	मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं / Health and Safety practices	लागू नहीं / Not Applicable
कार्य दशा / Working Conditions	

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य शृंखला भागीदारों की कार्य दशाओं से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

   Not Applicable

सिद्धांत 4 : व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

Principle 4 : Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

आवश्यक संकेतक

1. संस्थान के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें

   बैंकिंग संस्था होने के नाते, निवेशक, विकेता, नियामक, कर्मचारी, ग्राहक, व्यापक रूप से समुदाय, आदि बैंक के हितधारक हैं। प्रमुख हितधारक समूह की पहचान करने के लिए बैंक के पास कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है।

2. अपनी संस्था के लिए मुख्य रूप में पहचान किए गए हितधारक समूहों की सूची बनाएँ तथा प्रत्येक के हितधारक समूह में उनके जुड़ाव की बारंबारता बनाएँ।

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

   Being a banking entity, stakeholders of the bank are, investors, vendors, Government, Regulators, employees, customers, communities at large etc.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

हितधारक समूह Stakeholder group	क्या असुरक्षित और सीमांत ग्रुप की तरह चिन्हित है (हाँ/नहीं) Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, अखबार, पर्चे, विज्ञापन, समुदाय बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	जुड़ाव की बारंबारता (वार्षिक / अर्ध-वार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य - कृपया उल्लिखित करें) Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/Quarterly / others - please specify)	जुड़ाव के उद्देश्य एवं गुंजाइश और ऐसे जुड़ाव के दौरान मुख्य मुद्दा और व्यक्त की गई चिंताएँ Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
कर्मचारी Employees	नहीं No	एसएमएस, ईमेल और डायरेक्ट और संचार के अन्य तरीके SMS, Email and Direct and other modes of communication	बार-बार और आवश्यकता आधारित Frequent and need based	उन्हें बैंक के मिशन और नई नीतियों के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the mission and new policies of the Bank

शेयरधारक Shareholders	नहीं No	समाचार पत्र, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, शेयरधारकों की बैठक Newspaper, Website of Bank and stock Exchanges, Shareholder's Meeting	बार-बार और आवश्यकता आधारित Frequent and event based	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the latest development of the Bank
ग्राहक Customers	नहीं No	एसएमएस, ई-मेल, पत्र SMS, Email, Letter	बार-बार Frequent	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the latest development of the Bank
नियामक अर्थात आरबीआई, सेबी आदि। Regulators viz. RBI, SEBI etc.	नहीं No	ई-मेल, पत्र, बैठकें Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार As per Direction	-
भारत सरकार Government of India	नहीं No	ई-मेल, पत्र, बैठकें Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार As per Direction	-

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाओं की जानकारी दें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे बोर्ड को प्रदान की जाती है।

   आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को निदेशकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट को, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट भी शामिल है, सभी हितधारकों के मध्य परिचालित किया जाता है। शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठकों में हितधारक और निदेशक मंडल आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर आपस में विचार-विमर्श कर सकते हैं। सभी हितधारकों के अवलोकनार्थ वार्षिक रिपोर्ट को हमारे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

   बैंक नियतावधि पर ग्राहक बैठक और टाउन हॉल बैठक आयोजित करता है जहाँ आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।

2. क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन के अनुसमर्थन के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)? यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण दें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्थान की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

   Several measures taken up by the Bank under economic, environmental, and social segments are covered as a part of Directors Report and Management Discussion and Analysis. The Annual Report comprising the Directors Report is circulated among all the shareholders. Shareholders and the Board of Directors can have deliberations the economic, environmental, and social aspects at the Annual General Meetings of shareholders. Annual Report is also made available on the website of our Bank for reference of all the stakeholders.

   Bank holds customer meets and Town hall meetings at periodic intervals where the issues on economic, environmental, and social can be deliberated.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

बैंक के उत्पादों के विकास में हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है।

Suggestions received from stakeholders are considered in development of products of the Bank.

3. कमजोर/सीमांत के हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

बैंक सरकार की विविध पहलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, कई योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों से संबंधित ग्राहकों को आवास ऋण, मुद्रा ऋण, पीएमस्वनिधि आदि प्रदान करता है। विशेष रूप से, हम इन वित्तीय जीवनरेखाओं को छोटे और सीमांत किसानों, महिला लाभार्थियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों तक विस्तारित करते हैं, जो इन क्षेत्रों की सेवा और उत्थान के लिए हमारे अटूट समर्पण को रेखांकित करते हैं।

Bank actively aligns with the Government's diverse initiatives, extending support through a range of schemes. Bank extends home loans, Mudra loans, PMSvanidhi etc. to customers belonging to the economically weaker sections and low-income groups. Notably, we extend these financial lifelines to small and marginal farmers, women beneficiaries and other vulnerable sections of society, underscoring our unwavering dedication to serve and uplift these segments.

सिद्धांत 5 :व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

Principle 5 : Businesses Should Respect and Promote Human Rights

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. कर्मचारी और कामगारों जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24			वित्तीय वर्ष / FY 2022-23		
	कुल (ए) Total (A)	शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी) No. of employees covered (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	कुल (सी) Total (C)	शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी) No. of employees covered (D)	% (डी/सी)/ (D/C)
कर्मचारी / Employees						
स्थायी कर्मचारी Permanent employees	21456	29	0.13	21698	88	0.41
स्थायी के अलावा Other than permanent	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी Total Employees	21456	29	0.13	21698	88	0.41
श्रमिक / Workers #						
स्थायी के अलावा Permanent Workers	लागू नहीं / Not Applicable					
स्थायी के अलावा Other than permanent						
कुल श्रमिक Total Workers						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण :
Details of minimum wages paid to employees and workers :

श्रेणी/ **Category**	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24					वित्तीय वर्ष/FY 2022-23				
	कुल (ए) **Total (A)**	न्यूनतम मजदूरी के बराबर **Equal to Minimum Wage**		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा **More than Minimum Wage**		कुल (डी) **Total (D)**	न्यूनतम मजदूरी के बराबर **Equal to Minimum Wage**		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा **More than Minimum Wage**	
		संख्या (बी) **No. (B)**	% (बी/ए) **% (B/A)**	संख्या (सी) **No. (C)**	% (सी/ए) **% (C/A)**		संख्या (ई) **No. (E)**	% (ई/डी) **% (E/D)**	संख्या (एफ़) **No. (F)**	% (एफ़/डी) **% (F/D)**
कर्मचारी / Employees										
स्थायी Permanent										
- पुरुष/Male	15266	0	0	15266	100	15550	0	0	15550	100
- महिला/Female	6190	0	0	6190	100	6148	0	0	6148	100
स्थायी के अलावा **Other than permanent**	शून्य / Nil									
- पुरुष/Male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- महिला/Female	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रमिक/Workers										
स्थायी Permanent - पुरुष/Male - महिला/Female स्थायी के अलावा **Other than permanent** - पुरुष/Male - महिला/Female	लागू नहीं / Not Applicable									

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण / Details of Remuneration/Salary/Wages

ए. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी :/ a. Median Remuneration/Wages :

	पुरुष/Male		**महिला/Female**	
	संख्या Number	**औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी (मासिक) Median remuneration/salary respective category (Monthly)**	**संख्या Number**	**औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी Median remuneration/ salary respective category**
निदेशक मंडल (बीओडी) Board of Directors (Bod))	3	2,85,984	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	2	167028	0	0
बीओडी एवं केएमपी के अतिरिक्त कर्मचारी Employees other than BoD and KMP	15849	89,572	6190	83,379
श्रमिक/Workers		लागू नहीं / Not Applicable		

ख) निम्नलिखित प्रारूप में बैंक द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल मजदूरी:

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the Bank, in the following format:

	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	**वित्तीय वर्ष/FY 2022-23**
महिलाओं को कुल मजदूरी के % के रूप में भुगतान किया गया सकल मजदूरी Gross Wages paid to females as % of total wages	27.18%	26.67 %

नोट : इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है / Note : Reasonable Assurance obtained for this point

4. क्या व्यवसाय द्वारा मानवाधिकार को प्रभावित या उत्पन्न होने वाले मुद्दे या अभिदत्त मुद्दों को संबोधित करने हेतु आपका कोई फोकस बिन्दु (व्यक्ति/समिति) है? (हां/नहीं)

   जी हाँ, बैंक में मानवाधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/समितियां हैं। उदाहरण के लिए- यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत समिति, विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय दोनों स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति आदि।

5. मानवाधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

   लिंग, जाति, नस्ल, पद, आदि से निरपेक्ष होकर बैंक अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित कार्यपरक वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही बैंक में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति, समान अवसर की नीति आदि मौजूद हैं। कर्मचारी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बैंक के इंट्रानेट एचआरएमएस पोर्टल में प्रदत्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से भी अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं।

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing humanrights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

   Yes. Bank has Individuals/Committees responsible for addressing human right issues. For instance - Internal Complaints Committee for redressal of complaints of Sexual Harassment, Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Specially abled employees, etc.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues

   Bank ensure to maintain healthy and safe working environment for our employees irrespective of their Gender, Caste, Ethnicity, Designation, etc. Also Bank has Policy in place for Prevention of Sexual Harassment of Women Employees, Equal Opportunity Policy etc. Employees can also raise their issue through Grievance Redressal Mechanism provided in Bank's intranet HRMS portal for resolution of their Grievances.

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः / Number of Complaints on the following made by employees and workers :

	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24			**वित्तीय वर्ष/FY 2022-23**		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	**वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year**	**टिप्पणियाँ Remarks**	**वर्ष भर में दर्ज Filed during the year**	**वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year**	**टिप्पणियाँ Remarks**
यौन उत्पीड़न Sexual Harassment	शून्य/NIL	शून्य/NIL		3	शून्य/NIL	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया complaints were resolved amicably
कार्यस्थल पर भेदभाव Discrimination at workplace	3	0	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया complaints were resolved amicably	1	0	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया complaints were resolved amicably
बालश्रम Child Labour	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	-	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	-
बाध्यश्रम/अनैच्छिक श्रम Forced Labour/ Involuntary Labour	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	-	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	-
पारिश्रमिक Wages	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	-	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	-
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे Other human rights related issues	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	**वित्तीय वर्ष/FY 2022-23**
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (पीओएसएच) के तहत दर्ज की गई कुल शिकायतें Total Complaints reported under Sexual Harassment of women at Workplace(Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (POSH)	लागू नहीं / Not Applicable	3
पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में शिकायतें Complaints on POSH as a % female employees	-	0.05%
पीओएसएच पर बरकरार शिकायतें Complaints on POSH upheld	लागू नहीं / Not Applicable	0

मैसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Reasonable Assurance obtained from M/s K.Ghosh & Associates, Chartered Accountants.

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने हेतु व्यवस्था।

बैंक ने पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अंचल स्तर एवं प्रधान कार्यालय स्थित सर्वोच्च स्तर, दोनों ही स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति गठित की है।

बैंक में विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल एवं प्रधान कार्यालय दोनों ही स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, संबंधित विधि के अनुसार आवश्यक सीमा तक।

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Bank has constituted Internal Complaints Committee at both Zonal Level and Apex Level at Head Office under the provisions of POSH Act, 2013.

Bank also has Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Specially Abled employees.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, to the extent required as per relevant laws.

10. वर्ष हेतु आकलनः / Assessments for the year :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed(by entity or statutory authorities orthird parties)
बालश्रम / Child Labour	लागू नहीं/Not Applicable
बाध्य/ अनैच्छिक श्रम/ Forced/involuntary Labour	लागू नहीं/Not Applicable
यौन उत्पीड़न/ Sexual harassment	शून्य/Nil
कार्यस्थल पर भेदभाव/ Discrimination at workplace	शून्य/Nil
पारिश्रमिक/ Wages	लागू नहीं/Not Applicable
अन्य / Others	लागू नहीं/Not Applicable

11. उपर्युक्त प्रश्न 9 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंदेशों को दूर करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

- लागू नहीं

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

- Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/ परिवेदनों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/ शुरूकी जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

   बैंक ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति और समान अवसर नीति गठित की है। बैंक ने सभी कर्मचारियों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का पालन और संरक्षण करने के प्रति सुग्राही बनाया है।

2. यदि कोई मानवाधिकार ड्यू डेलीजेन्स किया गया हो तो उसकी व्याप्ति एवं उसके कार्य-क्षेत्र का विवरण।

   बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर देनेवाला सुरक्षित तथा कार्यानुकूल वातावरण बनाए रखने का प्रयास करता है। लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता, भाषा, आदि पर आधारित भेदभावपरक मुद्दों की छानबीन की जाती है, विद्यमान नीतियों, विधि और विनियमन के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित जांच भी कराई जाती है।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

   अन्य प्रकार से सक्षम कर्मचारियों के लिए परिसर/कार्यालय प्रवेश सुलभ हैं, चूँकि बैंक के 98% से ज्यादा शाखाओं/कार्यालयों में रैम्प/ एलिवेटर उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

   Bank has formulated the Policy on Prevention of Sexual Harassment at Workplace and Equal Opportunity Policy. Bank has also sensitized all employees for observing and protection of Human Rights in all the walks of their life.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

   The Bank endeavors to maintain a safe and conducive working environment providing equal opportunities for all employee of the Bank. Issues related to discrimination based on gender, nationality, religion, caste, disability, language, etc. are investigated with proper scrutiny as per the provisions of the existing polices, laws and regulations

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

   The premises/offices are accessible to differently abled employees as more than 98% of the branches/offices of the Bank are being provided with ramps/elevator as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

4. मूल्य शृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण / Details on assessment of value chain partners:

	मूल्य शृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था **% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed**
यौन उत्पीड़न/Sexual Harassment	लागू नहीं Not Applicable
कार्यस्थल पर भेदभाव/Discrimination at workplace	
बालश्रम/Child Labour	
बाध्य श्रम/अनैच्छिक श्रम/Forced Labour/Involuntary Labour	
पारिश्रमिक/Wages	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें/Other -please specify	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंदेशों को दूर करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

   लागू नहीं

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks /concerns arising from the assessments at Question 4 above.

Not Applicable

सिद्धांत 6 :व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करते हुए इसकी रक्षा और पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए।

Principle 6 :Businesses Should Respect and Make Efforts to Protect and Restorethe Environment

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का विवरणः/
Details of total energy consumption (in Giga Joules) and energy intensity :

मानदंड / Parameter	**वित्तीय वर्ष/FY 2023-24**	**वित्तीय वर्ष/FY 2022-23**
नवीकरणीय स्त्रोतों से/From renewable sources		
कुल बिजली खपत (ए)/Total electricity consumption (A)	-	-
कुल ईंधन खपत (बी)/Total fuel consumption (B)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)/ Energy consumption through other sources (C)	-	-
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (एअबीअसी) Total energy consumption from renewable sources (A+B+C)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से /From non-renewable sources		
कुल बिजली खपत (डी)/Total electricity consumption (D)	347175.71	328944.02
कुल ईंधन खपत (ई)/Total fuel consumption (E)	12529.79	12743.09
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ) Energy consumption through other sources (F)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (डीअईअएफ) Total energy consumption from non-renewable sources (D+E+F)	- 359705.50	- 341687.11
कुल ऊर्जा खपत (एअबीअसीअडीअईअएफ) Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	359705.50	341687.11
टर्नओवर के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/रुपये में पण्यावर्त टर्नओवर) Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumption/turnover in rupees)	14.32/Rs.Cr	16.95/Rs.Cr.
क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये की ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल ऊर्जा खपत / राजस्व) (जीजे / यूएसडी) Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed/Revenue from operations adjusted for PPP)(GJ/USD Cr.)	1185.69/USD Cr.	1362.61/USD Cr.
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता Energy intensity in terms of physical output	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)-प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जाए। Energy intensity (optional)-the relevant metric may be selected by the entity	-	-

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हाँ, इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? Yes, Reasonable Assurance obtained for this point.

** वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आँकड़े बीआरएसआर 2022-23 में रिपोर्ट की गई आँकड़ों के मुकाबले बदल गए हैं क्योंकि हमने डेटा कवरेज को बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, डेटा केवल हेड ऑफिस को ही संबंधित था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, हेड ऑफिस सहित सभी शाखाएँ ध्यान में ली जा रही हैं।*

**Figures for FY 2022-23 has changed compared to the figures reported in BRSR 2022-23 as we have enhanced the data coverage. During the FY 2022-23, data reported pertains only to the Head Office. However, all the branches including the Head Office is taken into consideration during the FY 2023-24.*

2. क्या भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं?

पीएटी योजना बैंक पर लागू नहीं है।

3. बैंक में जल का उपयोग मानवीय खपत के प्रयोजन तक ही सीमित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि कार्यालय परिसरों में पानी समुचित रूप से उपयोग किया जाए। बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्यालय और शाखाओं का घरेलू कचरा(सीवेज) जलाशयों में न छोड़ दिया जाए।

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India?

PAT Scheme is not applicable to the Bank.

3. Provide details of the following disclosures related to water.

Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. Bank ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.

मानदंड / Parameter	**वित्तीय वर्ष/FY 2023-24**	**वित्तीय वर्ष/FY 2022-23**
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)/Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i) ऊपरी तह का पानी/Surface water	-	-
ii) भूजल/Groundwater	-	-
iii) तृतीय पक्ष जल/Third Party Water	-	-
iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल/Sea water/Desalinated water	-	-
v) अन्य/Others	-	-
जल निकासी कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)/ Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	-	-
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) Total volume of water consumption (in kilolitres)	244534.69	246324.38
टर्नओवर में प्रति रुपए जल की मात्रा (कुल जल की खपत/परिचालन से राजस्व) Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption/Revenue from operations)	9.74 /Rs. Cr.	12.22/Rs. Cr.
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर में प्रति रुपये पानी की मात्रा (कुल जल की खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption/Revenue from operations adjusted for PPP) (Kl/USD Cr.)	811.95/USD Cr.	975.18/USD Cr.
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की मात्रा Water intensity in terms of physical output	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
जल की तीव्रता (वैकल्पिक)/Water intensity (optional)		

वताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? Yes, Reasonable Assurance obtained for this point.

नोटः प्रति दिन जल की खपत निर्धारित करने के लिए, भारतीय मानक दस्तावेज़ - जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की संहिता (चौथा संशोधन) का संदर्भ दिया गया था। दस्तावेज़ के अनुसार प्रति वर्ष 250 कार्य दिवसों के डेटा की गणना प्रति व्यक्ति (कार्यालयों) दैनिक जल आपूर्ति आवश्यकता के रूप में 45 लीटर प्रति दिन के अनुमान के साथ की गई थी।

Note : In order to determine water consumption per day, Indian Standard document - Code of basic requirements for water supply, drainage, and sanitation (Fourth Revision) was referred. Data for 250 working days per year was calculated with an estimate of 45 litres per day per head (offices) as daily water supply requirement as per the document.

** बीआरएसआर रिपोर्टिंग के समय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।*

**No assessment was done at the time of BRSR reporting for the FY 2022-23*

4. स्त्रावित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

4. Provide the following details related to water discharged:

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23
निर्दिष्ट स्थान और निरूपण स्तर के अनुसार जल प्रवाह (किलोलीटर में) **Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)**		
i) सतही जल को / To Surface water - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment	व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। Owing to the nature of the business, this is not directly applicable.	
ii) भू जल को / To Groundwater - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
iii) समुद्री जल को / To Seawater - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
iv) तृतीय पक्ष को प्रेषित / Sent to third-parties - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
v) अन्य / Others - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
विसर्जित कुल जल (किलोलीटर में) **Total water discharged (in kilolitres)**		

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?
Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

5. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि इसकी व्याप्ति व्यचन और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

नहीं / No.

6. कृपया बैंक द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण दें :

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the Bank:

मानदंड/Parameter	इकाई/Unit	2022-23	2021-22
एनओएक्स / NOx	व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। Given the nature of business, the air emission (other than GHG emission) is not material to us.		
कणिकीय पदार्थ (पीएम) / Particulate matter (PM)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी) / Persistent organic pollutants (POP)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) / Volatile organic compounds (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी) / Hazardous air pollutants (HAP)			
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें / Others - please specify			

7. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप1 और स्कोप2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण दें। / Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity

मानदंड / Parameter	इकाई / Unit	2023-24	2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (GHG का CO_2, CH4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	tCo2	853.64	868.17
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (GHG का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	tCo2	79368.22	75200.26
टर्नओवर के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations)		3.03/Rs. Cr	3.98/Rs. Cr
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/राजस्व) Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations adjusted for PPP)		250.76/USD cr.	319.92 / USD cr.
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन मात्रा Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन मात्रा (वैकल्पिक) Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional)			

नोटः इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?
इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?
Yes, Reasonable Assurance obtained for this point.

** बीआरएसआर रिपोर्टिंग के समय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।*

**No assessment was done at the time of BRSR reporting for the FY 2022-23*

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है?

- नहीं

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण दें:

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission?

- No

9. Provide details related to waste management by the entity :

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष /FY 2023-24	वित्तीय वर्ष /FY 2022-23
उत्पन्न अपशिष्ट/पुनर्चक्रण (मीट्रिक टन में) Waste generated/Recycled (in metric tonnes)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए) / Plastic waste (A)		- -
ई-अपशिष्ट (बी)/E-waste (B)	9 tonnes	12 tonnes
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)/Bio-medical waste (C)		- -
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)/Construction and Demolition waste (D)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ई)/Battery waste (E)		- -
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)/Radioactive Waste (F)		- -
अन्य खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो(जी)/Other Hazardous waste, if any (G)	-	-
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो (रचना के आधार पर विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर) Other non-Hazardous waste, if any (H).Please specify, if any (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	-	-
कुल/Total (A+B+C+D+E+F+G+H)	9 tonnes	12 tonnes
प्रति रुपए टर्नओवर पर अपशिष्ट की मात्रा (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व) Waste intensity per rupee of turnover (Total waste generated/Revenue from operations)	0.00036	0.00060
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए में अपशिष्ट मात्रा (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से उत्पन्न कुल अपशिष्ट / राजस्व) Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated /Revenue from operations adjusted for PPP)	0.02967	0.04785
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट मात्रा Waste intensity in terms of physical output	-	-
अपशिष्ट मात्रा (वैकल्पिक)/Waste intensity (optional)	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों (मीट्रिक टन में) के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste		
(i) पुनर्चक्रण/Recycled	-	-
(ii) पुनः उपभुक्त/Re-Used	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्प/Other recovery options	-	-
कुल/Total	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste		
(i) भस्मीकरण/Incineration	-	-
(ii) लैंडफिलिंग/Landfilling	-	-
(iii) अन्य संचालित निपटान/Other disposal operations	-	-
कुल/Total	-	-

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? Yes, Reasonable Assurance obtained for this point.

** बीआरएसआर रिपोर्टिंग के समय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।*

**No assessment was done at the time of BRSR reporting for the FY 2022-23*

10. अपने संस्थान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने हेतु आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, प्रचालनों में कोई भी हानिकारक और विषाक्त रसायन उपयोग नहीं किए जाते हैं। कचरा प्रबंधन रीतियों के लिए सिद्धांत 2 देखें (आवश्यक संकेतक-बिंदु 3) ।

11. कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय (हाट्सपौट), आर्द्रभूमि, जैविक वैविध्य अतिक्षेत्र, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, में / के आसपास संचालन/ कार्यालय हैं।

लागू नहीं। बैंक के पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में/ के आसपास कोई सुविधाएँ नहीं हैं, लिहाज़ा किसी भी तरह के पर्यावरणीय अनुमोदनों/अनुमतियों की जरूरत नहीं है।

12. चालू वित्तीय वर्ष में प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन का ब्यौरा।

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून /नियमों /दिशानिर्देशों; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसमें निहित नियमों का अनुपालन करती है; (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण दें।

कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, नई शाखाओं की स्थापनो के साथ-साथ अपने संचालन के दौरान भारत में प्रयोज्य पर्यावरणीय कानून/ विनियमन/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Given the nature of the business, no hazardous and toxic chemicals used in operations. For waste management practices, refer Principle 2 (Essential Indicator-Point 3)

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details.

Not Applicable. The Bank does not have any facilities in / around ecologically sensitive areas and as such no special environmental approvals / clearances are required

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

Not Applicable

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances.

Given the nature of business, Bank ensures compliance with applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India during setting up of a new-branches as well as, during its operation.

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

   लागू नहीं। एक बैंकिंग इकाई होने के नाते, पानी की खपत केवल कार्यालय और व्यक्तिगत उपयोग तक ही सीमित है।

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

   Not applicable. Being a banking entity, water consumption is limited to office and personal usage only.

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष /FY 2023-24	वित्तीय वर्ष /FY 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)/Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i) सतही जल/Surface water		- -
ii) भूजल/Groundwater	-	-
iii) तृतीय पक्ष जल/Third Party Water		- -
iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल/Sea water/Desalinated water	-	-
v) अन्य/Others	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)/		
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	-	-
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)/		
Total volume of water consumption (in kilolitres)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता/Water intensity per rupee of turnover	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक)/Water intensity (optional)	-	-
गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन एवं व्यवहार का स्तर (किलोलीटर में)/ Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
i) सतही जल के लिए/To Surface water		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/		
- with treatment-please specify level of treatment	-	-
ii) भूजल के लिए / To Groundwater		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
iii) समुद्री जल के लिए / To Seawater		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया / Sent to third-parties		
- कोई व्यवहार नहीं /No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
v) अन्य/Others		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
कुल निर्वहन जल (किलोलीटर में)/Total water discharged (in kilolitres)	-	-

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है?

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

2. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें -

Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity -

मानदंड / Parameter	इकाई / Unit	2023-24	2022-23
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (GHG का CO_2, CH4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	मीट्रिक टन CO_2 समतुल्य Metric tonnes of CO2 equivalent	कोई आकलन नहीं किया गया No assessment done	
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रुपया टर्नओवर Total Scope 3 emissions per rupee of turnover			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) Total Scope 3 emission intensity (optional)			

नोटः इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an externalagency?

3. उक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें। -

   लागू नहीं

4. यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार हेतु नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / बहिःस्राव निर्वहन / अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है तो कृपया इस तरह की पहल के परिणाम के साथ-साथ विवरण दें।

   लागू नहीं

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय सातत्य और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेबलिंक में विवरण दें।

   बैंक में निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता नीति(बीसीपी) है जो प्रमुखतः आपदाओं के समय सहायक होती है। बीसीपी में एक स्वीकार्य स्तर पर ऐसे मानक और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनसे निरंतरता, पुनः आरंभ और महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके और जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना पर आपदा के प्रभाव को सीमित किया जा सके अथवा इस प्रकार की आपदा से उभरनेवाली परिचालनगत, वित्तीय, विधिक, प्रतिष्ठाजन्य एवं अन्य तत्त्वगत परिस्थितियों को न्यूनतम पर लाया जा सके।

   ऐसे अनेक खतरे और कमजोरियाँ हैं जिनका सामना बैंकिंग संस्थाओं को करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं, इरादतन आपदाएं, आईटी संबंधी आपदाएं, माननीय भूलों के कारण होनेवाली आपदाएं हो सकती हैं जिनकी वजह से कारोबार को नुकसान होता है।

   आईटी प्रणालियों के लिए आपदा बचाव योजना(डीआरपी) बीसीपी का एक अविभाज्य हिस्सा होगी, जिसमें आईटी परिवेश में आपदा घटित होने की सूरत में जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना का कार्यनीतिगत एवं परिचालनगत ढांचा सम्मिलित किया जाएगा।

6. संस्था की मूल्य शृंखला से जनित पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को स्पष्ट करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

   लागू नहीं

7. मूल्य शृंखला साझीदारों का प्रतिशत (ऐसे साझीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।

   लागू नहीं

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities. -

   Not Applicable

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives

   Not Applicable

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

   Bank has a Board approved Business Continuity Policy (BCP) which primarily serves as insurance against disasters. BCP includes standards and procedures to ensure continuity, resumption and recovery of critical business processes, at an agreed level and limit the impact of the disaster on people, processes and infrastructure or to minimize the operational, financial, legal, reputational and other material consequences arising from such a disaster. There are various threats and vulnerabilities to which banking entities are exposed.

   There are various threats and vulnerabilities to which banking entities are exposed. There could be natural disasters, intentional disasters, IT related disasters, disaster due to human errors resulting in disruption of business.

   The Disaster Recovery Plan (DRP) for IT Systems shall be an integral part of the BCP, covering the strategic and operational framework of the people, processes and infrastructure in the event of disasters in IT environment

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard. -

   Not applicable

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

   Not applicable

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करनेवाले व्यवसाय उत्तरदायित्वपूर्ण और पारदर्शी तरीके से किए जाने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. (ए) सम्बद्ध व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की संख्या - सात

(बी) 10 शीर्ष व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं जो संस्था के सदस्य हैं / या संस्था से संबद्ध हैं।

Priniciple 7 : Businesses, When Engaging in Influencing Public and Regulatory Policy, Should do so in a Manner that is Responsible and Transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations - Seven

   b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

क्र.सं. **S.No.**	**व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के नाम** **Name of the trade and industry chambers/ associations**	**व्यापार और उद्योग कार्यालयों /संघों का फैलाव (राज्य/राष्ट्रीय)** **Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)**
1	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) Indian Banks Association (IBA)	राष्ट्रीय National
2	भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय व्यापारी संघ (एफ़ईडीएआई) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	राष्ट्रीय National
3	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआइएमएमडीए) Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	राष्ट्रीय National
4	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	राष्ट्रीय National
5	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	राष्ट्रीय National
6	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) National Payment Corporation of India (NPCI)	राष्ट्रीय National
7	वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Financial Benchmarks India Pvt Ltd	राष्ट्रीय National

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

   लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थितियों का विवरणः

बैंक नीति की वकालत नहीं करता है, परंतु सरकार और बैंकिंग उद्योग के अन्य निकायों के साथ परामर्श/विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

   Not Applicable

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

The Bank does not engage in policy advocacy, but is actively involved in consultation/ discussion forums with the Government and other bodies in the banking industry.

सिद्धांत 8 : व्यवसायों को समावेशी विकास और निष्पक्ष उत्थान को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के आकलन (एसआईए) का विवरण।

Principle 8 Businesses Should Promote Inclusive Growth and Equitable Development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, inthe current financial year.

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण Name and brief details of project	एसआईए अधिसूचना संख्या SIA Notification No.	अधिसूचना की तिथि Date of notification	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/नहीं) Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हाँ/नहीं) Results communicated in public domain (Yes / No)	संबंधित वेब लिंक Relevant Web link
लागू नहीं / Not Applicable					

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) चलाये जा रहे हैं।

   लागू नहीं

3. समुदाय से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निवेशित सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट के लिए इनपुट)।

   लागू नहीं

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल वेतन लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity.

   Not applicable

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers

   Not applicable

5. Job creation in smaller towns - Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost.

स्थान/Location	**वित्तीय वर्ष**/FY 2023-24	**वित्तीय वर्ष**/FY 2022-23
ग्रामीण/Rural	22.76 %	22.70 %
अर्ध शहरी/Semi-urban	21.22 %	21.03 %
शहरी/Urban	27.44 %	27.37 %
महानगरीय/Metropolitan	28.58 %	28.90 %

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार स्थान वर्गीकृत) नोटः इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

(Place categorized as per RBI Classification system) Note : Reasonable Assurance obtained for this point.

नोटः समीक्षाधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों की नौकरी पोस्टिंग के आधार पर डेटा प्रदान किया गया है।

Note - Data has been provided based on the job posting of employees during the period under review.

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में चिन्हित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण दें। (संदर्भः उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न1) – लागू नहीं

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित नामित आकांक्षी जिलों में अपनी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें।

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above)- Not applicable

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies

क्र.सं. S. No.	राज्य State	आकांक्षी जिला Aspirational District	व्यय की गई राशि(रु.) Amount Spent (Rs.)
1	असम/Assam	दारांग एवं उदलगुरी/Darrang and Udalguri	1,76,474
2	बिहार/Bihar	बांका एवं गया/Banka and Gaya	2,95,689
3	झारखंड/Jharkhand	रांची एवं साहिबगंज/Ranchi and Sahibganj	65,262

3. (ए) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/ सुभेद्य समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं?

- नहीं।

(बी) आप किन सीमांत/ सुभेद्य समूहों से खरीदारी करते हैं?

- लागू नहीं

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य से) का कितना प्रतिशत है?

- लागू नहीं

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण।

- लागू नहीं

5. प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

- लागू नहीं

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups?

- No

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

- Not applicable

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

- Not Applicable

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge.

- Not applicable

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

- Not applicable

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरणः

6. Details of Beneficiaries of CSR Projects :

सीएसआर परियोजना **CSR Project**	**सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या** **No. of persons benefitted from CSR Project**	**कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत %** **% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups**
1. भोजन वितरण पहल के लिए बैंगलोर में इस्कॉन के अन्ना श्री कार्यक्रम में अंशदान दिया। Contributed to ISKON's Anna Sri program in Bangalore for food distribution initiatives. 2. अरुल्मिगु धनदायुथापानी स्वामी मंदिर, पलानी, तमिलनाडु द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों में अंशदान दिया। Contributed to educational institutions managed by Arulmigu Dhandayuthapani Swamy Temple, Palani, Tamil Nadu.	निर्धारित नहीं Not ascertained	अधिकांश लाभार्थी कमजोर और हाशिये पर रहने वाले समूहों से संबंधित हैं Majority of the beneficiaries belongs to vulnerable and marginalized groups

सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या No. of persons benefitted from CSR Project	कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत % % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
3. श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के दौरान जम्मू में अमरनाथ यात्रियों को पानी की बोतलें उपलब्ध कराने में अंशदान दिया गया। Contributed for providing water bottles to Amarnath Yatris in Jammu during the Shri Amarnath Yatra 2023. 4. वंचित छात्रों/प्रशिक्षुओं को लाभ पहुंचाने के लिए छात्रावासों में एसी स्थापित करने के लिए लघु उद्योग भारती (एलयूबी) का सहयोग किया गया। Supported Laghu Udyog Bharti (LUB) for installing ACs in hostels, benefiting underprivileged students/trainees. 5. आपदा पुनर्स्थापना प्रयासों के लिए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया गया। Contributed to Himachal Pradesh Chief Minister's Relief Fund for disaster restoration efforts. 6. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए ई-रिक्शा की खरीद के लिए अंशदान दिया गया। Contributed for the purchase of e-rickshaws to assist differently-abled individuals at Bihar Agriculture University, Sabour. 7. बिजनेस इन्क्यूबेशन प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए iCreate के कॉर्पस फंड में अंशदान दिया गया। Contributed to iCreate's Corpus fund to support business incubation processes. 8. पुरी और जगतसिंहपुर जिलों में "साइबर सुरक्षा अभियान" में अंशदान देकर ओडिशा पुलिस, सीआईडी विभाग के साथ साझेदारी की। Partnered with Odisha Police, CID Department by contributing to the "Cyber Safety Campaign" in Puri and Jagatsinghpur districts. 9. निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट को चश्में और कपड़े वितरण के लिए दान दिया गया। Donated to Nimbark Math Seva Samiti Trust for distributing spectacles and clothes. 10. होम इकोनॉमिक्स ट्रेनिंग सेंटर (एचईटीसी), झारपाड़ा, लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर में वेलनेस सेंटर स्थापित करने में अंशदान दिया और तीन वर्षों के लिए आवर्ती खर्चों को कवर किया गया। Contributed to establish wellness centers at the Home Economics Training Centre (HETC), Jharpada, Laxmisagar, Bhubaneswar, and covered the recurring expenses for three years. 11. अरुल्मिगु तिरुवेंकाटामुडियन तिरुकोविल, तमिलनाडु को एक प्रिंटर के साथ एक पीसी उपलब्ध कराने के लिए अंशदान दिया गया। Contributed towards providing a PC with a printer to Arulmigu Thiruvenkatamudyan Thirukovil, Tamil Nadu.		

सिद्धांत 9 : व्यवसाय को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हे अहमियत देनी चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और प्रत्युत्तर देने हेतु स्थापित प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

   बैंक के पास विभिन्न हितधारकों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने और उनकी शिकायतों के समाधान पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न तंत्र हैं।

   बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शिकायत निस्तारण नीति लागू की है ताकि ग्राहक शिकायतों का जल्द और प्रभावी प्रकार से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत कोई ग्राहक किसी शाखा, अंचल कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय को लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी पावती पा सकता है। शिकायतें बैंक के कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001030123(चौबीसों घंटे उपलब्ध यूको संपर्क), ई-मेल hopgr.calcutta@ucobank.co.in पर, ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली(ओजीआरएस) पर भी दर्ज की जा सकती है, जो कि बैंक की वेबसाइट पर मौजूद एक वेब लिंक है, जिससे ग्राहक को शिकायत की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने हेतु शिकायत संदर्भ संख्या प्रदान की जाती है।

   शाखाओं, अंचलों, प्रधान कार्यालय को सीधे प्राप्त शिकायतों, और केंद्रीय/राज्य सरकारों, मंत्रालयों, सरकारी विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, संसद सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों, आईबीए, एसएसएन आदि से प्राप्त शिकायतों, चाहे भौतिक रूप में हों या ई-मेल के जरिए हों, को ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली(ओजीआरएस) में दर्ज किया जा रहा है ताकि बेहतर नियंत्रण हो सके।

   यदि ग्राहक अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट न हो, तो वह महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवा विभाग, प्रधान कार्यालय से निम्नलिखित संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकता/सकती है: टेलीफोन; 033-4455-7131 / 7109 और ई-मेल: hosp.cscell@ucobank.co.in

   बैंक के पास यूको एम-बैंकिंग प्लस ऐप, ई-बैंकिंग, चैटबॉट, बैंक की वेबसाइट, ग्राहक संपर्क बिंदुओं/शाखाओं पर प्रदर्शित क्यूआर कोड आदि सहित विभिन्न डिजिटल चैनलों के साथ ग्राहक फीडबैक हैंडलिंग सिस्टम एकीकृत है।

   बैंक के पास प्रधान कार्यालय स्तर पर शेयरधारक के प्रश्नों/शिकायतों के निवारण के लिए अलग प्रकोष्ठ है। शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायत के लिए विशिष्ट ई-मेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं का पण्यावर्त जिनके बारे में जानकारी है, से उत्पादों/सेवाओं के पण्यावर्त का प्रतिशत :पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान

Principle 9 : Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

   Bank has various mechanisms in place to receive and address the grievances of various stakeholders and seeking feedback from customer on their complaints resolution.

   To ensure customer grievances are redressed promptly and effectively, the Bank has put in place a board approved Grievance Redressal policy. Under this Policy, a customer can lodge a complaint in writing to a branch, Zonal Office or Head Office and can obtain an acknowledgement. Complaints can also be lodged at bank's Call centre on toll free number 18001030123 (UCO Sampark accessible 24/7 basis), email at hopgr.calcutta@ucobank.co.in, Online Grievances Redressal System (OGRS)- a web link placed on Bank's Website which provides the customer with Complaint Reference Number for tracking status of Complaint.

   All Complaints received directly by Branches, Zones, Head Office and those received from Central/State Governments, Ministries, Government Departments, Reserve Bank of India, Members of Parliament and Legislative Councils, IBA, SSM, etc. either in physical form or by e-mails are being entered in Online Grievance Redressal System (OGRS) for better control.

   In case the customer is not satisfied with the handling of his complaint, he/she can contact the General Manager, Operations & Services Department, Head Office at the following contact details: Telephone; 033-4455-7131 / 7109 & Email: hosp.cscell@ucobank.co.in

   Bank is having Customer Feedback Handling System integrated with various Digital Channels including UCO M-Banking Plus App, E-Banking, Chatbot, Bank's website, QR Codes displayed at customer contact points/ branches etc.

   Bank has separate cell for redressing the grievances of the shareholder queries/complaints at Head Office level. An exclusive email id for shareholders queries/complaint is hosgr.calcutta@ucobank.co.in

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में As a percentage to total turnover
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड Environmental and social parameters relevant to the product	लागू नहीं / Not Applicable
सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग Safe and responsible usage	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान Recycling and/or safe disposal	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्याः / Number of consumer complaints in respect of the following:

	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24			वित्तीय वर्ष/FY 2022-23		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
डाटा गोपनीयता Data Privacy	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन Advertising	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा Cyber-Security	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति Delivery of essential services	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार कार्यप्रणाली Restrictive trade practices	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली Unfair trade practices	-	-	-	-	-	-
अन्य Other (एटीएम/ई-बैंकिंग/अतिरिक्त प्रभार लगाना/खाता खोलने संबंधी आदि) (ATM/e-banking /levy of excess charges/Account opening related etc.)	103636	1985	-	34146	1432	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों का विवरण /
Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	संख्या/Number	प्रत्याहार के कारण/Reason for recall
स्वैच्छिक प्रत्याहार/Voluntary recalls	लागू नहीं/Not applicable	
बाध्य प्रत्याहार/Forced recalls		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के संबंध में कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक दें।

बैंक में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रकार्यों और परिचालनों के लिए दिशा और सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति है। यह पॉलिसी बैंक के आंतरिक यूको ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई संबंधी मुद्दों पर की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Bank has Board approved Cyber Security Policy to provide direction and support for cyber security related functions and operations within the Bank. The policy is available at Bank's Internal UCO Online Portal.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/action taken by regulatory authorities on safety of products/services.

मानवीय भेद्यता से उत्पन्न होने वाले साइबर जोखिमों से निपटने के लिए, विभाग विभिन्न साइबर जागरूकता पहलों और अभियानों के माध्यम से हमारे कर्मचारियों और ग्राहकों की साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करता है।

- बैंक शाखाओं और कार्यालयों में कर्मचारियों और ग्राहकों को शामिल करने वाली कार्यशालाओं, सेमिनारों, वेबिनार, ग्राहक बैठकों, रचनात्मक और इंटरएक्टिव सत्रों, विभिन्न प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हर महीने के पहले बुधवार को जन जागरूकता अभियान 'साइबर जागरूकता दिवस' मनाया जाता है।
- कार्यालयों और शाखाओं के माध्यम से लाइव वेबिनार, ग्राहक बैठकें, आउटरीच कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- साइबर सुरक्षा जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.ucobank.com) पर समर्पित "साइबर सुरक्षा" कॉर्नर।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम - 23 अक्टूबर), फ़िशिंग जागरूकता अभियान (जून'23), निवारक सतर्कता जागरूकता अभियान (23'नवंबर), साइबर जागृति सप्ताहव्यापी अभियान (फरवरी 24 का पहला सप्ताह) जैसे विभिन्न अभियानों को बढ़ावा देना।
- सोशल मीडिया पोस्ट, साइबर जागरूकता वीडियो, निर्देशिका, रील, मीम्स को बार-बार अपलोड करने के साथ-साथ आईएसईए, सीईआरटी-इन, साइबरदोस्त आदि सरकारी पोस्टों को रीट्वीट करना।
- नए शामिल हुए ग्राहकों सहित स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता ई-मेल निर्देशिका साझा करना।
- साइबर जागरूकता पुस्तिकाओं जैसे 'फ़िशिंग और काउंटरमेजर्स' और 'साइबर सुरक्षा जागरूकता पर हैंडबुक' का प्रकाशन।
- शाखा एवं एटीएम परिसरों, मेट्रो स्टेशन, डिजिटल डिस्प्ले यूनिट, प्रशिक्षण केंद्रों पर साइबर जागरूकता पोस्टर का प्रदर्शन।
- बैंक के डिजिटल चैनलों जैसे एटीएम स्क्रीन और मोबाइल बैंकिंग ऐप, आधिकारिक वेबसाइट, ई-बैंकिंग पोर्टल, फिनेकल टिकर, आंतरिक एचआरएमएस पोर्टल, यूको ऑनलाइन पोर्टल, डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और स्क्रीनसेवर (एडी पीसी) आदि का उपयोग करके साइबर जागरूकता संदेशों का प्रदर्शन।
- विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करने के लिए पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस, ईमेल, आईवीआर संदेशों का उपयोग, 93.5 एफएम रेडियो स्टेशन के माध्यम से रेडियो जिंगल्स का प्रसारण

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क) डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या - शून्य

ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत - लागू नहीं

ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो - लागू नहीं

नोटः इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

To address cyber risks arising out of human vulnerability, Department puts concerted efforts in raising Cyber Awareness of our staffs and customers through various cyber awareness initiatives and campaigns.

- Mass awareness drive 'Cyber Jagrookta Diwas' is observed on the first Wednesday of every month through conduction of Workshops, Seminars, Webinars, Customer meets, Creative & Interactive Sessions, various competitions and other events engaging employees & customers at Bank Branches & Offices.
- Promoting of Live Webinar, Customer Meets, Outreach Programs, Awareness Events through Offices & Branches.
- "Cyber Security" Dedicated Corner at Bank's Official Website (www.ucobank.com) for dissemination of Cyber Security Awareness messages.
- Promotion of various campaigns like National Cyber Security Awareness Month (NCSAM - Oct' 23), Phishing Awareness Campaign (June'23), Preventive Vigilance Awareness Campaign (Nov' 23), Cyber Jagrookta Weeklong Campaign (1st Week of Feb'24).
- Frequent uploading of Social Media Post, Cyber Awareness Videos, advisories, reels, memes as well as Retweet of Government posts like ISEA, CERT-In, CyberDost etc.
- Sharing of Cyber Security Awareness Email Advisories to Staff Members and Customers including newly on-boarded customers.
- Publication of Cyber Awareness Booklets like 'Phishing & Countermeasures' and 'Handbook on Cyber Security Awareness'.
- Display of Cyber Awareness Posters at Branch & ATM Premises, Metro Station, Digital Display Unit, Training Centres.
- Display of Cyber Awareness Messages using Bank's Digital Channels like ATM Screen & Mobile Banking App, Official Website, E-Banking Portal, Finacle Ticker, Internal HRMS portal, UCO Online portal, Desktop Background & Screensaver (AD PC) etc.
- Usage of Push Notification, SMS, Email, IVR messages, Broadcasting of Radio Jingles through 93.5 FM Radio Station to make customers aware through various channels

7. Provide the following information relating to data breaches:

   a. Number of instances of data breaches - Nil

   b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers - Not Applicable

   c. Impact, if any, of the data breaches - Not Applicable

Note : Reasonable Assurance obtained for this point.

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं से संबन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक दें।)

   उत्पादों/सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

   सोशल मीडिया चैनलों की सूची जहां बैंक अपनो उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करता हैः

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

   Information about products/services offered can be accessed through Bank's Website (www.ucobank.com)

   List of Social Media Channels where bank disseminates information on its products and services :

Facebook	www.facebook.com/official.ucobank/
X (Formerly Twitter)	www.twitter.com/UCOBankOfficial/
Linkedin	www.linkedin.com/company/uco-bank
Instagram	www.instagram.com/official.ucobank/

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

   बैंक साइबर संबंधी उत्पादों, और उनके सुरक्षित होने को लेकर अपने ग्राहकों को एसएमएस, ईमेल द्वारा और सोशल मीडिया पर भी नियमित रूप से शिक्षाप्रद संदेश भेजता रहता है। ग्राहक को शिक्षित करने के लिए बैंक प्रत्येक माह में बैंक साइबर जागरूकता दिवस भी आयोजित करता है।

3. उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।

उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित तंत्र हैंः

क) एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग और एटीएम जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रभावित करने वाली किसी भी निर्धारित रखरखाव गतिविधियों से पहले, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन जैसे प्रत्यक्ष सूचना चैनलों के माध्यम से पहले से सूचित किया जाए, जिससे ग्राहक तदनुसार योजना बना सकें और किसी भी असुविधा को कम कर सकें।

ख) बैंक अपनी वेबसाइट, ई-बैंकिंग पोर्टल और एटीएम स्क्रीन सहित कई प्लेटफार्मों पर सूचनात्मक संदेश प्रदर्शित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को किसी भी आगामी सेवा व्यवधान के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जा सके।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य से अधिक उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

   जी नहीं, बैंक स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करता है।

   जी हाँ, बैंक ने एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग, कियोस्क आदि जैसे प्रमुख चैनलों पर उपलब्ध फीडबैक प्रणाली के माध्यम से प्रमुख उत्पादों/सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की संतुष्टि पर विभिन्न सर्वेक्षण किए हैं।

   इसके अलावा, बैंक किसी भी लेनदेन पर ग्राहकों को उनके बहुमूल्य फीडबैक/रेटिंग/सुझाव के लिए फीडबैक लिंक भी भेजता है।

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

   Bank is regularly sending cyber education/awarness messages to the customers on Digital Products and their safe usage through SMS, E-Mail, Push notifications as well as through Bank's Social Media handles.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Bank has following mechanism in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services :

a) Prior to any scheduled maintenance activities affecting vital systems such as M-Banking, E-Banking, and ATMs, bank ensures customers are informed in advance through direct communication channels like SMS and push notifications, allowing customers to plan accordingly and mitigate any inconvenience.

b) Bank displays informative messages on multiple platforms including the bank's website, e-banking portal and ATM screens, ensuring customers are kept well-informed about any upcoming service interruptions.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

   No, Bank displays product information as per local laws.

   Yes, Bank carried out various surveys among customers on their satisfaction relating to major products/services through feedback system, made available on major channels like M-Banking, E-Banking, Kiosk etc.

   Further, Bank also sends feedback link to customers on any transaction for their valuable feedback/rating/suggestion.

कारोबारी उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2023-24 में चयनित गैर-वित्तीय धारणीयता प्रकटीकरण पर यूको बैंक को स्वतंत्र यथोचित आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
यूको बैंक
कोलकाता

हमें, मैसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूको बैंक ('बैंक') द्वारा चयनित गैर-वित्तीय धारणीयता प्रकटीकरण ('परिचिह्नित धारणीयता सूचना') पर स्वतंत्र उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है जिसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए बैंक की व्यावसायिक जिम्मेदारी और धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2023-24 में प्रस्तुत किया गया।

परिचिह्नित धारणीयता सूचना

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिचिह्नित की गई धारणीयता सूचना का सारांश निम्नलिखित हैः

धारणीयता जानकारी जहां यथोचित आश्वासन पूरा दिया जाता है	बीआरएसआर 2023-24 का क्रॉस संदर्भ
• देय खातों के दिनों की संख्या • कारोबार में खुलापन	सिद्धांत 1 के तहत आवश्यक संकेतकों का बिंदु 8 आवश्यक संकेतकों का बिंदु 9
• कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च • कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	सिद्धांत 3 के तहत आवश्यक संकेतकों का बिंदु 2 आवश्यक संकेतकों का बिंदु 11
• भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को सकल मजदूरी का भुगतान • POSH पर शिकायतें	सिद्धांत 5 के तहत आवश्यक संकेतकों का बिंदु 3(बी) आवश्यक संकेतकों का बिंदु 7
• ऊर्जा पदचिह्न • जल पदचिह्न • गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन • ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) पदचिह्न • अवशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6 के तहत आवश्यक संकेतकों का बिंदु 1 आवश्यक संकेतकों का बिंदु 3 आवश्यक संकेतकों का बिंदु 4 आवश्यक संकेतकों का बिंदु 7 आवश्यक संकेतकों का बिंदु 9
• सोर्स की गई इनपुट सामग्री • छोटे शहरों में रोजगार सृजन	सिद्धांत 8 के तहत आवश्यक संकेतकों का बिंदु 4 आवश्यक संकेतकों का बिंदु 5
• ग्राहकों के डेटा के नुकसान / उल्लंघन से जुड़े मामले	सिद्धांत 9 के तहत आवश्यक संकेतकों का बिंदु 7

हमारा यथोचित आश्वासन केवल दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में था जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और हम पहले की अवधि या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

मानदंड

चिह्नित की गई धारणीयता सूचना तैयार करने के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न हैं.

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन धारणीयता सूचना पर रिपोर्टिंग, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री तैयारी और लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, बीआरएसआर तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंड चुनने या स्थापित करने के लिए मानदंड के अनुसार चिह्नित की गई धारणीयता संबंधी जानकारी की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में में बीआरएसआर की तैयारी और परिचिह्नित धारणीयता सूचना की माप के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, तथा जो धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से संभव महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है।

अंतर्निहित सीमाएं

गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित प्रथा के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और यह संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है।

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और हम पुष्टि करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं को पूरा किया है और इस आश्वासन कार्य को संचालित करने के लिए हमारे पास आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

यह फर्म गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) 1 पर मानक, 'ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के कार्यों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण' लागू करती है, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखती है।

हमारा उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन द्वारा पहले प्रदान की गई प्रक्रियाओं और सूचनाओं के आधार पर बीआरएसआर 2023-24 में निहित परिचिह्नित धारणीयता जानकारी पर एक यथोचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है और हमने यह कार्य किया है और इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स (एसएसएई) 3000, 'स्थिरता सूचना पर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स' पर मानक के अनुसार अपना कार्य किया। इस मानक के लिए आवश्यक है कि हम रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार, सभी भौतिक मामलों में, परिचिह्नित स्थिरता जानकारी तैयार की गई है या नहीं, इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की योजना बनाएं और उसका पालन करें। एक उचित आश्वासन संलग्नता में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण परिचिह्नित स्थिरता जानकारी के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यक रूप से मूल्यांकन किए गए जोखिमों का जवाब देना शामिल है।

हमने जो प्रक्रियाएं अपनाईं वे हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य कार्य शामिल थे।

संलग्नता की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में, हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रक्रियाओं और सूचनाओं के साथ-साथ आश्वासन संलग्नता के दौरान प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए माप दृष्टिकोण के आधार पर पहचानी गई स्थिरता जानकारी पर उचित आश्वासन प्रदान किया। इस सहभागिता के एक भाग के रूप में, हमने परिमाणीकरण विधियों की उपयुक्तता, पहचानी गई स्थिरता जानकारी तैयार करने में बैंक द्वारा उपयोग किए गए मानदंडों की उपयुक्तता और बीआरएसआर 2023-24 में निहित पहचानी गई स्थिरता जानकारी को सुनिश्चित करने/तैयार करने के लिए बैंक द्वारा किए गए अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया।

अपवर्जनः

हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं है और इसलिए हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:

- बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित जानकारी।
- बीआरएसआर के पहलू और पहचानी गई स्थिरता जानकारी के अलावा डेटा/सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि यानी 31.03.2024 के बाहर का डेटा और सूचना।
- वे कथन जो कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विचार, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, लक्ष्य या भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं।

मन्तव्य

हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिचिह्नित स्थिरता सूचना (जैसा कि 'परिचिह्नित स्थिरता सूचना 'के अंतर्गत बताया गया है) सभी भौतिक मामलों में मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है और हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि बैंक के बीआरएसआर 2023-24 में बताई गई परिचिह्नित स्थिरता संबंधी जानकारी सेबी द्वारा अपने परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी- -एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 दिनांक 12.07.2023 द्वारा निर्धारित मानकों/दृष्टिकोण के आधार पर, भौतिक संबंध में निष्पक्ष रूप से नहीं बताई गई है।

जीएचजी उत्सर्जन की गणना के लिए जिन धारणाओं का पालन किया जा रहा है, उनकी और समीक्षा की जा सकती है और उन्हें मजबूत किया जा सकता है और डेटा मालिकों के बीच स्थिरता से संबंधित प्रकटीकरण की समझ को बढ़ाने की गुंजाइश है।

प्रयोग पर प्रतिबंध

हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से बैंक के अनुरोध पर तैयार की गई है और बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है। तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। बैंक के अलावा कोई भी पक्ष जो हमारी रिपोर्ट या उसकी प्रति तक पहुंच प्राप्त करता है और हमारी रिपोर्ट (या उसके किसी भी हिस्से) पर भरोसा करता है, वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। हमारे डिलिवरेबल्स का उपयोग बैंक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फर्म न तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के लिए देखभाल या दायित्व के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करती है और न ही मानती है, जिसे हमारे डिलिवरेबल्स दिखाए जाते हैं या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है।

कृते के घोष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म का पंजीकरण क्रमांक 326664ई)

सीए कौशिक घोष
पदनाम : स्वत्वाधिकारी
सदस्यता संख्या :061176
यूडीआईएनः 24061176BKGRZO2881

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 03.05.2024

अनुलग्नक-ए

(कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2023-24 में चुनिंदा गैर-वित्तीय स्थिरता प्रकटीकरण पर यूको बैंक को स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट का हिस्सा बनाना

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
1.	● देय खातों के दिनों की संख्या ● व्यवसाय का खुलापन	**देय खातों के दिनों की संख्या.** देय खातों की इस संख्या की गणना करने के लिए डेटा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण से लिया गया है। (देय खाते*365 / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) **व्यवसाय का खुलापन** कारोबार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रयोज्य नहीं है।
2.	● कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर व्यय ● कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	**कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च** कर्मचारियों की भलाई के लिए किया गया व्यय यथा स्वास्थ्य जांच, चश्मा, नेत्र जांच, मनोरंजन भत्ता, असुविधा भत्ता, सफाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि की लागत की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखा जाता है और बैंक के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुल राजस्व लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से लिया गया था। **कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण** कारोबार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रयोज्य नहीं है।
3.	● भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को सकल मजदूरी का भुगतान ● POSH पर शिकायतें	**महिलाओं को भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में सकल वेतन का भुगतान** इस जानकारी के लिए, हमने बैंक के संबंधित विभाग/सेल द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा किया है। **POSH पर शिकायतें** इस जानकारी के लिए, हमने बैंक के संबंधित विभाग/सेल द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान पीओएसएच पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।
4.	● ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) पदचिह्न ● ऊर्जा पदचिह्न ● जल पदचिह्न ● गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन ● अवशिष्ठ प्रबंधन	**ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) पदचिह्न** स्कोप I उत्सर्जन केवल बैंक के स्वामित्व वाले वाहन को कवर करता है। हम स्कोप I उत्सर्जन की गणना के चरणों का सारांश प्रस्तुत करते हैं - चरण I: शाखाओं/कार्यालयों द्वारा किया गया राज्यवार पेट्रोल व्यय चरण II: राज्यवार पेट्रोल की कीमत चरण III: लीटर में राज्यवार पेट्रोल की खपत का पता लगाना (चरण I / चरण II) चरण IV: सभी राज्यों की पेट्रोल खपत का योग और उत्सर्जन कारक से गुणा किया गया चरण V: चरण IV से KgCo2 में अनुमानित दायरा I उत्सर्जन KgCo2 को tCo2 में बदला गया। स्कोप II उत्सर्जन ग्रिड से केवल बैंक की बिजली खपत को कवर करता है। हम स्कोप II उत्सर्जन की गणना के चरणों का सारांश प्रस्तुत करते हैं - चरण I: शाखाओं/कार्यालयों द्वारा किया गया राज्यवार बिजली व्यय चरण II: राज्यवार प्रति यूनिट बिजली शुल्क

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
		चरण III: Kwh में राज्यवार बिजली की खपत का पता लगाना (चरण I / चरण II) चरण IV: सभी राज्यों की बिजली खपत का योग और उत्सर्जन कारक से गुणा किया गया चरण V: चरण IV से KgCo2 में स्कोप II उत्सर्जन का पता लगाया गया KgCo2 को tCo2 में बदला गया। **ऊर्जा पदचिह्न** स्कोप II उत्सर्जन में बिजली की खपत (Kwh में) और ईंधन की खपत (लीटर में) और स्कोप I में उत्सर्जन गणना ली जाती है और इसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के तहत गीगाजूल में परिवर्तित किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग नगण्य है और इसलिए कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। **जल पदचिह्न** प्रति दिन पानी की खपत निर्धारित करने के लिए, भारतीय मानक दस्तावेज़ - जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की संहिता (चौथा संशोधन) का संदर्भ लिया गया था। दस्तावेज़ के अनुसार प्रति व्यक्ति (कार्यालयों) दैनिक जल आपूर्ति आवश्यकता के रूप में प्रति दिन 45 लीटर के अनुमान के साथ प्रति वर्ष 250 कार्य दिवसों के डेटा की गणना की गई थी। संख्या की गणना करने के लिए, हमने कर्मचारी के मासिक औसत का उपयोग किया है और उसके अनुसार काम किया है। **गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन** कारोबार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रयोज्य नहीं है। **अवशिष्ठ प्रबंधन** इसके तहत बैंक के संबंधित विभाग/सेल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ई-कचरे पर डेटा रिपोर्ट किया गया है। कारोबार की प्रकृति को देखते हुए अन्य अपशिष्ट श्रेणियां महत्वपूर्ण / प्रयोज्य नहीं है।
5.	• सोर्स की गई इनपुट सामग्री छोटे शहरों में रोजगार सृजन	समीक्षाधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों की नौकरी पोस्टिंग के आधार पर डेटा प्रदान किया गया है।
6.	• ग्राहकों के डेटा की हानि / उल्लंघन से जुड़े मामले	बैंक के संबंधित विभाग/प्रकोष्ठ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्राहकों के डेटा के नुकसान/उल्लंघन से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT TO UCO BANK ON SELECT NON-FINANCIAL SUSTAINABILITY DISCLOSURES IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) 2023-24

To
The Board of Directors
UCO Bank
Kolkata

We, M/s K Ghosh & Associates, Chartered Accountants, have been engaged by the UCO Bank ("Bank") for the purpose of providing Independent Reasonable Assurance on the select non-financial sustainability disclosures ("Identified Sustainability Information") presented in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) 2023-24 of the Bank for the period covering 1st April 2023 to 31st March 2024.

Identified Sustainability Information

The Identified Sustainability Information for the year ended 31.03.2024 is summarized below:

Sustainability Information where reasonable assurance is carried out	Cross Reference to BRSR 2023-24
• Number of days of accounts payable. • Open-ness of business	Under Principle 1 Point 8 of Essential Indicators Point 9 of Essential Indicators
• Spending on measures towards well-being of employees • Details of safety related incidents for employees	Under Principle 3 Point 2 of Essential Indicators Point 11 of Essential Indicators
• Gross wages paid to females as % of wages paid • Complaints on POSH	Under Principle 5 Point 3(b) of Essential Indicators Point 7 of Essential Indicators
• Energy footprint • Water footprint • Water Discharge by destination and levels of Treatment • Green-house gas (GHG) footprint • Waste Management	Under Principle 6 Point 1 of Essential Indicators Point 3 of Essential Indicators Point 4 of Essential Indicators Point 7 of Essential Indicators Point 9 of Essential Indicators
• Input material sourced • Job creation in smaller towns	Under Principle 8 Point 4 of Essential Indicators Point 5 of Essential Indicators
• Instances involving loss / breach of data of customers	Under Principle 9 Point 7 of Essential Indicators

Our reasonable assurance engagement was with respect to the year ended 31.03.2024 information only unless otherwise stated and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

Criteria

The criteria used by the Bank to prepare the Identified Sustainability Information is enclosed as Annexure-A

Management's Responsibility

The management at the Bank is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the BRSR, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Sustainability Information, Identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Inherent limitations

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.

Our Independence and Quality Control

We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

The firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

Our Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information contained in the BRSR 2023-24 based on the procedures and information as provided before by the Management of the Bank and we have performed and evidence we have obtained.

We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we provided Reasonable Assurance on Identified Sustainability Information based on the procedures and information as provided by the Management as well measurement approach used by the Management during the assurance engagement. As a part of this engagement, we evaluated appropriateness of the quantification methods, suitability of the criteria used by the Bank in preparing the Identified Sustainability Information and the reasonableness of the estimates made by the Bank for ascertaining/preparing the Identified Sustainability Information contained in the BRSR 2023-24.

Exclusions:

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

- Information related to the Bank's Financial Performance
- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
- Data and information outside the defined reporting period i.e., 31.03.2024
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Company

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information for the year ended 31.03.2024 (as stated under "Identified Sustainability Information") are prepared in all material respects, in accordance with the criteria and nothing has come to our attention that causes us to believe that Identified Sustainability Information disclosed in the Bank's BRSR 2023-24 are not fairly stated and properly prepared, in material respects, based on the standards/approach stipulated by the SEBI vide their circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12.07.2023.

The assumptions that are being followed for calculation of GHG emissions can be further reviewed and strengthened and there is a scope of enhancing the understanding of the sustainability related disclosures among the data owners.

Restriction on use

Our report has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Bank at the request of the Bank solely. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Bank. Any party other than the Bank who obtains access to our report or a copy thereof and chooses to rely on our report (or any part thereof) will do so at its own risk. Our Deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the Bank. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For K Ghosh & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 326664E)

C A Kausik Ghosh
Designation: Proprietor
Membership No: 061176
UDIN : 24061176BKGRZO2881

Place: Kolkata
Date: 03.05.2024

Annexure -A

(Forming part of Independent Reasonable Assurance Report to UCO Bank on Select Non-Financial Sustainability Disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) 2023-24

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
1.	• Number of days of accounts payable. • Open-ness of business	**Number of days of accounts payable.** To compute this number of days of accounts payable, data has taken from Audited financial statement. (Accounts Payable*365 / Cost of goods/services procured) **Open-ness of business** Owing to the nature of business, this is not applicable.
2.	• Spending on measures towards well-being of employees • Details of safety related incidents for employees	**Spending on measures towards well-being of employees** Expenditure incurred towards well-being of employees viz. reimbursement to Cost of Health check up, Spectacles, Eye Check-up, Entertainment Allowance, Discomfort Allowance, Cleaning Allowance, Medical Allowance and Health Insurance Premium etc. are taken into consideration and presented as a percentage of total revenue of the Bank. Total revenue was taken from audited financial statements. **Details of safety related incidents for employees** Owing to the nature of business, this is not applicable.
3.	• Gross wages paid to females as % of wages paid • Complaints on POSH	**Gross wages paid to females as % of wages paid** For this information, we have relied on the information provided by the respective department/cell of the Bank. **Complaints on POSH** For this information, we have relied on the information provided by the respective department/cell of the Bank. No complaints on POSH reported during the year 2023-24.
4.	• Green-house gas (GHG) footprint • Energy footprint • Water footprint • Water Discharge by destination and levels of Treatment • Waste Management	**Green-house gas (GHG) footprint** **Scope I** emission covers only Bank's owned vehicle. We summarize the steps for computation of Scope I emission - Step I : State Wise Petrol Expenditure incurred by the Branches /Offices Step II : State Wise Petrol Price Step III : Ascertained State wise Petrol Consumption in litres (Step I / Step II) Step IV : Summation of Petrol Consumption of all States and multiplied by emission factor Step V : Ascertained Scope I Emission in KgCo2 from Step IV. Converted the KgCo2 into tCo2 **Scope II** emission covers only bank's electricity consumption from Grid. We summarize the steps for computation of Scope II emission - Step I : State Wise electricity expenditure incurred by the Branches /Offices Step II : State Wise per unit electricity charges

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
		Step III : Ascertained State wise electricity Consumption in Kwh (Step I / Step II) Step IV : Summation of electricity consumption of all States and multiplied by emission factor Step V : Ascertained Scope II Emission in KgCo2 from Step IV. Converted the KgCo2 into tCo2 **Energy footprint** Electricity Consumption (in Kwh) and Fuel Consumption (in litres) is taken Scope II emission and Scope I emission calculation and converted the same into Gigajoules under non-renewable energy. Usage of renewable energy is negligible and hence no assessment is done. **Water Footprint** In order to determine water consumption per day, Indian Standard document - Code of basic requirements for water supply, drainage, and sanitation (Fourth Revision) was referred. Data for 250 working days per year was calculated with an estimate of 45 litres per day per head (offices) as daily water supply requirement as per the document. To compute the number, we have used the monthly average of employee and worked out accordingly. **Water Discharge by destination and levels of Treatment** Owing to the nature of business, this is not applicable. **Waste Management** Data on E-waste has been reported under this based on the information provided by the respective department/cell of the Bank. Owing to the nature of business, other wastes categories are not material/applicable.
5.	• Input material sourced Job creation in smaller towns	Data has been provided based on the job posting of employees during the period under review.
6.	• Instances involving loss / breach of data of customers	No instances involving loss / breach of data of customers has been reported for the FY 2023-24 as per the information furnished by the respective department/cell of the Bank

कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कार्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लॉज (आई) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking,(iii)co-operative, (iv) economics,(v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole-time directors. All directors including the whole time directors are appointed/nominated by Government of India under various sections viz. 9(3) (a) to 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the

अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2 दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही हैः

Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2024:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	पदभार ग्रहण करने की तारीख Date of assuming office	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2024	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या No. of membership in Committees of the Bank	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद Directorship held in other companies
1.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman of the Board	21.02.2024	शून्य/Nil	6	6	6
2.	श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer	01.06.2023	शून्य/Nil	12	शून्य/Nil	शून्य/Nil*
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	21.11.2022	शून्य/Nil	11	शून्य/Nil	शून्य/Nil
4.	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, कार्यपालक निदेशक Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director	09.10.2023	शून्य/Nil	11	शून्य/Nil	शून्य/Nil
5.	डा संजय कुमार सरकार नामिती निदेशक Dr Sanjay Kumar Government Nominee Director	13.05.2021	शून्य/Nil	10	शून्य/Nil	शून्य/Nil
6.	श्री राजेश कुमार भरिबैं के नामित निदर्शक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	08.03.2022	शून्य/Nil	4	शून्य/Nil	शून्य/Nil

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	पदभार ग्रहण करने की तारीख Date of assuming office	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2024	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या No. of membership in Committees of the Bank	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद Directorship held in other companies
7.	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri, Anjan Talukdar Part-time Non-Official Director	21.12.2021	शून्य/Nil	11	शून्य/Nil	शून्य/Nil
8.	श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Part-time Non-Official Director	21.12.2021	शून्य/Nil	11	शून्य/Nil	शून्य/Nil
9.	श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri. Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director	08.05.2023	शून्य/Nil	4	शून्य/Nil	शून्य/Nil
10.	श्री प्रमोद रंजन मिश्र शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक Shri Pramoda Ranjan Mishra Director under Shareholder Category	01.02.2024	100	13	शून्य/Nil	शून्य/Nil

नोटः 31.03.2024 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार के निदेशकत्व का विवरणः

Note : Details of Directorship of Shri Aravamudan Krishna Kumar in other listed entities as on 31.03.2024 :

क्र.सं. Sl no	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम Name of other listed entities	निदेशकत्व की श्रेणी Category of Directorship
1.	एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड MTAR TECHNOLOGIES LIMITED	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
2.	जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES LIMITED	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

*नोटः 31.03.2024 तक श्री अश्वनी कुमार द्वारा अन्य संस्थानों में धारित समिति पदों का विवरणः

*Note : Details of committee positions held by Shri Ashwani Kumar in other entities as on 31.03.2024 :

क्र.सं. Sl no	समिति का नाम Name of committee	पदः (अध्यक्ष/सदस्य) Position (Chairman/Member) etc.
1	प्रबंध समिति, आईबीए Managing Committee, IBA	सदस्य Member
2	आईबीए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर स्थायी समिति Standing Committee on Agriculture & Allied Activities, IBA	अध्यक्ष Chairman
3	गवर्निंग कौंसिल, आईआईबीएफ Governing Council, IIBF	अध्यक्ष Member

2.2.1 दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2024:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री इशराक अली खान/Shri Ishraq Ali Khan	10.03.2021	30.04.2023	10
2	श्री सोमा शंकर प्रसाद/Shri Soma Sankara Prasad	01.01.2022	31.05.2023	11
3	श्री के राजीवन नायर/Shri K Rajivan Nair	01.02.2021	31.01.2024	11

2.2.2 दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान शामिल होने वाले निदेशकः
2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2024:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री सुभाष शंकर मलिक Shri Subhash Shankar Malik	08.05.2023	07.05.2026	4
2	श्री अश्वनी कुमार Shri Ashwani Kumar	01.06.2023	31.05.2026	12
3	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble	09.10.2023	08.10.2026	11
4	श्री प्रमोद रंजन मिश्रा Shri Pramoda Ranjan Mishra	01.02.2024	31.01.2027	13
5	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार Shri Aravamudan Krishna Kumar	21.02.2024	20.02.2027	6

2.2.3 निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर- कार्यपालक अध्यक्ष

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि धारक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। उनका भारतीय स्टेट बैंक में 39 वर्षों का लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है । उन्होंने अप्रैल-2011 से नवंबर-2014 की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, आंध्र बैंक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड में भी रहे हैं।

वर्तमान में वे एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सतगुरु कैटलाइजर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

2.2.3 Brief Profile of the Directors

Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman

Shri Aravamudan Krishna Kumar holds Bachelor degree in Economics from Delhi University and Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has had a long and distinguished career of 39 years at State Bank of India. He served as the Managing Director of the State Bank of India for the period April-2011 - November-2014.

He has also been on the Board of several reputed companies such as Central Depository Services (India) Limited, Andhra Bank, Rural Electrification Corporation Limited, SBI Life Insurance Company Limited, SBI Commercial and International Bank Limited, SBI Cap Securities Limited, SBI General Insurance Company Limited, SBI Cards and Payment Services Limited to name a few.

At present he is an Independent director on the Board of several companies such as MTAR Technologies Limited, Sathguru Catalyser Advisors Private Limited, TVS Wealth Private Limited, Zaggle Prepaid Ocean Services Limited to name a few.

श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अश्वनी कुमार वाणिज्य में स्नातकोत्तर, चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के सर्टिफाइड सदस्य भी हैं। उन्हें बैंकिंग में दो दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है।

श्री अश्वनी कुमार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय), पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक में कार्यरत रहे। उनके व्यावसायिक अनुभव में थोक बैंकिंग प्रभाग और औद्योगिक वित्त शाखाओं और बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं सहित कई शाखाओं के प्रमुख के रूप में काम करने का अनुभव शामिल है। महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट वर्टिकल का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंचल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है, विभिन्न अंचलों कार्यालयों के प्रधान का दायित्व निभाया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी कार्य किया है।

एक उत्साही ज्ञानार्जक के रूप में, उन्होंने आईआईएम और कैफ़रल सहित भारत और विदेशों में प्रमुख संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने आईबीए के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा क्यूरेट किए गए आईआईएम बैंगलोर तथा एगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है।

एमडी और सीईओ के रूप में यूको बैंक में शामिल होने से पहले, वे इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक

श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने दिनांक 21.11.2022 को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने वर्ष 1994 में तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरूकिया। उन्हें क्षेत्रीय और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर बैंकिंग-कार्य का वृहत अनुभव है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्लस्टर प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने महाप्रबंधक के रूप में एकीकृत ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और कोष प्रबंधन का नेतृत्व किया। यूको बैंक में शामिल होने से पहले श्री साबू पंजाब नेशनल बैंक में कार्यनीति प्रबंधन, आर्थिक सलाहकार, एमआईएस और डेटा एनालिटिक्स के मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें व्यवसाय प्रशासन (बैंकिंग और वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं और वे एडवांस्ड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के सर्टिफिकेटधारी है। उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा संचालित क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू को कई बैंकिंग डोमेनों यथा, ब्रांच बैंकिंग, क्रेडिट, एचआर, ट्रेजरी आदि में काम करने का अनुभव है।

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, कार्यपालक निदेशक

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले बैंकिंग क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक के व्यापक कैरियर वाले एक अनुभवी बैंकर हैं। उन्होंने 1990 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में अपनी यात्रा शुरूकी और तब से वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते आए हैं। उन्हें नागपुर अंचल, मुंबई अंचल आदि जैसे प्रमुख स्थानों में अंचल प्रबंधक के रूप में काम करने का अनुभव है। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड आदि के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया है।

श्री कांबले की शैक्षिक योग्यताओं में पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्राप्त मास्टर डिग्री शामिल है। वे भारतीय बैंकिंग और

Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer

Shri Ashwani Kumar is a Chartered Accountant, Post Graduate in Commerce and also a Certified Member of Indian Institute of Banking and Finance. He has more than two decades of rich experience in banking.

Shri Ashwani Kumar rose through the ranks serving in various Public Sector Banks such as Bank of Baroda, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce (now merged with Punjab National Bank), Punjab National Bank and Indian Bank. His experience includes Wholesale Banking Division and Head of several branches including Industrial Finance Branches and Large Corporate Branches. As a General Manager, he was heading Mid Corporate and Large Corporate verticals. He has served as a Zonal Manager, heading various Zones and also as the Chief Financial Officer(CFO).

As anavid learner, he has attended various training programs in premier institutes in India and abroad including IIM and CAFRAL. He has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Prior to joining UCO Bank as MD & CEO, he was Executive Director of Indian Bank.

Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director

Shri Rajendra Kumar Saboo assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on 21.11.2022.Shri Rajendra Kumar Saboo started his career as a Probationary Officer in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1994 and has a rich banking experience in various capacities at field and administrative offices. He acted as Branch Head, Regional Head and Cluster Head at various locations. In his capacity as General Manager, he headed Integrated Treasury & International Banking, Digital Banking and Wealth Management. Before joining UCO Bank, Shri Saboo was the Chief General Manager in Punjab National Bank heading Strategic Management, Economic Advisory, MIS and Data Analytics.

Shri Rajendra Kumar Saboo is a Post Graduate in Commerce and holds a Master Degree in Business Administration (Banking & Finance). He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds a certificate for Advanced Diploma in Management. He had undergone the Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).

Shri Rajendra Kumar Saboo has experience across multiple banking domains viz. Branch Banking, Credit, HR, Treasury etc.

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble is a seasoned banker with an extensive career spanning over 33 years in the banking sector. He embarked on his journey in 1990 as an Agriculture Field Officer at Bank of Maharashtra and has since held various significant positions. His experience includes working as a Zonal Manager in key locations such as Nagpur Zone, Mumbai Zone etc. Furthermore, he has contributed his expertise as a Director on the Board of Maharashtra Gramin Bank, PSB Alliance Pvt. Ltd. etc.

Shri Kamble's educational qualifications include a Master's Degree in Economics from Pune's Savitribai Phule University and he is

वित्त संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिनमें आईआईएम, आईडीबीआरटी, एनआईबीएम शामिल हैं। विशेष रूप से, उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) के माध्यम से आयोजित आईआईएम बैंगलोर में पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।

यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक की भूमिका ग्रहण करने से पूर्व श्री कांबले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महाप्रबंधक के पद पर थे, जहां उन्होंने मुंबई अंचल के प्रचालन का पर्यवेक्षण किया। श्री कांबले को संसाधन नियोजन, कृषि में ऋण प्राथमिकता, और व्यवसाय विकास कार्यक्षेत्र आदि सहित विविध बैंकिंग डोमेनों में काम की व्यापक विशेषज्ञता प्राप्त है।

डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. संजय कुमार का जन्म 05 अगस्त, 1976 को हुआ। डॉ. कुमार भारतीय डाक और दूरसंचार खातों और वित्त सेवा के 2003 बैच के अधिकारी हैं। वे 21 सितंबर, 2017 को निदेशक के रूप में वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) में शामिल हुए। डीएफएस में शामिल होने से पहले, उन्होंने दूरसंचार विभाग (डीओटी) और डाक विभाग (डीओपी) में काम किया। डीओटी में, उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस वित्त और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से संबंधित कार्यों को निपटाया। डाक विभाग में, आंतरिक वित्त सलाहकार और निदेशक लेखा के रूप में, उन्होंने वित्त सलाह, लेखा, बजट और आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यों को देखा।

वर्तमान में, वह संयुक्त प्रशासक (वित्त), यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, भारत सरकार के रूप में 06.03.2024 से काम कर रहे हैं।

डॉ. कुमार को 13 मई, 2021 को यूको बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले, वे 22 जून, 2020 से 25 मार्च, 2021 तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वे सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में 05 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में रहें।

श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

श्री राजेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को 08 मार्च, 2022 से यूको बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है।

श्री कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास, मानव संसाधन प्रबंधन आदि सहित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों के लगभग सभी पहलुओं को सम्मिलित (कवर) करने वाले विविध विभागों को संभालने का अनुभव है। उन्होंने दो वर्षों से अधिक गुजरात राज्य में बैंकिंग लोकपाल के रूप में कार्य किया है। वे पाँच वर्षों तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों/सम्मेलनों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई), 'जी-20' समूह की एक पहल शामिल है। वे वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के प्रारूपण में सक्रिय रूप से शामिल थे।

पूर्व में, उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक में निदेशक मंडल में कार्य किया है। वर्तमान में, वे आरबीआई, अहमदाबाद में गुजरात राज्य के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने तीन वर्षों से अधिक समय तक उत्तराखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

14 जनवरी, 1967 को जन्मे, श्री अंजन तालुकदार के पास विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लीगल, प्रबंधन और वित्त जैसे विभिन्न

also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking and Finance. Throughout his career, he has actively participated in numerous training programs conducted by prestigious institutions in India, including IIM, IDBRT, NIBM, among others. Notably, he successfully completed the Leadership Development Programme for Senior Management of PSBs at IIM Bangaloreconducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).

Before assuming the role of Executive Director at UCO Bank, Shri Kamble held the position of General Manager at Bank of Maharashtra, where he oversaw the operations of the Mumbai Zone. Shri Kamble possesses extensive expertise across diverse banking domains, including Resource Planning, Credit Prioritization in Agriculture, and Business Development Verticals, etc.

Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director

Born on August 05, 1976, Dr Sanjay Kumar belongs to the 2003 Batch of Indian Post and Telecom Accounts and Finance Service. He joined Department of Financial Services (DFS) as Director on September 21, 2017. Prior to joining DFS, he worked in Department of Telecommunications (DoT) and Department of Posts (DoP). In DoT, he dealt with the works related to Spectrum Usage Charges, License Finance and Universal Service Obligation Fund in various capacities. In DoP, as Internal Finance Advisor and Director Accounts, he dealt with the works related to Finance advice, Accounts, Budgets and Internal Audit.

Currently, he is working as Joint Administrator (Finance), Universal Service Obligation Fund, Government of India w.e.f. 06.03.2024.

Dr Sanjay Kumar has been nominated as Government Nominee Director on the Board of UCO Bank on May 13, 2021. Prior to this, he was on the Board of IDFC First Bank as Government Nominee Director from June 22, 2020 to March 25, 2021 and on the Board of Syndicate Bank as Government Nominee Director from April 05, 2018 to March 31, 2020.

Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director

Shri Rajesh Kumar, Chief General Manager, Reserve Bank of India (RBI) has been appointed on the Board of Directors of UCO Bank with effect from March 08, 2022.

Shri Kumar has over three decades of experience with Reserve Bank of India, handling diverse portfolios covering almost the entire gamut of major functions of RBI including, inter alia, Banking Supervision, Financial Inclusion & Development, Human Resource Management etc. He has served as Banking Ombudsman of Gujarat State for more than two years. He was on deputation with Central Bureau of Investigation for five years. He has represented RBI at several international multilateral forums / conferences including Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), an initiative of 'G-20' Group. He was closely involved in drafting of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI).

He has previously served on the Boards of Directors of a public and a private sector bank.He is presently serving as Regional Director for the state of Gujarat at RBI, Ahmedabad. Previously, he has served as Regional Director for Uttarakhand for over three years.

Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director

Born on January 14, 1967, Shri Anjan Talukdar has a working experience of over 30 years in various public and private sector

क्षेत्रों में अधिकतम 30 वर्ष का कार्य अनुभव है। वह वर्तमान में प्रिमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड में हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, लीगल और कंपनी सचिव हैं और उनका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है। श्री तालुकदार की शैक्षिक योग्यताएँ बी.कॉम, एफसीएस, एलएलबी हैं। उन्होंने कई प्रबंधन विकास कार्यक्रम पूरे किए हैं और उन्हें प्रतिष्ठित आईआईएम - अहमदाबाद और हेनले मैनेजमेंट कॉलेज, यूके का एलुम्नाई भी माना गया है। अन्य पेशेवर गतिविधियों के बीच, उन्होंने पूर्व में आईसीएसआई के नॉर्थ-ईस्ट अध्याय के अध्यक्ष, उत्पादक संचालक एक प्रकाशन हाउस के, लेखक और कानून, कर और प्रबंधन से संबंधित विषयों पर मेहमान शिक्षक के रूप में कार्य किया है। श्री तालुकदार को 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड पर पार्ट-टाइम गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

organizations in diverse fields including legal, management and finance. He is currently Head Corporate Affairs, Legal and Company Secretary at Premier Cryogenics Ltd and is based in Guwahati, Assam. Shri Talukdar's educational qualifications include B.Com, FCS, LLB. He has also completed several Management Development Programmes and is an Alumni of the prestigious IIM - Ahmedabad and Henley Management College, UK. Among other professional activities he was the former Chairman of the N.E. Chapter of ICSI, former member of the Committee on Banking and Insurance of the Federation of Industries & Commerce of N.E. Region, promoter director of a publication house, author and guest faculty on subjects relating to law, taxation and management. Shri Talukdar has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f. 21.12.2021.

श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री रवि कुमार अग्रवाल का जन्म 06 अगस्त, 1965 को हुआ। वे पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। वे 'अग्रवाल और बर्दिया' सीए फर्म में भागीदार हैं जो रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। श्री अग्रवाल भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जोनल एडवाइजरी बोर्ड में 4 वर्षों से मानद सदस्य हैं। श्री अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता में प्रमाणित सीए होने के अलावा बी.कॉम (ऑनर्स) और एलएलबी शामिल हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फिस्कल लॉ कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। श्री अग्रवाल को दिनांक 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेाक के रूप में नामित किया गया है।

Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director

Born on August 06, 1965, Shri Ravi Kumar Agrawal is a Chartered Accountant by profession. He is a partner in CA firm 'Agrawal and Bardiya' and is based in Raipur, Chhattisgarh. Shri Agrawal has been honorary member in the Zonal Advisory Board of Life Insurance Corporation of India (LIC) for 4 years. Shri Agrawal's educational qualifications includes B.Com (Hons.) and LLB apart from being a certified CA. He has also been member of Fiscal Law Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Shri Agrawal has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f. 21.12.2021.

श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक

श्री सुभाष शंकर मलिक को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ संख्या 6/8/2022-बीओ दिनांकः 08.05.2023 के तहत यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उनके पास कला स्नातक की डिग्री है और वे गोवा में कुछ सहकारी समितियों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। वर्तमान में, वे आईपीबी, गोवा से जुड़े हुए हैं।

Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director

Shri Subhash Shankar Maliknominated as Director on the Board of UCO Bank vide GOI notification no. F no. 6/8/2022-BO.I dated 08.05.2023. He possesses degree of Bachelor of Arts and held senior positions in few co-operative societies at Goa. Currently, he is associated with IPB, Goa.

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक

21 मई 1964 को जन्मे, श्री प्रमोद रंजन मिश्र, कार्यपालक निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम, वर्तमान में एलआईसीएचएफएल केयर होम्स लिमिटेड के निदेशक और सीईओ के रूप में तैनात हैं। वे 1 फरवरी 2024 को शेयरधारक निदेशक के रूप में यूको बैंक के बोर्ड में शामिल हुए हैं।

अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर श्री प्रमोद रंजन मिश्रा ने वर्ष 1988 में एलआईसी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने शाखा प्रमुख, प्रभागीय प्रमुख और भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश विभाग के कार्यपालक निदेशक सहित विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है।

अपनी 36 वर्षों की सेवा में, श्री मिश्र ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में काम किया है। उन्होंने कोलकाता उपनगरीय मण्डल और कोलकाता मेट्रो-I डिवीजन, जो देश में बिक्री और प्रीमियम आय के मामले में एलआईसी के दो सबसे बड़े मण्डल हैं, के मण्डल प्रधान के रूप में कार्य किया है। श्री मिश्र पांच वर्षों तक एलआईसी, नेपाल के सीईओ भी रहे हैं। एलआईसी में ईडी बनने से पहले, उन्होंने सचिव और निवेश विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य किया है।

Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder Category

Born on 21st May 1964, Shri Pramoda Ranjan Mishra, Executive Director, Life Insurance Corporation of India, presently posted as Director & CEO of LICHFL Care Homes Ltd, has joined the Board of UCO Bank on 1st February 2024 as Shareholder Director.

Shri Pramoda Ranjan Mishra, a Post Graduate in Applied Economics, started his career as an Assistant Administrative Officer with LIC in the year 1988 and has served in various capacities including Branch Head, Divisional Head and also as Executive Director of Investment Department of LIC of India.

In his 36 years of service, Shri Mishra has worked in many states such as Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal and Maharashtra. He has served as Divisional Head of Kolkata Suburban Division and Kolkata Metro-I Division, two of the biggest Divisions of LIC in terms of Sales and Premium Income in the country. Shri Mishra was also CEO of LIC, Nepal for five years. Before becoming ED in LIC, he has served as Secretary and Chief of Investment Departments.

2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. Sl No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर- कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman	बैंकिंग, वित्त, कॉर्पोरेट अभिशासन और नेतृत्व Banking, Finance , Corporate Governance and Leadership
2	श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer	बैंकिंग और वित्त, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking and Finance, Strategic Management and Leadership
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	बैंकिंग, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking, Strategic Management and Leadership
4.	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले कार्यपालक निदेशक Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble Executive Director	बैंकिंग, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking, Strategic Management and Leadership
5.	डॉ संजय कुमार सरकार के नामित निदेशक Dr Sanjay Kumar Govt. Nominee Director	प्रशासन और शासन ओवरसाइट Administration and Governance Oversight.
6.	श्री राजेश कुमार आरबीआई नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण Banking Regulation and Supervision
7.	श्री अंजन तालुकदार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar Part-time Non-Official Director	कॉर्पोरेट मामले और कानूनी पहलू Corporate Affairs and Legal aspects
8.	श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Part-time Non-Official Director	आयकर, लेखा परीक्षा और लेखा Income tax, Audit and Accounting
9.	श्री सुभाष शंकर मलिक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik Part-time Non-Official Director	प्रशासन Administration
10.	श्री प्रमोद रंजन मिश्र शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक Shri Pramoda Ranjan Mishra Director under Shareholder Category	निवेश प्रबंधन और नेतृत्व Investment Management and Leadership

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 16 (सोलह) बैठकें आयोजित की गईं :

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 16 (Sixteen) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

28.04.2023	02.05.2023	30.05.2023	23.06.2023	28.07.2023	29.08.2023	16.09.2023
19.10.2023	03.11.2023	24.11.2023	18.12.2023	24.01.2024	31.01.2024	12.02.2024
14.03.2024	30.03.2024					

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने केवल गैर-कार्यपालक निदेशको के साथ निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। समिति के सभी निदेशक वित्तीय दृष्टि से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत /लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 एसीबी की अध्यक्षता श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक ने इसके अध्यक्ष के रूप में की। डॉ संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई के नामित निदेशक, श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक इसके सदस्य हैं। श्री के राजीवन नायर 31.01.2024 तक एसीबी के सदस्य थे और 31.01.2024 को उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद, श्री प्रमोद रंजन मिश्र 01.02.2024 से एसीबी के सदस्य हैं। श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक और श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक एसीबी की बैठक में आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित एसीबी की एक वर्ष में न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की अपेक्षा के मुकाबले 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईं।

3. Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision-making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with only Non-Executive Directors. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 ACB is chaired by Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director as its Chairperson, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder director as its members. Shri K Rajivan Nair was the member of the ACB till 31.01.2024 and after end of his tenure on 31.01.2024, Shri Pramoda Ranjan Mishra is a member of ACB w.e.f. 01.02.2024. Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director & Shri. Vijay N Kamble, Executive Director are invitees to the meeting of ACB. During the period under review, 11 (Eleven) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 11 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.05.2023	23.06.2023	28.07.2023	28.08.2023
12.09.2023	16.09.2023	03.11.2023	14.12.2023
24.01.2024	12.02.2024	14.03.2024	

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

i) अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव,

ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,

iii) कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और

iv) समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 एमसीबी की अध्यक्षता श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी करते हैं। एमसीबी के अन्य सदस्यों में श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेश कुमार आरबीआई नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं।

3.2.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 14 (चौदह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

28.04.2023	30.05.2023	23.06.2023	28.07.2023	28.08.2023
16.09.2023	19.10.2023	24.11.2023	18.12.2023	10.01.2024
18.01.2024	12.02.2024	08.03.2024	28.03.2024	-

3.1.3 During the period under review, 11 (Eleven) meetings of the ACB were held on following dates:

02.05.2023	23.06.2023	28.07.2023	28.08.2023
12.09.2023	16.09.2023	03.11.2023	14.12.2023
24.01.2024	12.02.2024	14.03.2024	

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c)of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve

i) High value credit/loan, compromise and write-off proposals,

ii) High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/ hiring of premises,

iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/ debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations, and

iv) Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 MCB is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer. Other members of MCB are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N. Kamble, Executive Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director.

3.2.3 During the period under review, 14 (Fourteen) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

28.04.2023	30.05.2023	23.06.2023	28.07.2023	28.08.2023
16.09.2023	19.10.2023	24.11.2023	18.12.2023	10.01.2024
18.01.2024	12.02.2024	08.03.2024	28.03.2024	-

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती है जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 आरएमसीबी की अध्यक्षता श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक, श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री सुभाष शंकर मलिक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

19.06.2023	28.08.2023	24.11.2023	08.03.2024

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

3.4.2 समिति की अध्यक्षता श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक श्रेणी के निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक और रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक हैं।

3.4.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 29.08.2023 एवं 14.03.2024 को आयोजित की गईं।

3.4.4 श्री एन पूर्ण चन्द्र राव, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

3.4.5 वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

- वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें- 292
- शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं हुए शिकायतों की संख्या- शून्य
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या- 1

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB comprises of Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director as Chairman, Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director, Shri. Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder Category as its members.

3.3.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

19.06.2023	28.08.2023	24.11.2023	08.03.2024

3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 The Committee is chaired by Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder Category. Other members of the committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director and Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director.

3.4.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee was held on 29.08.2023 and 14.03.2024.

3.4.4 Shri Vikash Gupta, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4.5 Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 292
- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - Nil
- No. of pending complaints at the end of the financial year - 1

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 भारत सरकार के परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 समिति की अध्यक्षता श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक द्वारा की जाती है। इस समिति के अन्य सदस्य हैं डॉ. संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक।

3.5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 19.10.2023 तथा 11.01.2024 को आयोजित की गईं।

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य **₹1** करोड़ एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.6.2 समिति की अध्यक्षता श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक और गैर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है. समिति के अन्य सदस्य श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयर धारक श्रेणी के निदेशक हैं।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईः

22.06.2023	29.08.2023	03.11.2023	08.03.2024

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.7.2 समिति का उद्देश्यः

i) जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 समिति की अध्यक्षता श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, डॉ. संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को हुईं:

19.06.2023	15.09.2023	14.12.2023	29.02.2024

3.5.2 As per Government of India guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 The Committee is chaired by Shri. Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder director, other members of this committee are Dr Sanjay Kumar, Government Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri. Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director.

3.5.4 During the period under review, 2 (Two) meetings of the Committee were held on19.10.2023 and 11.01.2024.

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving Rs.1.00 crore and above.

3.6.2 The Committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman. Other members of the committee are Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri. Vijay N Kamble, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under shareholder category.

3.6.3 During the period under review, 4 (Four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

22.06.2023	29.08.2023	03.11.2023	08.03.2024

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 Objectives of the Committee:

i) To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer. Other members of the committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under shareholder category.

3.7.4 During the period under review, 4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

19.06.2023	15.09.2023	14.12.2023	29.02.2024

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय लें। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 समिति की अध्यक्षता श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और साथ ही गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, डॉ. संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

i) स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,

ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,

iii) अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,

iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं

v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।

उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईः

19.06.2023	29.08.2023	19.10.2023	14.12.2023
07.02.2024	14.03.2024		

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 समिति की अध्यक्षता श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और साथ ही गैर-कार्यपालक अध्यक्ष करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, डॉ. संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल और श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईः

19.06.2023	15.09.2023	14.12.2023	29.02.2024

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer.Other members of the committee are Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under shareholder category.

3.8.2 Objectives of the Committee:

i) To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,

ii) To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,

iii) To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,

iv) To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and

v) To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 During the period under review, 6 (six) meeting of the Committee was held on dates as follows:

19.06.2023	29.08.2023	19.10.2023	14.12.2023
07.02.2024	14.03.2024		

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 The committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman as its Chairman. Other members of the committee are Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder Category.

3.9.3 During the period under review 04 (four) meetings of the committee were held on the dates as follows:

19.06.2023	15.09.2023	14.12.2023	29.02.2024

3.10 एनपीए खातों मे वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 समिति की अध्यक्षता श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और साथ ही गैर-कार्यपालक अध्यक्ष करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, डॉ. संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईः

22.06.2023	12.09.2023	18.12.2023	08.03.2024

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता शेयरधारक श्रेणी के निदेशक श्री प्रमोद रंजन मिश्र करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं डॉ. संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि में समिति की बैठक नहीं हुई।

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) जान-बूझकर चूक करनेवाले की घोषणा करने हेतु जान-बूझकर चूक करनेवाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्वनी कुमार करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित आयोजित की गईः

22.06.2023	12.09.2023	18.12.2023	14.03.2024

3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, डीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs was constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 The Committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman. Other members of the committee are Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director.

3.10.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the committee were held on dates as follows:

22.06.2023	12.09.2023	18.12.2023	08.03.2024

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee is chaired by Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder Category. Other members of the committee are Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director.

3.11.3 During the period under review, no meeting of the Committee was held.

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer and consisting in addition, two independent directors/non-executive directors of the Bank confirms the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer. Other members of the committee are Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder Category.

3.12.3 During the period under review, 04 (four) meetings of the Committee were held.

22.06.2023	12.09.2023	18.12.2023	14.03.2024

3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Non-executive Chairman, Government Nominee Director, ACB Chairperson, Independent Directors.

3.13.2 14.03.2024 से, समिति की अध्यक्षता श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और साथ ही गैर-कार्यपालक अध्यक्ष करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं डॉ. संजय कुमार, सरकार के नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेश तथा श्री प्रमोद रंजन मिश्रा शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठक; दिनांक 24.05.2023 को आयोजित की गई।

3.14 गैर-पदोन्नति न होने के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 वर्तमान में समिति की अध्यक्षता श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जाता है। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन. कांबले, कार्यपालक निदेशक एवं श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक निदेशक।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 समिति की अध्यक्षता श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक कार्यालय द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक, श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक-केडिट, श्री शशिकांत कुमार, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन, श्री प्रेम शंकर झा, महाप्रबंधक-मिड कॉर्पोरेट केडिट और श्री सुजय दत्ता, मुख्य वित्त अधिकारी।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 32 बैठकें आयोजित की गईं।

3.16 बोर्ड स्तरीय सीअसआर समिति

3.16.1 समिति का अध्यक्ष श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री विजय एन. कांबले, कार्यपालक निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक।

3.16.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोई बैठक नहीं हुई।

3.13.2 W.e.f.14.03.2024, the Committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman. Other members of the committee are Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director, Shri. Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder category.

3.13.3 During the period under review, 01 (one) meeting of the Committee was held on 24.05.2023.

3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the Committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director as its members.

3.14.2 During the period under review, no meeting was held.

3.15 Credit Approval Committee

3.15.1 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri Sanjay Kumar, General Manager- Credit, Shri Shashikant Kumar, General Manager-Risk Management, Shri Prem Shankar Jha, General Manager - Mid Corporate Credit and Shri Sujoy Dutta, Chief Financial Officer as its members.

3.15.2 During the period under review, 32 meetings of the Committee were held.

3.16 Board Level CSR Committee

3.16.1 The committee is chaired by Shri. Ashwani Kumar, Managing Director & CEO. Other members of the committee are Shri. Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shir. Vijay N. Kamble, Executive Director, Shri. Ravi Kumar Agrawal Part-time Non-official Director & Shri. Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director.

3.16.2 During the period under review, no meeting was held.

4 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा:

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

निदेशक का नाम Name of Director	बैठक/ Meetings of the निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) Committee on HR related issues of the Bank	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.06.2023 से) Shri Ashwani Kumar, MD & CEO (From 01.06.2023)	13	13	12	12	04	04	04	04	06	06
श्री सोमा शंकर प्रसाद पूर्व एम डी एवं सीईओ (30.05.2023 तक) Shri Soma Sankara Prasad Former MD & CEO (till 30.05.2023)	03	03	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	16	15	14	14	04	04	04	04	06	05
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदशक(09.10.2023 से) Shri. Vijay N Kamble Executive Director (From 09.10.2023)	10	09	08	08	02	02	02	02	04	04
श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक (29.04.2023 तक) Shri Ishraq Ali Khan, Former Executive Director (till 29.04.2023)	01	01	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डा संजय कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक Dr Sanjay Kumar, GOI Nominee Director	16	11	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	03
श्री राजेश कुमार, भारिबैं के नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	16	08	14	08	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part time Non-Official Director	16	16	12	12	04	04	04	04	06	06
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part time Non-Official Director	16	16	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	04	04	NA	NA
श्री के राजीवन नायर, पूर्व शेयरधारक निदेशक Shri K. Rajivan Nair, Former Shareholder Director	13	13	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	03	03	04	04
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri. Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	14	13	2	2	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक Shri. Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	01	01	02	02

निदेशक का नाम **Name of Director**	बैठक/**Meetings of the**									
	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति **Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account**		**बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति** **Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds**		**निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति** **Audit Committee of the Board**		**निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति** **IT Strategy Committee of the Board**		**निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति** **Stake Holders' Relationship Committee of the Board**	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar Non-Executive Chairman	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.06.2023 से) Shri Ashwani Kumar MD & CEO (From 01.06.2023)	04	04	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं 04	लागू नहीं 04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सोमा शंकर प्रसाद पूर्व एम डी एवं सीईओ (30.05.2023 तक) Shri Soma Sankara Prasad Former MD & CEO (till 30.05.2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	04	04	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं 04	लागू नहीं 04	लागू नहीं 02	लागू नहीं 01
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदशक (09.10.2023 से) Shri. Vijay N Kamble Executive Director (From 09.10.2023)	02	02	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	01	01
श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक (29.04.2023 तक) Shri Ishraq Ali Khan, Former Executive Director (till 29.04.2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डा संजय कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक Dr Sanjay Kumar GOI Nominee Director	04	01	04	01	11	06	04	02	NA	NA
श्री राजेश कुमार, भारिबैं के नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	11	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar Part time Non-Official Director	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	11	02	04	04	02	02
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Part time Non-Official Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	11	11	04	04	02	02
श्री के राजीवन नायर, पूर्व शेयरधारक निदेशक Shri K. Rajivan Nair Former Shareholder Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	09	09	03	03	01	01
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri. Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	10	08	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक Shri. Pramoda Ranjan Mishra Shareholder Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	02	02	01	01	01	01

निदेशक का नाम Name of Director	बैठक/Meetings of the निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Performance Evaluation Committiee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committiee of the Board		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)		गैर पदोन्नति के विरुद्ध अपील के निपटान हेतु निदेशक मंडल की समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion		कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति Corporate Social Responsibility Committee	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar Non-Executive Chairman	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar MD & CEO	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	00	00	00	00
श्री सोमा शंकर प्रसाद पूर्व एम डी एवं सीईओ Shri Soma Sankara Prasad Former MD & CEO	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	00	00
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदशक Shri. Vijay N Kamble Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	00	00
श्री इशराक अली खान, पूर्व कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Former Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डा संजय कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक Dr. Sanjay Kumar GOI Nominee Director	01	01	02	02	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार, भारिबैं के नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar Part time Non-Official Director	01	01	02	02	00	00	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Part time Non-Official Director	01	01	02	02	00	00	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00
श्री के राजीवन नायर, पूर्व शेयरधारक निदेशक Shri K. Rajivan Nair Former Shareholder Director	01	01	02	02	00	00	03	02	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	01	00	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक Shri Pramoda Ranjan Mishra Shareholder Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	01	01	00	00	00	00

नोट/Notes:

1. * समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period
2. लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

4.2. 31.03.2024 तक वरिष्ठ प्रबंधन पद: 4.2. Senior Management Position as on 31.03.2024 :

क्रमांक Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation
1	श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	महाप्रबंधक, फ्लैगशिप कॉर्पोरेट केडिट General Manager, Flagship Corporate Credit
2	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन एवं कार्मिक सेवा विभाग। General Manager, Human Resources Management & Personnel Services Dept.
3	श्री वी शंकर नारायण Shri V Sankara Narayanan	महाप्रबंधक General Manager
4	श्रीमती आशा राजीव* Smt. Asha Rajiv*	महाप्रबंधक General Manager
5	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवा विभाग General Manager, Operations and Services Department
6	श्री अशोक वी तेलंग Shri Ashok V Telang	महाप्रबंधक, ऋण निगरानी विभाग General Manager,Credit Monitoring Department
7	श्री ए जेना Shri A Jena	महाप्रबंधक, निरीक्षण विभाग General Manager,Inspection Department
8	श्री प्रदीप कुमार जैन Shri Pradeep Kumar Jain	महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग General Manager, General Administration Department
9	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	महाप्रबंधक, भुवनेश्वर अंचल कार्यालय General Manager, Bhubaneshwar Zonal Office
10	श्री प्रेम शंकर झा Shri Prem Shankar Jha	महाप्रबंधक, एमएसएमई विभाग General Manager, MSME Department
11	श्री अंबिकानन्द झा Shri Ambikanand Jha	महाप्रबंधक, नई दिल्ली अंचल कार्यालय General Manager, New Delhi Zonal Office
12	श्री शशि कांत कुमार Shri Shashi Kant Kumar	महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग General Manager, Risk Management Department
13	श्री आशुतोष सुंदरम् Shri Ashutosh Sundaram	महाप्रबंधक, अंनतराष्ट्रीय विभाग General Manager, International Department
14	श्री राजीव गुप्ता Shri Rajeev Gupta	महाप्रबंधक, मुंबई अंचल कार्यालय General Manager, Mumbai Zonal Office
15	श्री सत्य रंजन पंडा Shri Satya Ranjan Panda	महाप्रबंधक, विपणन एवं धन प्रबंधन विभाग General Manager, Marketing and Wealth Management Department
16	श्री अभिमन्नू रजक Shri Abhimannu Rajak	महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग General Manager, Department of Information Technology
17	श्री रंजीत सिंह Shri Ranjeet Singh	महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन विभाग General Manager, Financial Inclusion Department
18	श्री रवि शंकर नारायण Shri Ravi Shankar Narayan	महाप्रबंधक, अनुपालन विभाग General Manager, Compliance Department
19	श्री अविनाश शुक्ल Shir Avinash Shukla	महाप्रबंधक, डिजिटल बैंकिंग विभाग General Manager, Digital Banking Department
20	श्री राजेश नागर Shri Rajesh Nagar	महाप्रबंधक, खुदरा बैंकिंग विभाग General Manager, Retail Banking Department
21	श्री धीरज पटवर्धन Shri Dheeraj Patwardhan	महाप्रबंधक, वसूली एवं विधि विभाग General Manager, Recovery & Law Department
22	श्री अमित श्रीवास्तव Shri Amit Srivastava	महाप्रबंधक, संसाधन विभाग General Manager, Resources Department

*बैंक के बाहर तैनात/Deputed outside bank

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव का विवरणः-

Details of Changes in Senior Management during the FY 2023-24 :-

क्रमांक **Sl. No.**	नाम एवं पदनाम **Name & Designation**	परिवर्तन का विवरण **Details of Changes**
1	श्री पंथागनी मनोज, महाप्रबंधक Shri Panthagani Manoj, General Manager	31.05.2023 को स्वर्गवास हो गया Expired on 31.05.2023
2	श्री श्रवण कुमार सांख्यान, महाप्रबंधक Shri Shrawan Kumar Sankhyan, General Manager	30.06.2023 को सेवानिवृत्त Superannuated on 30.06.2023
3	श्री विजय कुमार, महाप्रबंधक Shri Vijay Kumar, General Manager	31.08.2023 को सेवानिवृत्त Superannuated on 31.08.2023
4	श्री मनोज कुमार आनंद, महाप्रबंधक Shri Manoj Kumar Anand, General Manager	31.01.2024 को सेवानिवृत्त Superannuated on 31.01.2024
5	श्री दिलीप कुमार मृधा, महाप्रबंधक Shri Dilip Kumar Mridha , General Manager	30.03.2024 को सेवानिवृत्त Superannuated on 30.03.2024
6	श्री राजेश नागर, महाप्रबंधक Shri Rajesh Nagar, General Manager	दिनांक 01.06.2023 से जीएम के पद पर पदोन्नत Promoted to GM w.e.f. 01.06.2023
7	श्री अविनाश शुक्ला, महाप्रबंधक Shir Avinash Shukla , General Manager	दिनांक 01.07.2023 से जीएम के पद पर पदोन्नत Promoted to GM w.e.f. 01.07.2023
8	श्री धीरज पटवर्धन, महाप्रबंधक Shri Dheeraj Patwardhan, General Manager	दिनांक 01.09.2023 से जीएम के पद पर पदोन्नत Promoted to GM w.e.f. 01.09.2023
9	श्री अमित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक Shri Amit Srivastava, General Manager	दिनांक 01.02.2024 से जीएम के पद पर पदोन्नत Promoted to GM w.e.f. 01.02.2024

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	7 मई, 2021 7th May, 2021	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
18वीं वार्षिक आम बैठक 18th Annual General Meeting	20 जूलाई, 2021 20th July, 2021	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
19वीं वार्षिक आम बैठक 19th Annual General Meeting	24 जून, 2022 24th June, 2022	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
20वीं वार्षिक आम बैठक 20th Annual General Meeting	17 जून, 2023 17th June, 2023	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	24 जनवरी, 2024 24th January, 2024	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 डीम्ड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 17 जून 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और श्री के राजीवन नायर, निदेशक और बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, श्री सुभाष शंकर मलिक, निदेशक बैठक में शामिल हुए।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

i) 7 मई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 12.76 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 203,76,17,554 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।

ii) 20 जुलाई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

iii) 24 जून, 2022 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में फालों-आन सार्वजनिक आफ़र/क्वालीफाइड संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी उगाही विकल्प के माध्यम से रु. 10/-के 100,00,00,000 तक इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

iv) 17 जून, 2023 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में फालों-आन सार्वजनिक आफ़र/क्वालीफाइड संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी उगाही विकल्प के माध्यम से रु. 10/-के 200,00,00,000 तक इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

v) 17 जून, 2023 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में भारत सरकार की अधिसूचना एफ. संख्या 6/8/2022-बीओ.आई दिनांक 08.05.2023 के अनुसरण में अधिसूचना की तारीख यानी 08.05.2023 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सुभाष शंकर मलिक की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

vi) 24 जनवरी 2024 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध) योजना 1970, आरबीआई और भारत सरकार के प्रयोज्य दिशानिर्देश के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक जो 1 फरवरी, 2024 से तीन साल की अवधि पूरी होने तक पद धारण करेगा, का चुनाव करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। श्री प्रमोद रंजन मिश्र को 1 फरवरी, 2024 शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक के रूप में चुना गया।

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 17th June 2023 through Video Conference. Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Director and Chairperson of Audit Committee of the Board and Shri K Rajivan Nair, Director and Chairperson of Stakeholder Relationship Committee of the Board, Shri Subhash Shankar Malik, Director attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 7th May, 2021, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 203,76,17,554 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.12.76 per share determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2600 crore.

ii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 20th July, 2021, a special resolution passed for issue of upto 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

iii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 24th June,2022 a special resolution passed for issue of upto 100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

iv) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 17th June ,2023 a special resolution passed for issue of upto 200,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

v) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 17th June ,2023 a special resolution passed for appointment of Shri Subhash Shankar Malik as part-time non-official director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/8/2022-BO.I dated 08.05.2023 for a period of three years from the date of notification i.e. 08.05.2023 or until further orders, whichever is earlier.

vi) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 24th January 2024, a special resolution was passed to elect one director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)Act 1970 read with Nationalised Bank (Management and Miscellaneous)Scheme 1970 , applicable RBI and GOI Guidelines to assume office with effect from 1st February, 2024 and hold office until the completion of a period of three years.Shri Pramoda Ranjan Mishra was elected as Director under Shareholder Category w.e.f. 1st February, 2024.

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रुचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023 एवं 31.03.2024 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है।

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक द्वारा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, (पहले केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के रूप में सुगत) हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। शेयर/बांड के निर्गम के संबंध में अन्य गतिविधियों के अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन/अद्यतन, शेयरों के संचारण से संबंधित सभी शिकायतें उनके निम्नलिखित पते पर उन्हें संबोधित की जा सकती हैं:

मे. केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
(पहले केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लि. के रूप में सुगत)
(इकाई: यूको बैंक)
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रामगुडा
हैदराबाद - 500032
फोन : 040-67162222,
टोल फ्री नं. 1800 345 4001, फ़ैक्स : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा संपत्र के साथ कक्ष स्थापना की है।

शेयरहोल्डिंग के संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने वित्त विभाग, हेड ऑफिस, कोलकाता में 'शेयर्स सेक्शन' एक पूर्ण-क्रियात्मक सेल स्थापित किया है। बैंक के कार्यालयों या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होने वाली निवेशकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाता है। सेबी दिशानिर्देश के अनुपालन में, यूको बैंक शेयर के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों द्वारा

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com).Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023 and 31.03.2024 were published within the prescribed time limit in atleast one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Depositories or Bank's Share Transfer Agent and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders on request.

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer system & Redressal of Investor's Grievances:

M/s KFin Technologies Limited (Earlier known as M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.), Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrar and Share Transfer Agent. All grievances of shareholders holding shares in physical form regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/ Bonds may be addressed to them in their following address:

M/s. KFin Technologies Limited (Formerly known as KFin Technologies Pvt. Ltd.)
(Unit : UCO Bank)
Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032
Phone: 040-67162222,
Toll Free No. 1800 345 4001 Fax: 040 23420814
e-mail: einward.ris@kfintech.com

Shareholders holding shares in dematerialised form may approach their Depository Participant for any queries/updation/change of details.

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established 'Shares Section'a full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id–**hosgr.calcutta@ucobank.co.in** has been created

किए गए किसी भी शिकायतों के लिए एक विशेष ईमेल आईडी - hosgr.calcutta@ucobank.co.in का निर्माण किया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री विकास गुप्ता
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033) 44557227
ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

7.1.1 बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। एनएसई प्रतीक UCOBANK है और बीएसई स्क्रिप कोड 532505 है। बैंक पर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय से कर रहा है।

7.2.1 शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri Vikash Gupta
Company Secretary
UCO Bank: Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone No. (033) 44557227
Email: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

7.1.1 Shares of the Bank are listed on National Stock Exchange of India Limited, Mumbai and Bombay Stock Exchange, Mumbai. NSE Symbol is UCOBANK and BSE Scrip code is 532505. Bank is timely making payment of Annual listing fee to both the stock exchanges.

7.2.1 Share Price Movement

एनएसई निफ्टी से बैंक के शेयर मल्य की तलना

Share Price Comparison with NSE Nifty Bank

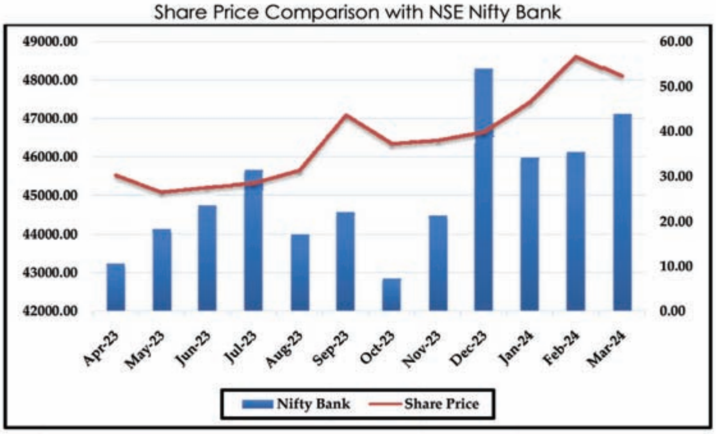

बीएसई बैंक की तुलना में बैंक शेयर मूल्य

Share Price Comparison with BSE Bankex

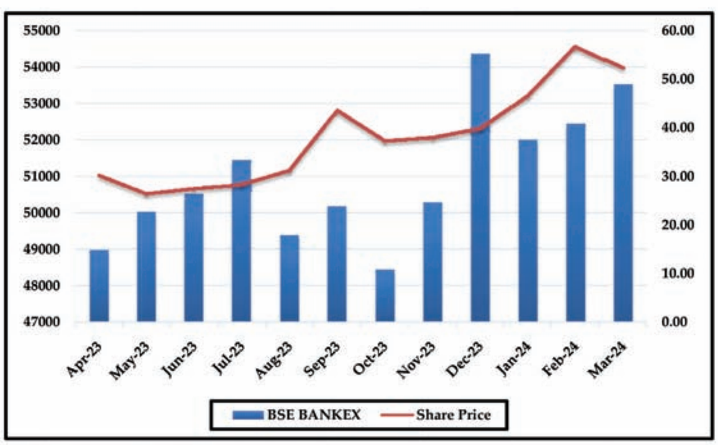

*Share Price indicates monthly closing prices

7.2.2 बाज़ार मूल्य आंकड़े

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान द नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टाक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

7.2.2 Market Price Data

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2023-24 were as follows:

माह Month	नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E				बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(₹ करोड़ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(₹ करोड़ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-23	30.70	24.20	30.10	1008.84	30.71	24.22	30.10	194.74
मई/May-23	31.60	25.65	26.30	707.47	31.52	25.65	26.30	115.80
जून/Jun-23	28.40	26.10	27.40	492.55	28.32	26.15	27.41	121.78
जुलाई/Jul-23	29.75	27.35	28.25	850.04	29.75	27.37	28.22	119.78
अगस्त/Aug-23	34.40	27.00	31.15	1328.39	34.31	27.03	31.11	192.96
सितंबर/Sep-23	48.45	30.30	43.55	5971.55	48.50	30.35	43.56	488.94
अक्तूबर/Oct-23	46.25	34.75	37.10	2534.84	46.28	34.71	37.18	305.64
नवंबर/Nov-23	40.45	36.70	37.85	914.71	40.40	36.68	37.85	120.50
दिसंबर/Dec-23	42.75	36.75	39.75	1632.81	42.75	36.79	39.74	203.46
जनवरी/Jan-24	49.50	39.20	46.50	2733.07	49.49	39.20	46.53	341.91
फरवरी/Feb-24	70.65	46.25	56.70	7827.68	70.66	46.23	56.70	782.71
मार्च/Mar-24	61.50	47.30	52.20	1925.03	61.42	47.35	52.22	222.27

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें।

अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार है:

i) झंझट रहित अंतरण;

ii)शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं;

iii) लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा;

iv) नामांकन सुविधा;

v) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत

7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact any SEBI registered Depository Participant, where they may open demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

i) Hassle free transfer ;

ii) No threat of loss of share certificate;

iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits;

iv) Nomination facility;

v) Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-

सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अर्मूतीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट INE691A01018 है।

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

वर्ष 2023-24 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपोजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

Annual Custody Fee of both the depositories for the year 2023-24 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2024 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

7.3.2 As on 31st March,2024, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

विवरण Particulars	**शेयरों की संख्या** No. of Shares	**%शेयरधारिता** % Shareholding
मूर्त/Physical	10035112	0.08
एनएसडीएल/NSDL	326468023	2.73
सीडीएसएल/CDSL	11619455041	97.19
योग/Total	11,95,59,58,176	100.00

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है।

7.3.3 7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai.

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

7.3.5 बैंक जिंस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 शेयरधारिता का वितरण / DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2024

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता			
A. Promoters' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	11404910524	95.39
आ. संस्थाएं			
B.Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक			
Foreign Portfolio Investors	10	3848918	0.03
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	6	131554	0.00
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	4	148577228	1.24
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	10	9355356	0.08
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी			
/ NBFCs Registered with RBI	3	5400	0.00
इ/C. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक			
Individual shareholders holding nominal			
share capital up to ₹2 lakhs	728386	277544788	2.32
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक			
Individual shareholders holding nominal			
share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	1380	79783446	0.67
ई/D. अन्य/Others			
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	2923	6032456	0.05
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	11	60774	0.00
एचयूएफ/HUF	5174	10362940	0.09
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	1171	15149853	0.13
न्यास / Trust	18	194819	0.00
विदेशी नागरिक / Foreign National	1	120	0.00
योग/ TOTAL	**739097**	**11955958176**	**100.00**

7.4.2 31.03.2024 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2024

शेयरों की संख्या की श्रेणी / Category No. of Shares) से/From	तक/To	शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
1	5000	728694	98.59	203099550	1.7
5001	10000	5577	0.75	42005838	0.35
10001	20000	3183	0.43	45393556	0.38
20001	30000	699	0.09	17404674	0.15
30001	40000	304	0.04	10740302	0.09
40001	50000	187	0.03	8714003	0.07
50001	100000	285	0.04	21037198	0.18
100001	और अधिक/And above	168	0.02	11607563055	97.09
	कुल/TOTAL	**739097**	**100.00**	**11955958176**	**100.00**

7.4.3 दिनांक 31.03.2024 स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 10 शेयरधारक

7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2024

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	भारत के राष्ट्रपति /President of India	11404910524	95.39
2	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	148033228	1.24
3	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि. /Nippon Life India Trustee Ltd	5604803	0.05
4	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ/Kotak PSU Bank ETF	2764684	0.02
5	युगंधर पुव्वाला/YUGANDHAR PUVVALA	2000000	0.02
6	बाबू कन्नन नारायणसामी BABU KANNAN NARAYANASAMY	1900000	0.02
7	कोपथल मौरिशस इनवेस्टमेंट लि. COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED	1892046	0.02
8	इरॉल फर्नांडीस/ERROL FERNANDES	1630000	0.01
9	अनिल नायक/ANIL NAYAK	1000000	0.01
10	विज़्डमट्री इंडिया इनवेस्टमेंट पोर्टफोलोयो आईएनसी WISDOMTREE INDIA INVESTMENT PORTFOLIO, INC.	945240	0.01

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश इतिहास

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2010-11	3.00
2004-05	1.00	2011-12	3.00
2005-06	-	2012-13	1.60
2006-07	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
		अंतिम/Final	1.00
2007-08	1.00	2014-15	2.00
2008-09	1.00	2015-16 to 2022-23	NIL
2009-10	1.50	2023-24*	0.28 (प्रस्तावित/Proposed)

*नोटः वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक के बोर्ड ने 10 रुपये प्रति शेयर पर 0.28 रुपये के लाभांश की सिफारिश की।

*Note : For the year 2023-24, Board of the Bank recommended a dividend of Rs.0.28 per share of Rs.10/- each.

7.6.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14

7.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-

(अंतिरम एवं फाइनल) एवं 2014-15 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

10, 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14(interim& final) and 2014-15 to IEPF.

7.6.2. अदावी शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमेटेरलाएज़ करे।

7.6.2. : Unclaimed Shares

Few of the share certificatesreturned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/ request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

दिनांक 31.03.2024 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार हैः

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2024 :

क्र.सं. SI No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2023	204	28100
ii.	वर्ष 2022-23 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2023-24	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2024	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

7.7 बॉण्ड

7.7.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2024 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार हैः

7.7 BONDS

7.7.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2024 are as follows:

क्र.सं. SN.	निर्गम विवरण Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1.	9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला II) 9.644% Basel III Tier II Bonds (Series II)	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2.	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला III) 9.71% Basel III Tier II Bonds (Series III)	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
3.	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08070	400	22.03.2022	22.03.2032	On or after 22.03.2027 को या इसके बाद
4.	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08088	100	31.03.2022	31.03.2032	On or after 31.03.2027 को या इसके बाद
5.	9.50% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला I) 9.50% Basel III AT I Bonds (Series I)	INE691A08096	500	17.03.2023	लागू नहीं/NA	On or after 17.03.2028 को या इसके बाद

7.7.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टीः

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड निर्गम बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया हैः

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोनः (002) 40807000;
ई-मेलः itsl@idbitrustee.com

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट,
मुंबई 400001.दूरभाषः (022) 2261 6217
ई-मेलः aarti.sharma@cfsl.in

7.7.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai and M/s Centbank Financial Services Limited as Bond Trustees to the Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustees are given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,17,
R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001.
Tel: (022) 40807000;
e-mail: itsl@idbitrustee.com

Centbank Financial Services Ltd.
Central Bank of India-MMO Bldg,
3rd Floor (East Wing),
55 MG Road, Fort, Mumbai 400001.
Tel: (022) 2261 6217
E-mail: md@cfsl.in

7.7.3 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा निर्गत बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग/ Credit Rating of Bonds Issued By The Bank As On 31.03.2024

रेटिंग एजेंसी का नाम Name of the Rating Agencies	9.664% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II 9.644% Basel III Tier II Bonds Series II	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II 9.71% Basel III Tier II Bonds Series II	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV 8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV 8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV	9.50% बॉण्ड श्रृंखला XII बासेल III शृंखला I 9.50% Basel III At I Bonds (Series I)
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	(एए - पॉजिटिव) (AA - Positive)	(एए - पॉजिटिव) (AA - Positive)	(एए - पॉजिटिव) (AA - Positive)	(एए - पॉजिटिव) (AA - Positive)	---
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	AA (स्थिर/Stable)	AA (स्थिर/Stable)	---	---	AA - (स्थिर/Stable)
केयर रेटिंग लिमिटेड Care Rating Ltd.	---	---	---	AA - (पॉजिटिव/Positive)	---
इंफोमेरिक्स वैल्यूएशंस एडं रेटिंग प्रा. लिमिटेड Infomerics Valuations and Rating Pvt. Ltd.	---	---	---	---	AA - (स्थिर/Stable)

7.7.4 31.03.2024 को सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट पर केडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	मूल्यांकित राशि रू. करोड़ में
क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	ए1+	10000

7.7.4 Credit Rating on Certificate of Deposits as on 31.03.2024

Name of Rating Agency	Rating	Rated Amount (Rs. in crore)
CRISIL Ratings Limited	A1+	10000

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970.SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations are being complied to the extent it is not inconsistent with the Banking

वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

Laws i.e. Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In case of inconsistency, Banking laws have been followed.

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है। पूर्णकालिक निदेशकों को देय 'उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन' के अलावा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

8.1. Remuneration of Whole time Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2023-24.Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director& CEO and Executive Director is fixed by the Central Government.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ **Key Management Personnel**	अवधि/ **Period**	मदें / **Items**	राशि (लाख ₹ में)/ **Amount (₹ in lakhs)**
श्री सोमा शंकर प्रसाद पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad Former MD & CEO	01.04.2022 से/to 31.05.2023	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 13.21 4.33 0.00 0.53 0.00
श्री इशराक अली खान पूर्व कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Former Executive Director	01.04.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 37.45 3.37 0.00 0.00 0.00
श्री अश्वनी कुमार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar MD & CEO	01.06.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 30.17 0.00 0.00 0.00 0.00
श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	01.04.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 36.62 0.84 0.00 0.08 0.00
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले कार्यपालक निदेशक Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble Executive Director	09.10.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 14.82 0.62 0.00 0.02 0.00

8.1.1 गैर-कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

पूर्णकालिक निदेशक बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं। अंशलिक निदेशकों को निम्नलिखित दर पर बैठक शुल्क के अलावा बैंक उन्हें कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है।

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

हालांकि, गैर-कार्यपालक निदेशक को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (https://ucobank.com/documents/d/guest/criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors)

गैर-कार्यपालक निदेशकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल और निदेशक मंडल समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting	:	₹40,000/- per sitting
For Committee Meeting	:	₹20,000/- per sitting and ₹5000/- per chairing committee meetings.

However, the criteria for making payment to Non-executive director is hosted on the Bank's website(https://ucobank.com/documents/d/guest/criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors)

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2023-24 are as under :

क्र. सं. Sl No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (रु.) Amount (Rs)
1.	श्री अंजन तालुकदार/Shri Anjan Talukdar	15,00,000/-
2.	श्री रवि कुमार अग्रवल/Shri Ravi Kumar Agrawal	13,80,000/-
3.	श्री सुभाष शंकर मालिक/Shri Subhash Shankar Malik	7,25,000/-
4.	श्री के राजीवन नायर / Shri K Rajivan Nair	11,25,000/-
5.	श्री प्रमोद रंजन मिश्र/ Shri Pramoda Ranjan Mishra	2,70,000/-
6.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार / Shri Aravamudan Krishna Kumar	50,000/-

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 वित्तीय वर्ष 2023 - 24 के दौरान, बैंक ने अधिमान्य आवंटन / योग्यय संस्थागत प्लेसमेंट या बासेल - III बॉड जारी करके धन नहीं जुटाया है।

8.4. 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2024 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत https://www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf पर दी गई है।

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3. During the Financial year 2023-24, Bank has not raised funds through Preferential Allotment/Qualified Institutional Placement or through issuance of BASEL III Bonds.

8.4. There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2024.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2024. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under https://www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf

8.6 बैंक पण्य बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए पण्य मूल्य जोखिम और पण्य हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.6 The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2024 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नही है।

8.7 Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2024

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट https://ucobank.com/documents/d/guest/ whistle-blower-policy-of-the-bank-fy-2023-24 पर उपलब्ध है।

8.8 Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-of-the-bank-fy-2023-24

8.9 किसी भी कर्मी को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

8.11 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है https://www.ucobank.com/pdf/Details-of-familiarization-programmes-imparted-to-non-executive-independent-directors.pdf

8.11 Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at https://ucobank.com/documents/d/guest/details-of-familiarilizationprogrammes-imparted-to-non-executive-_independent-directors-2024

8.12 बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट https://www.ucobank.com/pdf/Dividend-Distribution-Guidelines.pdf पर उपलब्ध है।

8.12 Dividend Distribution guidelines of the Bank is available on Bank's Website at https://ucobank.com/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines

8.13 सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर बैंक द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

8.13 Total fees for all services paid by the Bank on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors 'fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023
	रु./Rs. 46.34 करोड़/crore	रु./Rs. 41.83 करोड़/crore

8.14 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरणः

8.14 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	Nil/शून्य
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	Nil/शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	Nil/शून्य

8.15 यूको बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

8.15 UCO Bank does not have any subsidiaries.

8.16 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2015 के अनुसूची III के भाग A के अनुच्छेद A के अनुच्छेद 5ए के तहत निर्दिष्ट किए गए समझौते में प्रवेश नहीं किया।

8.16 During the FY 2023-24, Bank has not entered into any agreement as stipulated under clause 5A of Paragraph A of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 2015.

9.0 विवेकाधीन आवश्यक्ताओं का अनुपालन

बैंक ने समय - समय पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित, में प्रदान की गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन सीमा निम्नानुसार है :

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	**निदेशक मंडल / The Board** गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को चलाने का हकदार होगा है और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहण में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति होगी। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। Government of India vide its notification dated 21.02.2024, had appointed Shri Aravamudan Krishna Kumar as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank
2.	**शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights** पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by submitting the financial results to stock exchanges and uploading the same on Bank's website.
3.	**ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय** सूचीबद्ध इकाई वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अनाशोधित लेखा परीक्षा विक्ल्प की ओर बढ़ सकती है। **Modified opinion(s) in audit report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रथक-पृथक पद** सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष - (ए) एक गैर-कार्यकारी निदेशक हो ; और (बी) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित 'रिश्तेदार' शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित न हों। **Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall - (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ से कोई संबंध नहीं है। Government of India vide its notification dated 21.02.2024, had appointed Shri Aravamudan Krishna Kumar as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank. Further, Shri Aravamudan Krishna Kumar is not related with Managing Director & CEO.

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
5.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2023-24 का अभिन्न अंग है।

10.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2023-24 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2023-24.

11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2023-24 का अभिन्न अंग है।

11.0. CEO & CFO Certificate

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2023-24.

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक
ह/-

(श्री अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

12.0 Affirmation of Compliance with the Bank's Code of Conduct

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2023-24.

For UCO Bank
sd/-

(Shri Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

अनुलग्नक-I

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमो में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम बताते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के खिलाफ 31 मार्च 2024 तक एक निवेशक शिकायत लंबित है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
यूडीआईएनः 24400189BKFIYU3941

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएनः 24521742BKAPJT3953

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
यूडीआईएनः 24515154BKFZHA7777

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएनः 24504134BKEGTU8732

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

Annexure - I

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2024, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that there is one investor grievance pending as on 31st March 2024 against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189
UDIN: 24400189BKFIYU3941

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
UDIN: 24521742BKAPJT3953

For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154
UDIN: 24515154BKFZHA7777

FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
UDIN: 24504134BKEGTU8732

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

अनुलग्नक-II

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अनुपालन का प्रमाण पत्र

महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

क) हमने बैंक के वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-

i. इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,

ii. ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया हैः

i. वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की,यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

ह/-
सुजय दत्ता
मुख्य वित्त अधिकारी

भवदीय,

ह/-
श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 29.04.2024

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: Compliance Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sirs,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2023-24 and to the best of our knowledge and belief

   i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;

   ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2023-24 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee

   i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2023-24

   ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

For UCO Bank

Sd/-
Sujoy Dutta
Chief Financial Officer

For UCO Bank
Yours faithfully,

Sd/-
Ashwani Kumar
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date : 29.04.2024

निदेशकों की अयोग्यता प्रमाण पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
यूको बैंक
10, बीटीएम सरणी, कोलकाता -70001

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची v पैरा-सी उप खंड 10(i), के साथ पठित विनियमन 34(3) के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक **यूको बैंक** ('बैंक') के निदेशकों से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के सत्यापन पर आधारित है। हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते एन.के. एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

नवीन कोठारी
प्रोपराइटर
एफ़सीएस नं.: 5935 सीपी नं.: 3725
सहकर्मी समीक्षा नं.: 1384/2021
यूडीआईएनः F005935F000381838

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 16.05.2024

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
UCO Bank
10,BTM Sarani, Kolkata-70001

Based on information and explanations given to us and on verification of the relevant records and documents related to the Directors of **UCO Bank** ("the Bank") as on 31st March, 2024 with respect to the regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we certify that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For N.K & Associates
Company Secretaries

Navin Kothari
Proprietor

FCS No.:5935 CP No.:3725
Peer Review No.: 1384/2021
UDIN:F005935F000381838

Place: Kolkata
Date: 16.05.2024

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 24ए के अनुसरण में)

प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले। हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं.

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टाक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वितीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यधीन निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन - प्रणाली विद्यमान हैः

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों 31 मार्च, 2024 की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की हैः

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iii) (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015)

To,
The Members,
UCO BANK

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

(i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;

(ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

e) The Securities and Exchange Board of India (Issue

को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं).

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) पंजीकरण एजेंसीफ विनियमन, 2011

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जमाकर्ताओं एवं प्रतिभागियों) विनियमन, 2018;

(iv) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधिः

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- यूको बैंक सामान्य विनियम, 1998
- यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) संशोधित विनियम, 2003
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन की भी जॉच की है।

हमने देखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कुछ मामलों में, उत्तर निर्धारित समय सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया हैः

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें बोर्ड के कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संतुलन बनाया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं।. हालांकि, बैंक के कामगार कर्मचारियों में से एक निदेशक, बैंक के गैर-कर्मचारी कर्मचारियों में से एक को केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार नियुक्ति के लिए नामित नहीं किया जाता है। हालांकि रिक्त पदों को भरने के मामले को वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के पास भेज दिया गया हैं। इसके अलावा, हमने नोट किया कि बैंक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, लेकिन सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवयकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 17(1)(ए) के अनुसार ऑडिट अवधि के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी।

बैंक ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की ऑडिट कमेटी (असीबी) का गठन किया है। 01.04.2023 से 23.01.2024 की अवधि के दौरान और फिर 15.03.2024 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान ऑडिट समिति का गठन सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और

and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);

i) The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.

j) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

(iv) Other laws specifically applicable to the Bank:

- The Banking Regulation Act 1949
- The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970
- Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
- UCO Bank General Regulations, 1998
- UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2003
- Right to Information Act, 2005.

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We have observed that in certain cases under Right to Information Act, 2005, reply was furnished beyond the stipulated timeline.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act. However, one director among the workmen employees of the Bank, one among Non-workmen employees of the Bank are not nominated by the Central Government for appointment as per the requirement of the above mentioned Act. However, the matter has been referred to the Ministry of Finance and Department of financial services for filling of the vacant positions. Furthermore, we noted that the Bank is among the top 1000 listed entities, but there was no independent woman director on the Board during the Audit period pursuant to Regulation 17(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Bank has constituted Audit Committee of the Board (ACB) as per RBI guidelines. Constitution of Audit Committee was not in compliance with Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, during the period

प्रकटीकरण आवयकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 18 के अनुपालन में नहीं था क्योंकि उस अवधि के दौरान इसमें एक स्वतंत्र निदेशक कमी थी।

सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार बैंक की बोर्ड संरचना में क्रमाः 01.04.2023 से 30.04.2023 की अवधि के दौरान दो स्वतंत्र निदेशक और 01.05.2023 से 07.05.2023 और 09.10.2023 से 20.02.2024 तक एक स्वतंत्र निदेशक की कमी थी। हालाँकि, बैंक ने 21.02.2024 से सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 17(1)(बी) का अनुपालन किया था।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचानलन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके किः

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने धारा 47(A)(1)(c) के साथ संबंधित धारा 51 और 46(4)(i) के अनुसार बैंक पर जुर्माना लगाया :

   i) मुद्रा तिजोरी के परिचालन के लिए रु. 65,21,431.81/- (पैसठ लाख इक्कीस हजार चार सौ इकतीस रुपये और आठ पैसे मात्र) है।

   ii) मुद्रा तिजोरी के परिचालन के अलावा अन्य के लिए दंड राशि रु. 30,275/- (तीस हजार दो सौ पचहत्तर रूपये मात्र) है।

2. आरबीआई के अलावा अन्य नियामक द्वारा 1,06,791/- रुपये (एक लाख छह हजार सात सौ इक्यानवे रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया गया।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने कोई प्रतिभूति या बांड जारी या भुगतान नहीं किया है।

कृते एन के एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)
स्वत्वाधिकारी
एफसीएस सं. 5935
सीपी सं. 3725
पीर रीव्यू नं. : 1384/2021
युडीआईएनः F005935F000399372

दिनांक : 18.05.2024
स्थान : कोलकाता

from 01.04.2023 to 23.01.2024 and again from 15.03.2024 to 31.03.2024 as there was shortfall of one Independent Director during the aforementioned period.

There was a shortfall of two Independent Director during the period 01.04.2023 to 30.04.2023 and one independent director from 01.05.2023 to 07.05.2023 and 09.10.2023 to 20.02.2024 respectively on the Board composition of the Bank as per Regulation 17(1)(b) of SEBI LODR Regulations 2015. However, the Bank had complied with the Regulation 17(1)(b) of SEBI LODR Regulations 2015 from 21.02.2024 onwards.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were duly sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there was no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc. save and except:-

1. During the period under review The Reserve Bank of India under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 has imposed penalty on the Bank:

   i) For Currency Chest Operation Rs. 65,21,431.81/- (Rupees Sixty-Five Lakhs Twenty-One Thousand Four Hundred Thirty-One and Paisa Eight One only .

   ii) For other than Currency Chest Operation is Rs. 30,275/- (Rupees Thirty Thousand Two Hundred Seventy-Five only).

2. Penalty of Rs.1,06,791/- (Rupees One Lakh Six Thousand Seven Hundred Ninety One only) was levied by regulator other than RBI.

3. During the period under review, the Bank has not issued or redeemed any securities or bonds.

For N.K & Associates
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)
Proprietor
FCS No. 5935
C P No. 3725
Peer Review No. : 1384/2021
UDIN : F005935F000399372

Date : 18.05.2024
Place : Kolkata

31.03.2024 तक बैंक के सीवीओ और महाप्रबंधकों का विवरण

DETAILS OF CVO AND GENERAL MANAGERS OF THE BANK AS ON 31.03.2024

क्र.सं. Sl No	नाम Name	पद Designation
1	श्री वी आनंद Shri V Anand	मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer
2	श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	महाप्रबंधक, फ्लैगशिप कॉर्पोरेट केडिट General Manager, Flagship Corporate Credit
3	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन एवं कार्मिक सेवा विभाग। General Manager, Human Resource Management & Personnel Services Dept.
4	श्री वी शंकर नारायणन Shri V Sankara Narayanan	महाप्रबंधक General Manager
5	श्रीमती आशा राजीव * Smt. Asha Rajiv *	महाप्रबंधक General Manager
6	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	महाप्रबंधक, संचालन एवं सेवा विभाग General Manager, Operation and Services Department
7	श्री अशोक वी तेलंग Shri Ashok V Telang	महाप्रबंधक, ऋण निगरानी विभाग General Manager, Credit Monitoring Department
8	श्री ए जेना Shri A Jena	महाप्रबंधक, निरक्षण विभाग General Manager, Inspection Department
9	श्री प्रदीप कुमार जैन Shri Pradeep Kumar Jain	महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग General Manager, General Administration Department
10	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	महाप्रबंधक, भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय General Manager, Bhubaneshwar Zonal Office
11	श्री प्रेम शंकर झा Shri Prem Shankar Jha	महाप्रबंधक, एमएसएमई विभाग General Manager, MSME Department
12	श्री अंबिकानन्द झा Shri Ambikanand Jha	महाप्रबंधक, नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय General Manager, New Delhi Zonal Office
13	श्री शशि कांत कुमार Shri Shashi Kant Kumar	महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग General Manager, Risk Management Department
14	श्री आशुतोष सुंदरम Shri Ashutosh Sundaram	महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय विभाग General Manager, International Department

क्र.सं. Sl No	नाम Name	पद Designation
15	श्री राजीव गुप्ता Shri Rajeev Gupta	महाप्रबंधक, मुंबई आंचलिक कार्यालय General Manager, Mumbai Zonal Office
16	श्री सत्या रंजन पांडा Shri Satya Ranjan Panda	महाप्रबंधक, मार्केटिंग और वेल्थ मैनेजमेंट विभाग General Manager, Marketing and Wealth Management Department
17	श्री अभिमंनु राजक Shri Abhimannu Rajak	महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग General Manager, Dept of Information Technology
18	श्री रंजीत सिंह Shri Ranjeet Singh	महाप्रबंधक, वित्तीय समावेश विभाग General Manager, Financial Inclusion Department
19	श्री रवि शंकर नारायण Shri Ravi Shankar Narayan	महाप्रबंधक, अनुपालन विभाग General Manager, Compliance Department
20	श्री अविनाश शुक्ल Shir Avinash Shukla	महाप्रबंधक, डिजिटल बैंकिंग विभाग General Manager, Digital Banking Department
21	श्री राजेश नागर Shri Rajesh Nagar	महाप्रबंधक, खुदरा बैंकिंग विभाग General Manager, Retail Banking Department
22	श्री धीरज पटवर्धन Shri Dheeraj Patwardhan	महाप्रबंधक, वसूली एवं कानून विभाग General Manager, Recovery & Law Department
23	श्री अमित श्रीवास्तव Shri Amit Srivastava	महाप्रबंधक, संसाधन विभाग General Manager, Resources Department

* बैंक के बाहर नियुक्ति / Deputation Outside Bank

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक

KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2024

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2024 March 2024	मार्च 2023 March 2023	मार्च 2022 March 2022	मार्च 2021 March 2021	मार्च 2020 March 2020	मार्च 2019 March 2019	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016
कुल जमा/Total Deposits	263130	249338	224073	205919	193203	197907	181849	201285	207118
कुल अग्रिम/Total Advances	186877	161629	129777	118405	114961	119573	123990	131655	135508
कुल कारोबार/Total Business	450007	410967	353850	324324	308165	317480	305839	332940	342626
निवेश/Investment	95265	97669	99045	95835	92915	83810	72590	74768	84512
ब्याज आय/Interest Income	21854	17651	14981	14446	15134	14331	14020	16326	18561
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	13754	10307	8508	8966	10042	10019	10895	12509	13713
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	8101	7343	6473	5480	5092	4311	3125	3817	4848
परिचालन लाभ/Operating Profit	4576	4341	4797	4149	3870	2414	688	2250	2175.25
निवल लाभ/Net Profit	1654	1862	930	167	-2437	-4321	-4436	-1851	-2799
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	71.02	64.82	57.92	57.50	59.50	60.42	68.18	65.41	65.43

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं

FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2024

विवरण / Particulars	मार्च 2024	मार्च 2023	मार्च 2022	मार्च 2021	मार्च 2020	मार्च 2019	मार्च 2018	मार्च 2017	मार्च 2016
कारोबार मानदंड/Business Parameters	March 2024	March 2023	March 2022	March 2021	March 2020	March 2019	March 2018	March 2017	March 2016
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	32.25	36.43	35.80	30.16	28.28	27.21	20.64	20.70	24.05
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	4.78	4.06	3.81	4.29	4.90	5.07	5.37	5.83	6.11
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	8.46	7.46	7.70	7.81	9.20	9.52	8.69	9.60	10.17
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.92	2.87	2.81	2.58	2.44	2.15	1.52	1.76	2.19
पूंजी पर्याप्तता (%) बासेल- III Capital Adequacy (%) BASEL - III	16.98	16.51	13.74	13.74	11.70	10.70	10.94	10.93	9.63
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	139.23	128.31	115.11	104.99	99.79	102.81	98.40	107.26	111.35
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	20.93	18.90	16.33	14.70	13.70	13.69	12.74	13.48	13.81
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	3.46	4.78	7.89	9.59	16.77	25.00	24.64	17.12	15.43
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	0.89	1.29	2.70	3.94	5.45	9.72	13.10	8.94	9.09
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.56	0.62	0.34	0.06	-0.96	-1.84	-1.88	-0.75	-1.25
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	14.26	12.34	9.74	9.96	7.56	12.82	31.53	48.50	75.71
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	1.38	1.56	0.8*	0.17	-3.10	-11.16*	-25.23*	-13.29*	-26.03

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची Schedule	31.3.2024 की स्थिति As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति As on 31.3.2023 ₹
पूंजी /Capital	1	11955 95 82	11955 95 82
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	15400 82 70	13808 54 77
जमाराशियां / Deposits	3	263129 77 27	249337 73 70
उधार Borrowings	4	25331 44 09	20501 08 00
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	7873 45 28	5259 66 36
योग /TOTAL		**323691 45 16**	**300862 98 65**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र (जारी)
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां ASSETS	अनुसूची Schedule	31.3.2024 की स्थिति As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति As on 31.3.2023 ₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10197 17 22	10300 01 44
बैकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	18828 18 90	18428 08 59
निवेश/Investments	8	92904 39 55	95169 34 52
अग्रिम/Advances	9	182021 86 51	155870 17 87
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3781 47 33	3509 50 93
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	15958 35 65	17585 85 30
योग /TOTAL		**323691 45 16**	**300862 98 65**
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	60950 98 92	55597 63 27
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8001 35 97	8184 42 76

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Dr Sanjay Kumar
Government of India Nominee Director

श्री राजेश कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Rajesh Kumar,
RBI Nominee Director

श्री अंजन तालुकदार
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pramoda Ranjan Mishra
Shareholder Director

सुजय दत्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
Cheif Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखा

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2023 ₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	21854 33 58	17650 51 83
अन्य आय /Other Income	14	3265 52 94	2508 45 81
योग/TOTAL		**25119 86 52**	**20158 97 64**
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	13753 55 55	10307 39 33
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	6790 06 39	5510 91 50
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		2922 50 17	2478 33 05
योग/TOTAL		**23466 12 11**	**18296 63 88**
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		1653 74 41	1862 33 76
लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत / Net Profit/(Loss) Brought Forward		1618 57 29	96 71 62
योग/TOTAL		**3272 31 70**	**1959 05 38**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखा (जारी)
STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (CONTD.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची को समाप्त वर्ष Schedule	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2023 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		413 43 60	465 58 44
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		10 37 62	18 16 65
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer from Investment Fluctuation Reserves			- 143 27 00
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		334 76 68	
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet		2513 73 80	1618 57 29
योग /TOTAL		**3272 31 70**	**1959 05 38**
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies		17	17
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts		18	18
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)		**₹ 1.38**	**₹ 1.56**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 16 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 16 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Dr Sanjay Kumar
Government of India Nominee Director

श्री राजेश कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Rajesh Kumar,
RBI Nominee Director

श्री अंजन तालुकदार
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pramoda Ranjan Mishra
Shareholder Director

सुजय दत्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
Cheif Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000 00 00	15000 00 00
	15000 00 00	**15000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी **Subscribed, Issued and Paid up Capital** प्रत्येक ₹ 10/- के 1195, 59, 58,176 (1195, 59, 58,176) ईक्विटी शेयर 1195, 59, 58,176 (1195, 59, 58, 176) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) shares held by Central Govt.]	11955 95 82	11955 95 82
योग /TOTAL	**11955 95 82**	**11955 95 82**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024		31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023	
	₹	₹	₹	₹
I. **सांविधिक आरक्षित निधियां**/Statutory Reserve:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2995 69 54		2530 11 10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती Addition / Deduction during the year	413 43 61		465 58 44	
		3409 13 15		2995 69 54
II. **पूंजी आरक्षित निधियां**/Capital Reserve :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	943 88 09		925 71 44	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	10 37 62		18 16 65	
	954 25 71		943 88 09	
		954 25 71		943 88 09
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2803 29 89		2732 19 30	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	218 55 14		95 35 80	
	3021 85 03		2827 55 10	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	24 29 56		24 25 21	
		2997 55 47		2803 29 89
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3625 71 03		3625 71 03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year				
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year				
		3625 71 03		3625 71 03
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	661 96 70		545 71 75	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	24 07 91		116 24 95	
	686 04 61		661 96 70	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year				
		686 04 61		661 96 70

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024		31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	737 04 70		615 73 18	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	54 96 70		121 31 52	
	792 01 40		737 04 70	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year				
		792 01 40		737 04 70
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit and Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
d) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	416 03 74		559 30 74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition/Deduction during the year	-		-143 27 00	
		416 03 74		416 03 74
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	1618 57 29		96 71 61	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	895 16 51		1521 85 68	
		2513 73 80		1618 57 29
TOTAL(I to V)		**15400 82 70**		**13808 54 77**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	578 88 74	180 22 27
ii) अन्य से/From Others	11888 70 83	10447 98 78
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	86084 06 25	81095 91 94
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	9855 98 33	5827 65 30
ii) अन्य से/From Others	154722 13 12	151785 95 41
योग/TOTAL(I, II & III)	**263129 77 27**	**249337 73 70**
आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	249965 00 40	240740 70 83
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	13164 76 87	8597 02 87
योग/TOTAL (i & ii)	**263129 77 27**	**249337 73 70**

अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	4152 00 00	
ii) अन्य बैंक/Other Banks	16847 81 00	14231 84 39
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	3934 22 35	5983 01 63
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	397 40 74	286 21 98
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	**25331 44 09**	**20501 08 00**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	22934 03 35	18214 86 03
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	1404 30 00	1526 02 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	55	1 11
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance	36 38 00	157 10 00
गौण ऋण/Subordinated Debt		
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लाएंट टीयर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	1500 00 00
ट्रेप्स/TREPS	493 53 80	2299 88 53
एटि-1/AT - 1	500 00 00	500 00 00

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

		31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I.	संदेय बिल/Bills Payable	670 88 60	539 30 89
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)		154 68 88
III.	प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	553 01 35	893 06 07
IV.	* अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	6649 55 33	3672 60 52
योग/TOTAL		**7873 45 28**	**5259 66 36**
इसमें शामिल हैं / Includes			
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets		1090 20 01	884 02 64

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

		31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I.	हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	716 82 02	914 23 17
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
	i) चालू खाते में/In Current Account	9480 35 12	9364 29 88
	ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	8	21 48 39
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)		**10197 17 22**	**10300 01 44**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में a) In Current Accounts	4 76 48	2 73 83
ख) अन्य जमा खातों में b) In Other Deposit Accounts	16947 32 18	13647 27 45
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास a) With Banks	1500 00 00	
ख) अन्य संस्थाओं के पास b) With Other Institutions		
योग / TOTAL	**18452 08 66**	**13650 01 28**
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	167 58 08	183 27 70
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	208 52 16	3936 13 32
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		658 66 29
योग /TOTAL	**376 10 24**	**4778 07 31**
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	**18828 18 90**	**18428 08 59**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 8 — निवेश
Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	66167 49 52	67080 45 32
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	349 64 64	337 36 47
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	23657 14 97	23622 80 64
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates	239 00 23	198 55 69
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	198 78 26	956 29 18
योग/TOTAL	**90612 07 62**	**92195 47 30**
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2292 31 93	2973 87 22
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	**2292 31 93**	**2973 87 22**
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	**92904 39 55**	**95169 34 52**

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /
** Net of provision for Depreciation on Investments & Provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024			31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	92970 05 44	2357 97 82	90612 07 62	94692 51 24	2497 03 94	92195 47 30
II. भारत के बाहर Outside India	2294 92 96	2 61 03	2292 31 93	2976 01 41	2 14 19	2973 87 22
योग/TOTAL	**95264 98 40**	**2360 58 85**	**92904 39 55**	**97668 52 65**	**2499 18 13**	**95169 34 52**

निवेश पर मूल्यह्रास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान
Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	6920 31 39	8995 29 25
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	67346 73 22	62667 06 92
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	107754 81 90	84207 81 70
योग/TOTAL	**182021 86 51**	**155870 17 87**
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	137943 47 27	116942 89 14
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	4235 08 66	5460 47 35
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	39843 30 58	33466 81 38
योग/TOTAL	**182021 86 51**	**155870 17 87**
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	68904 67 82	61429 58 23
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	24340 82 55	23829 18 24
(iii) बैंक/Banks	1779 75 22	3256 84 02
(iv) अन्य/Others	62438 38 70	45718 43 83
योग/TOTAL	**157463 64 29**	**134234 04 32**
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	3087 68 91	4492 95 13
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	19290 06 05	15405 98 28
(ग) अन्य (c) Others	2180 47 26	1737 20 14
योग/TOTAL	**24558 22 22**	**21636 13 55**
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	**182021 86 51**	**155870 17 87**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. **परिसर**/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	343 52 57	322 89 64
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	41	14 85 55
	343 52 98	337 75 19
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	21 23 84	5 98 52
	364 76 82	343 73 71
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	17 85	21 14
	364 58 97	343 52 57
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3245 43 82	3026 88 68
	3610 02 79	3370 41 25
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	3610 02 79	3370 41 25
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	391 50 96	340 88 06
योग/ TOTAL	3218 51 83	3029 53 19
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	2438 69 91	2171 94 41
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	19 42	7 93 99
	2438 89 33	2179 88 40
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	332 55 81	265 16 82
	2771 45 14	2445 05 22
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	53 89 98	6 35 32
	2717 55 16	2438 69 90
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	2219 43 57	2023 73 50
योग/ TOTAL	498 11 59	414 96 40
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	64 83 91	65 01 34
योग/TOTAL		
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	**3781 47 33**	**3509 50 93**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र
STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	220 81 67	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	2050 84 34	1981 20 74
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	160 97 75	93 41 01
IV. लेखन सामग्री और स्टांप/Stationery and Stamps	4 87 15	5 74 90
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	7313 37 00	8209 11 00
VII. अन्य/Others	6207 47 74	7296 37 65
योग/TOTAL	**15958 35 65**	**17585 85 30**

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	199 86 18	199 32 82
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	2 28 87	3 26 55
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	40827 85 23	36191 75 20
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents -		
क) भारत में A) In India	6487 52 81	5067 35 27
ख) भारत के बाहर B) Outside India	23 75 17	13 46 33
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4874 81 70	4929 64 05
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	8534 88 96	9192 83 05
योग/ TOTAL	**60950 98 92**	**55597 63 27**
# इसमे आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	**5502 78 96**	**6852 53 05**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखा

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
I.	ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	14162 19 26	10343 49 93
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	6123 81 21	6223 22 32
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1410 90 27	902 00 40
IV.	अन्य/Others	157 42 84	181 79 18
	योग/TOTAL	**21854 33 58**	**17650 51 83**

अनुसूची 14 — अन्य आय
Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹		31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)		262 52 12		228 56 78
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments	367 06 49		192 36 82	
	घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments		367 06 49	24 68	192 12 14
III.	निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments	655 16 33		157 41 38	
	घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	414 15 53	241 00 80	663 49 61	-506 08 23
IV.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	115 40		89 98	
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	57 61	57 79	73 42	16 56
V.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	50 16 72		190 22 34	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	20 28 06	29 88 66	6 81 03	183 41 31
VI.	भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		4 05 03		14 28 56
VII.	विविध आय/ Miscellaneous Income #		2360 42 05		2395 98 69
योग/TOTAL			**3265 52 94**		**2508 45 81**

इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं /

# Includes Recovery in Written Off Accounts	1486 50 18	1624 39 90

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि
STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	11833 15 48	9416 65 44
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	1493 80 76	543 92 43
III. अन्य/Others	426 59 31	346 81 46
योग/TOTAL	**13753 55 55**	**10307 39 33**

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	4886 66 56	3872 74 21
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	332 18 16	293 91 46
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	43 48 48	29 37 55
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	9 22 33	8 63 94
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	280 92 27	217 52 03
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 21 36	1 53 79
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	46 43 85	41 83 20
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	3 46 84	3 20 14
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	16 50 27	13 81 12
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	19 57 07	19 42 06
XI. बीमा/Insurance	288 65 51	266 45 85
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	861 73 69	742 46 15
योग/TOTAL	**6790 06 39**	**5510 91 50**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के साथ संलगन और उसका भाग)
(Annexed to and Forming Part of Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2024)

1. सामान्य / GENERAL

1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. अग्रिम / ADVANCES:

2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के आनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुर्ननिर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।

For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।

Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

3. निवेश / INVESTMENTS

3.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

3.5 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षिति, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनि ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

3.6 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

3.7 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

3.8 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्याकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	**अवमूल्यन / Depreciation**		**मॉडेल / Model**
	दर / Rate	**पद्धति / Method**	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की सममुल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाति है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यह्रास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/ spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्क्ड टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली /Translation

i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

अ/A) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/a) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/b) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ)/B) **निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan**

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/C) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/a. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/b. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/c. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।
Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यह्रास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

10. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।
Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।
In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार अनर्जक आस्तियो निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।
Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आाधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्यापित होने पर किया जाता है।
Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

10.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।
Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याय की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।
Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।
Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

10.8 बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।
Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/a) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय मे होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।
Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/b) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।
Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/c) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/d) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनिय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थ्गित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एएस 20 –'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता हैः

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/a) बचाव-व्यवस्या पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/b) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/c) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/d) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/e) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

अनुबंध III / Annexure III

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

(31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के साथ संलगन और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2024)

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

ए/a) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	मदें/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
		बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	17525.52	14934.41
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी /Additional Tier 1 capital	500.00	500.00
(iii)	टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	18025.52	15434.41
(iv)	टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	3024.15	2817.97
(v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/Total capital (Tier 1+Tier 2)	211049.67	18252.38
(vi)	कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	123965.13	110557.73
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs)	14.14	13.51
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)/ Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.54	13.96
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)/ Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.44	2.55
(x)	पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)/ Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.98	16.51
(xi)	उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio		
(xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत/ Percentage of the shareholding of Government of India	95.39	95.39
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि/ Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; अ) बासल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)/ Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; a) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	-	500
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि;/ Amount of Tier 2 capital raised during the year;	-	-

बी) रिज़र्व से ड्रा डाउन - शून्य

b) Draw Down from Reserves - Nil

2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2024 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/

a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2024:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	1दिन 1 Day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 30 दिन तक 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह तक 31days to 2 months	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक Over 2 months and upto 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 year	5 बर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा/Deposits	867 (2599)	5287 (4034)	4919 (3933)	11751 (7582)	12834 (12198)	14517 (13665)	31675 (28324)	68878 (45963)	30580 (47343)	10936 (19898)	70886 (63798)	263130 (249338)
अग्रिम / Advances	1196 (1010)	2780 (2069)	2220 (2602)	4539 (6712)	3465 (7014)	7150 (5955)	12683 (11599)	16951 (12118)	23280 (26674)	22794 (23837)	89820 (62039)	186877 (161629)
निवेश / Investments	123 (-)	- (124)	- (94)	123 (264)	384 (464)	149 (783)	584 (893)	2230 (2124)	13528 (11262)	11328 (10804)	66816 (70857)	95265 (97669)
उधार/Borrowings	512 (1903)	4753 (2095)	565 (1472)	1777 (3246)	665 (1062)	1475 (7252)	2120 (802)	1487 (358)	4765 (811)	5713 (-)	1500 (1500)	25331 (20501)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	474 (474)	2737 (6420)	1014 (2087)	4062 (9374)	6606 (6557)	12222 (9487)	4882 (6906)	1991 (3506)	9837 (7754)	7147 (6365)	1731 (2830)	52702 (61760)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	376 (399)	3746 (5394)	1062 (1901)	6064 (9088)	7017 (6330)	13069 (10224)	4458 (5475)	1893 (5663)	11428 (10230)	5353 (4877)	3426 (2468)	57895 (62050)

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2023		30.09.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2023		31.12.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2023		31.03.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2024	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		70991.51		68183.68		64509.09		59992.55
नकदी निकासी/Cash Outflows								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retails Deposit and deposits from small business customers, of which	167394.71	16639.33	170066.65	16896.02	172354.36	17139.07	168248.82	16757.57
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	2002.78	100.14	2212.99	110.65	1927.30	96.36	1346.27	67.31
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	165391.93	16539.19	167853.66	16785.37	170427.07	17042.71	166902.55	16690.26
3 अरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	55913.66	24032.62	51824.02	21619.29	64354.28	25990.61	58558.72	22324
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits (All Counter Parties)								
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits (All Counter Parties)	55913.66	24032.62	51824.02	21619.29	64354.28	25990.61	58558.72	22324
(iii)अप्रतिभूत ऋण//Unsecured Debt								
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding		-		-		-		-
5 अतिरिक्त जरुरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	14522.06	2180.35	16465.39	2871.47	30241.19	4074.30	14964.59	1833.46
(i) व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1269.09	1269.09	1875.48	1875.48	1325.38	1325.38	459.11	459.11

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2023		30.09.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2023		31.12.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2023		31.03.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2024	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products								
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	13252.97	911.26	14589.91	995.99	17490.60	1523.56	14505.48	1374.35
6 अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	4902.57	4902.57	1731.06	1731.06	909.60	909.60	1764.22	1764.22
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	2539.72	103.45	2597.68	105.05	12701.59	404.60	12100.81	384.10
8 कुल नकदी निकासी/ **Total Cash Outflows**		47858.33		43222.89		47293.54		43063.34
नकदी आगमन/ Cash Inflows								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos)	345.97	-	107.92	13.94	163.22	13.26	82.08	82.08
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	9367.30	6174.76	9313.20	5998.58	6763.19	4457.95	4226.96	2936.29
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	435.88	247.74	624.71	334.32	287.31	231.22	493.17	493.17
12 कुल नकदी आगमन/Total Cash inflows	10149.15	6422.50	9982.90	6297.87	7132.79	4754.69	4802.21	3511.54
	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
13 **कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA**		70991.51		68183.68		64509.09		59992.55
14 **कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow**		41435.82		36885.66		42572.91		39551.80
15 **चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)**		171.33%		184.85%		151.53%		151.68%

* **2023-24 का औसत एलसीआर यानी** /Average of Daily LCR of 2023-24 i.e. 164.85%

** **2022-23 का औसत एलसीआर यानी** /Average of Daily LCR of 2022-23 i.e. 191.96%

एलसीआर डेटा और परिणाम का गुणात्मक मूल्यांकनः

चलनिधि कवरेज अनुपात(एलसीआर) को इस उद्देश्य से शुरूकिया गया है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर भाररहीत उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) बनाए रखे, जिसे अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को न्यूनतम 100% एलसीआर बनाए रखने का आदेश दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता कैलेंडर वर्ष 2019 से 100% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत और समूह बैंक संचालन के लिए एलसीआर के प्रबंधन को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, बैंक एकल और समेकित स्तर पर एलसीआर का खुलासा कर रहा है। समेकित एलसीआर की गणना करते समय शामिल की गई संस्थाओं में यूको बैंक सोलो (हांगकांग और सिंगापुर केंद्र का घरेलू और विदेशी संचालन) भी शामिल है।

एलसीआर के संचालक :

बैंक मुख्य संचालन को निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर एलसीआर को बनाए रखता है, जो निम्नप्रकार हैः

Qualitative Assessment of LCR data and Result :

Liquidity Coverage Ratio (LCR) has been introduced with the objective that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for next 30 calendar day time horizon. RBI mandates Banks to maintain minimum LCR of 100%.

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. RBI has mandated the management of LCR for individual as well as group Bank operations. Accordingly, Bank is disclosing the LCR at solo and consolidated level. The entities included while computing consolidated LCR are UCO Bank Solo (Domestic & overseas operation of Hong Kong and Singapore Center.

Drivers of LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the minimum regulatory requirement on an ongoing basis on the main drivers of which are as under:

संचालक / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्तियों का स्तर (एचक्यूएलए) Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का पर्याप्त स्तर बनाए हुए है, जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या वकट परिस्थितियों में त्वरित तरलता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining substantial level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for generating quick liquidity in stressed conditions.
रिटेल जमा/लघु कारोबार करने वाले ग्राहकों से निधि की प्राप्ति Funding from Retail Deposits / Small Business Customers	चूंकि खुदरा जमा या छोटे कारबार करने वाले ग्राहकों से प्राप्त जमा को तनावपूर्ण स्थिति में स्थिर माना जाता है, इसलिए बैंक खुदरा जमा में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा और बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमा पर निर्भरता कम कर रहा है। As retail deposits or deposits from small business customers are considered stable during Stress Scenario and accordingly the bank is focusing on accretion of retail deposits and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC.

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)ः हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैंः

- **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**
  1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मियादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 16% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।
- **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**
- **स्तर 2ए परिसंपत्तियों - 15% हेयरकट के साथ**
  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
  2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

- **Level 1 Assets**
  1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
  2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
  3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
  4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 16% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- **Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)**
- **Level 2A assets - With Haircut of 15%**
  1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20%
  2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

- **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत**
  1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
  2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
  3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

एचक्यूएलए की संरचना: बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान 60000.00 करोड़ रुपये का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा। स्तर 1 परिसंपत्ति एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का लगभग 98.00% योगदान करती है। चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा एचक्यूएलए का उच्चतम हिस्सा है यानी कुल एचक्यूएलए का लगभग 63.00% है।

लेवल 1 परिसंपत्तियों की तुलना में लेवल 2 की परिसंपत्ति गुणवत्ता में कम है, 40% के अधिकतम अनुमत स्तर के मुकाबले एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 1.87% है।

धन स्रोतों की एकाग्रता: हमारे फंडिंग स्रोत विविध देनदारियों के पोर्टफोलियो के साथ अच्छी तरह से फैले हुए हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं

- गैर-परिपक्व जमा
- सावधि जमा जिसका अधिकांश हिस्सा खुदरा ग्राहकों से आ रहा है।

फंडिंग प्रोफाइल : असुरक्षित थोक निधियन कुल भारित नकदी बहिर्वाह का प्रमुख हिस्सा होता है। खुदरा जमा और लघु कारबार करने वाले ग्राहकों से प्राप्त जमा एक साथ 31.03.2024 तक कुल भारित नकदी बहिर्वाह का लगभग 36.77% योगदान करते हैं। गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स, केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और पीएसई से प्राप्त जमा कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का 52.35% योगदान करते हैं।

बैंक कम स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण की निगरानी/कमी के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर वित्तपोषण स्त्रोतों की निगरानी कर रहा है। बैंक नियमित अंतराल पर शीर्ष 20 जमाकर्ताओं के संकेंद्रण की निगरानी भी करता है।

बैंक के पास समूह इकाइयां नहीं हैं और एकल स्तर पर तरलता को केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जा रहा है। बैंक का एक्सपोजर मुख्य रूप से भारतीय रुपये में है।

- **Level 2B assets - With Haircut of 50%**
  1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
  2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
  3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Composition of HQLA: The Bank during the three months ended 31st March 2024 maintained average HQLA of Rs. 60000.00 crore. Level 1 Assets contribute to approximately 98.00% of the total stock of HQLA. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 63.00% approx. of the total HQLA.

Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 1.87% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Non-maturing deposits
- Term Deposit of which majority portion is coming from Retail Customers.

Funding Profile : Unsecured Wholesale funding constitutes major portion of total weighted Cash outflows. Retail Deposits and Deposits from Small Business Customer put together contribute around 36.77% of total weighted Cash outflow as on 31.03.2024. Deposits from Non-financial Corporates, Central Banks, Multilateral development banks and PSEs contribute to 52.35% of total weighted Cash outflows.

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor/reduce the concentration of funds having lower stability. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

Bank does not have group entities, and liquidity at solo level is being managed centrally. Bank's exposure is mainly in Indian Rupee.

ग) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर):

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्प्लेट:

		तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4				
	(₹ करोड़ में)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*				
	एएसएफ मद																				
1	पूंजीः (2+3)	-	-	-	92738	92738	-	-	-	100285	100285	-	-	-	96856	96856	-	-	-	79995	79995
2	विनियामक पूँजी	-	-	-	18696	18696	-	-	-	19052	19052	-	-	-	19530	19530	-	-	-	21139	21139
3	अन्य पूंजी साधन	-	-	-	74043	74043	-	-	-	81233	81233	-	-	-	77326	77326	-	-	-	58857	58857
4	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों के जमाः (5 अ 6)	86167	-	65547	-	147949	86769	-	56752	-	133647	86633	-	51847	-	145363	89250	-	80338	-	157537
5	स्थिर जमा	37469	-	38948	-	76416	62617	-	26952	-	85091	61494	-	28428	-	88452	63087	-	35079	-	93258
6	अल्प स्थिर जमा	48698	-	26599	-	71533	24151	-	29800	-	48556	25139	-	23419	-	56911	26163	-	45259	-	64279
7	थोक वित्त पोषणः (8+9)	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
8	प्रचालनात्मक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
9	अन्य थोक वित्त पोषण	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
10	अन्य देयताएंः (11 + 12)	11632	-	-	-	3226	11688	-	-	-	-	15910	-	-	-	-	15350	-	-	-	-
11	एसएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	-	-	-	-	-	3209	-	-	-	-	-862	-	-	-	-	-4949	-	-	-	-
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई हैं	6459	-	-	-	3226	8479	-	-	-	-	16773	-	-	-	-	20299	-	-	-	-
13	कुल एएसफ (1+4+7+10)					268412	103160	3317	100923	100197	258422.94	107379	4098	100470	96856	268447	110917	4312	125334	79995	266231
	RSF Item																				
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					3942					3805	16537	12770			1316	16650	9480			1322
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	52	-	-	-	26	36				18	46	-	.-	-	23	74		-	-	37
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियांः (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	8137	44958	68918	78669	-	11252	28702	84448	81660	-	5331	34764	85690	85726	-	5411	29344	97728	91124
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के असुरक्षित अर्जक ऋण।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	80	-	-	-	-	-
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित अर्जक ऋण	-	8137	-	-	1221	-	11252	-	-	1688	-	4532	-	-	680	-	5411	-	-	812

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्प्लेटः

	(₹ करोड़ में)	तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एएसएफ मद																				
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और संप्रभु, केंद्रीयबैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें से:	-	-	44958	6581	26756	-	-	28702	19326	26913	-	-	34764	19739	31164	-	-	29344	28461	33666
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	6581	4278	-	-	-	19326	12562	-	-	-	19739	13782	-	-	-	28461	18994
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से:	-	-	-	61611	50075	-	-	-	64396	52442	-	-	-	65225	53184	-	-	-	68541	56029
22	केडिट जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	11470	7456	-	-	-	11475	7459	-	-	-	11284	7335	-	-	-	11156	7251
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	726	617	585	-	-	726	617	-	-	-	726	617	-	-	-	726	617
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	638	-	-	50316	50897	662	-	-	64625	65230	640	-	-	71605	72188	640	-	-	70510	71093
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	व्युत्पन्न अनुबंधों और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में अभिदायों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रविष्ट की गई अस्तियाँ	378	-	-	-	321	381	-	-	-	-	381	-	-	-	324	381	-	-	-	324
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न अस्तियाँ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
28	प्रविष्ट किए गए घट-बढ़ मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	260	-	-	-	260	281	-	-	-	281	259	-	-	-	259	259	-	-	-	259
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	-	-	-	50316	50316				64625	64625	-	-	-	71605	71605	-	-	-	70510	70510
30	तुलन पत्र में शामिल नहीं होने वाली मदें	5160				257	5152				256	5150				256	23722				1202
31	कुल आरएसएफ	66996	18142	44958	119234	133791	65130	28644	28702	149074	150969	22372	18102	34764	157925	159509	41086	14891	29344	168239	164778
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					200.62%					171.18%					168.30%					161.57%

c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):

NSFR Disclosure Template:

	(₹ in Crore)	QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4				
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
	ASF Item																				
1	Capital: (2+3)	-	-	-	92738	92738	-	-	-	100285	100285	-	-	-	96856	96856	-	-	-	79995	79995
2	Regulatory capital	-	-	-	18696	18696	-	-	-	19052	19052	-	-	-	19530	19530	-	-	-	21139	21139
3	Other capital instruments	-	-	-	74043	74043	-	-	-	81233	81233	-	-	-	77326	77326	-	-	-	58857	58857
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	86167	-	65547	-	147949	86769	-	56752	-	133647	86633	-	51847	-	145363	89250	-	80338	-	157537
5	Stable deposits	37469	-	38948	-	76416	62617	-	26952	-	85091	61494	-	28428	-	88452	63087	-	35079	-	93258
6	Less stable deposits	48698	-	26599	-	71533	24151	-	29800	-	48556	25139	-	23419	-	56911	26163	-	45259	-	64279
7	Wholesale funding: (8+9)	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
8	Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
9	Other wholesale funding	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
10	Other liabilities: (11+12)	11632	-	-	-	3226	11688	-	-	-	-	15910	-	-	-	-	15350	-	-	-	-
11	NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-	3209	-	-	-	-	-862	-	-	-	-	-4949	-	-	-	-
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	6459	-	-	-	3226	8479	-	-	-	-	16773	-	-	-	-	20299	-	-	-	-
13	Total ASF (1+4+7+10)					268412	103160	3317	100923	100197	258422.94	107379	4098	100470	96856	268447	110917	4312	125334	79995	266231
	RSF Item																				
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3942					3805	16537	12770			1316	16650	9480			1322
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	52	-	-	-	26	36				18	46	-	.-	-	23	74		-	-	37
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+ 23)	-	8137	44958	68918	78669	-	11252	28702	84448	81660	-	5331	34764	85690	85726	-	5411	29344	97728	91124
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	80	-	-	-	-	-
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	8137	-	-	1221	-	11252	-	-	1688	-	4532	-	-	680	-	5411	-	-	812

NSFR Disclosure Template:

	(₹ in Crore)	QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4				
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
	ASF Item																				
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	44958	6581	26756	-	-	28702	19326	26913	-	-	34764	19739	31164	-	-	29344	28461	33666
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	6581	4278	-	-	-	19326	12562	-	-	-	19739	13782	-	-	-	28461	18994
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	61611	50075	-	-	-	64396	52442	-	-	-	65225	53184	-	-	-	68541	56029
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	11470	7456	-	-	-	11475	7459	-	-	-	11284	7335	-	-	-	11156	7251
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	726	617	585	-	-	726	617	-	-	-	726	617	-	-	-	726	617
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	638	-	-	50316	50897	662	-	-	64625	65230	640	-	-	71605	72188	640	-	-	70510	71093
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	378	-	-	-	321	381	-	-	-	-	381	-	-	-	324	381	-	-	-	324
27	NSFR derivative assets	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	260	-	-	-	260	281	-	-	-	281	259	-	-	-	259	259	-	-	-	259
29	All other assets not included in the above categories	-	-	-	50316	50316				64625	64625	-	-	-	71605	71605	-	-	-	70510	70510
30	Off-balance sheet items	5160				257	5152				256	5150				256	23722				1202
31	Total RSF	66996	18142	44958	119234	133791	65130	28644	28702	149074	150969	22372	18102	34764	157925	159509	41086	14891	29344	168239	164778
32	Net Stable Funding Ratio (%)					200.62%					171.18%					168.30%					161.57%

गुणात्मक चर्चाः

पृष्ठभूमिः

निवल स्थिरता निधियन अनुपात (एनएसएफआर) दिशा-निर्देश बैंक से यह अपेक्षा करता है कि वे भविष्य में निधियन के तनाव के जोखिम को कम करने के लिए वित्तपोषण के पर्याप्त स्थिर संसाधनों के साथ अपने कार्यकलापों का वित्तपोषण करें साथ ही निर्धारित समय-सीमा में निधियन जोखिम में कमी सुनिश्चित करें। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। आरबीआई ने मई 2018 में नेट स्टेबिलिटी फंडिंग अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियम जारी किए हैं, जिसमें कम से कम 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता है। कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।

Qualitative discussion:

Background:

Net Stability Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over loner duration time horizon by requiring bank to fund their activities with sufficiently stable resources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount required stable funding. RBI has issued the regulations on the implementation of Net stability funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 01st October 2021.

प्रमुख संचालक/ Key Drivers

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ़) Available Stable Funding (ASF)	पूंजी आधार, गैर-वित्तीय कंपनियों से खुदरा जमा आधार, निधियन और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक वित्त पोषण मुख्य संचालक हैं। रिटेल ग्राहकों से अपरिपक्व जमाराशियां और एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाली जमाराशियां या देयताएं बेहतर स्रोत के रूप में मानी जाती हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी प्रकृति की होती हैं। The main drivers are Capital Base, Retail Deposit Base funding from Non-Financial Companies and Long term funding from financial Institutions. Non-Maturing deposits from Retail Customers and Deposits or Liabilities having with effective residual maturity of one year or more are better source considered as they are more stable in nature.
वांछित स्थिर निधियन Required Stable Funding	सिक्के, सीआरआर और एचक्यूएलए यानी भारमुक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को कम निधि की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी उच्च तरलता के कारण स्थिर निधियन की कम राशि को आकर्षित किया जाता है। अर्जक ऋणों की अवशिष्ट परिपक्वता पर अलग-अलग निधियन की आवश्यकता होती है। Coins, CRR and HQLA i.e. Unencumbered SLR securities are considered to have lower fund requirement considered hence attracting low amount of stable funding due to their high liquidity. Performing loans have different funding requirement on their residual Maturity.

एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को **आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की राशि के रूप में** परिभाषित किया गया है।

"उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

उदाहरण :

क) कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।

ख) एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।

ग) **रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉरपोरेट/ संस्थान से जमाराशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है)** द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमाराशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा

Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of **available stable funding relative to the amount of required stable funding.**

"Available Stable Funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

Example:

a) Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).

b) Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.

c) Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by **retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/ institution)**

घ) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए **आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ)** उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

उदाहरण :

क) भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर

ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां

ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।

घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।

ड़) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूँजी से कटौती की गई मदें, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

एनएसएफ़आर की गणना :

एनएसएफ़आर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफ़आर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} >= 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है।

तदनुसार, हमें दिनांक 31.03.2024 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफ़आर को अपलोड कर दिया है।

यूको बैंक की स्थिति:

बैंक न्यूनतम नियामकीय आवश्यक अनुपात से बहुत ऊपर एनएसएफ़आर को बनाए रख रहा है, जो दर्शाता है कि बैंक के पास अपनी निधि आवश्यकता को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

d) Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

Stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

Example:

a) Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities

b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets

c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs

d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach

e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions

All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities

Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} >= 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory.

Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.03.2024

UCO Bank's Position:

Bank is maintaining NSFR much above the maximum regulatory required ratio, which shows Bank has sufficient stable source of fund to manage its fund requirement.

3. निवेश/Investments:

ए/a) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना **/ Composition of Investment Portfolio:**

As on 31.03.2024

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India							भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय) प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	कुल निवेश Total Investments
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity												
सकल/Gross	72682.33	0.00	0.00	1650.73	239	0.00	74571.96	1456.84	0.00	0.00	1456.84	76028.80
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	102.27	0.00	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	102.27
निवल/Net	72682.33	0.00	0.00	1548.46	239	0.00	74469.69	1456.84	0.00	0.00	1456.84	75926.53
बिक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale												
सकल/ Gross	13473.16	0.00	840.65	2837.92	0.00	1196.10	18347.83	838.09	0.00	0.00	838.09	19185.92
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	250.67	0.00	491	706.46	0.00	1056.21	2504.34	2.61	0.00	0.00	2.61	2506.95
निवल/Net	13222.49	0.00	349.65	2131.46	0.00	139.89	15843.49	835.49	0.00	0.00	835.49	16678.98
Held for Trading												
सकल/Gross	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल/Net	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
कुल निवेश / Total Investments	86205.65	0.00	840.65	4488.65	239	1196.10	92970.05	2294.93	0.00	0.00	2292.33	95262.38
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	491	155.81	0.00	0.00	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	646.81
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए Less: Provision for depreciation	250.67	0.00	0.00	652.92	0.00	1056.21	1959.80	2.61	0.00	0.00	2.61	1962.41
निवल/Net	85954.98	0.00	349.65	3679.92	239	139.89	90363.44	2292.33	0.00	0.00	2289.72	92653.16

As on 31.03.2023

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India							भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय) प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	कुल निवेश Total Investments
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity												
सकल/Gross	71511.03	0.00	0.00	1825.84	198.56	0.00	73535.43	1976.40	0.00	0.02	1976.42	75511.85
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	116.16	0.00	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	116.16
निवल/Net	71511.03	0.00	0.00	1709.68	198.56	0.00	73419.27	1976.40	0.00	0.02	1976.42	75395.69
बिक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale												
सकल/ Gross	16705.10	0.00	904.22	1877.11	0.00	1670.65	21157.08	999.58	0.00	0.00	999.58	22156.66
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	491.84	0.00	566.86	519.92	0.00	917.94	2496.56	2.12	0.00	0.00	2.12	2498.68
निवल/Net	16213.26	0.00	337.36	1357.19	0.00	752.71	18660.52	997.46	0.00	0.00	997.46	19657.98
Held for Trading												
सकल/Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल/Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश / Total Investments	88216.13	0.00	904.22	3702.95	198.56	1670.65	94692.51	2975.99	0.00	0.02	2973.89	97666.39
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	566.86	371.78	0.00	0.00	938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	938.64
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए Less: Provision for depreciation	491.84	0.00	0.00	264.30	0.00	917.94	1674.08	2.12	0.00	0.02	2.14	1676.22
निवल/Net	87724.29	0.00	337.36	3066.87	198.56	752.71	92079.79	2973.87	0.00	0.00	2971.75	95051.53

बी/b) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	31.03.2024	31.03.2023
i)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1676.23	1201.64
	(ख)/b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	41.04	667.68
	(ग)/c) घटाएं : बट्टे खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	3.49	193.31
	(घ)/d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	0	0.19
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	1713.18	1676.24
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	416.04	559.31
	(ख)/b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	-	0
	(ग)/c) घटाएंः आहरण / Less: Drawdown	-	143.27
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	416.04	416.04
iii)	एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप मे आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.28%	2.00%

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) **अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -**

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2024	31.03.2023
प्रारंभिक शेष / Opening balance	961.00	1061.71
01-04-2021 वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year since 01-04-2021	0.00	73.91
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	314.19	174.64
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing balance	646.81	961.00
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	646.81	938.66

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/a)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	21646.46	22679.33	21085.18	22126.82	0.00	0.00	19787.49	20643.86	18410.80	18420.57
ख/b)	वित्तीय संस्थाएं /FIs	1957.52	1237.16	465.20	1229.81	541.93	365.19	336.29	0.00	353.25	21.60
ग/c)	बैंक / Banks	425.66	584.25	13.78	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ/d)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1183.80	1323.61	635.76	639.46	229.04	379.02	979.62	1083.58	780.72	853.93
ङ/e)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates	239	198.56	239.00	198.56	0.00	0.00	239.00	194.86	239.00	198.56
च/f)	अन्य /Others	1099.45	1097.34	1098.48	1097.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.48	1097.34
छ/g)	घटाएं- मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	1460.49	2005.24	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग / Total	**25091.40**	**25115.01**	**23537.40**	**25326.34**	**770.97**	**744.19**	**21342.40**	**21922.30**	**20882.25**	**20592.00**

ङ/e) **रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):**

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year**	**31 मार्च 2024 को As on 31st March 2024**
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	123.72	8391.41	1674.69	4316.21
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	–	–	–	–
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	-	-	-	-
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	-	-	-	-

(एफ) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(f) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

31 मार्च, 2024 तक/As at 31st March 2024

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत **Daily Average outstanding during the year**	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमात्रा **Total volume of transactions during the year**	वर्ष के दौरान 31 मार्च **Outstanding as on March 31**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 तक/As at 31st March 2023

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत **Daily Average outstanding during the year**	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमात्रा **Total volume of transactions during the year**	वर्ष के दौरान 31 मार्च **Outstanding as on March 31**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

4. आस्ति गुणवत्ता :

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

के अनुसार 31.03.2024

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अर्नजक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ						
प्रारंभिक जमा राशि	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					2072.39	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतीयां					3335.54	
अंतिम शेष राशि	180413.75	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.06
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्नयन छद्र					657.54	
ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					740.08	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते					1726.81	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बट्टे खाते डालना					211.11	
प्रावधान (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1078.50	
घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					1937.92	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोष	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
निवल अनर्जक संपत्तियां						
प्रारंभिक जमा शेष					2018.02	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					479.49	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					875.86	
अंतिम जमा शोष					1621.65	
प्लवमान प्रावधान						
प्रारंभिक जमा शेष						5619.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान						1078.50
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान						1937.92
प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष						4760.41
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनपर किए गए वसूली						
तकनीकी/अधिोष बट्टे खातों का प्रारंभिक जमाोष						28955.70
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिोष बट्टे खाते						1726.81
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिोष बट्टे खातों में वसूली						2036.87
अंतिम जमशोष						28645.64

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

के अनुसार 31.03.2023

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अर्नजक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ						
प्रारंभिक जमा राशि	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					2096.03	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतीयां					4607.00	
अंतिम शेष राशि	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्नयन छद्र					678.13	
ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					1354.10	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते					2214.98	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बट्टे खाते डालना					359.79	
प्रावधान (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा	818.06	681.22	5495.03	665.18	6841.43	7659.49
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1353.17	
घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					2574.77	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोष	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
निवल अनर्जक संपत्तियां					2018.02	
प्रारंभिक जमा शेष		1601.40	1714.38	0.00	3315.78	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					1781.62	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					3079.38	
अंतिम जमा शोष		834.02	1184.00	0.00	2018.02	
प्लवमान प्रावधान						
प्रारंभिक जमा शेष						6025.96
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान						1353.17
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान						2574.77
प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष						4804.36
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनपर किए गए वसूली						
तकनीकी/अधिोष बट्टे खातों का प्रारंभिक जमाोष						28514.84
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिोष बट्टे खाते						2214.98
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिोष बट्टे खातों में वसूली						1602.53
अंतिम जमशोष						28955.72

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

As on 31.03.2024

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	**Sub-standard**	**Doubtful**	**Loss**	**Total Non-Performing Advances**	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
Add: Additions during the year					2072.39	
Less: Reductions during the year					3335.54	
Closing balance	180413.75	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.06
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					657.54	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					740.08	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1726.81	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					211.11	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
Add: Fresh provisions made during the year					1078.50	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1937.92	
Closing balance of provisions held	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
Net NPAs						
Opening Balance					2018.02	
Add: Fresh additions during the year					479.49	
Less: Reductions during the year					875.86	
Closing Balance					1621.65	
Floating Provisions						
Opening Balance						5619.83
Add: Additional provisions made during the year						1078.50
Less: Amount drawn down during the year						1937.92
Closing balance of floating provisions						4760.41
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28955.70
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1726.81
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						2036.87
Closing balance						28645.64

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

As on 31.03.2023

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
Add: Additions during the year					2096.03	
Less: Reductions during the year					4607.00	
Closing balance	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					678.13	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1354.10	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					2214.98	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					359.79	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	818.06	681.22	5495.03	665.18	6841.43	7659.49
Add: Fresh provisions made during the year					1353.17	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					2574.77	
Closing balance of provisions held	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
Net NPAs					2018.02	
Opening Balance		1601.40	1714.38	0.00	3315.78	
Add: Fresh additions during the year					1781.62	
Less: Reductions during the year					3079.38	
Closing Balance		834.02	1184.00	0.00	2018.02	
Floating Provisions						
Opening Balance						6025.96
Add: Additional provisions made during the year						1353.17
Less: Amount drawn down during the year						2574.77
Closing balance of floating provisions						4804.36
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28514.84
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						2214.98
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1602.53
Closing balance						28955.72

अनुपात (प्रतिशत में) **Ratios (in per cent)**	**चालू वर्ष/ Current Year**	**पिछले वर्ष/ Previous Year**
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	3.46%	4.78%
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	0.89%	1.29%
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	95.38%	94.50%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए :/B) Sector-wise Advances and Gross NPAs: (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	**क्षेत्र** /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2024)			पिछले वर्ष/Previous Year (31.03.2023)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	**सकल एनपीए/ Gross NPAs**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**	**कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances**	**सकल एनपीए/ Gross NPAs**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**
i)	प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित) / **Priority Sector(excluding RIDF)**						
क) a)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	24641	3267	13.26%	21773.00	3323.48	15.26%
ख) b)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1742	131	7.52%	1520.98	92.56	6.09%
ग/c)	सेवा क्षेत्र/Services	31113	2274	7.31%	26963.41	2080.01	7.71%
घ/d)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	16267	298	1.83%	13717.14	327.41	2.39%
	उप-योग / Sub-total (i)	73763	5970	8.09%	63974.53	5823.46	9.10%
ii)	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector**						
क) a)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ख/b)	उद्योग/Industry	21620	37	0.17%	19252.47	543.22	2.82%
ग/c)	सेवा क्षेत्र/Services	0	0	0.00%	51214.76	1046.31	2.04%
घ/d)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	91494	456	0.49%	27187.69	313.47	1.15%
	उप-योग / Sub-total (ii)	113114	493	0.44%	97654.92	1903.00	1.95%
	कुल/Total (I + ii)	186877	6463	3.46%	161629.45	7726.46	4.78%

सी/c) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA’s and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**चालू वर्ष/ Current Year**	**पिछले वर्ष/ Previous Year**
कुल आस्तियां/Total Assets	14932.48	27520.06
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA’s	46.73	561.37
कुल राजस्व/Total revenue	1775.78	884.19

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में आरबीआई परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव निम्नानुसार है :

d) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets is as under :

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि (ए) Amount of loans impacted by RBI Circular (a)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले ऋण राशि (बी) Amount of loans to be classified as NPA (b)	31.03.2024 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से ऋणों की राशि (सी) Amount of loans as on 31.03.2024 out of (b) classified as NPA (c)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए अतिरिक्त वांछित प्रावधान (डी) Additional Provision required for loans covered under RBI Circular (d)	(डी) में से प्रावधान 31.03.2024 तक पहले ही कर दिया गया है (इ) Provision out of (d) already made by 31.03.2024 (e)
2191.77	927.85	927.85	472.48	472.48

ङ) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशा-निर्देश संख्या DOR.ACC. REC.No.45/21.04.2018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (15.11.2021 को अपडेट किया गया) के अनुसार वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण, बैंक में विचलन निर्धारित सीमा के अन्दर हैं। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षण प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 24.09.2021 के तहत 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है : -

i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-

(खातो की संख्या छोड़कर रूपये करोड़ में)

e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.45/ 21.04.2018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021) on financial statements-presentation and disclosures, divergences are within threshold limits in the bank. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process.

f) Disclosure of transfer of loan exposures:

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2024 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 24.09.2021 are given below:-

i) The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:

(Rs. in crore except number of accounts)

(खातों की संख्या को छोड़कर रुपये करोड़ में) **(Rs. Crore except number of accounts)**	**एआरसी के लिए** **To ARCs**	**अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए** **To permitted transferees**	**अन्य स्थानांतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)** **To other transferees (please specify)**
खातों की संख्या / No: of accounts	2	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	128.59	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवषिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल प्रतिफल राशि Aggregate consideration	26.25	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	401.30	शून्य/NIL	शून्य/NIL

टिप्पणी :- दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री (यदि कोई हो) के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा (यदि कोई हो): रु. 3.94 करोड़ (रु. 3.04 करोड़ + 0.90 करोड़)

Note :- Quantum of excess provision reversed to the Profit and Loss Account on account of sale of stressed Loans(If Any) : Rs. 3.94 Cr (Rs. 3.04 Cr + 0.90 Cr)

ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।

iii) समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account.

iii) The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2024		
	Retail	Agriculture	MSME
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में) Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	546.69	शून्य/NIL	981.39
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) Weighted average residual maturity (in months)	129	शून्य/NIL	65.78
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) Weighted average holding period by originator (in months)	16	शून्य/NIL	7.65
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest	10%	शून्य/NIL	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति Tangible security coverage	372%	शून्य/NIL	137.06%
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण* Rating wise distribution of rated loans*	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

iv) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार केडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरणः -

iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2024:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1+ (Above 150%)	शून्य/NIL
आरआर/RR1 (Above 100% upto 150%)	27.53
आरआर/RR2 (Above 75% upto 100%)	34.38
आरआर/RR3 (Above 50% upto 75%)	0.00
आरआर/RR4 (Above 25% upto 50%)	34.80
आरआर/RR5 (upto 25%)	174.17
आहरित/Withdrawn	790.34
कुल/Grand Total	1061.23

छ) कपट खाते :

g)Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	171	219
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	149.47	1163.45
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	148.23	1161.76
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

31.03.2024 तक बकाया शेष राशि 148.23 करोड़ रुपये है/Balance outstanding as on 31.03.2024 is Rs. 148.23 Crore.

ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यून फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यून फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड - 19 संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढाँचा के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित हैः-

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) are given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	Of (A) amount in closed account during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	966.04	14.49	0	124.20	32.93	876.62
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	1438.07	41.62	0	1344.83	45.33	1292.01
में से एमएसएमई / Of which MSME's	982.50	41.62	0	926.43	45.33	790.78
अन्य / Others	150.31	3.28	0	44.25	6.56	127.43
कुल / Total	**2554.42**	**59.39**	**0**	**1513.28**	**84.82**	**2296.06**

* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में विश्लेषित यथा

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. ऋण/Exposure:

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	**2023-24**	**2022-23**
i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	28325.15	26374.58
(Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	13395.03	14905.23
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	976.33	464.19
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश - (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		-
i. आवासीय / Residential		-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.		-
ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	7554.70	9411.71
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector	**36856.18**	**36250.48**

ख/b पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2023-24	2022-23
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	219.68	209.16
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	166.22	192.62
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;		--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	39.22	39.22
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	**425.12**	**441.00**

सी/c) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2024	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2024	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2023	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2023
महत्वहीन/Insignificant	12882.67	7.16	15118.51	7.72
कम/Low	13591.82	8.21	11729.99	8.30
मामूली रूप से कम/ Moderately low	24.02	0	19.51	0.00
संतुलित /Moderate	10.02	0	4.02	0.00
माध्यम उच्च/ Moderately high	219.52	0	1.66	0.00
उच्च /High	0	0	0.00	0.00
अत्यंत उच्च / Very High	0	0	0.00	0.00
कुल/TOTAL	**26728.05**	**15.37**	**26873.69**	**16.02**

डी/d अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2024	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2023
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	37233.56	29838.81
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil

ङ) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य

च) फैक्टरिंग एक्सपोजर्स - शून्य

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र युक्त निकायों के एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) हेतु 31.03.2024 को ₹34.22 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

e) Intra-group exposures - Nil

f) Factoring Exposures - Nil

g) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 34.22 lakhs as on 31.03.2024 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क)/a) **जमाराशियों का संकेंद्रण**/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	**दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2024 (Current Year)**	**दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2023 (Previous Year)**
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total deposits of the twenty largest depositors	31080.05	31451.29
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	11.81%	12.61%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण **b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	**चालू वर्ष/ Current Year 2023-24**	**पिछले वर्ष/ Previous Year 2022-23**
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	41068.06	38816.00
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	19.44%	20.55%

ग) ऋण का संकेंद्रण **c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2023-24	**पिछले वर्ष/Previous Year 2022-23**
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	42197.48	40120.37
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	17.85%	18.93%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण **d) Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	**2023-24**	**2022-23**
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to the top twenty NPA accounts	438.59	1393.20
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	6.79%	18.03%

7. व्युत्पन्न / Derivatives

क/a) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मदें / Items		2023-24	2022-23
i)	स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	5502.79	6852.63
ii)	करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	12.84*	31.33*
iii)	स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps		-
iv)	स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps		-
v)	स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	0.62	2.99

नोट : कृपया अनुसूची 17 के बिंदु 14 का संदर्भ लें।

Note : Please refer to Point 14 of Schedule 17.

*नोट : स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें केडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां शामिल हैं, का भी खुलासा किया जाएगा : वित्त वर्ष 2022-23 में संभावित भावी जोखिम और वर्तमान केडिट जोखिम तालिका के तहत लिया गया है। हालाँकि, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में केवल वर्तमान केडिट एक्सपोजर को शामिल किया जाएगा।

*Note : Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps shall also be disclosed : In FY 2022-23 Potential Future Exposure and Current Credit Exposure taken under table. However, in current FY 2023-24 only Current Credit Exposure taken.

b) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2023-24	2022-23
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2024(instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

I) गुणात्मक प्रकटीकरण

i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

I) Qualitative disclosures-

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूपः

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाः

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

iv) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरणः

स्वॉप्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियां हमारी मौजूदा डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है जो व्यापार तिथि, ब्याज एकत्रीकरण, अंतरालिक ब्याज निपटान तिथि, पुनरावृत्ति तिथि और समाप्ति तिथि पर किए जाने चाहिए।

आय की पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट, असमाप्त अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, कोलेटरल और केडिट रिस्क मिटिगेशन हमारे बैंक की डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार है।

v) ब्याज दर अदला- बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :

बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 12.84 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

(iv) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:

The accounting policies for recording swaps is as per our extant derivative policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date.

For recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation is as per our Bank's Derivative Policy.

(vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs.12.84 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl.No.	विवरण Particulars	2023-2024		2022-2023	
		मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	8595.44	1050.00	8896.66	1320.00
	ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	32232.42	4452.79	27295.09	5532.63
2	मार्क्ड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
	क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	19.20	0.62	-13.26	2.99
	ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	6.44	0.00	0.96	0.00
3	ऋण एक्स्पोजर / Credit Exposure	885.24	61.54	837.44	95.12
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
	क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
	अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	12.75	लागू नहीं/NA	23.69
	न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-5.08	लागू नहीं/ NA	-10.95
	ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
	अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	9.60	लागू नहीं/NA	2.60
	न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	4.16	लागू नहीं/NA	4.16
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	6.74	लागू नहीं/NA	15.42
	न्यूनतम / Minimum		1.84	लागू नहीं/NA	-25.65
	ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
	अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-2.22	लागू नहीं/NA	4.39
	न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	2.62	लागू नहीं/NA	5.91

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹12.84 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹95.12 करोड़) होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfill their obligation will be Rs. 12.84 crores for F.Y. 2023-24 (Rs. 95.12 crores for the F.Y. 2022-23)

सी) केडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2024 को केडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2024.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	मार्च 31/ Mar 31 2024	मार्च 31/ Mar 31 2023
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2.	एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3.	तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए/a) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
	● पहला नुकसान/First loss		
	● अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	b) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
	● पहला नुकसान/First loss		
	● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए/a) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	● पहला नुकसान/First loss		
	● अन्य/Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	● पहला नुकसान/First loss		
	● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी/b) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	● पहला नुकसान/First loss		
	● अन्य/Others		
	ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations		
	● पहला नुकसान/First loss		
	● अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6.	नकदी सहायता, प्रतिभुतिकरण के उपरांत अस्ति-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	मार्च 31/ Mar 31 2024	मार्च 31/ Mar 31 2023
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात। ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/a) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/b) चुकौती प्राप्त/Repayment received सी/c) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8.	पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10.	निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/a) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/b) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**चालू वर्ष**/Current Year	**पिछले वर्ष**/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	594.97	499.94
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	121.64	101.06
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	30.14	6.03
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	686.47	594.97

11. शिकायतों का प्रकटन

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	1432	30
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	103636	34146
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	103083	32744
	3.1 उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	41266	2421
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	1985	1432
	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	2759	2669
	5.1. मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1662	1401
	5.2 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	1097	1267
	5.3 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	00	01
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

बैंकिंग लोकपाल शिकायत विवरण/ Banking Ombudsman Complaints Details : -

क्र.सं. Sr. No	बैंकिंग लोकपाल की शिकायतें Banking Ombudsman Complaints	वित्तीय वर्ष/ FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/ FY 2022-23
1	वर्ष की शुरुआत में बैंकिंग लोकपाल की लंबित शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the Beginning of the year	39	19
2	वर्ष के दौरान प्राप्त बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Received during the year	2759	2669
3	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों का निवारण किया गया No of BO Complaints Redressed during the year	2774	2649
4	वर्ष के अंत में लंबित बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the End of the year	24	39

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / **Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers**					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) **Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)**	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the beginning of the year**	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें **Number of Complaints received during the year**	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % **% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the end of the year**	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या **Of 5, number of complaints pending beyond 30 days**
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2023-24					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	1310	89075	336%	1867	122
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	68	3803	17%	43	0
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	8	1584	1%	6	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	1	2520	71%	14	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	0	985	23%	3	0
अन्य / Others	45	5669	-16%	52	2
अन्य / Total	1432	103636	204%	1985	124

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / **Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers**					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) **Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)**	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the beginning of the year**	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या **Number of Complaints received during the year**	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % **% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the end of the year**	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या **Of 5, number of complaints pending beyond 30 days**
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2022-23					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	7	20403	247%	1310	522
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	5	1472	-43%	1	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	2	3240	51%	68	14
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances	3	1572	1%	8	4
शाखा आने वाले ग्राहको के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	1	794	78%	0	0
अन्य / Others	12	6665	84%	45	9
अन्य / Total	30	34146	111%	1432	549

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशोपित जुर्माने का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 01-04-2023 से 31.03.2024 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, अन्य मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के अलावा रूपये 30,275/- (पांच लाख अस्सी-सात हजार) का दंड लगाया है। अन्य भारतीय रिजर्व नियामक से रूपये 1,06,791 (एक लाख पचास हजार) का दंड है।

वित्तीय वर्ष 01-04-2023 से 31.03.2024 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के लिए रूपये 65,21,431,81 (दो करोड़ इक्कीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ छह रुपये एक पैसे) का दंड लगाया है।

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Financial Year from 01.04.2023 to 31.03.2024, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 30275/- (Rupees Thirty thousand two hundred seventy five only)for other than currency chest operations. There is a penalty of Rs. 1,06,791/-(One lakh six thousand seven hundred ninety one only) from other than RBI Regulator.

During the Financial Year from 01.04.2023 to 31.03.2024, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 65,21,431.81 (Sixty five lakh twenty one thousand four hundred thirty one and Paisa eighty one only) for Currency Chest Operations only.

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक को स्वीकार्य वेतन और भत्ते डीएफएस से प्राप्त होते हैं और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आलोक में हैं।

13. Disclosures on remuneration

The pay and allowances admissible to ED/MD is as received from DFS and in light of Government decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

	विवरण/ **Particulars**	चालू वर्ष/ **Current Year**	पिछले वर्ष/ **Previous Year**
i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	7.36	5.88
ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.10	0.84
iii)	जमा मूल्य / Cost of Deposits	4.78	4.06
iv)	निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	2.92	2.87
v)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.54	1.45
vi)	आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.56	0.62
vii)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee(in ₹ crore)	20.93	18.90
viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	0.08	0.08

बी) बैंकाश्योरेंस से काराबार :

बैंकएश्योरेंस से आय का विवरण नीचे दिया गया है:

b) Bancassurance business:

Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	**कारोबार का प्रकार** / Type of Business	2023-24	2022-23
1	लाइफ/Life	47.19	34.75
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	14.62	12.04

c) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

फ़िस्दम के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का डिजिटल वितरण / Digital distribution of Wealth Management Products through Fisdom

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23
/Mutual Fund	1.25	1.07

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड केडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित केडिट कार्ड कमीशन

Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23
केडिट कार्ड / Credit Card	5.05	7.90

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

1. वित्त वर्ष 2023-24 में कुल पीएलएससी- खरीदा गयाः रु. शून्य.
2. कुल PSLC- वित्त वर्ष 2023-24 में बेचा गयाः PSLC- लघु और सीमांत किसान - रु. 400 करोड़ पीएसएलसी- माइक्रो : शून्य

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

1. Total PSLC- purchased in FY 2023-24: Rs. Nil.
2. Total PSLC- Sold in FY 2023-24 : PSLC- Small & Marginal Farmer - Rs. 400 Cr. PSLC- Micro : Nil

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नामे (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	**चालू वर्ष/** Current Year	**पिछले वर्ष/** Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	582.01	324.43
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	1068.27	1295.57
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	19.37	31.70
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्ययः-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	205.18	58.63
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़ी/Legal Cases / Contingencies/Frauds	4.99	2.54
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	6.60	0
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	895.74	1011.07
बकाया वेतन संोधन /Arrear Wage Revision	0	40
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	140.35	-285.61

एफ) आईएफ़आरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमिः

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।)

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August'2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगतिः

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रोफ़ॉर्मा इंड-एस वित्तीय बयानों को जमा कर दिया है, जिसमें पूंजी और लाभ में परिवर्तन का समाधान है, छमाही आधार पर और पिछले जीएएपी आंकड़ों की तुलना की गई है। यह आखिरी बार 30 नवंबर, 2023 को सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए प्रस्तुत किया गया था।

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on half yearly basis and last submitted on November 30, 2023 for the half year ended September, 2023 compared with the previous GAAP figures.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

g) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	300.26	280.07
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 11वें द्विपक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत पारिवार पेंशन में संशोधन के कारण कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं थी क्योंकि बैंक ने पहले ही पारिवार पेंशन में संशोधन के कारण पूरी अतिरिक्त देनदारी वसूल कर ली गई थी। 31 मार्च 2024 तक अपरिशोधित प्रावधान शून्य है।

h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

During the FY 2023-24, there was no additional liability on account of revision in family pension consequent to the 11th Bipartite Settlement and Joint Note dated November 11, 2020 as Bank had already charged the entire additional liability on account of revision in family pension upto the year ended 31st March 2023. As on 31st March 2024, unamortized provision is nil

i) एमएसएमई पुनर्रचित खाते

ए) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना' पर आरबीआई सर्क्युलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार हैः

i) MSME Restructured Accounts:

a) In accordance with the RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/ 21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector - Restructuring of Advances, the details of MSME restructured accounts as on 31st March 2024 are as under:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
648	194.77	19.48

बी) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर संख्या DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार 'रिज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 - कोविड-19 संबंधित छोटे, लघु, और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तनाव का समाधान', 31 मार्च 2024 को पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नलिखित हैः

b) In accordance with RBI Circular no.DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution for Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises(MSME)", the details of restructured accounts as on 31st March 2024 are as under:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
14283	705.98	70.60

झ) आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमश: न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थम पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) आयकर, जीएसटी एवं सेवा कर के संबंध में आयकर/सेवा कर/जीएसटी विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है। प्रबंधन द्वारा कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि उक्त मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष निपटान हेतु लंबित हैं।

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

j) Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax/ service tax/GST Department on account off income tax, GST and Service tax has been shown in schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various Competent Authorities

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

अनुलग्नक II / Annexure II
पार्ट बी / Part B

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नही हुआ है।

2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनः सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें

एसजीडी	61.7350
एचकेडी	10.6600

iii) लेखाबंदी दर

एसजीडी	61.7350
एचकेडी	10.6600

iv) विदशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2024 as compared to those followed in the previous financial year 2022-23.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

3. AS-11: The Effects of changes inforeign Exchange Rates:

i) a) Intergral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

ii) Exchange rates for Non - Integral Centre

SGD	61.7350
HKD	10.6600

iii) Closing Rate

SGD	61.7350
HKD	10.6600

iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	(ए) ट्रेजरी (a)Treasury		(बी) कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग (b)Corporate/ Wholesale Banking		(सी) रिटेल बैंकिंग (c)Retail Banking		(1) रिटेल बैंकिंग (1)Digital Banking		(2) अन्य रिटेल बैंकिंग (2)Other Retail Banking		(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन (d)Other Banking Operations		योग Total	
विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व/ Revenue	8251.67	7333.54	9122.81	5665.13	7697.13	7110.45	0.00	0.00	7697.13	7110.45	48.25	49.84	25119.86	20158.96
परिणाम/ Result	1528.83	2375.26	490.54	186.93	501.23	293.08	-1.45	-0.51	502.68	293.59	48.25	49.84	2568.85	2905.11
अनावंटित व्यय/ Unallocated Expenses													0.00	0.00
परिचालन लाभ/ Operating Profit													2568.85	2905.11
आयकर/ Income Tax													915.11	1042.77
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ/ Net Profit													1653.74	1862.34
सेगमेंट आस्तियां/ Segment Assets	127877.74	130690.24	106506.27	75572.53	88784.01	94046.52	1.63	0.66	88782.38	94045.86	523.44	553.69	323691.46	300862.98
अनावंटित आस्तियां/ Unallocated assets													0.00	0.00
कुल आस्तियां/ Total Assets													323691.46	300862.98
सेगमेंट देयताएं/ Segment Liabilities	108158.08	112129.24	117546.33	84088.94	97987.04	104644.80	11.28	4.43	97975.76	104640.37	0.00	0.00	323691.45	300862.98
अनावंटित देयताएं/ Unallocated Liabilities													0.00	0.00
कुल देयताएं/ Total Liabilities													323691.45	300862.98

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2023-24	पिछला वर्ष/ Previous Year 2022-23	चालू वर्ष/ Current Year 2023-24	पिछला वर्ष/ Previous Year 2022-23	चालू वर्ष/ Current Year 2023-24	पिछला वर्ष/ Previous Year 2022-23
राजस्व/Revenue	23344.08	19274.79	1775.78	884.19	25119.87	20158.98
आस्तियां/Assets	308758.97	273342.93	14932.48	27520.06	323691.45	300862.99

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अश्वनी कुमार (01.06.2023 to 31.03.2024)

श्री सोमा शंकर प्रसाद (01.04.2023 to 31.05.2023)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री राजेंद्र कुमार साबू (01.04.2023 to 31.03.2024)

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (09.10.2023 to 31.03.2024)

श्री इशराक अली खान (01.04.2023 to 30.04.2023)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri Ashwani Kumar (01.06.2023 to 31.03.2024)

Shri Soma Sankara Prasad (01.04.2023 to 31.05.2023)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Rajendra Kumar Saboo (01.04.2023 to 31.03.2024)

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (09.10.2023 to 31.03.2024)

Shri Ishraq Ali Khan (01.04.2023 to 30.04.2023)

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मदें/ Items	Amount (during the FY 23-24)
श्री अश्वनी कुमार (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) Shri Ashwani Kumar (MD & CEO)	01.06.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	30.17
श्री सोमा शंकर प्रसाद (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) Shri Soma Sankara Prasad (Former MD & CEO)	01.04.2023 से/to 31.05.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	13.21
श्री राजेंद्र कुमार साबू (कार्यपालक निदेशक) Shri Rajendra Kumar Saboo (ED)	01.04.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	36.62
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (कार्यपालक निदेशक) Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (ED)	09.10.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	14.82
श्री इशराक अली खान (पूर्व कार्यपालक निदेशक) Shri Ishraq Ali Khan (Former ED)	01.04.2023 से/to 30.04.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	37.45

नोटः एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

सी) सहयोगी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पचिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2024 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2024 को कुल पूंजी 682.86 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 341.43 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 239 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 102.43 करोड़ रुपय शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कुल जमा राशि 5.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 6906 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2024 तक 10.71 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल अग्रिम 4149 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। सीडी अनुपात 31.03.2022 को 60.08% है जो 31.03.2021 को 57.05% था।

सकल एनपीए 31.03.2024 को 337.05 करोड़ रुपये है जो 31.03.2023 को 351.11 करोड़ रुपये था। सकल एनपीए से सकल अग्रिम 31.03.2023 को 8.12% रहा है जबकि 31.03.2023 को यह 9.73% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2024 को 0.77% है जो 31.03.2023 को 3.94% था।

उपरोक्त सभी आंकड़े अलेखापरीक्षित हैं।

6. एएसस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 के अनुसार बनाये गये हैं

7. अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

c) Associates

Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2024.

Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2024 stood at Rs.682.86 Cr. comprising Rs. 341.43 Cr. from Govt. of India, Rs.239 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs. 102.43 Cr. from West Bengal State Govt.

Performance of RRBs during 2023-24

Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6906 Cr. as on 31.03.2024, registering growth of 5.11%. Total advance reached a level of Rs.4149 Cr. with an annual growth of 10.71% 31.03.2024. CD ratio stood at 60.08% as on 31.03.2024 as against 57.05% on 31.03.2023.

The gross NPA stood at Rs.337.05 Cr. as on 31.03.2024 vis-a-vis Rs. 351.11 Cr. as on 31.03.2023. Gross NPA to Gross Advance stood at 8.12% as on 31.03.2024 as against 9.37% as of 31.03.2023. The net NPA ratio of the RRB stood at 0.77% as on 31.03.2024 as against 3.94% as of 31.03.2023.

All the above figures are unaudited.

6. APPLICABILITY OF AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2024.

7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2024 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	113.77	82.77
2	घटाएं. : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरूद्ध Net Block at the beginning of the year	-	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	87	74.74
5	घटाएंः अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	12.76	43.74
6	योग/Total	188.01	113.77
7	घटाएंः अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	90.2	38.05
8	घटाएंः अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	97.81	75.72

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2024

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	38.05	44.13
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	38.05	44.13
13 जोड़ेंः अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ेंः वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	64.91	37.66
15 घटाएंः विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	12.76	43.74
16 अंतिम शेष/Closing Balance	90.20	38.05

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9. एस-24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, असतत परिचालन-एएस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

10. एएस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

i. बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।

ii. लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवयक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9. APPLICABILITY OF AS- 24, 27.

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit

लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: -

& Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes:

(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED									
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	9074.64	8692.34	698.82	718.27	626.66	649.08	42.15	41.99	17.59	16.77	2.48	2.12
ब्याज लागत Interest Cost	610.50	604.79	46.61	49.79	45.24	48.75	3.04	3.15	1.27	1.26	0.18	0.16
चालू सेवा लागत Current Service Cost	484.34	503.37	64.04	54.09	168.77	135.70	0	0	5.06	3.91	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1214.60	1127.00	106.50	110.55	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	576.20	(401.14)	219.24	(12.78)	61.57	206.87	2.64	2.99	1.64	4.36	(0.26)	(0.20)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	9531.08	9074.64	922.21	698.82	779.10	626.66	42.56	42.15	22.28	17.58	2.92	2.48

(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2024	पेंशन/ Pension 2023	उपदान/ Gratuity 2024	उपदान/ Gratuity 2023
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	8864.53	8517.74	678.49	697.81
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	716.26	672.90	54.82	55.12
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	869.69	821.79	82.70	50.32
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1214.60	1127.00	106.50	110.55
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	6.10	(20.90)	0.41	14.21
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	9241.98	8864.53	709.92	678.49

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED									
विवरण Particulars	पेंशन **Pension**		उपदान **Gratuity**		छुट्टी का नकदीकरण **Leave Encashment**		एलएफसी/ एलटीसी **LFC/ LTC**		बीमारी छुट्टी **Sick Leave**		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा **Medical Benefits to Directors**	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	9531.08	9074.64	922.21	698.82	779.10	626.66	42.56	42.15	22.27	17.58	2.92	2.48
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9241.98	8864.53	709.92	678.49	681.73	607.25	42.15	41.99	17.58	16.77	2.48	2.12
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	289.10	210.11	212.29	20.33	97.37	19.41	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

		पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)		484.34	503.37	64.04	54.09	168.77	135.70	0	0	5.06	3.91	0	0
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)		610.49	604.79	46.61	49.79	45.24	48.75	3.04	3.15	1.27	1.26	0.18	0.16
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)		716.25	672.90	54.82	55.13	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)		570.10	422.03	218.83	1.43	61.57	(206.87)	2.63	(2.99)	1.64	(4.36)	0.26	0.20
राशि /Amount (A+B-C+D)		948.68	857.29	274.66	50.18	152.44	(22.42)	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36
लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 **(A)**	948.68	857.29	274.66	50.18	152.44	(22.42)	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution **(B)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	948.68	857.29	274.66	50.18	152.44	(22.42)	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36

बीमांकिक लाभ/हानि समाधान/ **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	576.20	(401.14)	219.24	(12.78)	61.57	206.87	2.63	2.99	1.64	4.36	0.26	(0.20)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	570.10	(422.03)	218.83	1.43	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	1146.30	(823.17)	438.07	(11.35)	61.57	206.87	2.63	2.99	1.64	4.36	0.26	(0.20)
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	1146.30	(823.17)	438.07	(11.35)	61.57	206.87	2.63	2.99	1.64	4.36	0.26	(0.20)

निवेश के ब्योरे :

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%

ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	-
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियां एन्युटी कांट्रेक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	**100.00%**

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.21% (पेंशन हेतु/For Pension) 7.22% (उपदान हेतु/For Gratuity)
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.08%
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	11 years (पेंशन/Pension) 22 years (उपदान/Gratuity)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एएस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20): :

Calculation of EPS

	As on 31.3.2024	As on 31.3.2023
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1653.74	1862.34
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	11955958176	11955958176
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11955958176	11955958176
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्युटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	1.38 1.38	1.56 1.56

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹895.74 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23 ₹1011.07 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the FY 2023-24, net amount of Rs. 895.74 Crore (Rs. 1011.07 Crore has been reversed for FY 2022-23) has been reversed as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	6380.28	7411.44
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	272.25	218.98
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियो के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	19.92	13.98
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	380.96	308.91
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	74.26	70.33
आकस्मिक देयताएँ /अन्य के लिए प्रावधान /Provision held for Contingent Liabilities/Others	185.71	185.47
योगः/TOTAL :	**7313.37**	**8209.11**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योगः/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	**7313.37**	**8209.11**

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the year ended 31st March, 2024 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

13. आरबीआई सर्कुलर संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.91/ 21.04.018/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार, “अनुसूची 14-अन्य आय” शीर्षक के तहत उपशीर्षक “विविध आय” के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक, निम्नानुसार हैंः

13. In terms of RBI Circular No. DOR.ACC.REC.No.91/ 21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeds one percent of total income, are as under:

प्रमुख/उप-शीर्षक का विवरण Particulars of Head/ Sub-Head	उप-शीर्ष के अंतर्गत मद Item under the Sub-Head	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. In Crore)	In Percentage Tems
अनुसूची 14-अन्य आय उप शीर्ष- विविध आय Schedule 14-Other Income Sub Head- Misc Income	बट्टे खाते में वसूली Recovery in Written off	1486.50	5.92%

14. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

14. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars		31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
अ.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
A.	**Cash Flow from Operating Activities :**		
	कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	25688536	29051125
	समायोजन/Adjustments for :		
	अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	2809227	2175203
	निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	3409994	8305077
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	10682695	12955704
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	2051761	586330
	अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	10476792	7679969
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(5779)	(1656)
	गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया) Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1395851	2062909
	Interest paid on AT-1 debts (treated separately)	475000	0
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(40503)	(142856)
	उप-योग/Sub-total	**56943574**	**62671804**
	घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
		56943574	62671804
	समायोजन/Adjustments for :		
	निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	19239503	8739497
	अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(272199559)	(343813435)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	7317565	459723
	उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	47380397	71204608
	जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	137920357	252648387
	अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	13415644	(22081468)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ) **Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**10017481**	**29829116**
आ.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(3536222)	(2883376)
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	546562	67302
	प्राप्त लाभांश/Dividend Received	40503	142856
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ) **Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(2949157)**	**(2673218)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/		
C. Cash Flow from Financing Activities :		
एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	0	5000000
अपर टियर-2 बाँडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	0	(10000000)
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	(2424456)	3724750
एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid on AT-1 Bonds	(475000)	(19521)
गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(1395851)	(2062909)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	**(4295307)**	**(3357680)**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	**2773017**	**23798218**
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	199592	2002875
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	**2972609**	**25801093**
क्रमश:1 अप्रैल 2022 और 2021 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1,2023 & 2022 respectively	**287281003**	**261479910**

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Dr Sanjay Kumar
Government of India Nominee Director

श्री राजेश कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Rajesh Kumar,
RBI Nominee Director

श्री अंजन तालुकदार
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pramoda Ranjan Mishra
Shareholder Director

सुजय दत्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
Cheif Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	ब्योरे/Particulars	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
	क्रमश: 31 मार्च 2023 और 2023 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash and Cash Equivalents as on March 31,2024 & 2023 respectively**	**290253612**	**287281003**
ई. D	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य** **Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year**		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9142317	9167094
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93857827	93708375
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **Balance with Banks and Money at Call and Short Notice**	184280859	158604441
		287281003	**261479910**
उ. E	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य** **Cash and Cash Equivalents at the end of the Year**		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	7168202	9142317
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	94803520	93857827
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	188281890	184280859
		290253612	**287281003**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

i) प्रधान कार्यालय, 43 जोन, 1 ट्रेज़री शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,

ii) 752 शाखाओं (सेवा शाखाओं को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों ने की है

iii) 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 2432 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 21.50% अग्रिम का, 50.64% जमा का, 11.27% ब्याज आय का तथा 42.23% ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

क) 31.03.2023 को तुलन पत्र तथा बैंक की स्थिति की सही तथा साफ छवि की

ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हानि के सही अतिशेष की तथा

ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही तथा साफ छवि की ।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे अन्य दायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणी भाग में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व के अंतर्गत दिया गया है। हम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ एकल वित्तीय विवरणी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए संगत अपेक्षित आचार के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा कोड ऑफ एथिक्स की अपेक्षाओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

3. मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की एकल वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज़ करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान **अग्रिमों के अंतर्गत** खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।	हमने आस्ति वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई। हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एंव जांच की।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की अनुक्रिया
अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्ट्वेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है। क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।	वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टो का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना ह, जिसमें विभिन्न स्त्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।	निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं। हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया। हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया; उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए।

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण् यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूलिंगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन ।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।
- जहां कही उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

4. अन्य बातें

क) इन एकल वित्तीय विवरणों में 754 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिनमें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई जिसमें 2 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित इन शाखाओं में 31 मार्च 2023 को 32.32% अग्रिम, 32.66% जमा और 25.46% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 20.30%/19.05%/प्रथम अवधि अर्थात एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय में, पूरी तरह से ऐसे ाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) अपनी लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने 31 मार्च, 2023 तक 2432 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिसमें 23.09% अग्रिम, 58.91% जमा और 13.36% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए/ 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 17.66%/18.06% शामिल हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में आशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताने की अपेक्षा होगी।

प्रबंधन तथा गवर्नेस के प्रभारीजनों का एकल वित्तीय विवरणी के प्रति दायित्व

6. बैंक के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं वैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने ये समर्थ हों। इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं।

- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन करने है चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।

- वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, इस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने है।

- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करते है तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाते है।

- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करने है तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताने हैं। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारीलेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकतीं हैं।

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

मैटेरियल होना एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में।

जो गवर्नेस के दायित्व में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में संपर्क में रहने हैं।

जो गवर्नेंस के दायित्व में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।

जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमीं किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

9. उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा

ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

10. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;

ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;

ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।

घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार हैः

क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

ग) 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) इस रिपोर्ट के साथ बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2024 के अनुसार बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
यूडीआईएन : 24400189BKFIYS9352

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएन : 24521742BKAPJR3880

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
यूडीआईएन : 24515154BKFZGY5893

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएन : 24504134BKEGTS7802

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.04.2024

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of UCO Bank ("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2024, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:

   i) the Head Office, 43 Zones, 21 branches inclusive of 1 treasury branch audited by us

   ii) 798 branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors

   iii) 2 overseas branches audited by overseas local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2411 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 21.05% of advances, 50.64% of deposits, 11.27% of interest income and 42.23% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024;

b. true balance of profit in case of the Profit and loss account for the year ended on that date; and

c. true and fair view of cash flows in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances. The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software. Review of the documentations, operations/ performance and

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.There is scope for further strengthening the automation process.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments; We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc., for determining fair value of these investments; For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision thereagainst; In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.There is scope for further strengthening the automation process.

Key Audit Matter	Auditor's Response
Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates , primarily , to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.	Our audit procedure in response to this key Audit Matter included ● Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings. ● Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases. ● Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation. ● Analysis of opinion received from the experts where ever available. ● Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

4. Other Matters

A) These standalone financial statements incorporate the relevant returns of 800 branches including 2 foreign branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose. These branches audited by other auditors cover 44.18% of advances, 43.82% of deposits and 84.66% of non-performing assets as on 31st March 2024 and 24.30% / 27.79% of revenue for the quarter ended 31st March, 2024 / for the year ended 31st March 2024. The financial statements/ information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

B) In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2411 branches cover 21.05% of advances, 50.64% of deposits and 12.90% of Non- Performing assets as on 31st March, 2024 and 15.52%/ 15.55% of revenue for the quarter ended 31st March, 2024 / for the year ended 31st March 2024.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of thisstandalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation

and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether thefinancial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of thesefinancial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to financial statements and the operating effectiveness of such control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

9. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/ offices not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

11. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2024, none of the directors is disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our audit report on the operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Bank is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank as at 31st March 2024.

For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189
UDIN:24400189BKFIYS9352

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
UDIN:24521742BKAPJR3880

For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154
UDIN:24515154BKFZGY5893

FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
UDIN: 24504134BKEGTS7802

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट- अनुबंध- ए

Annexure A to the Independent Auditor's Report

(सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट खंड 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

भारतीय रिजर्व बैंक (द 'आरबीआई') के पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित), (द 'आरबीआई पत्राचार') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट

Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019o20 dated March 17, 2020 (as amended), (the "RBI communication")

1. हमने उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के साथ संयोजक के रूप में 31 मार्च, 2024 तक यूको बैंक ('बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का लेखापरीक्षा किया है जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

   We have audited the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of UCO Bank ('the "Bank") as of 31st March 2024 in conjunction with our audit of the financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Banks branches.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने एवं स्थापित करने की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है जिसे बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना एवं निवारण, लेखा संबंधी अभिलेखों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सहित इसके कारोबार को व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किया गया तथा बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अंर्तगत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना भी शामिल है।

   The Management of the Bank is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी/Auditor's Responsibility

3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन एवं कार्यान्वयन डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन शामिल है।

   Our responsibility is to express an opinion on the operating effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Bank based on our audit. Our audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting includes an evaluation of the adequacy of the design and implementation of such internal financial controls over financial reporting.

4. हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आसीएआई') द्वारा जारी ('मार्गदर्शन नोट') तथा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसए) के गाइडेंस नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर किसी सीमा तक प्रयोज्य है। उन मानदंडों एवं गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

   We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting operated effectively in all material respects.

5. हमारी लेखापरीक्षा में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाणन प्राप्त करने हेतु कार्यनिष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणियों के गलत अनुमान चाहे धोखाधड़ी के हों या गलती से किए गए हों, के जोखिम के मूल्यांकन के साथ वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करते हैं।

   Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting of the Bank. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमें मिले हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

   We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ -

Meaning of internal Financial Controls over Financial Reporting

7. किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लेखा सिद्धांतों पर सामान्यतः स्वीकार्य के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है। किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जिसमें बैंक की आस्तियों के लेनदेन एवं वृत्तियां में सही और निष्पक्ष रूप से उचित विवरण हों (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वरूप का समय पर पता लगाना या निवारण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान कराना जिससे वित्तीय विवरणियों के भौतिक प्रभाव का पता लगाया जा सके।

   A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

8. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रड़ान का दबाव या आपसी सांठगांठ की संभावना या चूक या धोखाधड़ी के कारण भौतिक ग़डबड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं चला हो। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का कोई पूर्वानुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा स्थितियों में बदलाव, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

   Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अन्य मामले / Other Matters

9. बैंक ने अपने विभागों और परिचालन इकाइयों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत अनुपालन की समीक्षा और परीक्षण के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए सलाहकार नियुक्त किया था और गैप- अध्ययन के दौरान आकलित किए गए गैप को कम करने के लिए रिपोर्ट/सुझाव प्रदान किया था। इस संबंध में सलाहकार द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट दी गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में सलाहकार द्वारा दिए गए रिपोर्ट/सुझावों की प्रबंधन द्वारा सकारात्मक समीक्षा की गई है और बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में आवयक सुधार लागू किए गए हैं। हालाँकि बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

   Bank had appointed consultant for internal financial controls over financial reporting for review and testing of compliance under internal financial controls over financial reporting for their departments & operational units and provided report/suggestion to mitigate the gap assessed during gap study. In this regard, report has been given by consultant for the year ended 31st March 2024. The report/suggestions given by consultant for internal financial controls over financial reporting has been reviewed by the management positively and necessary improvement has been implemented in the internal financial control system of the Bank. However, there is no impact on the financials of the Bank.

10. हमारी उक्त रिपोर्ट अब तक 819 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसमें 798 शाखाओं की लेखा परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और 21 शाखाओं की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई है। 798 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का पता लगाने के दौरान हमने उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

Our aforesaid report insofar related to the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 819 branches, in which 798 branches are audited by the branch auditors appointed for this purpose and 21 branches audited by us. While ascertaining the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 798 branches, we have relied on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अभिमत/Opinion

11. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे और यह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है।

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189
यूडीआईएन/UDIN:24400189BKFIYS9352

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
यूडीआईएन/UDIN : 24521742BKAPJR3880

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154
यूडीआईएन/UDIN:24515154BKFZGY5893

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
यूडीआईएन/UDIN : 24504134BKEGTS7802

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची Schedule	31.3.2024 की स्थिति As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति As on 31.3.2023 ₹
पूंजी /Capital	1	11955 95 82	11955 95 82
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money		-	-
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	15257 82 78	13647 73 75
जमाराशियां / Deposits	3	263129 77 27	249337 73 70
उधार Borrowings	4	25331 44 09	20501 08 00
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	7873 45 28	5259 66 36
योग /TOTAL		**323548 45 24**	**300702 17 63**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र (जारी)
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां **ASSETS**	अनुसूची **Schedule**	31.3.2024 की स्थिति **As on 31.3.2024** ₹	31.3.2023 की स्थिति **As on 31.3.2023** ₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10197 17 22	10300 01 44
बैकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	18828 18 90	18428 08 59
निवेश/Investments	8	92761 39 63	95008 53 50
अग्रिम/Advances	9	182021 86 51	155870 17 87
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3781 47 33	3509 50 93
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	15958 35 65	17585 85 30
योग /TOTAL		**323548 45 24**	**300702 17 63**
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	60950 98 92	55597 63 27
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8001 35 97	8184 42 76

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 16 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Dr Sanjay Kumar
Government of India Nominee Director

श्री राजेश कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Rajesh Kumar,
RBI Nominee Director

श्री अंजन तालुकदार
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pramoda Ranjan Mishra
Shareholder Director

सुजय दत्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
Cheif Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2023 ₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	21854 33 58	17650 51 83
अन्य आय /Other Income	14	3265 52 94	2508 45 81
योग/TOTAL		**25119 86 52**	**20158 97 64**
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	13753 55 55	10307 39 33
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	6790 06 39	5510 91 50
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		2922 50 17	2478 33 05
योग/TOTAL		**23466 12 11**	**18296 63 88**
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss) for the Year		1653 74 41	1862 33 76
सहयोगी में लाभ/हानि का हिस्सा/Share of earnings / loss in Associates		17 81 10	- 36 05 30
निवल लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत/Net Profit/(Loss) Brought Forward		1457 76 27	- 28 04 10
योग/TOTAL		**3129 31 78**	**1798 24 36**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा (जारी)
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2023 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		413 43 60	465 58 44
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		10 37 62	18 16 65
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer from Investment Fluctuation Reserves		–	- 143 27 00
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		334 76 68	
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet		2370 73 88	1457 76 27
योग /TOTAL		**3129 31 78**	**1798 24 36**
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)		**₹ 1.40**	**₹ 1.53**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 16 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Dr Sanjay Kumar
Government of India Nominee Director

श्री राजेश कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Rajesh Kumar,
RBI Nominee Director

श्री अंजन तालुकदार
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pramoda Ranjan Mishra
Shareholder Director

सुजय दत्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
Cheif Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000 00 00	15000 00 00
	15000 00 00	**15000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी **Subscribed, Issued and Paid up Capital** प्रत्येक ₹ 10/- के 1195, 59, 58,176 (1195, 59, 58,176) ईक्विटी शेयर 1195, 59, 58,176 (1195, 59, 58, 176) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) shares held by Central Govt.]	11955 95 82	11955 95 82
योग /TOTAL	**11955 95 82**	**11955 95 82**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024		31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023	
	₹	₹	₹	₹
I. **सांविधिक आरक्षित निधियां**/Statutory Reserve:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2995 69 54		2530 11 10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती Addition / Deduction during the year	413 43 61		465 58 44	
		3409 13 15		2995 69 54
II. **पूंजी आरक्षित निधियां**/Capital Reserve :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	943 88 09		925 71 44	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	10 37 62		18 16 65	
	954 25 71		943 88 09	
		954 25 71		943 88 09
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन : c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2803 29 89		2732 19 30	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	218 55 14		95 35 80	
	3021 85 03		2827 55 10	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	24 29 56		24 25 21	
		2997 55 47		2803 29 89
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3625 71 03		3625 71 03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year				
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year				
		3625 71 03		3625 71 03
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	661 96 70		545 71 75	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	24 07 91		116 24 95	
	686 04 61		661 96 70	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year			–	
		686 04 61		661 96 70

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024		31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	737 04 70		615 73 18	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	54 96 70		121 31 52	
	792 01 40		737 04 70	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year				
		792 01 40		737 04 70
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit and Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
d) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	416 03 74		559 30 74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition/Deduction during the year	-		-143 27 00	
		416 03 74		416 03 74
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	1457 76 27		-28 04 11	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	912 97 61		1485 80 38	
		2370 73 88		1457 76 27
TOTAL(I to V)		**15257 82 78**		**13647 73 75**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	578 88 74	180 22 27
ii) अन्य से/From Others	11888 70 83	10447 98 78
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	86084 06 25	81095 91 94
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	9855 98 33	5827 65 30
ii) अन्य से/From Others	154722 13 12	151785 95 41
योग/TOTAL(I, II & III)	**263129 77 27**	**249337 73 70**
आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	249965 00 40	240740 70 83
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	13164 76 87	8597 02 87
योग/TOTAL (i & ii)	**263129 77 27**	**249337 73 70**

अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	4152 00 00	
ii) अन्य बैंक/Other Banks	16847 81 00	14231 84 39
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	3934 22 35	5983 01 63
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	397 40 74	286 21 98
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	**25331 44 09**	**20501 08 00**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	22934 03 35	18214 86 03
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	1404 30 00	1526 02 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	55	1 11
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance	36 38 00	157 10 00
गौण ऋण/Subordinated Debt		
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लाएंट टीयर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	1500 00 00
....../TREPS	493 53 80	2299 88 53
एटि-1/AT - 1	500 00 00	500 00 00

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023
I. संदेय बिल/Bills Payable	670 88 60	539 30 89
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)		154 68 88
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	553 01 35	893 06 07
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	6649 55 33	3672 60 52
योग /TOTAL	**7873 45 28**	**5259 66 36**
इसमें शामिल हैं / Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	1090 20 01	884 02 64

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/		
Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	716 82 02	914 23 17
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष/		
Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9480 35 12	9364 29 88
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	8	21 48 39
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	**10197 17 22**	**10300 01 44**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में a) In Current Accounts	4 76 48	2 73 83
ख) अन्य जमा खातों में b) In Other Deposit Accounts	16947 32 18	13647 27 45
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास a) With Banks	1500 00 00	
ख) अन्य संस्थाओं के पास b) With Other Institutions		
योग / TOTAL	**18452 08 66**	**13650 01 28**
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	167 58 08	183 27 70
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	208 52 16	3936 13 32
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		658 66 29
योग /TOTAL	**376 10 24**	**4778 07 31**
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	**18828 18 90**	**18428 08 59**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 8 — निवेश
Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	66167 49 52	67080 45 32
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	349 64 64	337 36 47
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	23657 14 97	23622 80 64
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates*	96 00 31	37 74 67
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	198 78 26	956 29 18
योग/TOTAL	**90469 07 70**	**92034 66 28**
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2292 31 93	2973 87 22
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	**2292 31 93**	**2973 87 22**
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	**92761 39 63**	**95008 53 50**

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /
** Net of provision for Depreciation on Investments & Provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024			31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	92827 05 52	2357 97 82	90469 07 70	94531 70 22	2497 03 94	92034 66 28
II. भारत के बाहर Outside India	2294 92 96	2 61 03	2292 31 93	2976 01 41	2 14 19	2973 87 22
योग/TOTAL	**95121 98 48**	**2360 58 85**	**92761 39 63**	**97507 71 63**	**2499 18 13**	**95008 53 50**

निवेश पर मूल्यह्रास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान
Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

***Investment in Associates**	**₹ '000**	**₹ '000**
Total Investment/ Cost of Investment in Associates	**239 00 23**	**198 55 69**
Add: Post-acquisition profit/(Loss) and Reserve of Associates (Equity method)	-142 99 92	-160 81 02
योग/Total	**96 00 31**	**37 74 67**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	6920 31 39	8995 29 25
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	67346 73 22	62667 06 92
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	107754 81 90	84207 81 70
योग/TOTAL	**182021 86 51**	**155870 17 87**
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	137943 47 27	116942 89 14
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	4235 08 66	5460 47 35
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	39843 30 58	33466 81 38
योग/TOTAL	**182021 86 51**	**155870 17 87**
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	68904 67 82	61429 58 23
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	24340 82 55	23829 18 24
(iii) बैंक/Banks	1779 75 22	3256 84 02
(iv) अन्य/Others	62438 38 70	45718 43 83
योग/TOTAL	**157463 64 29**	**134234 04 32**
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	3087 68 91	4492 95 13
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	19290 06 05	15405 98 28
(ग) अन्य (c) Others	2180 47 26	1737 20 14
योग/TOTAL	**24558 22 22**	**21636 13 55**
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	**182021 86 51**	**155870 17 87**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024
अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. **परिसर**/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	343 52 57	322 89 64
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	41	14 85 55
	343 52 98	337 75 19
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	21 23 84	5 98 52
	364 76 82	343 73 71
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	17 85	21 14
	364 58 97	343 52 57
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3245 43 82	3026 88 68
	3610 02 79	3370 41 25
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	3610 02 79	3370 41 25
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	391 50 96	340 88 06
योग/ TOTAL	3218 51 83	3029 53 19
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	2438 69 91	2171 94 41
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	19 42	7 93 99
	2438 89 33	2179 88 40
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	332 55 81	265 16 82
	2771 45 14	2445 05 22
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	53 89 98	6 35 32
	2717 55 16	2438 69 90
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	2219 43 57	2023 73 50
योग/ TOTAL	498 11 59	414 96 40
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	64 83 91	65 01 34
योग/TOTAL		
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	**3781 47 33**	**3509 50 93**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	220 81 67	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	2050 84 34	1981 20 74
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	160 97 75	93 41 01
IV. लेखन सामग्री और स्टांप/Stationery and Stamps	4 87 15	5 74 90
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	7313 37 00	8209 11 00
VII. अन्य/Others	6207 47 74	7296 37 65
योग/TOTAL	**15958 35 65**	**17585 85 30**

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	199 86 18	199 32 82
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	2 28 87	3 26 55
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	40827 85 23	36191 75 20
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents -		
क) भारत में A) In India	6487 52 81	5067 35 27
ख) भारत के बाहर B) Outside India	23 75 17	13 46 33
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4874 81 70	4929 64 05
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	8534 88 96	9192 83 05
योग/ TOTAL	**60950 98 92**	**55597 63 27**
# इसमे आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	**5502 78 96**	**6852 53 05**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
I.	ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	14162 19 26	10343 49 93
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	6123 81 21	6223 22 32
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1410 90 27	902 00 40
IV.	अन्य/Others	157 42 84	181 79 18
	योग/TOTAL	**21854 33 58**	**17650 51 83**

अनुसूची 14 — अन्य आय
Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024	₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023	₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)		262 52 12		228 56 78
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments	367 06 49		192 36 82	
	घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments		367 06 49	24 68	192 12 14
III.	निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments	655 16 33		157 41 38	
	घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	414 15 53	241 00 80	663 49 61	-506 08 23
IV.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	115 40		89 98	
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	57 61	57 79	73 42	16 56
V.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	50 16 72		190 22 34	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	20 28 06	29 88 66	6 81 03	183 41 31
VI.	भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		4 05 03		14 28 56
VII.	विविध आय/ Miscellaneous Income #		2360 42 05		2395 98 69
योग/TOTAL			**3265 52 94**		**2508 45 81**

इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं /

Includes Recovery in Written Off Accounts 1486 50 18 1624 39 90

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	11833 15 48	9416 65 44
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	1493 80 76	543 92 43
III. अन्य/Others	426 59 31	346 81 46
योग/TOTAL	**13753 55 55**	**10307 39 33**

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	4886 66 56	3872 74 21
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	332 18 16	293 91 46
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	43 48 48	29 37 55
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	9 22 33	8 63 94
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	280 92 27	217 52 03
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 21 36	1 53 79
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	46 43 85	41 83 20
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	3 46 84	3 20 14
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	16 50 27	13 81 12
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	19 57 07	19 42 06
XI. बीमा/Insurance	288 65 51	266 45 85
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	861 73 69	742 46 15
योग/TOTAL	**6790 06 39**	**5510 91 50**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलगन और उसका भाग)
(Annexed to and Forming Part of Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2024)

1. सामान्य / GENERAL

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार / BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS :

ये समेकित वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, परंपरागत लागत प्रथाओ के आधार पर तैयार किये गए है और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो (जीएएपी) के तात्विक परिवर्तन के अनुरूप है जिसमे लागू होने वाले वैधानिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड, आरबीआई द्वारा समय - समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, लेखा मानक (एएस) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए घोषणाएं, जहा तक लागू हो एवं आम तौर पर भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओ का अनुपालन किया गया है।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, unless otherwise stated, encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and generally the practices prevailing in Banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

यह वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, प्रोद्भवन अवधारणा के साथ चालू व्यापार के आधार पर एवं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया है

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैंः-

Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of:-

i) यूको बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

   Audited financial statement of UCO Bank

ii) आईसीएआई द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' लेखा मानक 23 के अनुसार 'इक्विटी पद्धति के तहत 'सहायक प्रतिष्ठानों' में निवेश हेतु लेखांकन।

   Accounting for investment in 'Associates' under 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

   समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के दौरान सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

   No adjustments have been made to the financial statements of associate enterprise, when they are used in preparing consolidated financial statements.

   समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 के अनुसार बनाये गये हैं।

   The financial statements of associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March, 2024.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. समेकन प्रक्रियाएं/CONSOLIDATION PROCEDURES:

मूल इकाई/Parent Entity:

वित्तीय विवरण यूको बैंक, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान को शामिल कर समेकित किये गए है

The Financial statements are consolidated for UCO Bank, the parent entity and its associate enterprise.

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

सहयोगी इकाई/Associate Entity:

लेखा मानक 23- 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार' इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है

Following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23- "Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

कंपनी का नाम Name of the Company	देश / आवास Country/Residence	सम्बन्ध Relationship	मालिकाना हित Ownership Interest
पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक Paschim Banga Gramin Bank	भारत India	सहायक प्रतिष्ठान Associate Enterprise	35%

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT ENTITY

3. अग्रिम / ADVANCES:

3.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के आनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

3.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

3.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

3.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

3.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

3.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

3.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुर्ननिर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।

For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।

Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

3.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

4. निवेश / INVESTMENTS

4.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

4.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

4.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

4.4 वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

4.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

4.6 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षिति, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनि ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

4.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4.8 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

4.9 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

5. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

5.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्याकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

5.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

5.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

5.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की सममुल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाति है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

5.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

5.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यह्रास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

6. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/ spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्क्ड टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

6.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली /Translation

i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

7. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

7.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

7.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

अ/A) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/a) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/b) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ)/B) **निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan**

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/C) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/a. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/b. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/c. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

7.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है। Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

8. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

8.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यह्रास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

8.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

8.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

8.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

9. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

11. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

11.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।
Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

11.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।
In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

11.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार अनर्जक आस्तियो निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।
Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

11.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आाधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्यापित होने पर किया जाता है।
Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

11.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।
Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

11.6 आयकर रिफंड पर ब्याय की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।
Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

11.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।
Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

11.8 बट्टे खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।
Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

12. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

13. आय पर कर / TAXES ON INCOME

13.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

13.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/a) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय मे होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।
Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/b) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।
Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/c) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/d) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनिय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थिगत कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

14. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

14.1 बैंक एएस 20 –'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

14.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

15. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता हैः

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/a) बचाव-व्यवस्या पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/b) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/c) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/d) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/e) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

17. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

अनुबंध III / Annexure III

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

(31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलगन और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2024)

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

ए/a) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	मदें/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
		बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	17382.52	14773.59
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी /Additional Tier 1 capital	500.00	500.00
(iii)	टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	17882.52	15273.59
(iv)	टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	3024.15	2817.97
(v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/Total capital (Tier 1+Tier 2)	20906.67	18091.57
(vi)	कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	123607.64	110155.70
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs)	14.06	13.41
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)/ Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.46	13.87
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)/ Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.45	2.56
(x)	पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)/ Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.91	16.42
(xi)	उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio		
(xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत/ Percentage of the shareholding of Government of India	95.39	95.39
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि/ Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; अ) बासल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)/ Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; a) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	-	500
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि;/ Amount of Tier 2 capital raised during the year;	-	-

बी) रिज़र्व से ड्रा डाउन - शून्य

b) Draw Down from Reserves - Nil

2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2024 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/
a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2024:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	1दिन 1 Day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 30 दिन तक 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह तक 31days to 2 months	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक Over 2 months and upto 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 year	5 बर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा/Deposits	867 (2599)	5287 (4034)	4919 (3933)	11751 (7582)	12834 (12198)	14517 (13665)	31675 (28324)	68878 (45963)	30580 (47343)	10936 (19898)	70886 (63798)	263130 (249338)
अग्रिम / Advances	1196 (1010)	2780 (2069)	2220 (2602)	4539 (6712)	3465 (7014)	7150 (5955)	12683 (11599)	16951 (12118)	23280 (26674)	22794 (23837)	89820 (62039)	186877 (161629)
निवेश / Investments	123 (-)	- (124)	- (94)	123 (264)	384 (464)	149 (783)	584 (893)	2230 (2124)	13528 (11262)	11328 (10804)	66816 (70857)	95265 (97669)
उधार/Borrowings	512 (1903)	4753 (2095)	565 (1472)	1777 (3246)	665 (1062)	1475 (7252)	2120 (802)	1487 (358)	4765 (811)	5713 (-)	1500 (1500)	25331 (20501)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	474 (474)	2737 (6420)	1014 (2087)	4062 (9374)	6606 (6557)	12222 (9487)	4882 (6906)	1991 (3506)	9837 (7754)	7147 (6365)	1731 (2830)	52702 (61760)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	376 (399)	3746 (5394)	1062 (1901)	6064 (9088)	7017 (6330)	13069 (10224)	4458 (5475)	1893 (5663)	11428 (10230)	5353 (4877)	3426 (2468)	57895 (62050)

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2023		30.09.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2023		31.12.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2023		31.03.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2024	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		70991.51		68183.68		64509.09		59992.55
नकदी निकासी/Cash Outflows								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retails Deposit and deposits from small business customers, of which	167394.71	16639.33	170066.65	16896.02	172354.36	17139.07	168248.82	16757.57
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	2002.78	100.14	2212.99	110.65	1927.30	96.36	1346.27	67.31
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	165391.93	16539.19	167853.66	16785.37	170427.07	17042.71	166902.55	16690.26
3 अरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	55913.66	24032.62	51824.02	21619.29	64354.28	25990.61	58558.72	22324
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits (All Counter Parties)								
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits (All Counter Parties)	55913.66	24032.62	51824.02	21619.29	64354.28	25990.61	58558.72	22324
(iii)अप्रतिभूत ऋण//Unsecured Debt								
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding		-		-		-		-
5 अतिरिक्त जरुरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	14522.06	2180.35	16465.39	2871.47	30241.19	4074.30	14964.59	1833.46
(i) व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1269.09	1269.09	1875.48	1875.48	1325.38	1325.38	459.11	459.11

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2023		30.09.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2023		31.12.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2023		31.03.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2024	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) **Total Unweighted Value (Average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) **Total Weighted Value (Average)**
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products								
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	13252.97	911.26	14589.91	995.99	17490.60	1523.56	14505.48	1374.35
6 अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	4902.57	4902.57	1731.06	1731.06	909.60	909.60	1764.22	1764.22
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	2539.72	103.45	2597.68	105.05	12701.59	404.60	12100.81	384.10
8 कुल नकदी निकासी/ **Total Cash Outflows**		47858.33		43222.89		47293.54		43063.34
नकदी आगमन/ Cash Inflows								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos)	345.97	-	107.92	13.94	163.22	13.26	82.08	82.08
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	9367.30	6174.76	9313.20	5998.58	6763.19	4457.95	4226.96	2936.29
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	435.88	247.74	624.71	334.32	287.31	231.22	493.17	493.17
12 कुल नकदी आगमन/Total Cash inflows	10149.15	6422.50	9982.90	6297.87	7132.79	4754.69	4802.21	3511.54
	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
13 **कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA**		70991.51		68183.68		64509.09		59992.55
14 **कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow**		41435.82		36885.66		42572.91		39551.80
15 **चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)**		171.33%		184.85%		151.53%		151.68%

* **2023-24 का औसत एलसीआर यानी** /Average of Daily LCR of 2023-24 i.e. 164.85%

** **2022-23 का औसत एलसीआर यानी** /Average of Daily LCR of 2022-23 i.e. 191.96%

एलसीआर डेटा और परिणाम का गुणात्मक मूल्यांकनः

चलनिधि कवरेज अनुपात(एलसीआर) को इस उद्देश्य से शुरूकिया गया है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर भाररहीत उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) बनाए रखे, जिसे अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को न्यूनतम 100% एलसीआर बनाए रखने का आदेश दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता कैलेंडर वर्ष 2019 से 100% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत और समूह बैंक संचालन के लिए एलसीआर के प्रबंधन को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, बैंक एकल और समेकित स्तर पर एलसीआर का खुलासा कर रहा है। समेकित एलसीआर की गणना करते समय शामिल की गई संस्थाओं में यूको बैंक सोलो (हांगकांग और सिंगापुर केंद्र का घरेलू और विदेशी संचालन) भी शामिल है।

एलसीआर के संचालक :

बैंक मुख्य संचालन को निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर एलसीआर को बनाए रखता है, जो निम्नप्रकार हैं:

Qualitative Assessment of LCR data and Result :

Liquidity Coverage Ratio (LCR) has been introduced with the objective that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for next 30 calendar day time horizon. RBI mandates Banks to maintain minimum LCR of 100%.

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. RBI has mandated the management of LCR for individual as well as group Bank operations. Accordingly, Bank is disclosing the LCR at solo and consolidated level. The entities included while computing consolidated LCR are UCO Bank Solo (Domestic & overseas operation of Hong Kong and Singapore Center.

Drivers of LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the minimum regulatory requirement on an ongoing basis on the main drivers of which are as under:

संचालक / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्तियों का स्तर (एचक्यूएलए) Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का पर्याप्त स्तर बनाए हुए है, जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या वकट परिस्थितियों में त्वरित तरलता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining substantial level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for generating quick liquidity in stressed conditions.
रिटेल जमा/लघु कारोबार करने वाले ग्राहकों से निधि की प्राप्ति Funding from Retail Deposits / Small Business Customers	चूंकि खुदरा जमा या छोटे कारबार करने वाले ग्राहकों से प्राप्त जमा को तनावपूर्ण स्थिति में स्थिर माना जाता है, इसलिए बैंक खुदरा जमा में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा और बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमा पर निर्भरता कम कर रहा है। As retail deposits or deposits from small business customers are considered stable during Stress Scenario and accordingly the bank is focusing on accretion of retail deposits and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC.

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

- **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**
  1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मियादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 16% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।
- **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**
- **स्तर 2ए परिसंपत्तियों - 15% हेयरकट के साथ**
  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
  2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

- **Level 1 Assets**
  1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
  2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
  3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
  4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 16% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- **Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)**
- **Level 2A assets - With Haircut of 15%**
  1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20%
  2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

- **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

  1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
  2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
  3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

एचक्यूएलए की संरचना: बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान 60000.00 करोड़ रुपये का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा। स्तर 1 परिसंपत्ति एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का लगभग 98.00% योगदान करती है। चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा एचक्यूएलए का उच्चतम हिस्सा है यानी कुल एचक्यूएलए का लगभग 63.00% है।

लेवल 1 परिसंपत्तियों की तुलना में लेवल 2 की परिसंपत्ति गुणवत्ता में कम है, 40% के अधिकतम अनुमत स्तर के मुकाबले एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 1.87% है।

धन स्रोतों की एकाग्रता: हमारे फंडिंग स्रोत विविध देनदारियों के पोर्टफोलियो के साथ अच्छी तरह से फैले हुए हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं

- गैर-परिपक्व जमा
- सावधि जमा जिसका अधिकांश हिस्सा खुदरा ग्राहकों से आ रहा है।

फंडिंग प्रोफाइल : असुरक्षित थोक निधियन कुल भारित नकदी बहिर्वाह का प्रमुख हिस्सा होता है। खुदरा जमा और लघु कारबार करने वाले ग्राहकों से प्राप्त जमा एक साथ 31.03.2024 तक कुल भारित नकदी बहिर्वाह का लगभग 36.77% योगदान करते हैं। गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स, केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और पीएसई से प्राप्त जमा कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का 52.35% योगदान करते हैं।

बैंक कम स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण की निगरानी/कमी के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर वित्तपोषण स्त्रोतों की निगरानी कर रहा है। बैंक नियमित अंतराल पर शीर्ष 20 जमाकर्ताओं के संकेंद्रण की निगरानी भी करता है।

बैंक के पास समूह इकाइयां नहीं हैं और एकल स्तर पर तरलता को केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जा रहा है। बैंक का एक्सपोजर मुख्य रूप से भारतीय रुपये में है।

- **Level 2B assets - With Haircut of 50%**

  1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
  2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
  3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Composition of HQLA: The Bank during the three months ended 31st March 2024 maintained average HQLA of Rs. 60000.00 crore. Level 1 Assets contribute to approximately 98.00% of the total stock of HQLA. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 63.00% approx. of the total HQLA.

Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 1.87% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Non-maturing deposits
- Term Deposit of which majority portion is coming from Retail Customers.

Funding Profile : Unsecured Wholesale funding constitutes major portion of total weighted Cash outflows. Retail Deposits and Deposits from Small Business Customer put together contribute around 36.77% of total weighted Cash outflow as on 31.03.2024. Deposits from Non-financial Corporates, Central Banks, Multilateral development banks and PSEs contribute to 52.35% of total weighted Cash outflows.

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor/reduce the concentration of funds having lower stability. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

Bank does not have group entities, and liquidity at solo level is being managed centrally. Bank's exposure is mainly in Indian Rupee.

ग) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर):

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्प्लेट:																					
		तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4				
	(₹ करोड़ में)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*				
	एएसएफ मद																				
1	पूंजी: (2+3)	-	-	-	92738	92738	-	-	-	100285	100285	-	-	-	96856	96856	-	-	-	79995	79995
2	विनियामक पूँजी	-	-	-	18696	18696	-	-	-	19052	19052	-	-	-	19530	19530	-	-	-	21139	21139
3	अन्य पूंजी साधन	-	-	-	74043	74043	-	-	-	81233	81233	-	-	-	77326	77326	-	-	-	58857	58857
4	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों के जमा: (5 अ 6)	86167	-	65547	-	147949	86769	-	56752	-	133647	86633	-	51847	-	145363	89250	-	80338	-	157537
5	स्थिर जमा	37469	-	38948	-	76416	62617	-	26952	-	85091	61494	-	28428	-	88452	63087	-	35079	-	93258
6	अल्प स्थिर जमा	48698	-	26599	-	71533	24151	-	29800	-	48556	25139	-	23419	-	56911	26163	-	45259	-	64279
7	थोक वित्त पोषण: (8+9)	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
8	प्रचालनात्मक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
9	अन्य थोक वित्त पोषण	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
10	अन्य देयताएं: (11 + 12)	11632	-	-	-	3226	11688	-	-	-	-	15910	-	-	-	-	15350	-	-	-	-
11	एसएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	-	-	-	-	-	3209	-	-	-	-	-862	-	-	-	-	-4949	-	-	-	-
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई हैं	6459	-	-	-	3226	8479	-	-	-	-	16773	-	-	-	-	20299	-	-	-	-
13	कुल एएसफ (1+4+7+10)					268412	103160	3317	100923	100197	258422.94	107379	4098	100470	96856	268447	110917	4312	125334	79995	266231
	RSF Item																				
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					3942					3805	16537	12770			1316	16650	9480			1322
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	52	-	-	-	26	36				18	46	-	.-	-	23	74		-	-	37
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां: (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	8137	44958	68918	78669	-	11252	28702	84448	81660	-	5331	34764	85690	85726	-	5411	29344	97728	91124
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के असुरक्षित अर्जक ऋण।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	80	-	-	-	-	-
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित अर्जक ऋण	-	8137	-	-	1221	-	11252	-	-	1688	-	4532	-	-	680	-	5411	-	-	812

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्प्लेटः

	(₹ करोड़ में)	तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एएसएफ मद																				
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और संप्रभु, केंद्रीयबैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें सेः	-	-	44958	6581	26756	-	-	28702	19326	26913	-	-	34764	19739	31164	-	-	29344	28461	33666
20	ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	6581	4278	-	-	-	19326	12562	-	-	-	19739	13782	-	-	-	28461	18994
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें सेः	-	-	-	61611	50075	-	-	-	64396	52442	-	-	-	65225	53184	-	-	-	68541	56029
22	केडिट जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	11470	7456	-	-	-	11475	7459	-	-	-	11284	7335	-	-	-	11156	7251
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	726	617	585	-	-	726	617	-	-	-	726	617	-	-	-	726	617
24	अन्य संपत्तियांः (25 से 29 पंक्तियों का योग)	638	-	-	50316	50897	662	-	-	64625	65230	640	-	-	71605	72188	640	-	-	70510	71093
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	व्युत्पन्न अनुबंधों और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में अभिदायों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रविष्ट की गई अस्तियाँ	378	-	-	-	321	381	-	-	-	-	381	-	-	-	324	381	-	-	-	324
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न अस्तियाँ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
28	प्रविष्ट किए गए घट-बढ़ मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	260	-	-	-	260	281	-	-	-	281	259	-	-	-	259	259	-	-	-	259
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	-	-	-	50316	50316				64625	64625	-	-	-	71605	71605	-	-	-	70510	70510
30	तुलन पत्र में शामिल नहीं होने वाली मदें	5160				257	5152				256	5150				256	23722				1202
31	कुल आरएसएफ	66996	18142	44958	119234	133791	65130	28644	28702	149074	150969	22372	18102	34764	157925	159509	41086	14891	29344	168239	164778
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					200.62%					171.18%					168.30%					161.57%

c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):

NSFR Disclosure Template:																					
		QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4				
	(₹ in Crore)	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
	ASF Item																				
1	Capital: (2+3)	-	-	-	92738	92738	-	-	-	100285	100285	-	-	-	96856	96856	-	-	-	79995	79995
2	Regulatory capital	-	-	-	18696	18696	-	-	-	19052	19052	-	-	-	19530	19530	-	-	-	21139	21139
3	Other capital instruments	-	-	-	74043	74043	-	-	-	81233	81233	-	-	-	77326	77326	-	-	-	58857	58857
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	86167	-	65547	-	147949	86769	-	56752	-	133647	86633	-	51847	-	145363	89250	-	80338	-	157537
5	Stable deposits	37469	-	38948	-	76416	62617	-	26952	-	85091	61494	-	28428	-	88452	63087	-	35079	-	93258
6	Less stable deposits	48698	-	26599	-	71533	24151	-	29800	-	48556	25139	-	23419	-	56911	26163	-	45259	-	64279
7	Wholesale funding: (8+9)	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
8	Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
9	Other wholesale funding	5901	2109	37832	-	24498	4704	3317	44170	-	24490	4835	4098	48624	-	26228	6317	4312	44996	-	28698
10	Other liabilities: (11+12)	11632	-	-	-	3226	11688	-	-	-	-	15910	-	-	-	-	15350	-	-	-	-
11	NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-	3209	-	-	-	-	-862	-	-	-	-	-4949	-	-	-	-
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	6459	-	-	-	3226	8479	-	-	-	-	16773	-	-	-	-	20299	-	-	-	-
13	Total ASF (1+4+7+10)					268412	103160	3317	100923	100197	258422.94	107379	4098	100470	96856	268447	110917	4312	125334	79995	266231
	RSF Item																				
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3942					3805	16537	12770			1316	16650	9480			1322
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	52	-	-	-	26	36				18	46	-	.-	-	23	74		-	-	37
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+ 23)	-	8137	44958	68918	78669	-	11252	28702	84448	81660	-	5331	34764	85690	85726	-	5411	29344	97728	91124
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	80	-	-	-	-	-
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	8137	-	-	1221	-	11252	-	-	1688	-	4532	-	-	680	-	5411	-	-	812

NSFR Disclosure Template:

	(₹ in Crore)	QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4				
		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
	ASF Item																				
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	44958	6581	26756	-	-	28702	19326	26913	-	-	34764	19739	31164	-	-	29344	28461	33666
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	6581	4278	-	-	-	19326	12562	-	-	-	19739	13782	-	-	-	28461	18994
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	61611	50075	-	-	-	64396	52442	-	-	-	65225	53184	-	-	-	68541	56029
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	11470	7456	-	-	-	11475	7459	-	-	-	11284	7335	-	-	-	11156	7251
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	726	617	585	-	-	726	617	-	-	-	726	617	-	-	-	726	617
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	638	-	-	50316	50897	662	-	-	64625	65230	640	-	-	71605	72188	640	-	-	70510	71093
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	378	-	-	-	321	381	-	-	-	-	381	-	-	-	324	381	-	-	-	324
27	NSFR derivative assets	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	260	-	-	-	260	281	-	-	-	281	259	-	-	-	259	259	-	-	-	259
29	All other assets not included in the above categories	-	-	-	50316	50316				64625	64625	-	-	-	71605	71605	-	-	-	70510	70510
30	Off-balance sheet items	5160				257	5152				256	5150				256	23722				1202
31	Total RSF	66996	18142	44958	119234	133791	65130	28644	28702	149074	150969	22372	18102	34764	157925	159509	41086	14891	29344	168239	164778
32	Net Stable Funding Ratio (%)					200.62%					171.18%					168.30%					161.57%

गुणात्मक चर्चाः

पृष्ठभूमिः

निवल स्थिरता निधियन अनुपात (एनएसएफआर) दिशा-निर्देश बैंक से यह अपेक्षा करता है कि वे भविष्य में निधियन के तनाव के जोखिम को कम करने के लिए वित्तपोषण के पर्याप्त स्थिर संसाधनों के साथ अपने कार्यकलापों का वित्तपोषण करें साथ ही निर्धारित समय-सीमा में निधियन जोखिम में कमी सुनिश्चित करें। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। आरबीआई ने मई 2018 में नेट स्टेबिलिटी फंडिंग अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियम जारी किए हैं, जिसमें कम से कम 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता है। कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।

Qualitative discussion:

Background:

Net Stability Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over loner duration time horizon by requiring bank to fund their activities with sufficiently stable resources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount required stable funding. RBI has issued the regulations on the implementation of Net stability funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 01st October 2021.

प्रमुख संचालक/Key Drivers

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ़)	पूंजी आधार, गैर-वित्तीय कंपनियों से खुदरा जमा आधार, निधियन और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक वित्त पोषण मुख्य संचालक हैं। रिटेल ग्राहकों से अपरिपक्व जमाराशियां और एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाली जमाराशियां या देयताएं बेहतर स्रोत के रूप में मानी जाती हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी प्रकृति की होती हैं।
Available Stable Funding (ASF)	The main drivers are Capital Base, Retail Deposit Base funding from Non-Financial Companies and Long term funding from financial Institutions. Non-Maturing deposits from Retail Customers and Deposits or Liabilities having with effective residual maturity of one year or more are better source considered as they are more stable in nature.
वांछित स्थिर निधियन	सिक्के, सीआरआर और एचक्यूएलए यानी भारमुक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को कम निधि की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी उच्च तरलता के कारण स्थिर निधियन की कम राशि को आकर्षित किया जाता है। अर्जक ऋणों की अवशिष्ट परिपक्वता पर अलग-अलग निधियन की आवश्यकता होती है।
Required Stable Funding	Coins, CRR and HQLA i.e. Unencumbered SLR securities are considered to have lower fund requirement considered hence attracting low amount of stable funding due to their high liquidity. Performing loans have different funding requirement on their residual Maturity.

एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को **आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की राशि के रूप में** परिभाषित किया गया है।

"उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

उदाहरण :

क) कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।

ख) एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।

ग) **रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉरपोरेट/ संस्थान से जमाराशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है)** द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमाराशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा

Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of **available stable funding relative to the amount of required stable funding.**

"Available Stable Funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

Example:

a) Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).

b) Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.

c) Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by **retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/ institution)**

घ) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए **आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ)** उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

उदाहरण :

क) भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर

ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां

ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।

घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।

ड़) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूँजी से कटौती की गई मदें, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

एनएसएफ़आर की गणना :

एनएसएफ़आर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफ़आर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} >= 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है।

तदनुसार, हमें दिनांक 31.03.2024 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफ़आर को अपलोड कर दिया है।

यूको बैंक की स्थिति:

बैंक न्यूनतम नियामकीय आवश्यक अनुपात से बहुत ऊपर एनएसएफ़आर को बनाए रख रहा है, जो दर्शाता है कि बैंक के पास अपनी निधि आवश्यकता को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

d) Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

Stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

Example:

a) Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities

b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets

c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs

d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach

e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions

All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities

Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\textbf{NSFR} = \frac{\textbf{Available Stable Funding}}{\textbf{Required Stable Funding}} >= 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory.

Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.03.2024

UCO Bank's Position:

Bank is maintaining NSFR much above the maximum regulatory required ratio, which shows Bank has sufficient stable source of fund to manage its fund requirement.

3. निवेश/Investments:

ए/a) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना **/ Composition of Investment Portfolio:**

As on 31.03.2024

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India							भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय) प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	कुल निवेश Total Investments
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity												
सकल/Gross	72682.33	0.00	0.00	1650.73	239	0.00	74571.96	1456.84	0.00	0.00	1456.84	76028.80
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	102.27	0.00	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	102.27
निवल/Net	72682.33	0.00	0.00	1548.46	239	0.00	74469.69	1456.84	0.00	0.00	1456.84	75926.53
बिक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale												
सकल/ Gross	13473.16	0.00	840.65	2837.92	0.00	1196.10	18347.83	838.09	0.00	0.00	838.09	19185.92
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	250.67	0.00	491	706.46	0.00	1056.21	2504.34	2.61	0.00	0.00	2.61	2506.95
निवल/Net	13222.49	0.00	349.65	2131.46	0.00	139.89	15843.49	835.49	0.00	0.00	835.49	16678.98
Held for Trading												
सकल/Gross	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल/Net	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
कुल निवेश / Total Investments	86205.65	0.00	840.65	4488.65	239	1196.10	92970.05	2294.93	0.00	0.00	2292.33	95262.38
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	491	155.81	0.00	0.00	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	646.81
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए Less: Provision for depreciation	250.67	0.00	0.00	652.92	0.00	1056.21	1959.80	2.61	0.00	0.00	2.61	1962.41
निवल/Net	85954.98	0.00	349.65	3679.92	239	139.89	90363.44	2292.33	0.00	0.00	2289.72	92653.16

As on 31.03.2023

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India							भारत के बाहर निवेश / Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय) प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity												
सकल/Gross	71511.03	0.00	0.00	1825.84	198.56	0.00	73535.43	1976.40	0.00	0.02	1976.42	75511.85
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	116.16	0.00	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	116.16
निवल/Net	71511.03	0.00	0.00	1709.68	198.56	0.00	73419.27	1976.40	0.00	0.02	1976.42	75395.69
बिक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale												
सकल/ Gross	16705.10	0.00	904.22	1877.11	0.00	1670.65	21157.08	999.58	0.00	0.00	999.58	22156.66
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	491.84	0.00	566.86	519.92	0.00	917.94	2496.56	2.12	0.00	0.00	2.12	2498.68
निवल/Net	16213.26	0.00	337.36	1357.19	0.00	752.71	18660.52	997.46	0.00	0.00	997.46	19657.98
Held for Trading												
सकल/Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं : मूल्यह्रास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल/Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश / Total Investments	88216.13	0.00	904.22	3702.95	198.56	1670.65	94692.51	2975.99	0.00	0.02	2973.89	97666.39
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	566.86	371.78	0.00	0.00	938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	938.64
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए Less: Provision for depreciation	491.84	0.00	0.00	264.30	0.00	917.94	1674.08	2.12	0.00	0.02	2.14	1676.22
निवल/Net	87724.29	0.00	337.36	3066.87	198.56	752.71	92079.79	2973.87	0.00	0.00	2971.75	95051.53

बी/b) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	31.03.2024	31.03.2023
i)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1676.23	1201.64
	(ख)/b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	41.04	667.68
	(ग)/c) घटाएं : बट्टे खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	3.49	193.31
	(घ)/d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	0	0.19
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	1713.18	1676.24
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	416.04	559.31
	(ख)/b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	-	0
	(ग)/c) घटाएंः आहरण / Less: Drawdown	-	143.27
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	416.04	416.04
iii)	एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप मे आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.28%	2.00%

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) **अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -**

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2024	31.03.2023
प्रारंभिक शेष / Opening balance	961.00	1061.71
01-04-2021 वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year since 01-04-2021	0.00	73.91
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	314.19	174.64
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing balance	646.81	961.00
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	646.81	938.66

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/a)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	21646.46	22679.33	21085.18	22126.82	0.00	0.00	19787.49	20643.86	18410.80	18420.57
ख/b)	वित्तीय संस्थाएं /FIs	1957.52	1237.16	465.20	1229.81	541.93	365.19	336.29	0.00	353.25	21.60
ग/c)	बैंक / Banks	425.66	584.25	13.78	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ/d)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1183.80	1323.61	635.76	639.46	229.04	379.02	979.62	1083.58	780.72	853.93
ङ/e)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates	239	198.56	239.00	198.56	0.00	0.00	239.00	194.86	239.00	198.56
च/f)	अन्य /Others	1099.45	1097.34	1098.48	1097.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.48	1097.34
छ/g)	घटाएं- मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	1460.49	2005.24	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग / Total	**25091.40**	**25115.01**	**23537.40**	**25326.34**	**770.97**	**744.19**	**21342.40**	**21922.30**	**20882.25**	**20592.00**

ङ/e) **रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):**

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year**	**31 मार्च 2024 को As on 31st March 2024**
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	123.72	8391.41	1674.69	4316.21
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	–
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	–	–	–	–
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	-	-	-	-
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	-	-	-	-

(एफ) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(f) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

31 मार्च, 2024 तक/As at 31st March 2024

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत **Daily Average outstanding during the year**	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमात्रा **Total volume of transactions during the year**	वर्ष के दौरान 31 मार्च **Outstanding as on March 31**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 तक/As at 31st March 2023

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत **Daily Average outstanding during the year**	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमात्रा **Total volume of transactions during the year**	वर्ष के दौरान 31 मार्च **Outstanding as on March 31**
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

4. आस्ति गुणवत्ता :

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण **के अनुसार 31.03.2024**

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अर्नजक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ						
प्रारंभिक जमा राशि	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					2072.39	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतीयां					3335.54	
अंतिम शेष राशि	180413.75	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.06
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्नयन छद्र					657.54	
ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					740.08	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते					1726.81	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बट्टे खाते डालना					211.11	
प्रावधान (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1078.50	
घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					1937.92	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोष	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
निवल अनर्जक संपत्तियां						
प्रारंभिक जमा शेष					2018.02	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					479.49	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					875.86	
अंतिम जमा शोष					1621.65	
प्लवमान प्रावधान						
प्रारंभिक जमा शेष						5619.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान						1078.50
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान						1937.92
प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष						4760.41
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनपर किए गए वसूली						
तकनीकी/अधिोष बट्टे खातों का प्रारंभिक जमाोष						28955.70
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिोष बट्टे खाते						1726.81
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिोष बट्टे खातों में वसूली						2036.87
अंतिम जमशोष						28645.64

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

के अनुसार 31.03.2023

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अर्नजक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ						
प्रारंभिक जमा राशि	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					2096.03	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतीयां					4607.00	
अंतिम शेष राशि	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्नयन छद्र					678.13	
ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					1354.10	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते					2214.98	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बट्टे खाते डालना					359.79	
प्रावधान (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा	818.06	681.22	5495.03	665.18	6841.43	7659.49
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1353.17	
घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					2574.77	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोष	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
निवल अनर्जक संपत्तियां					2018.02	
प्रारंभिक जमा शेष		1601.40	1714.38	0.00	3315.78	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					1781.62	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					3079.38	
अंतिम जमा शोष		834.02	1184.00	0.00	2018.02	
प्लवमान प्रावधान						
प्रारंभिक जमा शेष						6025.96
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान						1353.17
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान						2574.77
प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष						4804.36
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनपर किए गए वसूली						
तकनीकी/अधिोष बट्टे खातों का प्रारंभिक जमाोष						28514.84
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिोष बट्टे खाते						2214.98
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिोष बट्टे खातों में वसूली						1602.53
अंतिम जमशोष						28955.72

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2024

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
Add: Additions during the year					2072.39	
Less: Reductions during the year					3335.54	
Closing balance	180413.75	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.06
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					657.54	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					740.08	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1726.81	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					211.11	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
Add: Fresh provisions made during the year					1078.50	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1937.92	
Closing balance of provisions held	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
Net NPAs						
Opening Balance					2018.02	
Add: Fresh additions during the year					479.49	
Less: Reductions during the year					875.86	
Closing Balance					1621.65	
Floating Provisions						
Opening Balance						5619.83
Add: Additional provisions made during the year						1078.50
Less: Amount drawn down during the year						1937.92
Closing balance of floating provisions						4760.41
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28955.70
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1726.81
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						2036.87
Closing balance						28645.64

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

As on 31.03.2023

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
Add: Additions during the year					2096.03	
Less: Reductions during the year					4607.00	
Closing balance	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					678.13	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1354.10	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					2214.98	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					359.79	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	818.06	681.22	5495.03	665.18	6841.43	7659.49
Add: Fresh provisions made during the year					1353.17	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					2574.77	
Closing balance of provisions held	884.03	165.56	4956.26	498.01	5619.83	6503.86
Net NPAs					2018.02	
Opening Balance		1601.40	1714.38	0.00	3315.78	
Add: Fresh additions during the year					1781.62	
Less: Reductions during the year					3079.38	
Closing Balance		834.02	1184.00	0.00	2018.02	
Floating Provisions						
Opening Balance						6025.96
Add: Additional provisions made during the year						1353.17
Less: Amount drawn down during the year						2574.77
Closing balance of floating provisions						4804.36
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28514.84
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						2214.98
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1602.53
Closing balance						28955.72

अनुपात (प्रतिशत में) **Ratios (in per cent)**	**चालू वर्ष/ Current Year**	**पिछले वर्ष/ Previous Year**
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	3.46%	4.78%
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	0.89%	1.29%
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	95.38%	94.50%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए :/B) Sector-wise Advances and Gross NPAs: (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	**क्षेत्र** /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2024)			पिछले वर्ष/Previous Year (31.03.2023)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	**सकल एनपीए/ Gross NPAs**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**	**कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances**	**सकल एनपीए/ Gross NPAs**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**
i)	प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित) / **Priority Sector(excluding RIDF)**						
क) a)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	24641	3267	13.26%	21773.00	3323.48	15.26%
ख) b)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1742	131	7.52%	1520.98	92.56	6.09%
ग/c)	सेवा क्षेत्र/Services	31113	2274	7.31%	26963.41	2080.01	7.71%
घ/d)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	16267	298	1.83%	13717.14	327.41	2.39%
	उप-योग / Sub-total (i)	73763	5970	8.09%	63974.53	5823.46	9.10%
ii)	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector**						
क) a)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ख/b)	उद्योग/Industry	21620	37	0.17%	19252.47	543.22	2.82%
ग/c)	सेवा क्षेत्र/Services	0	0	0.00%	51214.76	1046.31	2.04%
घ/d)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	91494	456	0.49%	27187.69	313.47	1.15%
	उप-योग / Sub-total (ii)	113114	493	0.44%	97654.92	1903.00	1.95%
	कुल/Total (I + ii)	186877	6463	3.46%	161629.45	7726.46	4.78%

सी/c) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**चालू वर्ष/ Current Year**	**पिछले वर्ष/ Previous Year**
कुल आस्तियां/Total Assets	14932.48	27520.06
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	46.73	561.37
कुल राजस्व/Total revenue	1775.78	884.19

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में आरबीआई परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव निम्नानुसार है :

d) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets is as under :

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि (ए) Amount of loans impacted by RBI Circular (a)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले ऋण राशि (बी) Amount of loans to be classified as NPA (b)	31.03.2024 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से ऋणों की राशि (सी) Amount of loans as on 31.03.2024 out of (b) classified as NPA (c)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए अतिरिक्त वांछित प्रावधान (डी) Additional Provision required for loans covered under RBI Circular (d)	(डी) में से प्रावधान 31.03.2024 तक पहले ही कर दिया गया है (इ) Provision out of (d) already made by 31.03.2024 (e)
2191.77	927.85	927.85	472.48	472.48

ङ) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशा-निर्देश संख्या DOR.ACC. REC.No.45/21.04.2018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (15.11.2021 को अपडेट किया गया) के अनुसार वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण, बैंक में विचलन निर्धारित सीमा के अन्दर हैं। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षण प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 24.09.2021 के तहत 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है : -

i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-

(खातो की संख्या छोड़कर रूपये करोड़ में)

e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.45/ 21.04.2018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021) on financial statements-presentation and disclosures, divergences are within threshold limits in the bank. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process.

f) Disclosure of transfer of loan exposures:

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2024 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 24.09.2021 are given below:-

i) The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:

(Rs. in crore except number of accounts)

(खातों की संख्या को छोड़कर रुपये करोड़ में) **(Rs. Crore except number of accounts)**	एआरसी के लिए **To ARCs**	अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए **To permitted transferees**	अन्य स्थानांतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें) **To other transferees (please specify)**
खातों की संख्या / No: of accounts	2	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	128.59	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल प्रतिफल राशि Aggregate consideration	26.25	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	401.30	शून्य/NIL	शून्य/NIL

टिप्पणी :- दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री (यदि कोई हो) के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा (यदि कोई हो): रु. 3.94 करोड़ (रु. 3.04 करोड़ + 0.90 करोड़)

Note :- Quantum of excess provision reversed to the Profit and Loss Account on account of sale of stressed Loans(If Any) : Rs. 3.94 Cr (Rs. 3.04 Cr + 0.90 Cr)

ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।

iii) समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account.

iii) The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2024		
	Retail	Agriculture	MSME
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में) Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	546.69	शून्य/NIL	981.39
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) Weighted average residual maturity (in months)	129	शून्य/NIL	65.78
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) Weighted average holding period by originator (in months)	16	शून्य/NIL	7.65
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest	10%	शून्य/NIL	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति Tangible security coverage	372%	शून्य/NIL	137.06%
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण* Rating wise distribution of rated loans*	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

iv) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार केडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरणः -

iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2024:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1+ (Above 150%)	शून्य/NIL
आरआर/RR1 (Above 100% upto 150%)	27.53
आरआर/RR2 (Above 75% upto 100%)	34.38
आरआर/RR3 (Above 50% upto 75%)	0.00
आरआर/RR4 (Above 25% upto 50%)	34.80
आरआर/RR5 (upto 25%)	174.17
आहरित/Withdrawn	790.34
कुल/Grand Total	1061.23

छ) कपट खाते :

g)Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	171	219
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	149.47	1163.45
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	148.23	1161.76
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

31.03.2024 तक बकाया शेष राशि 148.23 करोड़ रुपये है/Balance outstanding as on 31.03.2024 is Rs. 148.23 Crore.

ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरणः

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यून फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यून फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड - 19 संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढाँचा के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित है:-

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) are given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	Of (A) amount in closed account during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	966.04	14.49	0	124.20	32.93	876.62
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	1438.07	41.62	0	1344.83	45.33	1292.01
में से एमएसएमई / Of which MSME's	982.50	41.62	0	926.43	45.33	790.78
अन्य / Others	150.31	3.28	0	44.25	6.56	127.43
कुल / Total	**2554.42**	**59.39**	**0**	**1513.28**	**84.82**	**2296.06**

* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में विश्लेषित यथा

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. ऋण/Exposure:

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2023-24	2022-23
i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	28325.15	26374.58
(Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	13395.03	14905.23
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	976.33	464.19
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश - (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		-
i. आवासीय / Residential		-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.		-
ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	7554.70	9411.71
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector	**36856.18**	**36250.48**

ख/b पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2023-24	2022-23
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	219.68	209.16
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	166.22	192.62
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;		--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	39.22	39.22
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	**425.12**	**441.00**

सी/c) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी **Risk Category**	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) **Exposure (net) as at 31st March 2024**	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान **Provision held as at 31st March 2024**	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) **Exposure (net) as at 31st March 2023**	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान **Provision held as at 31st March 2023**
महत्वहीन/Insignificant	12882.67	7.16	15118.51	7.72
कम/Low	13591.82	8.21	11729.99	8.30
मामूली रूप से कम/ Moderately low	24.02	0	19.51	0.00
संतुलित /Moderate	10.02	0	4.02	0.00
माध्यम उच्च/ Moderately high	219.52	0	1.66	0.00
उच्च /High	0	0	0.00	0.00
अत्यंत उच्च / Very High	0	0	0.00	0.00
कुल/TOTAL	**26728.05**	**15.37**	**26873.69**	**16.02**

डी/d अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2024**	**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2023**
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	37233.56	29838.81
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	शुन्य/Nil	शुन्य/Nil

ङ) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य

च) फैक्टरिंग एक्सपोजर्स - शून्य

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र युक्त निकायों के एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) हेतु 31.03.2024 को ₹34.22 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

e) Intra-group exposures - Nil

f) Factoring Exposures - Nil

g) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 34.22 lakhs as on 31.03.2024 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क)/a) **जमाराशियों का संकेंद्रण**/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2024 (Current Year)	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2023 (Previous Year)
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total deposits of the twenty largest depositors	31080.05	31451.29
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	11.81%	12.61%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण **b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2023-24	पिछले वर्ष/ Previous Year 2022-23
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	41068.06	38816.00
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	19.44%	20.55%

ग) ऋण का संकेंद्रण **c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2023-24	पिछले वर्ष/Previous Year 2022-23
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	42197.48	40120.37
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	17.85%	18.93%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण **d) Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2023-24	2022-23
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to the top twenty NPA accounts	438.59	1393.20
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	6.79%	18.03%

7. व्युत्पन्न / Derivatives

क/a) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	2023-24	2022-23
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	5502.79	6852.63
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	12.84*	31.33*
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps		-
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps		-
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	0.62	2.99

नोट : कृपया अनुसूची 17 के बिंदु 15 का संदर्भ लें।

Note : Please refer to Point 15 of Schedule 17.

*नोट : स्वैप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें केडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां शामिल हैं, का भी खुलासा किया जाएगा : वित्त वर्ष 2022-23 में संभावित भावी जोखिम और वर्तमान केडिट जोखिम तालिका के तहत लिया गया है। हालाँकि, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में केवल वर्तमान केडिट एक्सपोजर को शामिल किया जाएगा।

*Note : Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps shall also be disclosed : In FY 2022-23 Potential Future Exposure and Current Credit Exposure taken under table. However, in current FY 2023-24 only Current Credit Exposure taken.

b) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2023-24	2022-23
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2024(instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

I) गुणात्मक प्रकटीकरण

i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

I) Qualitative disclosures-

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूपः

क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाः

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

iv) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरणः

स्वॉप्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियां हमारी मौजूदा डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है जो व्यापार तिथि, ब्याज एकत्रीकरण, अंतरालिक ब्याज निपटान तिथि, पुनरावृत्ति तिथि और समाप्ति तिथि पर किए जाने चाहिए।

आय की पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट, असमाप्त अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, कोलेटरल और केडिट रिस्क मिटिगेशन हमारे बैंक की डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार है।

v) ब्याज दर अदला- बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :

बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 12.84 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

(iv) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:

The accounting policies for recording swaps is as per our extant derivative policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date.

For recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation is as per our Bank's Derivative Policy.

(vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs.12.84 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2023-2024		2022-2023	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	8595.44	1050.00	8896.66	1320.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	32232.42	4452.79	27295.09	5532.63
2 मार्क्ड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	19.20	0.62	-13.26	2.99
ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	6.44	0.00	0.96	0.00
3 ऋण एक्स्पोजर / Credit Exposure	885.24	61.54	837.44	95.12
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	12.75	लागू नहीं/NA	23.69
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-5.08	लागू नहीं/ NA	-10.95
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	9.60	लागू नहीं/NA	2.60
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	4.16	लागू नहीं/NA	4.16
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	6.74	लागू नहीं/NA	15.42
न्यूनतम / Minimum		1.84	लागू नहीं/NA	-25.65
ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-2.22	लागू नहीं/NA	4.39
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	2.62	लागू नहीं/NA	5.91

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹12.84 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹95.12 करोड़) होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfill their obligation will be Rs. 12.84 crores for F.Y. 2023-24 (Rs. 95.12 crores for the F.Y. 2022-23)

सी) केडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2024 को केडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2024.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	मार्च 31/ Mar 31 2024	मार्च 31/ Mar 31 2023
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2.	एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3.	तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए/a) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
	• पहला नुकसान/First loss		
	• अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	b) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
	• पहला नुकसान/First loss		
	• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए/a) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• पहला नुकसान/First loss		
	• अन्य/Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	• पहला नुकसान/First loss		
	• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी/b) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• पहला नुकसान/First loss		
	• अन्य/Others		
	ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations		
	• पहला नुकसान/First loss		
	• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6.	नकदी सहायता, प्रतिभुतिकरण के उपरांत अस्ति-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	मार्च 31/ Mar 31 2024	मार्च 31/ Mar 31 2023
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात। ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/a) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/b) चुकौती प्राप्त/Repayment received सी/c) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8.	पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10.	निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/a) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/b) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/**Particulars**	**चालू वर्ष**/Current Year	**पिछले वर्ष**/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	594.97	499.94
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	121.64	101.06
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	30.14	6.03
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	686.47	594.97

11. शिकायतों का प्रकटन

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	1432	30
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	103636	34146
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	103083	32744
	3.1 उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	41266	2421
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	1985	1432
	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	2759	2669
	5.1. मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1662	1401
	5.2 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	1097	1267
	5.3 मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	00	01
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

बैंकिंग लोकपाल शिकायत विवरण/ Banking Ombudsman Complaints Details : -

क्र.सं. Sr. No	बैंकिंग लोकपाल की शिकायतें Banking Ombudsman Complaints	वित्तीय वर्ष/ FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/ FY 2022-23
1	वर्ष की शुरुआत में बैंकिंग लोकपाल की लंबित शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the Beginning of the year	39	19
2	वर्ष के दौरान प्राप्त बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Received during the year	2759	2669
3	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों का निवारण किया गया No of BO Complaints Redressed during the year	2774	2649
4	वर्ष के अंत में लंबित बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the End of the year	24	39

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	**वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year**	**वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Number of Complaints received during the year**	**पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	**वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year**	**मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days**
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2023-24					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	1310	89075	336%	1867	122
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	68	3803	17%	43	0
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	8	1584	1%	6	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	1	2520	71%	14	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	0	985	23%	3	0
अन्य / Others	45	5669	-16%	52	2
अन्य / Total	1432	103636	204%	1985	124

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) **Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)**	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the beginning of the year**	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या **Number of Complaints received during the year**	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % **% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year**	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या **Number of Complaints pending at the end of the year**	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या **Of 5, number of complaints pending beyond 30 days**
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2022-23					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	7	20403	247%	1310	522
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	5	1472	-43%	1	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	2	3240	51%	68	14
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances	3	1572	1%	8	4
शाखा आने वाले ग्राहको के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	1	794	78%	0	0
अन्य / Others	12	6665	84%	45	9
अन्य / Total	30	34146	111%	1432	549

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशोपित जुर्माने का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 01-04-2023 से 31.03.2024 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, अन्य मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के अलावा रूपये 30,275/- (पांच लाख अस्सी-सात हजार) का दंड लगाया है। अन्य भारतीय रिजर्व नियामक से रूपये 1,06,791 (एक लाख पचास हजार) का दंड है।

वित्तीय वर्ष 01-04-2023 से 31.03.2024 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के लिए रूपये 65,21,431.81 (दो करोड़ इक्कीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ छह रुपये एक पैसे) का दंड लगाया है।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक को स्वीकार्य वेतन और भत्ते डीएफएस से प्राप्त होते हैं और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आलोक में हैं।

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Financial Year from 01.04.2023 to 31.03.2024, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 30275/- (Rupees Thirty thousand two hundred seventy five only)for other than currency chest operations. There is a penalty of Rs. 1,06,791/-(One lakh six thousand seven hundred ninety one only) from other than RBI Regulator.

During the Financial Year from 01.04.2023 to 31.03.2024, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 65,21,431.81 (Sixty five lakh twenty one thousand four hundred thirty one and Paisa eighty one only) for Currency Chest Operations only.

13. Disclosures on remuneration

The pay and allowances admissible to ED/MD is as received from DFS and in light of Government decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	7.36	5.88
ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.10	0.84
iii)	जमा मूल्य / Cost of Deposits	4.78	4.06
iv)	निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	2.92	2.87
v)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.54	1.45
vi)	आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.56	0.62
vii)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee(in ₹ crore)	20.93	18.90
viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	0.08	0.08

बी) बैंकाश्योरेंस से काराबार :

बैंकएश्योरेंस से आय का विवरण नीचे दिया गया है:

b) Bancassurance business:

Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2023-24	2022-23
1	लाइफ/Life	47.19	34.75
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	14.62	12.04

c) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

फ़िस्दम के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का डिजिटल वितरण /
Digital distribution of Wealth Management Products through Fisdom

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23
/Mutual Fund	1.25	1.07

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित क्रेडिट कार्ड कमीशन
Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23
क्रेडिट कार्ड / Credit Card	5.05	7.90

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

1. वित्त वर्ष 2023-24 में कुल पीएलएससी- खरीदा गयाः रु. शून्य.
2. कुल PSLC- वित्त वर्ष 2023-24 में बेचा गयाः PSLC- लघु और सीमांत किसान - रु. 400 करोड़ पीएसएलसी- माइक्रो : शून्य

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

1. Total PSLC- purchased in FY 2023-24: Rs. Nil.
2. Total PSLC- Sold in FY 2023-24 : PSLC- Small & Marginal Farmer - Rs. 400 Cr. PSLC- Micro : Nil

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नामे (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	**चालू वर्ष/** Current Year	**पिछले वर्ष/** Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	582.01	324.43
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	1068.27	1295.57
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	19.37	31.70
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्ययः-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	205.18	58.63
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़ी/Legal Cases / Contingencies/Frauds	4.99	2.54
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	6.60	0
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	895.74	1011.07
बकाया वेतन संोधन /Arrear Wage Revision	0	40
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	140.35	-285.61

एफ) आईएफ़आरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमिः

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।)

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August'2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रोफ़ॉर्मा इंड-एस वित्तीय बयानों को जमा कर दिया है, जिसमें पूंजी और लाभ में परिवर्तन का समाधान है, छमाही आधार पर और पिछले जीएएपी आंकड़ों की तुलना की गई है। यह आखिरी बार 30 नवंबर, 2023 को सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए प्रस्तुत किया गया था।

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on half yearly basis and last submitted on November 30, 2023 for the half year ended September, 2023 compared with the previous GAAP figures.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

g) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	300.26	280.07
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 11वें द्विपक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत पारिवार पेंशन में संशोधन के कारण कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं थी क्योंकि बैंक ने पहले ही पारिवार पेंशन में संशोधन के कारण पूरी अतिरिक्त देनदारी वसूल कर ली गई थी। 31 मार्च 2024 तक अपरिशोधित प्रावधान शून्य है।

h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

During the FY 2023-24, there was no additional liability on account of revision in family pension consequent to the 11th Bipartite Settlement and Joint Note dated November 11, 2020 as Bank had already charged the entire additional liability on account of revision in family pension upto the year ended 31st March 2023. As on 31st March 2024, unamortized provision is nil

i) एमएसएमई पुनर्रचित खाते

ए) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना' पर आरबीआई सर्क्युलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार हैः

i) MSME Restructured Accounts:

a) In accordance with the RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/ 21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector - Restructuring of Advances, the details of MSME restructured accounts as on 31st March 2024 are as under:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
648	194.77	19.48

बी) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर संख्या DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार 'रिज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 - कोविड-19 संबंधित छोटे, लघु, और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तनाव का समाधान', 31 मार्च 2024 को पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नलिखित हैः

b) In accordance with RBI Circular no.DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution for Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises(MSME)", the details of restructured accounts as on 31st March 2024 are as under:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
14283	705.98	70.60

झ) आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थम पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरूद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) आयकर, जीएसटी एवं सेवा कर के संबंध में आयकर/सेवा कर/जीएसटी विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है। प्रबंधन द्वारा कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि उक्त मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष निपटान हेतु लंबित हैं।

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

j) Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax/ service tax/GST Department on account off income tax, GST and Service tax has been shown in schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various Competent Authorities

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

अनुलग्नक II / Annexure II
पार्ट बी / Part B

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नही हुआ है।

2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनः सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें

एसजीडी	61.7350
एचकेडी	10.6600

iii) लेखाबंदी दर

एसजीडी	61.7350
एचकेडी	10.6600

iv) विदशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2024 as compared to those followed in the previous financial year 2022-23.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

3. AS-11: The Effects of changes inforeign Exchange Rates:

i) a) Intergral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

ii) Exchange rates for Non - Integral Centre

SGD	61.7350
HKD	10.6600

iii) Closing Rate

SGD	61.7350
HKD	10.6600

iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

Total

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	(ए) ट्रेजरी (a)Treasury		(बी) कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग (b)Corporate/ Wholesale Banking		(सी) रिटेल बैंकिंग (c)Retail Banking		(1) रिटेल बैंकिंग (1)Digital Banking		(2) अन्य रिटेल बैंकिंग (2)Other Retail Banking		(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन (d)Other Banking Operations		योग Total	
विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व/ Revenue	8251.67	7333.54	9122.81	5665.13	7697.13	7110.45	0.00	0.00	7697.13	7110.45	48.25	49.84	25119.86	20158.96
परिणाम/ Result	1528.83	2375.26	490.54	186.93	501.23	293.08	-1.45	-0.51	502.68	293.59	48.25	49.84	2568.85	2905.11
अनावंटित व्यय/ Unallocated Expenses													0.00	0.00
परिचालन लाभ/ Operating Profit													2568.85	2905.11
आयकर/ Income Tax													915.11	1042.77
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ/ Net Profit													1653.74	1862.34
सेगमेंट आस्तियां/ Segment Assets	127877.74	130690.24	106506.27	75572.53	88784.01	94046.52	1.63	0.66	88782.38	94045.86	523.44	553.69	323691.46	300862.98
अनावंटित आस्तियां/ Unallocated assets													0.00	0.00
कुल आस्तियां/ Total Assets													323691.46	300862.98
सेगमेंट देयताएं/ Segment Liabilities	108158.08	112129.24	117546.33	84088.94	97987.04	104644.80	11.28	4.43	97975.76	104640.37	0.00	0.00	323691.45	300862.98
अनावंटित देयताएं/ Unallocated Liabilities													0.00	0.00
कुल देयताएं/ Total Liabilities													323691.45	300862.98

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2023-24	पिछला वर्ष/ Previous Year 2022-23	चालू वर्ष/ Current Year 2023-24	पिछला वर्ष/ Previous Year 2022-23	चालू वर्ष/ Current Year 2023-24	पिछला वर्ष/ Previous Year 2022-23
राजस्व/Revenue	23344.08	19274.79	1775.78	884.19	25119.87	20158.98
आस्तियां/Assets	308615.97	273182.12	14932.48	27520.06	323548.45	300702.18

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अश्वनी कुमार (01.06.2023 to 31.03.2024)

श्री सोमा शंकर प्रसाद (01.04.2023 to 31.05.2023)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री राजेंद्र कुमार साबू (01.04.2023 to 31.03.2024)

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (09.10.2023 to 31.03.2024)

श्री इशराक अली खान (01.04.2023 to 30.04.2023)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri Ashwani Kumar (01.06.2023 to 31.03.2024)

Shri Soma Sankara Prasad (01.04.2023 to 31.05.2023)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Rajendra Kumar Saboo (01.04.2023 to 31.03.2024)

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (09.10.2023 to 31.03.2024)

Shri Ishraq Ali Khan (01.04.2023 to 30.04.2023)

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मदें/ Items	Amount (during the FY 23-24)
श्री अश्वनी कुमार (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) Shri Ashwani Kumar (MD & CEO)	01.06.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	30.17
श्री सोमा शंकर प्रसाद (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) Shri Soma Sankara Prasad (Former MD & CEO)	01.04.2023 से/to 31.05.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	13.21
श्री राजेंद्र कुमार साबू (कार्यपालक निदेशक) Shri Rajendra Kumar Saboo (ED)	01.04.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	36.62
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (कार्यपालक निदेशक) Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (ED)	09.10.2023 से/to 31.03.2024	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	14.82
श्री इशराक अली खान (पूर्व कार्यपालक निदेशक) Shri Ishraq Ali Khan (Former ED)	01.04.2023 से/to 30.04.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	37.45

नोटः एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

सी) सहयोगी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पचिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2024 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2024 को कुल पूंजी 682.86 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 341.43 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 239 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 102.43 करोड़ रुपय शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कुल जमा राशि 5.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 6906 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2024 तक 10.71 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल अग्रिम 4149 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। सीडी अनुपात 31.03.2022 को 60.08% है जो 31.03.2021 को 57.05% था।

सकल एनपीए 31.03.2024 को 337.05 करोड़ रुपये है जो 31.03.2023 को 351.11 करोड़ रुपये था। सकल एनपीए से सकल अग्रिम 31.03.2023 को 8.12% रहा है जबकि 31.03.2023 को यह 9.73% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2024 को 0.77% है जो 31.03.2023 को 3.94% था।

उपरोक्त सभी आंकड़े अलेखापरीक्षित हैं।

6. एएसस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 के अनुसार बनाये गये हैं

7. अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

c) Associates

Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2024.

Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2024 stood at Rs.682.86 Cr. comprising Rs. 341.43 Cr. from Govt. of India, Rs.239 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs. 102.43 Cr. from West Bengal State Govt.

Performance of RRBs during 2023-24

Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6906 Cr. as on 31.03.2024, registering growth of 5.11%. Total advance reached a level of Rs.4149 Cr. with an annual growth of 10.71% 31.03.2024. CD ratio stood at 60.08% as on 31.03.2024 as against 57.05% on 31.03.2023.

The gross NPA stood at Rs.337.05 Cr. as on 31.03.2024 vis-a-vis Rs. 351.11 Cr. as on 31.03.2023. Gross NPA to Gross Advance stood at 8.12% as on 31.03.2024 as against 9.37% as of 31.03.2023. The net NPA ratio of the RRB stood at 0.77% as on 31.03.2024 as against 3.94% as of 31.03.2023.

All the above figures are unaudited.

6. APPLICABILITY OF AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2024.

7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2024 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. / Sl. No	विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	113.77	82.77
2	घटाएं. : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरूद्ध Net Block at the beginning of the year	-	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	87	74.74
5	घटाएंः अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	12.76	43.74
6	योग/Total	188.01	113.77
7	घटाएंः अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	90.2	38.05
8	घटाएंः अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	97.81	75.72

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2024

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन / Amortization	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	38.05	44.13
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	38.05	44.13
13 जोड़ेंः अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ेंः वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	64.91	37.66
15 घटाएंः विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	12.76	43.74
16 अंतिम शेष/Closing Balance	90.20	38.05

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9. एस-24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, असतत परिचालन-एएस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

10. एएस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

i. बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।

ii. लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवयक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9. APPLICABILITY OF AS- 24, 27.

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit

लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: –

& Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes:

(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	9074.64	8692.34	698.82	718.27	626.66	649.08	42.15	41.99	17.59	16.77	2.48	2.12
ब्याज लागत Interest Cost	610.50	604.79	46.61	49.79	45.24	48.75	3.04	3.15	1.27	1.26	0.18	0.16
चालू सेवा लागत Current Service Cost	484.34	503.37	64.04	54.09	168.77	135.70	0	0	5.06	3.91	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1214.60	1127.00	106.50	110.55	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	576.20	(401.14)	219.24	(12.78)	61.57	206.87	2.64	2.99	1.64	4.36	(0.26)	(0.20)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	9531.08	9074.64	922.21	698.82	779.10	626.66	42.56	42.15	22.28	17.58	2.92	2.48

(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2024	पेंशन/ Pension 2023	उपदान/ Gratuity 2024	उपदान/ Gratuity 2023
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	8864.53	8517.74	678.49	697.81
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	716.26	672.90	54.82	55.12
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	869.69	821.79	82.70	50.32
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1214.60	1127.00	106.50	110.55
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	6.10	(20.90)	0.41	14.21
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	9241.98	8864.53	709.92	678.49

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	**पेंशन Pension**		**उपदान Gratuity**		**छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment**		**एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC**		**बीमारी छुट्टी Sick Leave**		**निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors**	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	9531.08	9074.64	922.21	698.82	779.10	626.66	42.56	42.15	22.27	17.58	2.92	2.48
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9241.98	8864.53	709.92	678.49	681.73	607.25	42.15	41.99	17.58	16.77	2.48	2.12
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	289.10	210.11	212.29	20.33	97.37	19.41	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

		पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)		484.34	503.37	64.04	54.09	168.77	135.70	0	0	5.06	3.91	0	0
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)		610.49	604.79	46.61	49.79	45.24	48.75	3.04	3.15	1.27	1.26	0.18	0.16
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)		716.25	672.90	54.82	55.13	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)		570.10	422.03	218.83	1.43	61.57	(206.87)	2.63	(2.99)	1.64	(4.36)	0.26	0.20
राशि /Amount (A+B-C+D)		948.68	857.29	274.66	50.18	152.44	(22.42)	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36
लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 **(A)**	948.68	857.29	274.66	50.18	152.44	(22.42)	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution **(B)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	948.68	857.29	274.66	50.18	152.44	(22.42)	0.41	0.16	4.69	0.81	0.44	0.36

बीमांकिक लाभ/हानि समाधान/ **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	576.20	(401.14)	219.24	(12.78)	61.57	206.87	2.63	2.99	1.64	4.36	0.26	(0.20)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	570.10	(422.03)	218.83	1.43	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	1146.30	(823.17)	438.07	(11.35)	61.57	206.87	2.63	2.99	1.64	4.36	0.26	(0.20)
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	1146.30	(823.17)	438.07	(11.35)	61.57	206.87	2.63	2.99	1.64	4.36	0.26	(0.20)

निवेश के ब्योरे :

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%

ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	-
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियां एन्युटी कांट्रेक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	**100.00%**

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.21% (पेंशन हेतु/For Pension) 7.22% (उपदान हेतु/For Gratuity)
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.08%
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	11 years (पेंशन/Pension) 22 years (उपदान/Gratuity)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एएस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20): :

Calculation of EPS

	As on 31.3.2024	As on 31.3.2023
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1671.56	1826.28
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	11955958176	11955958176
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11955958176	11955958176
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्युटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	1.40 1.40	1.53 1.53

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹895.74 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23 ₹1011.07 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the FY 2023-24, net amount of Rs. 895.74 Crore (Rs. 1011.07 Crore has been reversed for FY 2022-23) has been reversed as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	6380.28	7411.44
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	272.25	218.98
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियो के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	19.92	13.98
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	380.96	308.91
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	74.26	70.33
आकस्मिक देयताएँ /अन्य के लिए प्रावधान /Provision held for Contingent Liabilities/Others	185.71	185.47
योगः/TOTAL :	**7313.37**	**8209.11**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योगः/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	**7313.37**	**8209.11**

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the year ended 31st March, 2024 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

13. आरबीआई सर्कुलर संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.91/ 21.04.018/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार, “अनुसूची 14-अन्य आय” शीर्षक के तहत उपशीर्षक “विविध आय” के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक, निम्नानुसार हैंः

13. In terms of RBI Circular No. DOR.ACC.REC.No.91/ 21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeds one percent of total income, are as under:

प्रमुख/उप-शीर्षक का विवरण **Particulars of Head/ Sub-Head**	उप-शीर्ष के अंतर्गत मद **Item under the Sub-Head**	राशि (करोड़ रुपये में) **Amount (Rs. In Crore)**	**In Percentage Tems**
अनुसूची 14-अन्य आय उप शीर्ष- विविध आय Schedule 14-Other Income Sub Head- Misc Income	बट्टे खाते में वसूली Recovery in Written off	1486.50	5.92%

14. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

14. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	ब्योरे/Particulars	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
अ.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
A.	**Cash Flow from Operating Activities :**		
	कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	25866646	28690595
	समायोजन/Adjustments for :		
	अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	2809227	2175203
	निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	3409994	8305077
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	10682695	12955704
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	2051761	586330
	अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	10476792	7679969
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(5779)	(1656)
	गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया) Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1395851	2062909
	Interest paid on AT-1 debts (treated separately)	475000	0
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(40503)	(142856)
	उप-योग/Sub-total	**57121684**	**62311274**
	घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
		57121684	62311274
	समायोजन/Adjustments for :		
	निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	19061393	9100027
	अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(272199559)	(343813435)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	7317565	459723
	उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	47380397	71204608
	जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	137920357	252648387
	अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	13415644	(22081468)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**10017481**	**29829116**
आ.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(3536222)	(2883376)
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	546562	67302
	प्राप्त लाभांश/Dividend Received	40503	142856
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	**(2949157)**	**(2673218)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (Contd.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000′s omitted)

ब्योरे/**Particulars**		**31.3.2024 को समाप्त वर्ष** Year ended 31.3.2024 ₹	**31.3.2023 को समाप्त वर्ष** Year ended 31.3.2023 ₹
इ.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/**		
C.	**Cash Flow from Financing Activities :**		
	एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	0	5000000
	अपर टियर-2 बाँडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	0	(10000000)
	नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	(2424456)	3724750
	एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid on AT-1 Bonds	(475000)	(19521)
	गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(1395851)	(2062909)
	वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	**(4295307)**	**(3357680)**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	**2773017**	**23798218**
	विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	199592	2002875
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	**2972609**	**25801093**
	क्रमश:1 अप्रैल 2022 और 2021 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1,2023 & 2022 respectively	**287281003**	**261479910**

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. संजय कुमार
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Dr Sanjay Kumar
Government of India Nominee Director

श्री राजेश कुमार
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Shri Rajesh Kumar,
RBI Nominee Director

श्री अंजन तालुकदार
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director

श्री प्रमोद रंजन मिश्रा
शेयरधारक निदेशक
Shri Pramoda Ranjan Mishra
Shareholder Director

सुजय दत्ता
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
Cheif Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	ब्योरे/Particulars	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹
	क्रमशः 31 मार्च 2024 और 2023 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य **Cash and Cash Equivalents as on March 31,2024 & 2023 respectively**	**290253612**	**287281003**
ई. D	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य** **Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year**		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9142317	9167094
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93857827	93708375
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **Balance with Banks and Money at Call and Short Notice**	184280859	158604441
		287281003	**261479910**
उ. E	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य** **Cash and Cash Equivalents at the end of the Year**		
	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	7168202	9142317
	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	94803520	93857827
	बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	188281890	184280859
		290253612	**287281003**

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक ('बैंक') के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक समेकित तुलन-पत्र और उस समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें शामिल हैं:
   i) यूको बैंक (बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, जिनका लेखा परीक्षण सभी चार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों अर्थात हमारे द्वारा किया गया है।
   ii) एक सहयोगी (पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक) के लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरण अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित की गई है।
2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और बैंक के अलग-अलग लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी और सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, जैसा कि बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रावधानों के लिए आवयक जानकारी देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') को आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को बैंक के समेकित लाभ की उनकी समेकित स्थिति, और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

3. तथ्य पर बल

स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के हिस्से के रूप में सहयुक्त नोट की अनुसूची 18 के नोट संख्या 6 (भाग बी) की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि इस विवरणी में अनुषंगी पचिम बंग ग्रामीण बैंक (35% हिस्सेदारी) से संबंधित परिणाम भी शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणाम/खातों की लेखा परीक्षा इस रिपोर्ट की तारीख तक नहीं की गई है। इस विवरणी में उस अनुषंगी से संबंधित 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 17.81 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की बैंक हिस्सेदारी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा इस रिपोर्ट की तारीख तक नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण अनुषंगी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं और विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह इस इकाई के संबंध में शामिल मात्रा और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा तैयार वित्तीय विवरण पर आधारित है तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उपरोक्त पैराग्राफ में कही गई है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुषंगी की लेखा अपरीक्षित वित्तीय जानकारी बैंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

उक्त मामले के संबंध में हमारी राय आसांोधित नहीं की गई है।

4. मूल लेखा परीक्षा मामले

मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज़ करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक डेट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हई प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर निर्भर है।	हमने आस्ति वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई। हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एंव जांच की। वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।	
निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना ह, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।	निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं। हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया। हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया; उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के	इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था : ● कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन। ● विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूलिंगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन ।

मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण् यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।	• सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ। • जहां कही उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण। • वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

5. अन्य मामले

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में एक (01) अनुषंगी के संबंध में लेखा अपरीक्षित वित्तीय परिणाम/विवरणी शामिल हैं, जिनके वित्तीय परिणाम/विवरणी में कर की कटौती के बाद जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/विवरण अनुषंगी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और हमारी राय पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत ऐसे वित्तीय विवरणों/परिणामों पर आधारित है, में बैंक के हिस्से के 17.81 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दिखाया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरणी बैंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है और इसे प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह तुलनात्मक जानकारी समेकन के उद्देय से तैयार की गई है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

6. समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आवासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताने की अपेक्षा होगी।

7. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व और उन पर अभिशासन का दायित्व

बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रर्दान और बैंक और उसके सहयोगी के समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं। जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। संबंधित निदेशक मंडल बैंक और उसके सहयोगी इसके लिए उत्तरदायी हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं वैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, बैंक के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोगी, बैंक और उसके सहयोगी से संबंधित जो तथ्य लागू हो, उन्हें प्रकट करना है। यह एक संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी हैं। जब तक प्रबंधन बैंक और

उसके सहयोगी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने नहीं चाहता है, तो ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बैंक और उसके सहयोगी के संबंधित निदेशक मंडल भी बैंक और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।

8. वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने ये समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।

- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देय से नहीं।

- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।

- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकतीं हैं।

- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

- तथ्यता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

- जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बताने हैं।

- जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह समेकित विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।

- जो गवर्नेंस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमीं किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

9. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाते का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है :

उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी राय में, उक्त समोकित वित्तीय विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एमआरएन 400189
यूडीआईएन : 24400189BKFIYT2174

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएन : 24521742BKAPJS6609

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
यूडीआईएन : 24515154BKFZGZ8640

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएन : 24504134BKEGTT4637

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.04.2024

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of UCO Bank (the "Bank") & its associate ("together referred to as Group"), which comprises the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2024, and the consolidated Statement of Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements") which includes:

i) Audited Financial Statements of UCO Bank (the Bank), which have been audited by all the four Statutory Central Auditors i.e. by us.

ii) Unaudited Financial Statements of one associate (Paschim Banga Gramin Bank).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on consideration of reports of the other auditors on separate audited financial statement / financial information of Bank and unaudited financials of associate as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statement give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

3. Emphasis of Matter

We draw attention to Note no.6 (Part B) in Schedule 18 to the accompanying notes forming part of standalone and Consolidated Audited financial Results which states that the statement also includes the results in respect of the Associate Paschim Banga Gramin Bank (Holding 35%) for which financial results/accounts for the quarter and year ended 31st March, 2024, have not been audited as on the date of this report. The statement includes the Bank's share of net profit of Rs.17.81 crore for the year ended 31st March 2024 in respect of the associate whose financial statements have not been audited. These financial statements have been prepared by the Management of the associate and our opinion on the statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this entity, is based solely on the financial statement prepared by the management and procedures performed by us are stated in paragraph above. According to the information and explanation given to us by the Management, the unaudited financial information of the associate is not material to the Bank.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/Government Guarantees and Unsecured advances. The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS).The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software. Review of the documentations, operations/performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank. There is scope for further strengthening the automation process.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments; We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc, for determining fair value of these investments; For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision there against; In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.There is scope for further strengthening the automation process.

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.	Our audit procedure in response to this key Audit Matter included ● Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings. ● Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases. ● Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation. ● Analysis of opinion received from the experts where ever available. ● Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

5. Other Matters

The accompanying Consolidated Financial Statements includes the unaudited financial result/statements in respect of one (01) associate whose financial result/statements reflect Bank's share of net profit after tax of Rs.17.81 crore for the year ended 31st March, 2024, as considered in the consolidated financial statements whose financial result/statements have been furnished by the management of the associate and our opinion is based solely on such financial statements/results furnished by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Bank.

The comparative financial statement for the year ended 31st March 2023 has not been audited by us and same has been prepared by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these comparative information has been prepared for the purpose of the consolidation.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

6. Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

7. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank and its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the Bank and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, respective Board of Directors of the Bank and its associate is responsible for assessing the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank and its associate or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of directors of the Bank and its associate are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Bank and its associate.

8. Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

9. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

c) The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.

For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
MRN 400189
UDIN : 24400189BKFIYT2174

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
UDIN : 24521742BKAPJS6609

For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154
UDIN : 24515154BKFZGZ8640

FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
UDIN : 24504134BKEGTT4637

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 29-04-2024

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का
बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

तालिका डीएफ - 1:
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक	हाँ	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक सहायक संस्था, अतः विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है। निवेश 250% जोखिम भारित है

क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक

ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण-चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध:

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनाक 31 मार्च 2024 को कोई प्रतिबन्ध अथवा अवरोध नहीं है

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2024

UCO BANK

Table DF - 1:

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.

(i) Qualitative Disclosures:

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)	Yes	Equity Method basis as per AS-23 issued by ICAI	No	NA	NA	Entity is Regional Rural Bank, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%

a. List of group entities considered for consolidation – Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NA	NA	NA	NA	NA	NA

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
NA	NA	NA	NA

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NA	NA	NA	NA	NA

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NA	NA	NA	NA	NA

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:
There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2024.

तालिका डी एफ - 2

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(₹ करोड़ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	11322.72
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	918.16
• ब्याज दर जोखिम	649.78
• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	25.87
• ईक्विटी जोखिम	242.51
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
• बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	2015.03
• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	–
(ङ) **सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :**	
• **सामान्य ईक्विटी टियर 1**	14.14%
• **टियर 1**	14.54%
• **कुल पूँजी अनुपात**	16.98%
शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए	लागू नहीं
महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	लागू नहीं

Table DF - 2

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures		
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.	
Quantitative Disclosures		(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk : ● Portfolio subject to Standardized Approach ● Securitization Exposures	 11322.72 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : - Standardized Duration Approach ● Interest Rate Risk ● Foreign Exchange Risk (including Gold) ● Equity Risk	 918.16 649.78 25.87 242.51
(d)	Capital requirements for Operational Risk : ● Basic Indicator Approach ● The Standardised Approach (if applicable)	 2015.03
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: ● Common Equity Tier I ● Tier I ● Total Capital ratios - For the top consolidated group - For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	 14.14% 14.54% 16.98% Not Applicable Not Applicable

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है —

i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।

iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।

iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।

v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।

ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

i. ऋण जोखिम अधिग्रहण — कार्यनीति एवं नीतियां

ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया

iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया

iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरें ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाई जाती हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आती हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण (सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	202822.90	18363.10
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	178217.95	17487.62
विदेशी	24604.95	875.48

(राशि ₹ करोड़ में)

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		
उद्योग का नाम	बकाया राशि	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	121.53	179.39
क.1 कोयला	46.74	174.51
क.2 अन्य	74.80	4.87
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख5)	**1260.04**	**295.92**
ख.1 चीनी	34.97	4.98
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	212.17	160.73
ख.3 चाय	251.32	6.92
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	761.58	123.29
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	**270.37**	**26.83**
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	50.05	0.00
घ. वस्त्र (क से च तक)	**1040.47**	**94.37**
क. सूती वस्त्र	428.25	61.37
ख. जूट	13.42	0.82
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	598.81	32.19
घ (अर्थात कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	24.67	0.01
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	**89.05**	**1.66**
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	**232.90**	**115.95**
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	**929.91**	**35.47**
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	**1367.92**	**142.96**
झ.1 उर्वरक	211.84	1.81
झ.2 औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स	268.76	4.31
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचाको छोड़कर)	19.09	40.50
झ.4 अन्य	868.22	96.34
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	**144.88**	**19.02**
ट. कांच एवं कांच के सामान	**49.13**	**0.00**
ठ सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	**1109.00**	**45.80**
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	**4615.57**	**727.87**
ड.1 लोहा एवं इस्पात	3319.28	634.10
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	1296.29	93.77
ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2	**809.67**	**978.97**
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	259.47	170.66
ण.2 अन्य	550.20	808.32
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	**86.10**	**0.00**
थ. रत्न एवं जेवर	**61.66**	**0.02**
द. विनिर्माण	**557.70**	**1511.42**
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	**22122.14**	**2835.22**
क. यातायात (क.1 से क.6)	4470.88	846.95
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	3794.16	846.95
क.2 बंदरगाह	171.55	0.00
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	76.27	0.00
क.6 तेल पाईपलाइन	428.90	0.00
क.7 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
क.8 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	0.00	0.00

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम		बकाया राशि	
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख.	ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	13992.91	1225.47
	ख.1 बिजली (उत्पादन)	6402.11	985.04
	ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	3626.73	0.00
	ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	306.25	647.25
	ख.1.3 निजी क्षेत्र	2469.14	337.78
	ख.2 बिजली (संचारण)	1178.66	0.00
	ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
	ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1178.66	0.00
	ख.2.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
	ख.3 बिजली (वितरण)	1163.65	240.44
	ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
	ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1163.65	240.44
	ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
	ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	5248.48	0.00
ग.	जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	271.15	218.38
	ग.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंध	0.00	0.00
	ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाईऩ	253.85	0.00
	ग.3 जलशोधन संयंत्र	17.30	218.38
	ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
	ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
	ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ.	संचार (घ.1 से घ.2)	1637.83	0.00
	घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	0.00	0.00
	घ.2 दूरसंचार टॉवर	1637.83	0.00
ङ	सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से इ.9)	1749.36	544.42
ङ.1	शिक्षण संस्थाएं (पूंजी स्टॉक)	84.75	10.79
ङ.2	अस्पताल (पूंजी स्टॉक)	145.55	0.54
ङ.3	1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	0.00	0.00
ङ.4	औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	1476.67	532.78
ङ.5	उर्वरक (पूंजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6	बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	42.40	0.31
ङ.7	अंतिम बाजार	0.00	0.00
ङ.8	मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9	शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न.	अन्य उधोग	0.00	0.00
	समस्त उद्योग (क से न तक)	**34892.72**	**7010.89**

घ) परिसंपत्तियों एवं देयताएं की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
१ दिन	867 (2599)	1196 (1010)	123 (-)	512 (1903)	474 (474)	376 (399)
२ से ७ दिन तक	5287 (4034)	2780 (2069)	- (124)	4753 (2095)	2737 (6420)	3746 (5394)
८ से १४ दिन तक	4919 (3933)	2220 (2602)	- (94)	565 (1472)	1014 (2087)	1062 (1901)
१५ से ३० दिन तक	11751 (7582)	4539 (6712)	123 (264)	1777 (3246)	4062 (9374)	6064 (9088)
३१ दिन से २ माह तक	12834 (12198)	3465 (7014)	384 (464)	665 (1062)	6606 (6557)	7017 (6330)
२ माह से अधिक परंतु ३ माह तक	14517 (13665)	7150 (5955)	149 (783)	1475 (7252)	12222 (9487)	13069 (10224)
३ माह से अधिक परंतु ६ माह तक	31675 (28324)	12683 (11599)	584 (893)	2120 (802)	4882 (6906)	4458 (5475)
६ माह से अधिक परंतु १ वर्ष तक	68878 (45963)	16951 (12118)	2230 (2124)	1487 (358)	1991 (3506)	1893 (5663)
१ वर्ष से अधिक परंतु ३ वर्ष तक	30580 (47343)	23280 (26674)	13528 (11262)	4765 (811)	9837 (7754)	11428 (10230)
३ वर्ष से अधिक परंतु ५ वर्ष तक	10936 (19898)	22794 (23837)	11328 (10804)	5713 (-)	7147 (6365)	5353 (4877)
५ वर्ष से अधिक	70886 (63798	89820 (62039)	66816 (70857)	1500 (1500)	1731 (2830)	3426 (2468)
Total	**263130 (249338)**	**186877 (161629)**	**95265 (97669)**	**25331 (20501)**	**52702 (61760)**	**57895 (62050)**

च) एनपीए की राशि (सकल) : 6463.30 करोड़
- अवमानक : 1138.58 करोड़
- संदिग्ध 1 : 664.39 करोड़
- संदिग्ध 2 : 1226.51 करोड़
- संदिग्ध 3 : 1992.83 करोड़
- हानि : 1440.00 करोड़

छ) शुद्ध एनपीए : 1621.64 करोड़

ज) एनपीए अनुपातः -
- सकल अग्रिम पर सकल एनपीए : 3.46%
- शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए : 0.89 %

झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)
- प्रारंभिक शेष : 7726.46 करोड़
- वृद्धि : 2072.39 करोड़
- कमी : 3335.55 करोड़
- अंत शेष : 6463.30 करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़

(₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	5619.83	884.03
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1070.42	218.64
बट्टे खाते डालना	1937.92	शून्य
अतिरेक प्रावधानों को बट्टे खाते से निकालना	2.15	13.46
विनिमय अंतर	10.23	0.99
अंत शेष	4760.41	1090.20

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

ञ) बट्टे डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बट्टे डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं	—
(बट्टे डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	₹1486.50 करोड़

ट) अनर्जक निवेशों की राशि : 1377.84 करोड़

ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि : 1377.84 करोड़

ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़

- प्रारंभिक शेष : 1356.93 करोड़
- अवधि के दौरान किए गए प्रावधान : 280.98 करोड़
- बट्टे खाते डालना : शून्य
- विनिमय अंतराल : शून्य
- अतिरेक प्रावधानों को वापस खाते में लेना : 655.16 करोड़
- अंत शेष : 982.75 करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	4.15	3.22
2	खाद्य प्रसंस्करण	49.29	15.02
3	वस्त्र	29.01	22.98
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	0.39	0.10
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	0.79	0.25
6	कागज एवं कागज उत्पाद	2.66	0.65
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	0.00	0.00
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	0.11	0.11
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	15.87	5.16
10	कांच एवं कांच के सामान	0.00	0.00
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	29.70	20.67
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	50.54	13.89
13	समस्त इंजीनियरिंग	34.77	12.46
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	0.74	0.35
15	रत्न एवं आभूषण	0.00	0.00
16	निर्माण	89.65	48.52
17	आधारभूत संरचना	39.47	18.57

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	6416.57	46.73	6463.30
एनपीए के लिए प्रावधान	4713.68	46.73	4760.41
मानक अग्रिमों के प्रावधान	1000.76	89.44	1090.20

Table DF - 3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

i. Credit Risk acquisition - strategies & policies,
ii. Credit approval processes.
iii. Credit Risk monitoring processes.
iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹ 25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and above ₹ 1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	202822.90	18363.10
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	178217.95	17487.62
Overseas	24604.95	875.48

c) Industry type distribution of Exposures

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Outstanding Balance	
	Funded	**Non-Funded**
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	121.53	179.39
A.1 Coal	46.74	174.51
A.2 Others	74.80	4.87
B. Food Processing (B.1 to B.5)	**1260.04**	**295.92**
B.1 Sugar	34.97	4.98
B.2 Edible Oils and Vanaspati	212.17	160.73
B.3 Tea	251.32	6.92
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	761.58	123.29
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	**270.37**	**26.83**
Of which Tobacco and tobacco products	50.05	0.00
D. Textiles (a to f)	**1040.47**	**94.37**
a. Cotton	428.25	61.37
b. Jute	13.42	0.82
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00
d. Silk	0.00	0.00
e. Woolen	0.00	0.00
f. Others	598.81	32.19
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00
E. Leather and Leather products	24.67	0.01
F. Wood and Wood Products	**89.05**	**1.66**
G. Paper and Paper Products	**232.90**	**115.95**
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	**929.91**	**35.47**
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	**1367.92**	**142.96**
I.1 Fertilizers	211.84	1.81
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	268.76	4.31
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	19.09	40.50
I.4 Others	868.22	96.34
J. Rubber, Plastic and their Products	144.88	19.02
K. Glass & Glassware	49.13	0.00
L. Cement and Cement Products	1109.00	45.80
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	4615.57	727.87
M.1 Iron and Steel	3319.28	634.10
M.2 Other Metal and Metal Products	1296.29	93.77
N. All Engineering (N.1 + N.2)	**809.67**	**978.97**
N.1 Electronics	259.47	170.66
N.2 Others	550.20	808.32
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	**86.10**	**0.00**
P. Gems and Jewellery	**61.66**	**0.02**
Q. Construction	**557.70**	**1511.42**
R. Infrastructure (a to d)	**22122.14**	**2835.22**
a. Transport (a.1 to a.6)	4470.88	846.95
a.1 Roads and Bridges	3794.16	846.95
a.2 Ports	171.55	0.00
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00
a.4 Airport	0.00	0.00
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	76.27	0.00
a.6 Oil Pipelines	428.90	0.00
a.7 Gas Pipelines	0.00	0.00
a.8 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	0.00	0.00

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Outstanding Balance	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	13992.91	1225.47
b.1 Electricity (Generation)	6402.11	985.04
b.1.1 Central Govt PSUs	3626.73	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	306.25	647.25
b.1.3 Private Sector	2469.14	337.78
b.2 Electricity (Transmission)	1178.66	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1178.66	0.00
b.2.3 Private Sector	0.00	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	1163.65	240.44
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1163.65	240.44
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	5248.48	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	271.15	218.38
c.1 Solid Waste Management	0.00	0.00
c.2 Water supply pipelines	253.85	0.00
c.3 Water treatment plants	17.30	218.38
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c. 6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	1637.83	0.00
d.1 Telecommunication (Fixed network)	0.00	0.00
d.2 Telecommunication towers	1637.83	0.00
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	1749.36	544.42
e.1 Education Institutions (capital stock)	84.75	10.79
e.2 Hospitals (capital stock)	145.55	0.54
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	0.00	0.00
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	1476.67	532.78
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	42.40	0.31
e.7 Terminal markets	0.00	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
T. Other Industries	0.00	0.00
All Industries (A to T)	**34892.72**	**7010.89**

d) Residual contractual maturity breakdown of assets and Liabilities (₹ in Cr)

Particulars	Deposit	Advance Gross	Investment Gross	Borrowing	Foreign Currency-Asset	Foreign Currency-Liabality
1 Day	867 (2599)	1196 (1010)	123 (-)	512 (1903)	474 (474)	376 (399)
2-7 days	5287 (4034)	2780 (2069)	- (124)	4753 (2095)	2737 (6420)	3746 (5394)
8-14 Days	4919 (3933)	2220 (2602)	- (94)	565 (1472)	1014 (2087)	1062 (1901)
15-30 Days	11751 (7582)	4539 (6712)	123 (264)	1777 (3246)	4062 (9374)	6064 (9088)
31 days to 2 Month	12834 (12198)	3465 (7014)	384 (464)	665 (1062)	6606 (6557)	7017 (6330)
Over 2 Months upto 3 Month	14517 (13665)	7150 (5955)	149 (783)	1475 (7252)	12222 (9487)	13069 (10224)
Over 3 Months upto 6 Month	31675 (28324)	12683 (11599)	584 (893)	2120 (802)	4882 (6906)	4458 (5475)
Over 6 Months upto 1 Year	68878 (45963)	16951 (12118)	2230 (2124)	1487 (358)	1991 (3506)	1893 (5663)
Over 1 Year upto 3 Year	30580 (47343)	23280 (26674)	13528 (11262)	4765 (811)	9837 (7754)	11428 (10230)
Over 3 Year upto 5 Year	10936 (19898)	22794 (23837)	11328 (10804)	5713 (-)	7147 (6365)	5353 (4877)
Over 5 Year	70886 (63798	89820 (62039)	66816 (70857)	1500 (1500)	1731 (2830)	3426 (2468)
Total	**263130 (249338)**	**186877 (161629)**	**95265 (97669)**	**25331 (20501)**	**52702 (61760)**	**57895 (62050)**

e) Amount of NPAs (Gross) : 6463.30 Cr

- Substandard : 1138.58 Cr
- Doubtful 1 : 664.39 Cr
- Doubtful 2 : 1226.51 Cr
- Doubtful 3 : 1992.83 Cr
- Loss : 1440.00 Cr

f) Net NPAs : 1621.64 Cr

g) NPA Ratios: -

- Gross NPAs to gross advances : 3.46%
- Net NPAs to net advances : 0.89 % -

h) Movement of NPAs (Gross)

- Opening balance : 7726.46 Cr
- Additions : 2072.39 Cr
- Reductions : 3335.55 Cr
- Closing balance : 6463.30 Cr

i) Movement of Specific & General Provision (₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	5619.83	884.03
Provisions made during the period	1070.42	218.64
Write-off	1937.92	NIL
Write-back of excess provisions	2.15	13.46
Exchange difference	10.23	0.99
Closing balance	4760.41	1090.20

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement	—
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	₹1486.50 crore

k) Amount of Non-Performing Investments: 1377.84 Cr

l) Amount of provisions held for non-performing investments: - 1377.84 Cr

m) Movement of provisions for depreciation on investments

- Opening balance : 1356.93 Cr
- Provisions made during the period : 280.98 Cr
- Write-off : NIL
- Exchange Difference : NIL
- Write-back of excess provisions : 655.16 Cr
- Closing balance : 982.75 Cr

n) Industry wise NPA and provisions (₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	4.15	3.22
2	Food Processing	49.29	15.02
3	Textiles	29.01	22.98
4	Leather and Leather products	0.39	0.10
5	Wood and Wood Products	0.79	0.25
6	Paper and Paper Products	2.66	0.65
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0.00	0.00
8	Chemicals and Chemical Products	0.11	0.11
9	Rubber, Plastic and their Products	15.87	5.16
10	Glass & Glassware	0.00	0.00
11	Cement and Cement Products	29.70	20.67
12	Basic Metal and Metal Products	50.54	13.89
13	All Engineering	34.77	12.46
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	0.74	0.35
15	Gems and Jewellery	0.00	0.00
16	Construction	89.65	48.52
17	Infrastructure	39.47	18.57

o) Geography Wise NPA & Provisions (₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	6416.57	46.73	6463.30
Provisions for NPA	4713.68	46.73	4760.41
Provisions for Standard Advances	1000.76	89.44	1090.20

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

1) सीएआरई
2) सीआरआईएसआईएल
3) इंडिया रेटिंग
4) इन्फोमेरिक्स
5) आईसीआरए
6) एक्यूट रेटिंग
7) फिच
8) मूडीज़
9) एस एंड पी

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1)	100% से कम का जोखिम भार	-	**₹**1,61,479.89 करोड़
2)	100% जोखिम भार	-	**₹**1,500.06 करोड़
3)	100% से अधिक का जोखिम भार	-	**₹**6,161.82 करोड़
4)	कटौती	-	**₹**0.00 करोड़
	योग	-	**₹1,82,642.77** करोड़

Table DF - 4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

1) CARE
2) CRISIL
3) INDIA RATINGS
4) Infomerics
5) ICRA
6) Acuite Rating
7) Fitch
8) Moody's
9) S & P

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1)	Below 100% risk weight	-	₹ 1,61,479.89 Cr.
2)	100% risk weight	-	₹ 1,500.06 Cr.
3)	More than 100% risk weight	-	₹ 6,161.82 Cr.
4)	Deduction	-	₹ 0.00 Cr.
	Total	-	**₹ 1,82,642.77 Cr.**

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि –

i) बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।

ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यधीन है।

iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

i) गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।

iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगीः

क) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;

ख) 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

i) निर्माण की प्रकृति

ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती

iii) किराया से होने वाली आय

iv) निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि

v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र

vi) निर्माण की लागत

vii) जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

(क) शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य

(ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) **एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन**

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

(i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक

(ii) संयत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन

(iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना

(iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन

(v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार

(vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी

ii) कार्पोरेट गारंटी

iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹15263.28 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;

iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.

ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.

iii) Operational requirement for guarantees must be met.

iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;

b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.

v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

i) Nature of construction

ii) Age of the building and its present strength

iii) Rental yield

iv) Tax amount assessed/paid

v) Area of land and building

vi) Cost of construction

vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

a) Current market price of the share

b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are -

i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
iv) Assignment of LIC Policies
v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,

ii) Corporate Guarantee

iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹15263.28 Cr.

Table DF - 6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ - 7

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. **उद्देश्य एवं नीतियां:**
निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

2. **कार्यनीति एवं प्रक्रिया:**
यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

3. **संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठनः**
निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

4. **जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप**
देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

5. **जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :**
बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रुपयों से बैंक के भारतीय रुपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	649.78
ईक्विटी स्थिति जोखिम	242.51
विदेशी मुद्रा जोखिम	25.87

TABLE DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	649.78
Equity Position Risk	242.51
Foreign Exchange Risk	25.87

तालिका डीएफ - 8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है —

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है —

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2024 की स्थिति को बीआईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹2015.03 करोड़ की है।

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEx for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹2015.03 crores as on 31.03.2024.

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- ₹368.24 करोड़
2) 200 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- ₹942 करोड़

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹368.24 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 200 basis point	+/- ₹942 Cr.

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्स्पोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	**राशि**
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	946.78
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेड चालू ऋण एक्स्पोजर	946.78
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्स्पोजर	946.78

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्स्पोजर**	**31.03.2024**
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	40827.85	71.09	885.24
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	5502.79	17.43	61.54
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00	0.00
कुल	46330.64	88.52	946.78

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

₹ in Cr

Particulars	Amount
Gross positive value of contracts	946.78
Netting Benefits	0.00
Netted current credit exposure	946.78
Collateral held	0.00
Net derivative credit exposure	946.78

₹ in Cr

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2023	Total Credit Equivalent As on 31.03.2024
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	40827.85	71.09	885.24
Single CCY Interest Rate Swaps	5502.79	17.43	61.54
Interest Rate Futures	0.00	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Total	46330.64	88.52	946.78

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		राशियां	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँज़ी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	155816.7	
2	प्रतिधारित उपार्जन	25137.4	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	69935.1	
4	*सीईटी1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)*		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी*1* में अनुमत राशि)		
6	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी विनियमनकारी समायोजनों से पूर्व**	**250889.2**	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियमनकारी समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	11831.2	
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	63802.8	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें सेः वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें सेः बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें सेः अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क+ 26ख + 26ग + 26घ)		
	26क *जिसमें सेः* असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख *जिसमें सेः* असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग *जिसमें सेः* प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ *जिसमें सेः* अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1को कुल नियमनकारी समायोजन	75634.0	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर** 1 **पूँजी (सीईटीआई)** **अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः लिखत**	175255.2	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	
31	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि	5000.0	
35	*जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
36	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व** **अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः नियमनकारी समायोजन**	5000.0	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क+41ख)		
	41क जिसमे से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमे से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**	-	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी** (एटी1)	5000.0	
45	**टियर 1 पूँजी (टी1= सीईटी +1 एटी 1) (29 - 44)**	180255.2	
	टियर 2 पूँजीः लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	15000.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	*जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
50	प्रावधान	15313.5	
51	**टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व** **टियर 2 पूँजीः नियमनकारी समायोजन**	30313.5	

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	72.1	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से		
	बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क+56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख *जिसमें से:* प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	**टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**	72.1	
58	**टियर 2 पूँजी** (टी2)	30241.5	
59	**कुल पूँजी (टीसी=टी1 + टी2) (45 + 58)**	**210496.7**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)**	**1239651.3**	
	60क *जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ*	984584.1	
	60ख *जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ*	79840.4	
	60ग *जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ*	175226.8	
	पूँजी अनुपात एवं वफर		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (*जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में*)	14.14%	
62	टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.54%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.98%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1		
	आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम		
	भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: *पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता*		
66	*जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता*		
67	*जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता*		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी तियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
	कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

Table DF - 11

Composition of Capital

(₹ in million)

Basel III common disclosure template		Amounts	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	155816.7	
2	Retained earnings	25137.4	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	69935.1	
4	*Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies[1])*		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**250889.2**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	11831.2	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	63802.8	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a *of which:* Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b *of which:* Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c *of which:* Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d *of which:* Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments **to Common** equity Tier 1	75634.0	
29	**Common Equity Tier** 1 **capital (CET1)**	**175255.2**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	*Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1	5000.0	
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	5000.0	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b) 41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	-	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	5000.0	
45	**Tier 1 capital (T1 = CETI + AT1) (29 + 44)**	**180255.2**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15000.0	
48	Tier 2 instruments (and CETI and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
50	Provisions	15313.5	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**30313.5**	

	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	72.1	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a *of which:* Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	72.1	
58	**Tier 2 capital (T2)**	30241.5	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**210496.7**	
60	**Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1239651.3**	
	60a *of which: total credit risk weighted assets*	984584.1	
	60b *of which: total market risk weighted assets*	79840.4	
	60c *of which: total operational risk weighted assets*	175226.8	
	Capital Ratios & Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.14%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.54%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.98%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of *which: capital conservation buffer requirement*		
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*		
67	*of which: G-SIB buffer requirement*		
68	*Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)*		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

तालिका डीएफ – 12

पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	119559.6	
	आरक्षित एवं अधिक निधि	154008.3	
	अल्प संख्य ब्याज		
	शेयर एप्लीकेशन राशी		
	कुल पूंजी	273567.9	
ii	जमाराशि	2631297.7	
	जिसमें से : बैंक जमाराशि	104348.7	
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशि	2526949.0	
	जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)		
iii	उधार	253314.4	
	जिसमें से: भा.रि. बैंक से	41520.0	
	जिसमें से: बैंकों से	168478.1	
	जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से	19342.2	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	3974.1	
	जिसमें से: पूंजीगत लिखत	20000.0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	78734.5	
कुल		**3236914.5**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	101971.7	
	अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	188281.9	
ii	निवेश :	929043.9	
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति	684598.1	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	00.0	
	जिसमें से : शेयर	3496.5	
	जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड	236571.5	
	जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक	2390.0	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	1987.8	
iii	ऋण एवं अग्रिम	1820218.7	
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	17797.5	
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1802421.2	
iv	अचल आस्ति	37814.7	
v	अन्य आस्तियां	159583.6	
	जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	73133.7	
	जिसमें से : अन्य	86449.9	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**3236914.5**	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	**रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र**
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी *जिसमें से :* सीईटी 1 के लिए पात्र राशि *जिसमें से :* एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लीकेशन राशि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	119559.6 119559.6 0.00 154008.3 0.00 273567.9	
ii	जमाराशि *जिसमें से :* बैंकों से जमाराशि *जिसमें से :* ग्राहक जमाराशि *जिसमें से :* अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	2631297.7 104348.7 2526949.0	
iii	उधार *जिसमें से :* भा.रि. बैंक से *जिसमें से :* बैंकों से *जिसमें से :* अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से *जिसमें से :* अन्य (कृपया उल्लेख करें) *जिसमें से :* पूंजीगत लिखत	253314.4 41520.0 168478.1 19342.2 3974.1 20000.0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान *जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी* *जिसमें से :* अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी **कुल**	78734.5 **3236914.5**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	101971.7 188281.9	
ii	निवेश *जिसमें से :* सरकारी प्रतिभूतियां *जिसमें से :* अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां *जिसमें से :* शेयर *जिसमें से :* ऋण-पत्र एवं बांड *जिसमें से :* सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम / सहायक *जिसमें से :* अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	929043.9 684598.1 00.0 3496.5 236571.5 2390.0 1987.8	
iii	ऋण एवं अग्रिम *जिसमें से : बैंकों को ऋण* एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1820218.7 17797.5 1802421.2	
iv	अचल आस्तियां	37814.7	
v	अन्य आस्तियां	159583.6	
	जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां *जिसमें से :* साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	 73133.7 86449.9	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**3236914.5**	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	155816.7	
2	प्रतिधारित आमदनी	25137.4	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	69935.1	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व	250889.2	
	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	11831.2	
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	63802.8	

Table DF – 12

Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	119559.6	
	Reserves & Surplus	154008.3	
	Minority Interest		
	Share Application Money		
	Total Capital	273567.9	
ii	Deposits	2631297.7	
	of which: Deposits from banks	104348.7	
	of which: Customer deposits	2526949.0	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings	253314.4	
	of which: From RBI	41520.0	
	of which: From banks	168478.1	
	of which: From other institutions & agencies	19342.2	
	of which: Others (Outside India)	3974.1	
	of which: Capital instruments	20000.0	
iv	Other liabilities & provisions	78734.5	
	Total	**3236914.5**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	101971.7	
	Balance with banks and money at call and short notice	188281.9	
ii	Investments:	929043.9	
	of which: Government securities	684598.1	
	of which: Other approved securities	00.0	
	of which: Shares	3496.5	
	of which: Debentures & Bonds	236571.5	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	2390.0	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1987.8	
iii	Loans and advances	1820218.7	
	of which: Loans and advances to banks	17797.5	
	of which: Loans and advances to customers	1802421.2	
iv	Fixed assets	37814.7	
v	Other assets	159583.6	
	of which: Goodwill and intangible assets		
	of which: Deferred tax assets	73133.7	
	of which: Others	86449.9	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**3236914.5**	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	119559.6	
	of which: Amount eligible for CET1	119559.6	
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	
	Reserves & Surplus	154008.3	
	Share Application Money	0.00	
	Minority Interest		
	Total Capital	**273567.9**	
ii	Deposits	2631297.7	
	of which: Deposits from banks	104348.7	
	of which: Customer deposits	2526949.0	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings	253314.4	
	of which: From RBI	41520.0	
	of which: From banks	168478.1	
	of which: From other institutions & & agencies	19342.2	
	of which: Others (Outside India)	3974.1	
	of which: Capital instruments	20000.0	
iv	Other liabilities & provisions	78734.5	
	of which: DTLs related to goodwill		
	of which: DTLs related to intangible assets		
	Total	**3236914.5**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	101971.7	
	Balance with banks and money at call and short notice	188281.9	
ii	Investments	929043.9	
	of which: Government securities	684598.1	
	of which: Other approved securities	00.000	
	of which: Shares	3496.5	
	of which: Debentures & Bonds	236571.5	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	2390.0	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	1987.8	
iii	Loans and advances	1820218.7	
	of which: Loans and advances to banks	17797.5	
	of which: Loans and advances to customers	1802421.2	
iv	Fixed assets	37814.7	
v	Other assets	159583.6	
	of which: Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	73133.7	
	Others	86449.9	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**3236914.5**	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	155816.7	
2	Retained earnings	25137.4	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	69935.1	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	250889.2	
7	Prudential valuation adjustments	11831.2	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	63802.8	

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिखत : ईक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग्र)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं
	विनियमनकारी उपचार	विनियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी – कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	119559.58
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद
		की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08054 INE691A08054
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.06.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	28.06.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	लागू नहीं
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.644% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर “प्वाईंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर” नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.71% शृंखला III

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691ए 08062 INE691A08062
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	16.12.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	16.12.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	लागू नहीं
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.71% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बॉंड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 8.51% शृंखला IV

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08070 INE691A08070
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	4000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	22.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	22.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर “प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर” नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बॉंड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 8.51% शृंखला V

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08088 INE691A08088
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	1000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	31.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत अनन्त अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित एडिशनल टियर I बांड 9.50% शृंखला I

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08096 INE691A08088
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *विनियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-I
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-I
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	17.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूल परिपक्वता की तिथि	नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	17.03.2028
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो *कूपन/ डिविडेंड*	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.50% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर “प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर” नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक द्वारा जारी किए गए ईक्विटी शेयरों और स्थायी वरियता शेयरों में निवेशको के दावो से वरियता प्राप्त करेंगे। (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं, सामन्य ऋणकर्ताओं और बैंक के अधीनस्थ ऋण के दावो के अधीन होंगा, अतिरिक्त टीयर । पूंजी के रुप में योग्य किसी भी अधीनस्थ ऋण के अलावा (जैसे की बेसल III दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	Regulatory treatment	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	119559.58
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08054
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.644% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08062
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	16.12.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	16.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.71% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:

		a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series IV

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08070
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	22.03.2022
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.03.2027
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.51% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series V

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08088
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2022
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2027
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.51% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Perpetual Non-Convertible Basel III Compliant Additional Tier-I Bonds 9.50% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08088
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - I
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier I
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	17.03.2022
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	17.03.2028
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be a) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares if any, issued by the Bank; b) subordinated to the claims of all depositors, general creditors & subordinated debt of the Bank, other than any sub-ordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as defined in the BASEL III guidelines) (c) neither be secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ - 14

नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयरः असंचयी
2	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II (आईएनई691ए08054)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 28.06.2019, प्रतिदान की तारीखः 28.06.2029, सम मूल्यः ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.644% और प्रतिवर्ष 28 जुन. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 9.71% शृंखला III (आई एन ई 691ए 08062)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 16.12.2019, प्रतिदान की तारीखः 16.12.2029, सम मूल्यः ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.71% और प्रतिवर्ष 16 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला IV (आई एन ई 691ए 08070)	जारी प्रमात्राः ₹400 करोड़, आबंटन की तारीखः 22.03.2022, प्रतिदान की तारीखः 22.03.2032, सम मूल्यः ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः 22.03.2027 ब्याज दर और आवृत्तिः 8.51% और प्रतिवर्ष 22 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला V (आई एन ई 691ए 08088)	जारी प्रमात्राः ₹100 करोड़, आबंटन की तारीखः 31.03.2022, प्रतिदान की तारीखः 31.03.2032, सम मूल्यः ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः 31.03.2027 ब्याज दर और आवृत्तिः 8.51% और प्रतिवर्ष 31 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत अनन्त अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित एडिशनल टियर I बांड 9.50% शृंखला I (आईएनई 691ए 08096)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 17.03.2023, प्रतिदान की तारीखः लागू नहीं. सम मूल्यः ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः 17.03.2028 ब्याज दर और आवृत्तिः 9.50% और प्रतिवर्ष 17 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

तालिका डीएफ - 15

पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF - 14
Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II (INE691A08054)	Issue Size: Rs. 500 Crore, Date of Allotment: 28.06.2019, Date of Redemption: 28.06.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.644%, Yearly on 28th June. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
3.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III (INE691A08062)	Issue Size: Rs. 500 Crore, Date of Allotment: 16.12.2019, Date of Redemption: 16.12.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.71%, Yearly on 16th Dec. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
4.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series IV (INE691A08070)	Issue Size: 400 Crore, Date of Allotment: 22.03.2022, Date of Redemption: 22.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 22.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 22nd March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
5.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series V (INE691A08088)	Issue Size: 100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2022, Date of Redemption: 31.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 31.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
6.	Unsecured Perpetual Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Additional Tier I Bonds 9.50% Series I (INE691A08096)	Issue Size: 500 Crore, Date of Allotment: 17.03.2023, Date of Redemption: NA , Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 17.03.2028. Rate of Interest and frequency: 9.50%, Yearly on 17th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

Table DF - 15
Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

तालिका डीएफ-16:

बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्क्ड-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर "पूँजी आरक्षित निधि" में विनियोजित किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य (उचित मूल्य से तत्वत भिन्न हो तो)
अनुद्धृत	239.00	239.00	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

(राशि ₹ करोड़ में)

ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए)		239.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर,जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		0.00

ग. लाभ/हानि विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारित जोखिम दर /@ 250%	68.71
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर,2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारित जोखिम दर /@ 150%	0.00

Table DF - 16

Disclosure for Banking Book Positions

QUALITATIVE DISCLOSURES

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

A. Value of Investments

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	239.00	239.00	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

B. Types and Nature of Investments

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		239.00
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		0.00

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	68.71
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.00

तालिका डीएफ- 17:
लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	3236914.51
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु समायोजन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र कार्रवाई से रहित	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	9467.76
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़रों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	99077.75
7	अन्य समायोजन	(63802.80)
8	लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर	**3281657.23**

तालिका डीएफ-18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोज़र	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित, लेकिन संपार्श्विक सहित)	3236914.51
2.	(बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(63802.80)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोज़र (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	3173111.71
	व्युत्पन्न एक्सपोज़र	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	885.15
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	8585.61
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	9467.76
	प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र	
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति **12** से लेकर **15** का कुल योग)	0.00
	तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र	
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	350524.17
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(251446.41)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	99077.76
	पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20.	टियर 1 पूँजी	180255.20
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	3281657.23
	लीवरेज अनुपात	
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	**5.49%**

Table DF - 17

Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	3236914.51
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	9467.76
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	99077.75
7	Other adjustments	(63802.80)
8	Leverage ratio exposure	**3281657.23**

Table DF - 18

Leverage ratio common disclosure template

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
	On-Balance sheet exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3236914.51
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(63802.80)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	3173111.71
	Derivative exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	885.15
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	8585.61
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	9467.76
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	350524.17
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(251446.41)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	99077.76
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	180255.20
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3281657.23
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio	**5.49%**

लाभांश वितरण दिशानिर्देश /DIVIDEND DISTRIBUTION GUIDELINES

बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण के समय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करता हैः

Bank follows the following guidelines issued by RBI while making payment of Dividend to the shareholders of the Bank:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/451/2005 डीबीओडी/सं बीपी.बीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 4 मई, 2005 के माध्यम से बताया था कि बैंक यदि पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के संबंध में विशेषीकृत पात्रता मानददंडों का अनुपालन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अपनी आस्तियों में क्षय, स्टाफ अनुलाभ, लाभ की प्रारक्षितियों में अंतरण आदि के लिए प्रावधान कर के रखता है तो उसे लाभांश की घोषणा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/451/2005 DBOD. NO. BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 dated 4th May, 2005 advised that prior approval of Reserve Bank of India is not necessary for declaration of Dividend, if the Bank complies with the specified eligibility criteria regarding capital adequacy, Net NPA, Compliance of provision of Sec. 15 & 17 of Banking Regulation Act, and makes provision for impairment of assets, staff benefits, transfer of profit to reserve etc. as per RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उक्त परिपत्र में आगे कहा है कि लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाए। अधिकतम अनुमत लाभांश पेआउट अनुपात रेंज के लिए मानदंड मैट्रिक्स का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है वह भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्र में विहित है :

RBI in their aforesaid circular have further stipulated that the dividend should be paid out of the current year's profit. The matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend pay-out ratio as detailed below has also been stipulated in the aforesaid RBI circular:

कोटि Category	सीआरएआर /CRAR	निवल एनपीए अनुपात/Net NPA Ratio			
		शून्य Zero	शून्य से अधिक पर 3% से कम More than Zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक From 5% to less than 7%
		लाभांश पेआउट अनुपात का रेंज (कर के बाद लाभ का %) Range of Dividend Pay out Ratio (% of Profit after Tax)			
क/A	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 11% अथवा उससे अधिक 11% or more for each of last 3 years	40 तक Upto 40	35 तक Upto 35	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15
ख/B	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 10% अथवा उससे अधिक 10% or more for each of last 3 years	35 तक Upto 35	30 तक Upto 30	20 तक Upto 20	10 तक Upto 10
ग/C	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 9% अथवा उससे अधिक 9% or more for each of last 3 years	30 तक Upto 30	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15	5 तक Upto 5
घ/D	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक 9% or more in the current year	10 तक Upto 10		5 तक Upto 5	निरंक NIL

यूको बैंक

UCO BANK

Head Office 10, B.T.M. Sarani, Kolkata-700001

Printed at Swapna-Kol-9